खण्ड-434, अंक-6
शुक्रवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1922
(28 अप्रैल, 2000 ई0)

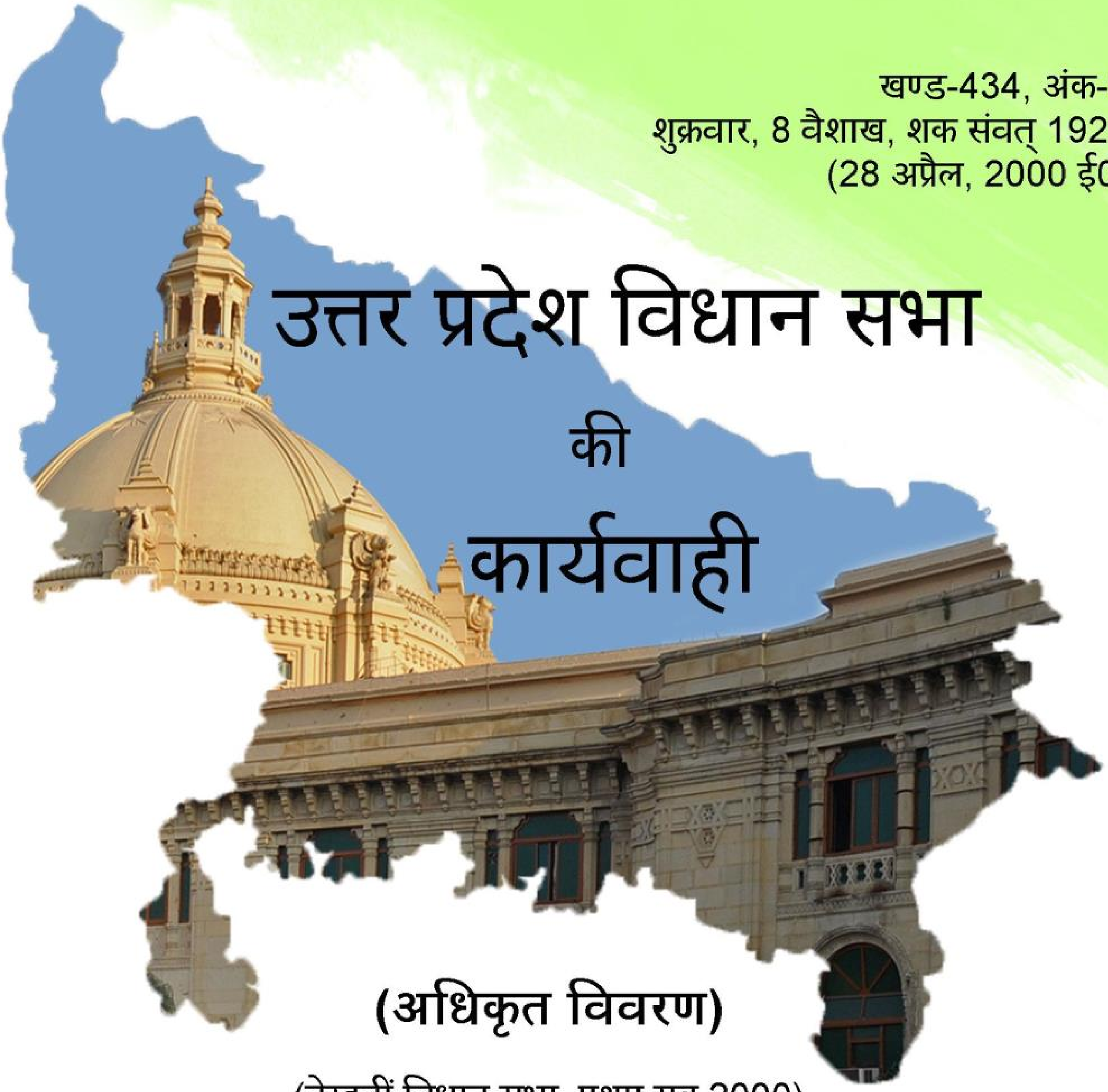

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–94
प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	94–95
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	95–97
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	97
जनपद बांदा में केन केनाल सिस्टम की मुख्य अतर्रा माइनर तथा उसकी शाखाओं, रजबहों की पटरी की मरम्मत तथा उनकी तली की सफाई खुदाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
अल्पसंख्यकों विशेष रूप से इसाई मिशनरियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने एवं उनके हितों की रक्षा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	97–98
विद्युत वितरण खण्ड बहराइच से सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता के निवृत्त देयकों का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद बागपत के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय किसानों की भूमि जो हरियाणा के किसानों के कब्जे में है, को वापस दिलाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में नावार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत उमरांवा से तेरिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 में शब्द "झगड़ा" के स्थान पर शब्द "विवाद" रखे जाने हेतु औचित्य का प्रश्न	99–100
नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर शासन से कृत कार्यवाही का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	101
जनपद मैनपुरी के निर्वाचन क्षेत्र करहल के कतिपय मार्गों के सम्बन्ध में लोक निर्माण मंत्री द्वारा गलत बयानी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	101–102
सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र के आधार पर उठाया गया औचित्य का प्रश्न ...	102–106
प्रदेश में अवैध जहरीली शराब का धन्धा बड़े पैमाने पर चलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	106

विषय	पृष्ठ-संख्या
लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता संघ के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र को पूर्व निर्धारित समय पर सदन में न बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	106
प्रदेश में अवैध जहरीली शराब का धन्धा बड़े पैमाने पर चलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	107
लोक निर्माण मंत्री द्वारा अभियन्ता संघ के आरोपित -पत्र पर व्यथित होकर सदन में दिये गये त्याग-पत्र पर श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार अभियन्ता संघ के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र के सदन में उपस्थित होने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	107–113
जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के ग्राम नगला रडा में प्रस्तावित राजकीय कन्या इण्टर कालेज को ग्राम शाहजहांपुर में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री जयपाल सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... ... (उपस्थित की गयी)	113
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम की सूचना ...	113–114
मा० अध्यक्ष द्वारा की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त ईसाई लोगों पर हो रहे हमले संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सुने जाने की मांग (जारी)	114
प्रदेश में अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन के सम्बन्ध में सूचना	115
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) ...	115–116
कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	116–120
मा० अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सभी विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त ईसाई लोगों पर हो रहे हमले संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सुने जाने की मांग (जारी)	121–123
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	123–131
मा० अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सभी विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षरयुक्त नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सुने जाने की मांग	131
प्रदेश में अल्पसंख्यक (ईसाई) समुदाय के लोगों के ऊपर हो रहे हमलों के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना	131–138
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–13 कृषि तथा अल्प सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	138–158
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान सं०–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) एवं अनुदान सं०–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	158–164
सत्रकाल में मा० सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले मिनरल वाटर में कीट प्राप्त होने पर उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर पीठ का निर्णय... ...	164–165

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं०–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	165–171
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	171–172
शिया पी० जी० कालेज लखनऊ के प्राचार्य के चयन के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य ...	172–176
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित सहायतित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित मान्यता देने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	176
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों एवं नर्सिंग होम से निकले हुए कचरे के निस्तारण की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	177
हरिद्वार नगर को आगामी वैसाखी एवं राम नवमी पर्वों के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कटौती से मुक्त रखने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	177
लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत स्थित, विभव, विजयन्त खण्ड के भूखण्डों की रजिस्ट्री में धांधली किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	178
जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही व ज्ञानपुर में निर्माणाधीन बस डिपो भवन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	179
प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ में टंकक के पद पर भर्ती हेतु लम्बित साक्षात्कार न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	179–180
जनपद जालौन में छात्र नेता अतुल कुमार यादव पर प्राण घातक हमला किये जाने के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	180–181
जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्षा एवं ओला वृष्टि से किसानों की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	181–182
जनपद सीतापुर के ग्राम सिधौली में जिलाधिकारी द्वारा उर्स के कार्यक्रम को प्रतिबन्धित किए जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	182–183
नस्थियां	184–190

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2000

(तेरहवीं विधान सभा)

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मा० सदस्य उपस्थित थे :—

1–अब्दुल सलाम, श्री — प्रतापगढ़
2–अजय राय, श्री — वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री — बलिया
5–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
6–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
7–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
8–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
9–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
10–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
11–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
12–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
13–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
14–के० सी० सिंह "बाबा", श्री — उधम सिंह नगर
15–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
16–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
17–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
18–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
19–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
20–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
21–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
22–तिलकराज बेहड़, श्री — उधम सिंह नगर
23–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर
24–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
25–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
26–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
27–नारायण राम दास, श्री — अल्मोड़ा
28–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
29–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
30–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
31–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
32–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
33–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
34–मोती लाल, श्री — खीरी
35–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर — प्रतापगढ़
36–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
37–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
38–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
39–राम चन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
40–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
41–राम स्वरूप सिंह श्री — बिजनौर
42–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
43–लाखीराम जोशी, श्री — टिहरी गढ़वाल
44–लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
45–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
46–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
47–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
48–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
49–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
50–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
51–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
52–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
53–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
54–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
55–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
56–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
57–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने संबंधी योजना

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

प्रदेश में वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका मूल उद्देश्य समाज को लाभ पहुंचाना ही है । निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सामुदायिक एवं वन भूमि पर सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त वन प्रबन्ध योजना, औद्योगिक पल्पवुड योजना, ईधन एवं चारा योजना, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना आदि ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने का है और यह प्रदेश में चलाई जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, वानिकी जिससे कि पर्यावरण संतुलित रहता है, वाटर लेवल ऊपर आ सकता है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न "क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ?" इसके उत्तर में कहा है कि कुछ योजनाएं बनाई गई हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि यह योजनाएं कब से क्रियान्वित हुई और इन योजनाओं का कोई सर्वेक्षण कराया गया यदि कराया गया तो उसकी कोई रिपोर्ट आई है और मंत्री जी उसको सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे ?

श्री राजधारी सिंह–

अध्यक्ष जी, पाण्डेय जी ने जानना चाहा है कि यह योजनाएं कब से चल रही हैं तो सामाजिक वानिकी का प्रथम चरण 1979-80 से प्रारम्भ हुआ और 1984 तक रहा । दूसरे चरण की योजना 1985-86 से लेकर 1992-93 तक थी । इस योजना को प्रदेश के समस्त मैदानी जनपदों में लागू किया गया । प्रथम चरण की योजना में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता प्राप्त हो गई थी बाद में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वित्त पोषण हो रहा है और इन योजनाओं को चलाया जा रहा है । जहां तक सर्वेक्षण की बात है तो पिछले पांच वर्ष का सर्वेक्षण हमारे पास उपलब्ध है । 1995-96 में 2622 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण का काम किया गया । सामाजिक वानिकी में जिस पर वित्तीय उपलब्धियां रही 3.276 लाख की । 1996-97 में 3,928 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण का काम किया गया जिस पर 3,0,9000 रुपये खर्च हुए । वर्ष 1997-98 में 4.827 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण का काम किया गया पैसा लगा

3,288.47 लाख रुपये वर्ष 1999-2000 में 6.282 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण का काम हुआ और पैसा लगा 1,375.67 लाख रुपए ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सामाजिक वानिकी में नर्सरीज होती है उसमें पौधे लगाने का मोडिलिटी रेट क्या है ? क्योंकि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा श्रोत है । जो पैसा सामाजिक वानिकी के लिये आता है उसमें से मोडिलिटी के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है । दूसरी बात यह है कि आपके यहां फलदार वृक्षों का क्या औसत है जो जीव-जन्तु की तादात है वह फलदार वृक्षों की कमी से कम होती जा रही है ।

श्री राजधारी सिंह–

मान्यवर, पौधों का सर्वाइवल रेट 50-60 प्रतिशत तक का है । पहले जंगली पौधे लगाये जाते थे परन्तु अभी पिछले तीन साल से इस प्रकार के फलदार वृक्षों के लिए 20 प्रतिशत की अनिवार्यता कर दी गई है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुरानी प्रजाति के वृक्ष जो कि कार्बन डाई आक्साइड को सोखने वाले हैं जैसे पीपल, बरगद, आम, जामुन, नीम इत्यादि को रोड के किनारे लगाने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है ?

श्री राजधारी सिंह–

वर्तमान में सरकार की पूरी कोशिश है कि इस प्रकार के वृक्षों को सड़क के किनारे लगाया जाय तथा ईधनयुक्त पौधों को भी प्राथमिकता दी जा रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मंत्री जी ने कहा कि वे प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम आगे बढ़े तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सामाजिक वानिकी की जो योजना है जो विश्वबैंक की मदद से चलाई जा रही है कब से चलाई जा रही है ? इस योजना के कई वर्षों से चलाये जाने के बावजूद भी मात्र 17 प्रतिशत भूमि पर ही वृक्षारोपण है जबकि 33 प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है । इसके लिये आपने किस-किस के ऊपर जिम्मेदारी निर्धारित की है ?

श्री राजधारी सिंह–

मान्यवर, विश्वबैंक से स्ववित्त पोषित कार्यक्रम 79-80 से 84-85 और 85-86 से 92-93 तक चला । इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है । हम पूरी 33 प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण के लिये कोशिश कर रहे हैं और दो योजनायें बनाई हैं जिसमें एक विचाराधीन है । व्यक्तिगत कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए "विश्व वन्धु पुरस्कार योजना" जिसके लिये 25 हजार तक की मदद हम करेंगे । दूसरे हम हरित गांव को चयनित करने जा रहे हैं जिसमें एक गांव सभा को एक लाख रुपये देंगे और इस योजना को आपस में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अधिक व्यापक बनाने की योजना है ।.....

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 500 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है तो इसके लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं और उन लोगों के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है वैसे उत्तर आ गया है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उन योजनाओं का जिक्र किया जो सामाजिक वानिकी के लिये चलाई जा रही है । माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि मारटेलिटी रेट क्या है और कितना धन खर्च किया गया है ? अभी भारत सरकार का एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वानिकी के क्षेत्र में 12 वर्षों के कार्यक्रम के बाद जो लैण्ड कवर्ड एरिया फारेस्ट का है, वह बढ़ा नहीं बल्कि घटा है । इस लाइट में देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य था कि जंगल पर बायोटिक प्रेसर को रिड्यूस किया जाय, ईंधन के नाम पर और चारे के नाम पर किया जाता था, तो राष्ट्रीय एवरेज की तुलना में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ? मैं पुनः कह देता हूं कि भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो सर्वे किया उसके अनुसार वन क्षेत्र घटा है इसलिये उन कार्यक्रमों का इम्पेक्ट उत्तर प्रदेश में क्या पड़ा और उसकी स्थिति क्या है ?

श्री राजधारी सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आबादी बढ़ रही है और जंगल पर भी उसका दबाव बढ़ा है, चाहे वह ईंधन के रूप में हो या चारे के रूप में हो । सामाजिक वानिकी के माध्यम से काफी काम किया गया है चाहे वह चारे के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो । भारत सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र घटा है । वन विभाग द्वारा जो इस क्षेत्र में कार्य कराया गया है वह काफी सराहनीय रहा है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, भारत सरकार ने एक सर्वे कराया और कहा कि 12 वर्षों के कार्यक्रम के बाद भी क्षेत्रफल घटा है तो उस परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ? क्षेत्रफल घटा है या बढ़ा है और सामाजिक वानिकी का जो इम्पेक्ट बायोटिक प्रेसर को रेड्यूस करने का था, उसकी क्या स्थिति रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की रिपोर्ट के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल घटा है या बढ़ा है यदि आपके पास सूचना है तो बता दें ?

श्री राजधारी सिंह–

चूंकि यह जो सवाल किया है उसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी । यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था । यह बात सही है कि हमारा क्षेत्रफल घटा है और इसका कारण यह रहा है कि जनता का दबाव रहा है पेड़ कटे हैं । एग्जेक्ट स्थिति के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अध्यक्ष–

जब क्षेत्र घटा है तो स्पष्ट है कि प्रभाव नहीं हुआ ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, स्वतः ही यह प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार फिर भी इस परियोजना को परिवर्तित करने पर विचार करेगी । 12 वर्षों में इसका रिजल्ट निगेटिव आया है इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे ।

(श्री जगदम्बिका पाल के बीच में बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह अच्छा नहीं लगता । एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर आ जाने दीजिये । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि 12 वर्षों में यह प्रभाव रहा है कि क्षेत्र घटा है तो क्या इस परियोजना को परिवर्तित करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री राजधारी सिंह–

मान्यवर, विभाग ने चूंकि अनुभव किया है कि जनता की सहभागिता होनी चाहिए लेकिन वह इस कार्यक्रम में नहीं रही । शासन और विभाग इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा है कई योजनाएं चलाई हैं कि आम जनता की सहभागिता हो, वनों का संरक्षण करें और नये सामाजिक वानिकी में काम भी करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, दूसरे मंगलवार को राम ललित चौधरी जी ने एक अतारांकित प्रश्न किया था 39 नम्बर पर । उन्होंने पूछा था क्या वन मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 98-99 और 99-2000 में सामाजिक वानिकी और अन्य योजनाओं के तहत कितने वृक्ष लगाये गये और उसमें कितना धन खर्च हुआ ? उत्तर आया कि वर्ष 98-99 में सामाजिक वानिकी एवं अन्य योजनाओं के तहत 428330 और 99-2000 में 451665 लगाये गये और इसमें क्रमशः 98-99 में 31.06 लाख रुपये और 99-2000 में 13.13 लाख रुपये व्यय हुआ । इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि उस समय लगाये गये वृक्षों में कितने वृक्ष मौके पर मौजूद हैं उत्तर आया कि 98-99 में लगाये गये वृक्षों में से 80–85 प्रतिशत और 99–2000 में लगाये गये वृक्षों की उपलब्धता 95 प्रतिशत है । मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी आपने दस्तखत कर दिये उत्तर आ गये । 98-99 में 31.06 लाख रुपये खर्च करके 428330 पौधे लगाये 99-2000 में जब मंहगाई थोड़ी बढ़ जाती है तब 13.13 लाख रुपये खर्च करके पिछले साल से ज्यादा 451665 पौधे लगाये तो क्या यह सम्भव नहीं है कि पैसा आधे से कम कर दिया और पौधों की संख्या जो है जितने लगे थे उससे ज्यादा हो गये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह देखने से ही लगता है कि निश्चित तौर से इसमें घपला है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दंडित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग स्वतंत्र प्रश्न कर लें । यह मूल प्रश्न आपका नीति से संबंधित था । आपने कुछ तथ्य मंत्री जी के सामने रखे हैं । मूल प्रश्न है सामाजिक वानिकी, इसमें जो जवाब आया है कितने प्रतिशत अचीवमेंट है, एक उदाहरण देकर उत्तर दिया गया है ....

आपने तथ्य उपस्थित कर दिए । तथ्य उपस्थित करने के बाद कहा क्या मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री राजधारी सिंह–

वर्मा जी विद्वान साथी हैं इन्होंने आंकड़े उपस्थित किये वह बड़े अटपटे लगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वृक्षारोपण का जो काम है वह भिन्न प्रकार का है हमारे यहां जो वन विभाग के लिए पैसा

मिलता है मिट्टी का एडवांस काम कराते हैं जैसे 2001 में वृक्षारोपण करना है तो फरवरी-मार्च में तैयार पौधों को किया जाता है बरसात में काम करना है तो मई जून में काम हो जाता है तो आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं हो सकता पिछले कामों का भुगतान हुआ हो । हमें एडवांस काम कराना पड़ता है । तो इसको देखना पड़ेगा ।

(श्री उदयराज यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पांच अनुपूरक हो गए हैं तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं उसका परीक्षण करवा लें इसको दिखवा लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं वृक्षारोपण का कार्यक्रम जुलाई से शुरू होता है जैसा मंत्री जी ने कहा वृक्षारोपण के पहले नर्सरी तैयार करते हैं पिंड तैयार करते हैं । यह कार्य मार्च, अप्रैल, मई से होता होगा । 2000 से सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत कितना भू-भाग प्रस्तावित है चाहे वह रेलवे लाइन का किनारा हो, चाहे कोई और जगह हो ?

श्री राजधारी सिंह–

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कई योजनाओं के बारे में बताया आपने कहा कि आम जनता की सहभागिता से इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या ग्रामीण अंचल में जहां वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनायें चल रही हैं तो क्या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण अंचल में निःशुल्क पौधे देने की कोई योजना है ?

श्री राजधारी सिंह–

पाण्डेय जी ने निःशुल्क पौधे के बारे में कहा है पहले विभाग में यह योजना थी लेकिन अब यह योजना कहीं नहीं है ।

(इस समय 11 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

प्रदेश में गन्ना मूल्य की दरें एक समान निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

**2–श्री गोपाल कृष्ण (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना आयुक्त के पत्रांक पी०ए०–550/99/सी/क्रय–ग०मू० दिनांक 6-12-99 द्वारा गन्ने की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों तथा सामान्य प्रजातियों के गन्ने का मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है ? क्या यह सही है कि इससे प्रदेश के गन्ना किसानों को अत्याधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है ? क्या सरकार गन्ना मूल्य की दरें एक समान निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां । शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का रु० 90 प्रति कुन्टल तथा सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य रु० 85 प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है ।

जी नहीं । इससे किसानों को कोई हानि नहीं है ।

जी नहीं । प्रदेश में गन्ना प्रजातियों में शीघ्र, मध्य देर व देर से पकने वाली प्रजातियों का सन्तुलन बनाकर पेराई सत्र, उत्पादकता व चीनी परता में वृद्धि के उद्देश्य से शीघ्र पकने वाली प्रजातियों पर 5 रु० प्रति कुन्टल अधिक मूल्य का प्रोत्साहन रखा गया है जो गन्ना किसानों व चीनी उद्योग दोनों ही के हित में है । अतः एक ही मूल्य सभी प्रजातियों के लिये रखना विचारणीय नहीं है ।

नत्थी 'ख'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*1–श्री राम जग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति व विकलांगों को रोजगार परक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण किया जाता है । उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु "प्रधान मंत्री रोजगार योजना" संचालित की जा रही है जो केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित है ।

अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उ० प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा मार्जिन मनी ऋण योजना एवं टर्मलोन योजना संचालित की जा रही है ।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को टूरिस्ट गाइड एवं निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले होटलों एवं रिसोर्ट में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं ।

उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत रु० दस लाख तक की सीमा के अन्तर्गत 20% की धनराशि उपादान के रूप में राजसहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका माननीय मंत्री जी ने इस ढंग से उत्तर दिया है इससे लगता है कि मंत्री जी शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है । जो पूरे प्रदेश की स्थिति है बेरोजगारों की लम्बी फौज है, सरकारी नौकरियों से छटनी हो रही है, पद निरस्त किये जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है और उन बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियों और दूसरी नौकरियों में कितने प्रतिशत नौकरी दिलाने का लक्ष्य है और कितना दिला दिया है ? जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल, केरल में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास भी ऐसी कोई योजना है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 19 लाख 12 हजार 267 है और इसमें जो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि हम क्या शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देंगे तो ऐसी कोई योजना नहीं है। जिन लोगों को निकाला गया है या कुछ और तो उसमें प्रधान मंत्री बेरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती योजना मार्जिन मनी योजना, नगरीय योजना, उत्तरांचल पर्वतीय, विकास योजना खादी ग्राम उद्योग योजनाएं हैं जिनमें उनको रोजगार दिया जाता है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, क्या यह सरकार बेकारी भत्ता देगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार पश्चिम बंगाल के पैटर्न पर रोजगार कार्यालयों को प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अम्बरीष कुमार–

नियोजकों के प्रति रिक्तियों के विरुद्ध कितने शिक्षित बेरोजगारों को दिलाया है ? प्रधान मंत्री योजना, अल्पसंख्यक वित्त विकास योजना का लक्ष्य कितना है और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, हमारा लक्ष्य था 99-2000 में पांच लाख अड़तीस हजार । इसके विरुद्ध तीन लाख तैंतालिस हजार एक सौ बयासी को दिया गया ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पहले वाले का उत्तर नहीं आया है ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है जिसमें इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के अलावा सीधी विज्ञप्तियों से विज्ञापित करके अवसर दिया जाता है । इसके बारे में कहना है कि सीधे-सीधे रोजगार दिया जाता है कार्यालय द्वारा सीधे रोजगार नहीं दिया जाता है । जो विज्ञप्ति आती है उसके आधार पर देते हैं ।

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, जो उत्तर में सम्प्रेषण की बात आयी है तो कितने अभ्यर्थियों के नाम सम्प्रेषित किया गया ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, लगभग 45 हजार लोगों को रोजगार दिलाया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बेरोजगार लोगों की कोई जाति नहीं होती उत्तर में है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति व विकलांगों को रोजगार परक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ उनका नाम रोजगार के लिए भेजा जाता है, ये तो ऋण है, सवर्णों के लिए कौन सी ऐसी योजना है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, उसके अतिरिक्त जो रोजगार दिया गया है वह अन्य वर्गों का ही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बीस लाख लोग बेरोजगार हैं। हर साल शिक्षित बेरोजगार बड़ी संख्या में निकलते हैं क्या कोई ऐसी योजना है कि शिक्षित बेरोजगारों को एक समय अवधि के अन्दर सबको रोजगार मिल सके। अगर नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, सरकार की जो योजना है उसमें रोजगार के अवसर दिलाये जाते हैं। मान्यवर, मंहगाई भत्ता देने की जो बात है, वह विचाराधीन नहीं है।

श्री रामललित चौधरी–

मान्यवर, पिछले वर्ष आई०टी०आई० प्रशिक्षित कितने लोगों को अप्रेन्टिस दी गयी सरकार की तरफ से ?

श्री अधिष्ठाता–

यह बहुत विस्तृत जानकारी की बात है और यह बता पाना इस प्रश्न के माध्यम से सम्भव नहीं है आप बैठें।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता न देने का क्या कारण है यह सरकार बंगाल और केरल की तरह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहते हैं इसका क्या कारण है ? अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देते हैं तो कौन सी ऐसी स्पष्ट नीति है जिसके द्वारा हर एक बेरोजगार नौजवान को रोजगार की गारण्टी देंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, यदि हम इन बेरोजगारों को 50 रुपये प्रति माह मंहगाई भत्ता देने की योजना बना दें तो सरकार को 9 करोड़ 56 लाख 13 हजार 350 रुपये देने होंगे इतना अधिक भार सरकार नहीं उठा सकती, इसलिए ऐसी योजना नहीं है।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहती है और रोजगार के लिए इनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

पूर्वांचल विकास निधि से प्रत्येक जनपद को बराबर धनराशि दिये जाने की मांग

*2–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वांचल विकास निधि से धन को आवंटित किये जाने के मानक क्या हैं। क्या सरकार पूर्वांचल के प्रत्येक जनपद को उक्त निधि से बराबर धनराशि दिये जाने हेतु व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश को आवंटित करने का मानक संलग्नक में दिया गया है । राज्यांश के अधीन सामान्यतया क्षेत्रीय विशिष्टताओं, आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।

प्रत्येक जिले की जनसंख्या तथा इसका आकार समान न होने के कारण सभी जिलों को समान धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 184 पर ।)

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल निधि की जो नियमावली है उसमें राज्यांश में धन रखने के लिए कोई प्राविधान है और दूसरा आपने अपने जवाब में कहा है कि राज्यांश के अधीन सामान्यतः क्षेत्रीय विशिष्टताओं आवश्यकताओ आदि को दृष्टिगत रखते हुए, तो मैं जानना चाहता हूं कि निर्धारण का आधार क्या है किन आधार पर तय करेंगे कि क्षेत्रीय विषमताएं हैं ? आपने जवाब में कहा है कि शासन द्वारा निर्णय लिये जाते हैं तो क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि विधायक और विधान परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त क्या किसी प्रस्ताव पर शासन निर्णय लेता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 28 मार्च, 1995 का शासनादेश है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि 50-50 प्रतिशत निधि का वितरण होगा । 50 प्रतिशत जिले को जायेगा और 50 प्रतिशत पर शासन का निर्णय लिया जायेगा जहां तक विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की बात है, चूंकि अन्तरक्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए, पिछड़ेपन को कम करने के लिए इस निधि का गठन हुआ था । समय-समय पर जो बड़ी योजनाएं हैं और मिसाल के तौर पर जो शासनादेश है 10 लाख से बड़ी योजना जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल हैं और जो भी विकास के कार्य है वह इससे पूरे किये जाते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि की जो स्थापना हुई थी वह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए की गयी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि जब क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए जिस निधि की आवश्यकता हुई है उसमें से 50 प्रतिशत राज्यांश रख लिया जाता है और 50 प्रतिशत के वितरण को जो मानक आपने दिया है, पहले माननीय मंत्री जी इसको देख लें ?

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो संलग्नक दिया है इसमें 95 प्रतिशत है, 5 प्रतिशत रिफ्लेक्ट नहीं है । 95 फीसदी का मात्राकरण किया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह 100 प्रतिशत होना चाहिये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमें कोई त्रुटि नहीं है । यह 95 प्रतिशत है । हम उसी आधार पर निकालते हैं । पूर्वांचल विकास निधि टोटल 150 करोड़ की है, उसमें 75 करोड़ जिला अंश और 75 करोड़ राज्यांश क्वान्टीफाई किया । इसके वितरण करने का मानक यह है कि 95 का ही मानक है, उसी आधार पर निकालते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसे भाग देकर निकाला जाता होगा और यह जो 95 प्रतिशत का अंश बताया है, इस हिसाब से 5 प्रतिशत बच जाता होगा, यह सीधी सी गणित है उसका क्या करते हैं, यह कौन सा अंश बनेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अगर किसी जिले को 100 रुपया देना है तो उसी हिसाब से उसका रुपया बढ़ जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, जो संलग्नक है, यह जो मात्राकरण दिया है, इसको आप प्रतिशत मान लें, गुणांक मान लें, यह 100 का मानकर किया गया है, आपने उसे सेक्टोरल डिवीजन किया है, इंडीकेटर्स किये है या उसको किसी के डिस्क्रिशन पर छोड़ा है या बट्टे खाते में रखा है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, न डिस्क्रिशन पर छोड़ा है और न बट्टे खाते पर छोड़ा, जो बताया, उसी के अनुसार वितरण करते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप संतुष्ट हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

जो बचा हुआ 5 है, वह इसी प्रपोर्शन में सभी को चला जायेगा ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें । हम आपकी सहायता करना चाहते हैं । माननीय वर्मा जी ने प्रश्न किया था, उसका स्पष्टीकरण आ जाने दीजिये । कृपया समय बरबाद न करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अगर 95 पर करते हैं तो यह एक त्रुटि है । माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करें या न करें । इसको फिर से दिखवाकर दुरुस्त कर लें । बंटवारा 100 पर है तो 100 पर ही होना चाहिये ।

मान्यवर, सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए यह किया गया तो 50 प्रतिशत का इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो 50 परसेन्ट राज्यांश रह जाता है, उसको शासन के विवेक पर छोड़ दिया कि किसी को ज्यादा मिले और किसी को कम । जैसा मंत्री जी ने बताया कि किसी को 1 करोड़ दे दिया । अगर किसी को एक करोड़ दे दिया जायेगा तो असंतुलन ही होगा । मैं जानना चाहता हूं कि जो निधि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बनायी गयी है, उसको शासन

स्वीकृत करें परन्तु विधान सभावार जो मानक है उसी मानक को ध्यान में रखकर विधान सभावार बराबर-बराबर करें ?

श्री अधिष्ठाता–

पार्ट–2 के उत्तर में कहा गया है कि प्रत्येक जिले की जनसंख्या तथा उसका आकार समान नहीं होने के कारण सभी जिलों को समान धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस आधार पर यह 50 प्रतिशत जो जिला अंश है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री जी करते हैं.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

विधान सभा का जनसंख्या औसत एक जैसा मान लें तो क्या प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार बराबर आवंटन करने का सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कुछ क्षेत्र ज्यादा पिछड़े हैं और कुछ कम पिछड़े हैं, वहां उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटन किया जाता है ।

(श्री राम विशुन आजाद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जैसाकि उत्तर के पार्ट–2 में कहा गया है, आपने भी संकेत किया है, चूंकि सभी जिलों की परिस्थितियां समान नहीं हैं इसलिए मान्यवर, इसका शासन के स्तर पर निर्णय किया जाता है । यह पहली बार ऐसा है, 1999-2000 में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से पूर्वांचल विकास निधि बनी है, तब से पहली बार सारे जनपदों को पैसा मिला है, कुछ न कुछ पैसा मिला है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि पिछड़ेपन के आधार पर धन का आवंटन किया जाता है । मान्यवर, मैं मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह पूर्वांचल निधि इसलिए बनायी गयी थी कि पूर्वांचल की 38 जिले उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, इसलिए पूर्वांचल निधि बनायी गयी । मान्यवर, यह आपने जो 50 फीसदी राज्यांश में रखा है, आपने बरखू राम वर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछड़ेपन के आधार पर यह धन आवंटित किया जाता है और जो हर क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थिति एक सी है तो क्या मंत्री जी यह निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक विधान सभा में उतना ही धन राज्यांश भी प्रत्येक विधान सभा में जायेगा और राज्यांश का जो 50 फीसदी रखा गया है उसे घटाकर केवल 25 फीसदी करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, प्रारम्भ में यह 50 परसेन्ट की व्यवस्था नहीं थी । जब पूर्वांचल विकास निधि का गठन हुआ, बुन्देलखण्ड विकास निधि का गठन हुआ, मान्यवर, यह आवश्यकता महसूस की गयी कि इसमें सुधार की आवश्यकता है इसलिए 50-50 परसेन्ट की व्यवस्था लागू की गयी । चूंकि सभी विधान सभा क्षेत्रों की परिस्थिति समान नहीं है इसलिए कहीं पालीटेक्निक की आवश्यकता है, कहीं पेयजल की आवश्यकता है, कहीं सीवर लाइन की आवश्यकता है, इसलिए इसको शासन स्तर पर छोड़ा गया है, जैसा कुंवर रेवती रमण सिंह जी कह रहे हैं, यह तो इन्हीं के जमाने में हुआ है । ....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न पर बहुत अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं ।

श्री रामविशुन आजाद–

हमारा जनपद गोण्डा सबसे पिछड़ा जिला है । सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव करती है और धन का आवंटन नहीं करती है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर असंख्य प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम–49 में लिखकर दे दीजिए हम विचार कर लेंगे ।

(श्री राम विशुन आजाद तथा सुधाकर सिंह आदि कई सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री रामविशुन आजाद–

पूर्वांचल के साथ भेदभाव किया जाता है । हमारे जनपद के सत्तापक्ष के विधायकों को धन का आवंटन सरकार करती है । लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर चलें ।

(सदस्यों के अपने आसन पर जाने पर)

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, सरकार अपनी पार्टी के विधायकों को धन देकर भेदभाव कर रही है । 50 प्रतिशत ग्रान्ट के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री रामविशुन आजाद–

जनपद गोण्डा के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्हीं को धन का आवंटन किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सिर्फ एक अनुरोध कर रहा हूं।

नियम–49 में सूचना देने की बात थी आप नियम–49 में दे दें मैं उस पर विचार कर लूंगा। निश्चित रूप से एक क्षेत्र के सभी माननीय विधायकों का डीप कंसर्न है उनके क्षेत्र से यह जुड़ा हुआ मामला है। आप नियम–49 में लिखकर दे दें। चूंकि जगदीश नारायण राय मूल प्रश्नकर्ता हैं इसलिए जगदीश नारायण राय या लालजी वर्मा जी अन्तिम प्रश्न पूछ लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें क्षेत्रीय विषमता के बारे में संलग्नक लगाया है कि यह मानक है। मैं जानना चाहता हूं कि जो राज्य अंश का पैसा है उसको इस चार्ट के अनुसार प्रत्येक जिले को देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उत्तर पहले दिया जा चुका है कि जब निधि बनी थी उसके बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गयी। इसलिए 50-50 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी प्रश्न समझ नहीं पाये।

श्री अधिष्ठाता–

आपका प्रश्न स्पष्ट है कि राज्यांश जो 50 प्रतिशत है क्या उसको भी उसी मात्राकरण के हिसाब से आवंटित करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, शासन ही स्वीकार करे जो संलग्नक है उसके मानक के अनुसार। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जहां बड़ी योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जो 10 लाख से ज्यादा की योजनायें हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपके उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि 50 प्रतिशत राज्यांश शासन ने अपने स्तर से रखा इसलिए कि बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता था जिलेवार या क्षेत्रवार विभाजन करने से। बड़ी योजनायें जब आयेंगी तो बिना किसी भेदभाव के शासन स्तर पर राज्यांश से किया जायेगा।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। आजमगढ़, 8 विधान सभाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र है। गोपालपुर व सगड़ी विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है क्या उसमें भी पैसा देने की सरकार कृपा करेगी ? मान्यवर, बहुत बड़ी क्षेत्रीय विषमता है।

श्री अधिष्ठाता–

आपसे कितनी बार अनुरोध करूं। आपकी बात को मानते हुये नियम–49 में चर्चा के लिए कह दिया है। लिखित सूचना आ गयी है उस पर विचार किया जायेगा। अब अगला प्रश्न ले रहा हूं कृपया सहयोग करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नत्थी-ग का प्रश्न संख्या–2 डा० सरजीत सिंह डंग साहब हैं और ठीक 12.00 बजे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय पाल जी की दुरभि संधि की वजह से ठीक 11 बजकर 60 मिनट पर मेरा प्रश्न आया है । मान्यवर, इनके चेहरे पर तो सदैव बारह बजा रहता है ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राजधारी सिंह –

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

प्रदेश में ''सरफेस वाटर'' ''ग्रेविटी'' सिस्टम के आधार पर पेयजल आपूर्ति की मांग

*2—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ''ग्रेविटी सिस्टम'' से पेयजल आपूर्ति प्रदेश के कितने नगरों में की जा रही है और इस पर पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है तथा इसी अवधि में भूगर्भ जल को पेयजल के रूप में उपयोग में लाने हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार पेयजल हेतु ''सरफेस वाटर'' ''ग्रेविटी सिस्टम'' के आधार पर पेयजल आपूर्ति में प्राथमिकता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

उत्तरांचल के 17 नगरों में ''ग्रेविटी सिस्टम'' से पेयजल आपूर्ति की जाती है और इस क्षेत्र के अवशेष 40 नगरों में ''ग्रेविटी सिस्टम'' के साथ साथ सरफेस वाटर तथा भूगर्भ जल को पम्प करके जलापूर्ति की जा रही है । मैदानी क्षेत्र के 12 नगरों की जलापूर्ति व्यवस्था हेतु सरफेस वाटर श्रोत से रा-वाटर को ट्रीटमेन्ट स्थल तक ''ग्रेविटी सिस्टम''से लाया जाता है ।

उत्तरांचल के 17 नगरों पर गत पांच वर्षों में लगभग 5.56 करोड़ रु० तथा इसी अवधि में उत्तरांचल और मैदानी क्षेत्र में भूगर्भ जल को पेयजल के रूप में उपयोग में लाने हेतु नलकूप तथा तत्संबंधी कार्यों पर लगभग 105.10 करोड़ रुपये व्यय किया गया है ।

''सरफेस वाटर'' ग्रेविटी सिस्टम के आधार पर जलापूर्ति में प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उत्तर का दूसरा भाग देखें जिसमें लिखा है– सरफेस वाटर ग्रेविटी सिस्टम के आधार पर जलापूर्ति में प्राथमिकता प्रदान की जाती है । इसी के साथ उत्तर के पहले भाग में लिखा है–उत्तरांचल के 17 नगरों में गत पांच वर्षों में सरफेस वाटर ग्रेविटी सिस्टम पर लगभग 5.56 करोड़ रुपया जलापूर्ति करने में खर्च किया गया और वहीं भूगर्भ जल को पेयजल के रूप में उपयोग में लाने हेतु 105.10 करोड़ रुपये व्यय किया गया है । इस प्रकार भूगर्भ जल को दोहन करके, 9/10 भाग जल समुद्र में जा रहा है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी यदि प्राथमिकता महसूस करते हैं तो 2000-2001 में क्या नगर विकास मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि सरफेज वाटर-ग्रेविटी सिस्टम पर जो खर्च किया जायेगा वह भूगर्भ जल की अपेक्षा अधिक होगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था वह भूगर्भ जल के सम्बन्ध में किया था कि इसमें कितना व्यय हुआ और ग्रेविटी सिस्टम से जो जल उपलब्ध कराया जाता है उस पर कितना व्यय हुआ ? इन्होंने प्रश्न सतही जल सरफेस वाटर पर कितना खर्च किया गया नहीं पूछा था।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि भूगर्भ जल का दोहन किया गया है। पिछले पांच वर्षों में जो पेयजल की योजनायें बनायी गयीं उनमें सरफेस वाटर-ग्रेविटी सिस्टम पर लगभग 5.56 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है जबकि भूगर्भ जल को पेयजल के रूप में उपयोग में लाने हेतु लगभग 105.10 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। इसलिए मेरा सीधा प्रश्न हैं कि वर्ष 2000-2001 के बजट में नगर विकास मंत्रालय ग्रेविटी सिस्टम पर क्या धन खर्च करने जा रहा है, यदि हां, तो कितना धन खर्च करेंगे वह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

सरफेस वाटर-ग्रेविटी सिस्टम और भूगर्भ जल का दोहन करके जलापूर्ति करने से पहले ग्रेविटी सिस्टम से जल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरी बात ग्रेविटी सिस्टम से जहां लेवल अन्तर मिलता हों वहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा चूंकि ग्रेविटी सिस्टम की अपनी लिमिटेशन्स हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

आपने मंत्री जी को संरक्षण दिया है इसके लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने लिखित उत्तर दिया है कि सरफेस वाटर ग्रेविटी सिस्टम को प्रथमिकता दे रहे हैं। उत्तर में यह भी लिखा है कि ग्रेविटी सिस्टम सरफेस वाटर पर 5.56 करोड़ रुपये खर्च किये गये तो दोनों बातें एक साथ कैसे सही हो सकती हैं ? ग्रेविटी सिस्टम तो हर हाल में रहेगा। हमारे जितने बड़े-बड़े नगर हैं वह बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे बसे हैं ऐतिहासिक, भौगोलिक कारणों से हमारे पूर्वजों ने इसको ऐसी जगहों पर बसाया है। क्या इन सारी नदियों का सरफेस वाटर जो है उसका दोहन करके कोई योजना बनायेंगे जिससे सरफेस वाटर का ज्यादा इस्तेमाल हो। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भू-गर्भ जल छोड़ दीजिये ?

श्री सतीश महाना–

सरफेस वाटर का जितना अधिक से अधिक उपयोग हो यही हमारा प्रयास है। जहां पर नदियों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करना सम्भव नहीं हो रहा है। वहां पर मजबूरी में भूगर्भ जल का दोहन होता है। सरफेस वाटर की प्रीआरिटी निश्चित रूप से सरकार की है। इसको यूज करने के लिए गोकुल बैराज योजना कानपुर गंगा बैराज योजना के माध्यम से सरफेस वाटर को इक्ट्ठा करके वहां जलापूर्ति की बात है। इसी के साथ ही आगरा बैराज के ऊपर प्राथमिकता से विचार कर रहे हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000-2001 में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? आने वाले तीन-चार वर्षों में सरफेस वाटर का दोहन ज्यादा हो, भूगर्भ जल का दोहन न हो इस सम्बन्ध में मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब यह जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकांश योजना सरफेस वाटर को प्रयोग में लाने की बनायी जाएं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यही करेंगे ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में विद्युत कटौती हो रही है ? यदि हां, तो कटौती की अवधि क्या है ? क्या यह सही है कि विद्युत कटौती से जनपद का कालीन उद्योग कुप्रभावित हो रहा है जिससे विदेशों को होने वाला निर्यात भी प्रभावित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में नियमित विद्युत आपूर्ति पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री विक्रमाजीत मौर्य)–

जी हां ।

विद्युत की आपात कटौती की अवधि विद्युत मांग एवं उपलब्धता के अन्तर पर निर्भर करती है । भदोही नगर को विद्युत आपूर्ति हेतु जनपद स्तर प्राप्त है और वर्तमान में इस स्तर के नगरों की आपात कटौती का समय प्रातः 05.00 बजे से 07.00 बजे तक तथा सायंकाल 18.00 बजे से 20.00 बजे की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है ।

सम्भावना बनी रहती है ।

हर सम्भव प्रयास के उपरान्त भी विद्युत की मांग उपलब्धता से काफी अधिक होने के कारण अन्य जनपदों की भांति इस जनपद में भी आपात कटौती कराना आवश्यक हो जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने जनपद को नगर के रूप में देखा है । जो कालीन उद्योग है यह प्रमुख रूप में ग्रामीण क्षेत्र में इसकी बुनाई होती है । विद्युत कटौती होने से कालीन उद्योग नष्ट प्राय स्थिति में पहुंच गया है । इससे विदेशी मुद्रा अर्जन करने की सारी स्थितियां समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गयी हैं । मान्यवर, कालीन उद्योग कुछ जनपदों में है जिसमें भदोही जनपद प्रमुख रूप से उस व्यवसाय में जुड़ा हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गांव में कालीन की बुनाई होती है वहां विद्युत आपूर्ति तहसील स्तर से देने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, गांवों के लिए हमारी पालिसी निर्धारित है । किसी गांव में सुबह 10 घण्टा तो दूसरे गांव में शाम 10 घण्टा । भदोही को जनपद स्तर का दर्जा प्राप्त है । 22, 23 और 24 को तो 24-24 घण्टे सप्लाई हुई है ।

डा० कौशल किशोर–

क्या मंत्री जी भदोही को मण्डल स्तर का करने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

भदोही मण्डल स्तर का है और सप्लाई जारी है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

हमारे क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जैसे करौना, वहीदानगर आदि में 10 घण्टे भी बिजली नहीं दी जा रही है । क्या वहां 10 घण्टे बिजली देंगे ?

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, प्रयास पूरा किया जाता है । लेकिन अगर टेक्निकल फाल्ट हो जाती है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजकल गांवों में फसलों की मड़ाई का कार्य चल रहा है । ऐसी स्थिति में वहां लगातार 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ?

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

उपलब्धता के अनुसार सम्भव नहीं है ।

श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, जहां कालीन उद्योग का कार्य होता है उन गांवों में जनपदों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति दी जायेगी जिससे कि देश की आय बढ़ाने में मदद मिल सके ?

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

सम्भव नहीं है ।

शहरों में आवासीय समस्या दूर करने सम्बन्धी योजना की जानकारी

*4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरों में आवासीय समस्या को दूर करने हेतु क्या कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास राज्य मंत्री (श्री शिवेन्द्र सिंह)–

जी हां, "सबके लिए आवास" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः सभी नागरिकों की आवासीय आवश्यकताओं तथा विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले और अनिश्चित आय वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में अनिश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आश्रय योजना तथा लघु मध्यम आय वर्ग के लिए भाऊराव देवरस योजना संचालित है । इसके अतिरिक्त निजी भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया सरल कर दी गयी है ।

उपरोक्त योजनाओं का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 185–186 पर ।)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जैसा कि इस सदन भी भिज्ञ है कि शहरों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, नालों के किनारे, सड़कों के किनारे झुग्गी बनाकर रहते हैं उनके पास आवास नहीं हैं । जिसके लिए सरकार ने कुछ योजनायें चलायी हैं जैसे आश्रय और भाऊराव देशमुख योजना । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आश्रय योजना के अन्तर्गत इन गरीब लोगों को 5–10 रुपये भुगतान के हिसाब से अब तक कितनों को आवास दिया गया है ?

श्री शिवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 1997-98 से 1999-2000 तक कुल 44254 आवासों की व्यवस्था की गयी है ।

प्रदेश के महानगरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति

*5—कुं० रेवती रमण सिंह, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों के निवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने वर्षों में यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महानगरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने हेतु कितने मिलीलीटर शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है और कितने मिलीलीटर आप सप्लाई कर पा रहे हैं और उसे शुद्ध करने के लिये कितने क्लोरीन आदि चीजों की आवश्यकता है और उसके लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, 12 महानगरों में 3 हजार एम० एल० डी० पानी की आवश्यकता है । इलाहाबाद में 180 एम० एल० डी० की आवश्यकता है, इसके सापेक्ष 170 एम० एल० डी० हम उपलब्ध करा पा रहे है, कानपुर में 600 एम० एल० डी० की आवश्यकता है और 370 एम० एल० डी० उपलब्ध करा पा रहे हैं इसी प्रकार वाराणसी में 324 एम० एल० डी० की आवश्यकता है, इसके सापेक्ष हम 235 एम० एल० डी० उपलब्ध करा पा रहे हैं । यदि आपको अन्य नगरों का भी विवरण चाहिये तो मैं आप को उपलब्ध करा दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितने की आवश्यकता है और कितना सप्लाई आप कर पा रहे हैं और शुद्ध पेयजल हेतु आपने कितने धन का प्राविधान किया है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, 3 हजार एम० एल० डी० की आवश्यकता है 2200 एम० एल० डी० उपलब्ध करा पा रहे हैं । लगभग ढाई सौ एम० एल० डी० पानी देने की योजना का कार्यक्रम चल रहा है और लगभग साढ़े पांच सौ एम० एल० डी० की जो आवश्यकता है, उसे 3-4 वर्षों में पूरा किया जा सकता है और इसके ऊपर चिन्तन हो रहा है । साधनों को देखते हुए इसे भी हम यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि आवश्यकता के अनुसार हम 3-4 वर्षों में इसे पूरा कर पायेंगे । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महानगरों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए शुद्ध पानी के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी । वर्ष 1999-2000 में कितने पानी के नमूने लिये गये और उसमें से कितने शुद्ध पाये गये और कितने अशुद्ध पाये गये ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, कितने नमूने लिये गये पूरे प्रदेश से और उसमें से कितने शुद्ध पाये गये और कितने अशुद्ध पाये गये, इसके आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं । लखनऊ जिले या आसपास के एक दो जिलों के बारे में माननीय सदस्य पूछें तो मैं उसकी जानकारी दे सकता हूं ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 12 महानगरों की बात की जबकि 13 महानगर हैं। इन 13 महानगरों के बारे में पेयजल की जानकारी मंत्री जी देंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य 13वें महानगर की जानकारी दे देंगे तो उसके बारे में हम बता देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, जो 13वें महानगर के बारे में कहा है उसकी पेयजल स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी बता दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कपूर साहब, अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रदेश के शहरों /कस्बों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने की योजना की जानकारी

*6—डा० कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरों व कस्बों की पेयजल समस्या दूर करने के लिये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने की कोई नयी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 71 जनपदों के शहरी क्षेत्रों स्थित राजकीय विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में एक-एक इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अधिक बिजली आपूर्ति की मांग

*7–श्री संजय गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है तथा शहरों एवं गांवों में कितने-कितने घण्टे बिजली दी जा रही है ? क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में शहरों की अपेक्षा अधिक बिजली की आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ऊर्जा मंत्री श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग कुल 2800-3200 मे०वा० बिजली का उत्पादन हो रहा है तथा शहरों एवं गांवों को प्रतिदिन सामान्यतयः की जाने वाली विद्युत आपूर्ति निम्नवत् है :–

1–महानगर	21-22 घण्टे
2–जनपद	18-19 घण्टे
3–तहसीलस्तर	16–17 घण्टे
4–ग्रामीण क्षेत्र	08-09 घण्टे

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की दर शहरी क्षेत्रों को दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की दर की अपेक्षा बहुत कम है तथा विद्युत की मांग आपूर्ति से अधिक होने के कारण ग्रामीण अंचलों में शहरों की अपेक्षा अधिक बिजली आपूर्ति सम्भव नहीं है ।

नगरीय क्षेत्र के विधायकों को हैण्ड पम्प सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

*8—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण के निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों की संस्तुति पर 50 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने हेतु व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या नगरीय क्षेत्र से निर्वाचित विधायकों को भी यह सुविधा प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नगरीय पेयजल योजनाओं हेतु प्रतीक प्राविधान है । धन की उपलब्धता होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

*9—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*10—श्री बी० आर० वर्मा–

[4थे मंगलवार में तारां० प्र० सं०–12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उत्तरकाशी में उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण शाखा में मस्टर रोल पर कार्य कराने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*11—श्री समर पाल सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि निर्माण शाखा उ० प्र० जल निगम, उत्तरकाशी में निर्माणाधीन नयी एवं पुरानी योजनाओं का समस्त कार्य मस्टर रोल पर कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मस्टर रोल पर कार्य कराने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

योजनाओं का समस्त नहीं, अपितु अधिकतर कार्य मस्टर रोल पर कराया जा रहा है।

मस्टर रोल पर कार्य कराये जाने के कारणों के परीक्षण के आदेश मुख्य अभियन्ता को दे दिये गये हैं।

जी हां, जांच में अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती समाप्त करने की मांग

*12—श्री नवाब सिंह नागर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या शाम के समय नियमित विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस विद्युत कटौती को समाप्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है।

वर्तमान परिस्थितियों में उक्त कटौती समाप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में विद्युत की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक है।

प्रदेश के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में वेतन पुनरीक्षण की मांग

*13—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होटल, रेस्टोरेन्ट एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन को पुनरीक्षित किये जाने का क्या कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय लेकर उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में नियोजित कर्मकारों के वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना दिनांक 31-1-2000 को जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार कृषि एवं बीड़ी सिगार से संबंधित वेतन पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना दिनांक 4-2-2000 को जारी की जा चुकी है।

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजन सहित 25 अन्य अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण के लिये आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना 25-10-99 को जारी की जा चुकी है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा विद्युत उत्पादन तथा ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

*14—श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के पहले प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन कितने मेगावाट था तथा पुनर्गठन के बाद विद्युत उत्पादन में कितने मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है ? वर्तमान समय में ग्रामीण अंचलों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के पहले दिनांक 15-1-2000 से पूर्व माह दिसम्बर, 1999 में कुल 1829 मि०यू० तापीय उत्पादन हुआ जो कि 56.54 प्रतिशत पी० एल० एफ० तथा 2459 मे०वा० के समकक्ष था। पुनर्गठन के बाद माह फरवरी, 2000 में कुल उत्पादन 1639 मि०यू० हुआ जो कि 60.25 प्रतिशत पी० एल० एफ० तथा 2355 मे०वा० के समकक्ष है। पी० एल० एफ० में 3.71 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद औसत मे०वा० उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई क्योंकि 440 मे०वा० क्षमता के टांडा विद्युत गृह का एन०टी०पी०सी० को हस्तान्तरित हो जाने के कारण उत्पादन शामिल नहीं है। वर्तमान समय में ग्रामीण अंचलों को लगभग 8-9 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जनपद एटा जवाहरपुर में 800 मेगावट तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य संबंधी जानकारी

*15—श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के जवाहरपुर में कनाडा के सहयोग से 800 मेगावाट की कोई तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त परियोजना की रूपरेखा क्या है ? निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जनपद एटा में 800 मे०वा० (2x400 मे०वा०) क्षमता की जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का निजी विकासकर्ता मै० पैसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमि० कनाडा द्वारा स्थापित किये जाने हेतु ऊर्जा क्रय अनुबन्ध दिनांक 27-12-95 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है तथा इस विद्युत गृह से उत्पादित ऊर्जा उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा क्रय की जायेगी।

ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से टेक्नो-एकोनामिक अनुमोदन प्राप्त होने के बारह माह के भीतर परियोजना का 'फाईनेन्शियल क्लोजर' किया जाना है जिसके उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

*16—श्री अवधेश प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा व मथुरा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु योजना की जानकारी

*17—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हरियाणा और गाजियाबाद तथा नोयडा की फैक्ट्रियों का कचड़ायुक्त और गन्दा पानी आगरा महानगर और मथुरा के निवासियों को पेयजल के रूप में जलकल विभाग द्वारा सप्लाई किया जा रहा है ? यदि हां, तो स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां में अम्बेडकर ग्राम शुक्लापुर भगत के मजरों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

1—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम शुक्लापुर भगत के मजरा सियरहना, हरिचन्दपुर, कौडियापुर, वरीपुरवा, पिलखना, हरिपरपुरवा, तकिया, उसरहा, चम्पापुरवा, हेमायूंपुर, कछियनपुरवा, करौधियाई, शिवनी पुरवा, अटिया बाजार, दानेपुरवा, मुडेला, इन्दापुरवा का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा०वि०/ दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है ? यदि नहीं ,तो क्यों ? कब तक उक्त मजरों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संदर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । क्योंकि आदेश सं०–2240–रेस्पो-ग्रा० वि०/दि० 10-4-97 वर्ष 1996-1997 में चयनित अम्बेदकर ग्रामों व उसके मजरों पर लागू नहीं होता है ।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के अम्बेडकर ग्राम गुजरई के मजरों के विद्युतीकरण की मांग

2—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम गुजरई के मजरा बन्थरिया, मंगरौली ऊंची व मंगरौली नीची, धौतलिया का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा०वि०/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त मजरों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

संदर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है । क्योंकि आदेश सं०–2240–रेस्पो-ग्रा० वि०/दि० 10-4-97 वर्ष 1996-1997 में चयनित अम्बेदकर ग्रामों व उसके मजरों पर लागू नहीं होता है ।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत देखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के अम्बेडकर ग्राम जाहिदपुर के मजरों के विद्युतीकरण की मांग

3—डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लवां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर ग्राम ठठिया जाहिदपुर के मजरा जियालाल पुरवा, फत्तेपुर व नरायन मऊ का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा०वि०/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त मजरों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । पत्रांक 2240–रेस्पो–ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 के क्रम में सन्दर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

वर्ष 1998-99 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जो कार्य योजना बनायी गयी थी उसके सापेक्ष्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बस्ती में सीवर लाइन योजना की जानकारी

4.—श्री राम ललित चौधरी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद—बस्ती में सीवर लाइन की व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां।

जनपद बस्ती में सीवर लाइन की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के अम्बेडकर ग्राम इस्लामपुर जगाई के मजरों का विद्युतीकरण कराने की मांग

5.—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर ग्राम इकसई, अम्बेडकर ग्राम इस्लामपुर जगाई के मजरा गोपालिया अम्बेडकर ग्राम कन्थरी एवं उसके मजरा—मढ़िया नेवादा तथा ठकुरी खेड़ा, अम्बेडकर ग्राम बौसा के मजरा मढ़िया महन्तवाली, लल्लाखेड़ा, नेवादा, मढ़िया गंगाचरन, अम्बेडकर ग्राम शहब्दा के मजरा—रदूदीखेड़ा, भमकरा, वरवदापुर माधौपुरवा, बसन्तपुरवा तथा नरायनपुरवा का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240—रेस्पो/ग्रा०वि०/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम तथा उसके मजरों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

जी नहीं।

पत्रांक 2240—रेस्पो—ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 के क्रम में सन्दर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

वर्ष 1998-99 के चय[illegible] अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जो कार्य योजना बनायी गयी थी उसके सापेक्ष्य कोई धनराशि प्र[illegible] नहीं हुयी है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र के अम्बेडकर ग्राम बावट मऊ के मजरों का विद्युतीकरण कराने की मांग

6.—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर ग्राम बावट मऊ के मजरा मुचुवापुर, धनीगंज, तकिया, लक्षमनपुरवा, साधौपुरवा, जरैरा, तौबा[illegible]वाद, बगिया, भुप्पापुरवा, लश्करीपुर, खीलेपुरवा, दुर्जनपुरवा, रमपुरवा, भूड़मढ़ैया, तकिया, बेसनपु[illegible] ग्राम अटवा अली मर्दानपुर के मजरा तकिया व मैनामऊ का विद्युतीकरण शासन के

पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा०-वि०/दिनांक 10-4-97 के अनुसार करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त मजरों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । पत्रांक 2240–रेस्पो–ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 के अनुसार सन्दर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

वर्ष 1998-99 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु जो कार्य योजना बनायी गयी थी उसके सापेक्ष्य कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है ।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मैनपुरी, भोगांव क्षेत्र के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

7—श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में कतिपय ग्रामों को विद्युतीकृत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-6-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार पत्र में उल्लिखित ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1999–2000 में विद्युतीकृत करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र निम्नलिखित पांच ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण से सम्बन्धित है ।

1–सलेमपुर पठोना, 2–जमइतगंज (बेवर) 3–खजुरिया (बेवर), 4–नगला हिम्मत शहपुरा (सुल्तानगंज), 5–जिरौली (सुल्तानगंज) ।

उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम सलेमपुर (पठोना) का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे जून 2000 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर के सिधौली में 132 के० वी०पावर स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

8—श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सिधौली में वर्ष 1994-95 में 132 के० वी० पावर स्टेशन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त पावर स्टेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया ? क्या उक्त पावर स्टेशन इस वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने के उपरान्त शेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकेगा ।

जनपद लखनऊ के तेलीबाग स्थित सुभानी खेड़ा (नेपालगंज) में सड़क पर खड़न्जा कराने की मांग

9.—श्री उदय राज यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार के अता० प्रश्न 199 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि उक्त रास्ते पर पीला ईंटा एवं टेढ़ा खड़न्जा ऊबड़-खाबड़ अवस्था में लगे होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की स्थलीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्नगत रास्ता ठीक होने एवं आवागमन में कठिनाई उत्पन्न न होने के कारण ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के भवनों की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10.—श्री उदय राज यादव तथा श्री उबैदुर्रहमान—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना जो अल्प आय वर्ग के लोगों हेतु वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चलाई गई थी तथा जिसका रजिस्ट्रेशन वर्ष 1987 में प्रारम्भ हुआ था, के सभी भवन अल्प आय वर्ग के लोगों को ही आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त स्कीम द्वारा आवंटित भवनों/प्लाटों की क्या स्थिति है ? क्या यह सही है कि एक साथ तीन-तीन भवनों/प्लाटों को मिलाकर आलीशान प्लाट व मकान बना लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसके नक्शे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पास किये गये हैं ? क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराते हुए इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

वर्ल्ड बैंक द्वारा मात्र ई०डब्लू०एस० भवनों का ही निर्माण कराया गया था, अन्य भवन स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये गये थे । सभी भवन अल्प आय वर्ग के लोगों को ही आवंटित किये गये हैं ।

वर्तमान में उक्त स्कीम में भवनों/प्लाटों का आवंटन पूर्ण है ।

जी नहीं ।

उक्त योजना में मात्र दो भवनों को एक में मिलाकर निर्माण किया गया है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदास नगरपालिका परिषद् ज्ञानपुर तथा गोपीगंज को अवमुक्त धनराशि द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

11—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर की नगर पालिका परिषद्, ज्ञानपुर तथा नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज को वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में कितनी धनराशि किन-किन कार्यों के लिये अवमुक्त की गयी ? अवमुक्त धनराशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई ?

श्री लालजी टण्डन—

जनपद संतरविदास नगर की नगर पंचायत, ज्ञानपुर को वर्ष 1997-98 में रु० 8.81 लाख तथा वर्ष 1998-99 में रु० 15.96 लाख अवमुक्त किये गये एवं नगरपालिका परिषद् गोपीगंज को वर्ष 1997-98 में रु० 7.59 लाख व वर्ष 1998-99 में रु० 45.93 लाख अवमुक्त किया गया । नगरपालिका परिषदों को यह धनराशि कर्मचारियों के वेतन एवं आयोजनागत प्रकृति के विकास कार्य जिनका चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है के लिये अवमुक्त की गई थी ।

1—नगर पंचायत ज्ञानपुर द्वारा वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में अवमुक्त की गई धनराशि क्रमशः कर्मचारियों के वेतन व नाली निर्माण पर व्यय की गयी ।

2—नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज द्वारा वर्ष 1997-98 हेतु स्वीकृत धनराशि सड़क नाली एवं पिचरोड निर्माण पर तथा वर्ष 1998-99 में स्वीकृत धनराशि कर्मचारियों के वेतन तथा नाली निर्माण पर व्यय की गयी ।

जनपद बाराबंकी, मसौली सब स्टेशन पर लगाये गये ट्रांसफार्मर के गुणवत्ता की जांच कराने की मांग

12—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के मसौली सब स्टेशन पर 5 एम० वी० टी० का ट्रांसफार्मर माह जून-जुलाई, 1999 में लगाया गया था ? क्या यह सही है कि वह चार महीने की अवधि में दो बार खराब हो चुका है ? क्या सरकार सूर्या इलेक्ट्रिकल्स, कानपुर द्वारा निर्मित एवं आपूर्ति ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता की जांच करावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

ट्रांसफारमर दिनांक 29-5-99 को लगाया गया था, जो कि सूर्या इलेक्ट्रिकल्स, कानपुर द्वारा मरम्मत शुदा आपूर्ति किया गया था ।

उक्त परिवर्तक साढ़े चार माह बाद दिनांक 19-10-99 को क्षतिग्रस्त हुआ । फर्म द्वारा दिनांक 28-10-99 को दूसरा परिवर्तक भेजा गया जो कि सही नहीं था, जिसे फर्म द्वारा 30-10-99 को ठीक कर चालू किया गया ।

गारंटी अवधि में निर्माता द्वारा क्षतिग्रस्त हुए आपूर्ति परिवर्तकों को मरम्मत करके बिना किसी अतिरिक्त व्यय के दिया जाता है ।

गुणवत्ता की जांच ट्रांसफार्मर आपूर्ति के समय नियमानुसार कराई जाती है ।

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खण्डों में 33 के०वी० पावर स्टेशन चालू कराने की मांग

13-श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा के बासुरा तथा गोदलामऊ के संदना में क्या 33 के० वी० पावर स्टेशन स्वीकृत है ? यदि हां, तो इन पावर स्टेशनों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

आर्थिक विषम परिस्थिति के कारण संदर्भगत 33 के०वी० उपकेन्द्रों को चालू करने की तिथि निर्धारित करना सम्प्रति संभव नहीं है ।

जनपद सीतापुर हरगांव क्षेत्र के अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

14-श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव में वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में कितने अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा कितने ग्राम शेष बचे हैं ? उनका ब्यौरा क्या है ? क्या बचे हुए अम्बेदकर ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विद्युतीकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सीतापुर जनपद को विधान सभा हरगांव क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 96-97, 97-98, 98-99 में कुल 27 चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 3 ग्राम जार ब्लाक एलिया, महोली देहात ब्लाक महोली एवं परसेहरा शरीफपुर ब्लाक हरगांव धन की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण नहीं किये जा सके ।

ग्राम जार ब्लाक एलिया का विद्युतीकरण माननीय विधायक द्वारा चयनित करने पर कार्य प्रगति पर है । शेष दो ग्राम महोली देहात एवं परसेहरा का विद्युतीकरण धन की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ में 33 के०वी० पावर स्टेशन खोले जाने की जानकारी

15-श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गोदलामऊ में 33 के० वी० पावर स्टेशन खोले जाने की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो पावर स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड ऐलिया में 33 के०वी० पावर स्टेशन खोलने की जानकारी

16–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया में 33 के० वी० पावर स्टेशन खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम मनपुरा के विद्युतीकरण में की गयी अनियमितता की जांच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

17–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 4-8-99 या इसके आस-पास जो ग्राम मनपुरा, जनपद–शाहजहांपुर में विद्युतीकरण में की गई अनियमितता की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में वर्णित शिकायत की जांच अधिकारी द्वारा कराई जा रही है । जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

18–श्री हरदेव सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर की सड़कों को क्रास करने वाली नालियों के टूटे पत्थरों को बदलने की मांग

19–डा० कौशल किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर में सड़कों को क्रास करनें वाली नालियों को ढकने वाले कुछ पत्थर टूट गये हैं ? क्या यह सही है कि नगर विधायक ने नगर पालिका बोर्ड की बैठक में नालियों पर लगे टूटे पत्थरों की जगह नये पत्थर डलवाने का प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो क्या टूटे पत्थरों को बदल दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, इस विषय में निरीक्षण कराया जा रहा है तथा कुछ स्थानों पर पत्थर टूटे पाये गये उन्हें बदलवा दिया गया है ।

नगर विधायक ने नगर पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 20-12-99 में नालियों पर टूटे पत्थर की जगह नये पत्थर डालने पर प्रस्ताव दिया है । प्रस्ताव में किसी स्थान विशेष को इंगित नहीं किया गया

नगर पालिका द्वारा पत्थरों को फ्री कास्ट करके मो० बहादुरनगर, शहपुरा कोठी तथा सिविल लाइन में पत्थर डाल दिये गये हैं तथा अन्य स्थानों पर टूटे पत्थरों की जानकारी होने पर बदल कर नए डालने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर एवं इलाहाबाद के जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा की गयी अनियमितताओं की टी०ए०सी० जांच की मांग

20–श्री मुरलीधर–

क्या नगर विकास मत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं इलाहाबाद मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता जल निगम की अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती- पत्र की जांच मुख्य अभियन्ता उ० प्र० जल निगम इलाहाबाद ने की थी और सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी पाया था ? क्या उन्होंने उसकी टी० ए० सी० से जांच का अनुरोध भी किया था जिसकी सूचना अर्ध शा० प०सं० 3300/9-3-99-98 दिस/99 नगर विकास अनुभाग–3, लखनऊ दिनांक सितम्बर, 1999 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या टी० ए० सी० जांच की गई ? यदि हां, तो दोषियों को क्या सजा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मा० प्रश्नकर्ता के द्वारा नियम–301 के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ता एवं इलाहाबाद मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय अथवा टी०ए०सी० की जांच कराये जाने की मांग की गयी थी जिस पर मुख्य अभियन्ता (इ० क्षेत्र) इलाहाबाद से जांच की अपेक्षा की गयी थी। मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद ने नियम–301 की सूचना एवं उत्तरालेख प्रेषित किया था जिसमें कोई भी अंश प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाया गया।

जी हां, शासन के अर्ध० शा० पत्र संख्या–3300/9-3-99-98 मिस/99, दिनांक 28 सितम्बर, 99 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया गया था।

जी हां।

टी०ए०सी० द्वारा दी गई जांच आख्या का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

21-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ की सभी सड़कों/गलियों में विद्युतीकरण का कार्य हो गया है ? यदि नहीं, तो विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

धन की अनुपलब्धता के कारण समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के अविद्युतीकृत राजस्व गांवों/मजरों के विद्युतीकरण की मांग

22–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान समय में कुल कितने राजस्व गांव एवं राजस्व गांवों के मजरे गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या इन छूटे हुए राजस्व गांवों/मजरों का सरकार द्वारा विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिका के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में 464 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है । पुस्तिका में मजरों/तोकों का अलग से विवरण उपलब्ध न होने के कारण अविद्युतीकृत मजरों/तोकों की संख्या बताना संभव नहीं है ।

प्रश्नगत कार्य हेतु धन की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है । संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़, क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि से कराये गये कार्यों का विवरण

23–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999–2000 के कौन-कौन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? कौन-कौन स्वीकृत हुए हैं ? कौन-कौन कार्य स्वीकृति हेतु शेष है ? उक्त को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

(क) जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्राक्कलन सहित आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के माध्यम से प्राप्त हुए थे :–

1–गहबरा सम्पक मार्ग ।

2–चिलवा से अमरगढ़ सम्पर्क मार्ग ।

3–भनईपुर कोटिया रामगढ़ सम्पर्क मार्ग ।

4–रेडीगारापुर उसरौली मार्ग ।

5–गुंगहटी कनघई हनुमानगंज मार्ग ।

6–कासापट्टी से महदहा बेला वाया मंगरौर पट्टी ।

7–भैरोंगंज से कन्धई मधुपुर सीनियर विद्यालय तक लेपन कार्य ।

8–मगरौरा से भिवनी सम्पर्क मार्ग ।

9–शाल्हीपुर कटहरी से कन्जास तक लेपन ।

10–मदौना सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।

11–लवनियापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।

12–बिरौती से सराय मार्ग लालगंज मार्ग ।

13–सैदाबाद धन्सार से नवटीला रामगंज निर्माण ।

14–बधवा से उसरौली टेगुआ परसद फतूपुर धुई रेडीगारापुर सम्पर्क मार्ग ।

15–रसूलपुर सम्पर्क मार्ग ।

16–रूर से लालगंज सम्पर्क मार्ग ।

17–पट्टी ढकवा मार्ग से नामा नगर सराय भिखारी नगर सड़क का निर्माण ।

18–जलधा से रामगंज नहर की पटरी सड़क का निर्माण ।

19–रेडीगारापुर मार्ग से धुई तक ।

20–सासपुर नेवादा होते हुए रमईपुर तक ।

21–आसपुर देवसरा से रामपुर बरिहा ।

22–पिन्डरी मार्ग से शिकारी तक लेपन ।

23–कोहड़ौर चन्दौका मार्ग से गौरा पट्टी तक लेपन ।

24–मानापुर मार्ग से अलवर्दीपुर तक लेपन ।

25–पट्टी ढकवा मार्ग से अतरौरा मीरपुर मार्ग निर्माण ।

26–ढकवा इब्राहिमपुर मार्ग का पुर्ननिर्माण ।

(ख) वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव,प्राक्कलन सहित आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के माध्यम से प्राप्त हुए थे :–

1–डुहिया से सराय शंकर मार्ग का निर्माण ।

2–उसका में परैया नाले पर पुलिया निर्माण ।

3–वामापुर रघईपुर दमणी सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर ।

4–तरदहा लोनियापुर बेलसण्डी, असूडी और गड़ौर सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर ।

5–नोही ढिढ्ई सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर ।

6–सुरवारपुर लिंक मार्ग लेपन स्तर ।

7–चिन्तामणिपुर आन्देवरी मुजाही मार्ग लेपन स्तर ।

8–कहडौर पूरे मनि[illegible]के पूरे छमा मार्ग ।

9–मनईपुर कोटिया [illegible]गढ़ मार्ग लेपन स्तर ।

10–कनापट्टी से महदह बेला चांदा पट्टी मार्ग लेपन स्तर तक ।

11–गंगेहटी कन्हई हनुम[illegible]ज मार्ग लेपन स्तर तक ।

12–रेडीगाड़ापुर से उसरौ[illegible]र्ग लेपन स्तर तक ।

13–चिलावा अमरगढ़ मार्ग लेपन स्तर तक ।

14–[illegible]लधा से रामगंज नहर की पटरी मार्ग लेपन स्तर तक ।

15–[illegible]ट्टी ढकवा मार्ग से नहर सड़क निर्माण नीमा सराय भिखारी तक लेपन स्तर ।

16–[illegible]र से लालगंज मार्ग निर्माण लेपन स्तर तक ।

17–भैरोगंज से कन्धई मधुपुर सीनियर विद्यालय तक मार्ग निर्माण लेपन स्तर तक ।

18–मंगरौरा से भिवनी सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक ।

19–साल्हीपुर कटहरी से कंजास मार्ग लेपन स्तर तक ।

20–सम्पर्क मार्ग मदौना का निर्माण ।

21–लवनिया पुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण लेपन स्तर ।

22–सैफाबाद धनतारा से नचरौला रामगंज मार्ग लेपन स्तर तक ।

23–बधवा से उसरौली टेगुआ परसद फत्तूपुर, धुई, रेडीगारापुर मार्ग लेपन स्तर तक ।

24–गहबरा सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक ।

25–रसूलपुर मार्ग लेपन स्तर तक ।

वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यों में से उपरोक्त (क) के क्रमांक–1 की योजना तथा वर्ष 1999-2000 में निधि के राज्यांश से प्रस्तावित योजनाओं में से उपरोक्त (ख) के क्रमांक–1 से क्रमांक–7 तक की योजनाओं की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की रिवर बैंक कालोनी की समस्याओं के संबंध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा का पत्र मार्च, 1999 जो लखनऊ की रिवर बैंक कालोनी का किराया पन्द्रह गुना बढ़ाये जाने, उसमें अवैध कब्जों तथा दूध की डेरियों, भूमि के रख रखाव विषयक था, मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास क्षेत्र द्वारीखाल के मस्ट खल में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग

25–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में विकास क्षेत्र द्वारीखाल के अन्तर्गत मस्ट खल में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तकनीकी दृष्टि से नये 33 के०वी०उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र मेंहनगर में अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्गों का कार्य पूर्ण कराने की मांग

26–श्री रामजग–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र (आजमगढ़) में सन् 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999–2000 में कितने अम्बेडकर गांवों के सम्पर्क मार्गों के लेपन हेतु अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत शासन से धन स्वीकृत हुआ है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांवों के सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

मेंहनगर विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नगत अवधि में अब तक 23 सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य हेतु धन स्वीकृत हुआ है ।

6 सम्पर्क मार्गों का कार्य पूर्ण है शेष में कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र मेंहनगर में अम्बेडकर गांवों के सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य पूर्ण कराने की मांग

27–श्री रामजग–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि मेंहनगर ब्लाक (जनपद आजमगढ़) में स्थित ग्राम धरनीपुर, रानीपुर, गंजोर अम्बेडकर ग्राम हैं ? यदि हां, तो अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत उक्त गांवों के सम्पर्क मार्गों के लेपन हेतु कब और कितना धन स्वीकृत हुआ है ? इन गांवों के सम्पर्क मार्गों का लेपन कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

अभी कोई धनराशि स्वीकृत नहीं है ।

धनराशि स्वीकृत होने पर ।

जनपद लखनऊ बटलर पैलेस कालोनी में अतिक्रमण हटवाने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बटलर पैलेस कालोनी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने के लिये तत्काल आदेश निर्गत किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/25432/मथुरा/99, दिनांक 18-7-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29–डा० रामबाबू हरित–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद ललितपुर के जल संस्थान तालबेहट इकाई में की गयी धांधली की शिकायत पर जांच की मांग

30-श्री रामतेज यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के अन्तर्गत तालबेहट इकाई जल संस्थान में की गई धांधली एवं फर्जी पेमेन्ट आदि की शिकायत मा० विधायक हरदेव सिंह द्वारा मा० नगर विकास मंत्री एवं सचिव नगर विकास को दिनांक 28-6-99 को की गई थी ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण में महाप्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी द्वारा जांच की गयी । जांच में शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । प्रकरण को विचारोपरान्त शासन द्वारा निक्षेप कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में राज्य नगर विकास अभिकरण द्वारा नगरपालिका परिषदों को आवंटित धनराशि के व्यय का विवरण

31–श्री चेतराम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नगर विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1998-99 में जनपद अम्बेडकर नगर को कुल कितनी धनराशि दी गयी ? उक्त धनराशि किन-किन नगर पालिका परिषद् में कितनी-कितनी किस कार्य में व्यय की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

राज्य नगर विकास अभिकरण, उ० प्र० द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद अम्बेडकर नगर को कुल रु० 38.77875 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई ।

उक्त में व्यय धनराशि का विवरण इस प्रकार है :–

(व्यय धनराशि लाख में)

क्र०सं०	योजना/कार्य का नाम	नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम				
		अकबरपुर	टाण्डा	जलालपुर	अशरफपुर किछौछा	इल्तिफात गंज
1	2			3		
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	2.11	3.00	0.61	—	1.40
2	शहरी स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम	—	—	—	—	—

1	2	3				
3	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	6.85	—	1.585	2.973	2.87
4	सोशल सेक्टर	—	—	—	—	—
5	आश्रय सुधार योजना	—	—	—	—	—
6	डवाकुआं योजना	—	—	—	—	—
7	थिफ्ट एण्ड क्रेडिट योजना	—	—	—	—	—
8	बालिका समृद्धि योजना	0.145	—	—	0.055	0.045
9	सी०डी०एस०	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
	योग	9.120	3.015	2.210	3.043	4.330

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में जनता की पेयजल आवश्यकता हेतु विद्युत कटौती पर रोक

32–श्री भारत सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय क्षेत्र विद्युत कटौती से मुक्त है ? क्या यह सही है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में विद्युत कटौती की जा रही है क्या विद्युत कटौती होने से लिफ्ट पेयजल योजनायें एवं ट्यूबवेल का संचालन प्रभावित है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

विद्युत की मांग, उपलब्धता से अधिक होने के कारण अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की भांति कोटद्वार क्षेत्र में भी विद्युत की आपात कटौती की जाती है ।

क्षेत्र की जनता की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जाता है कि प्रातःकाल के समय क्षेत्र की विद्युत कटौती यथासंभव न की जाय ।

जनपद आजमगढ़ के बहादुरपुर पेयजल योजना को पुनः आरम्भ करने की मांग

33–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में जल निगम द्वारा संचालित बहादुरपुर पेयजल योजना पिछले दो साल से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समयबद्ध तरीके से उसको पुनः आरम्भ कराकर हजारों परिवारों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

योजना के नलकूपों से ग्रेवल व बालू आने व श्राव अत्यन्त कम हो जाने के कारण मई, 98 से बन्द है ।

जी हां । धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग

34–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में विद्यापीठ गुप्त काशी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी नहीं ।

राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने हेतु निर्धारित मानकों को श्रेणी के अन्तर्गत न आने के कारण गुप्त काशी में महाविद्यालय की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद बिजनौर के नगर परिषद् धामपुर व नइयैर के मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

35–श्री मूल चन्द चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र धामपुर, जनपद–बिजनौर के नगर परिषद् धामपुर व नगर परिषद् नइयैर के अधिकांश मार्ग जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत कराये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य जिला स्तर पर कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत मुवानी-दुवानी में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

36–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायत मुवानी–दुवानी में विद्युतीकरण किया गया है ? क्या वर्तमान समय में उक्त ग्राम पंचायत को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण 31-3-1991 को किया गया ।

जी हां ।

ग्राम के विद्युतीकरण की तिथि से ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पिथौरागढ़ में सरपरोड़ा पेयजल योजना का निर्माण/पेयजल आपूर्ति की जानकारी

37–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में सरपरोड़ा पेयजल योजना का निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 में किया गया था ? क्या वर्तमान समय में इस योजना से जनता को पेयजल आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ में सखरोड़ा पेयजल योजना के नाम से कोई पेयजल योजना निर्मित नहीं की गई है, अपितु विकास क्षेत्र धारचुला में निर्मित ठूंगा तोली पेयजल योजना में प्रस्तावित स्रोतों में से एक स्रोत

का नाम सखरोड़ा गधेरा है । अतः आम जनता इस योजना को सखरोडा पेयजल योजना के नाम से जानती है । इस योजना हेतु प्राक्कलन विरचन वर्ष 1993 में तथा निर्माण कार्य 1995 में प्रारम्भ किया गया था ।

योजना में सम्मिलित 16 तोकों में से 5 तोकों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ।

योजना हेतु प्रस्तावित 4 स्रोतों में से 3 स्रोत वनभूमि के अन्तर्गत आने तथा वन विभाग द्वारा योजना पर कार्य रोक देने के कारण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है ।

नटवर सिंह बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, आगरा को पारित एवार्ड के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश का अनुपालन किये जाने की जानकारी

38–श्री राम जग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभिनिर्णय वाद सं०–89/91 नटवर सिंह बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, आगरा पर माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, आगरा द्वारा पारित एवार्ड के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका पर दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुपालन में परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सेवायोजकों द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या–10797/98 में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 01-10-99 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए उक्त अभिनिर्णय को स्थगित करते हुए दिनांक 25-8-99 को जारी वसूली प्रमाण-पत्र को भी दिनांक 27-10-99 तक के लिये स्थगित करने के आदेश पारित किये गये । इसी तारतम्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-11-99 को आदेश पारित करते हुए, पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 1-10-99 को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 17-1-2000 तक प्रभावी कर दिया गया । अतः मा० उच्च न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश दिनांक 12-11-99 के परिपेक्ष्य में मामले में दिनांक 17-1-2000 तक कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था । मामले में मा० उच्च न्यायालय ने सुनवाई की तिथि निश्चित करने हेतु आदेश पारित किये हैं एवं तब तक अन्तरिम आदेश भी प्रभावी (रिमेन इन आपरेशन) रहेगा । मामला सम्प्रति मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही की मांग

39–श्री रामजग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेण्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स, अलीगढ़ के सचिव श्री ओ० पी० शर्मा का निदेशक, कारखाना (उ०प्र०) कानपुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 27-8-89 जिसमें उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के महाप्रबन्धक द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के प्राविधानों के उल्लंघन में श्री एम०सी० रायजादा, अधिशासी अभियन्ता को चीफ सेफ्टी आफीसर पद पर नियुक्त किये जाने के कारण धाना–92 व 93 में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध अपराधिक अभियोजन की कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया गया था, पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सेन्टर आफ इण्डिया ट्रेड यूनियन्स, अलीगढ़ के सचिव का निदेशक कारखाना, उ० प्र० कानपुर को सम्बोधित पत्र दिनांक 27-8-99 (दिनांक 27-8-89 नहीं) प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर कारखाने का निरीक्षण कर जांच पूरी कर ली गई है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

40–श्री रामजग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? इन पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियां करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? नियुक्तियां कब तक कर ली जायेंगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

वर्तमान समय में प्रदेश के 3 औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं 5 श्रम न्यायालयों में कुल 8 पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त हैं ।

पीठासीन अधिकारियों के इन रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

41–श्री रामतेज यादव, एडवोकेट–

[दिनांक 31-3-2000 को अता० प्र० सं० 136 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ में कतिपय चौराहों पर संस्कृति निदेशालय के मूर्ति मद से महापुरुषों की स्थापित की गई मूर्तियों की कीमत की जानकारी

42–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ में वर्तमान सरकार द्वारा किन-किन चौराहों पर किन-किन महापुरुषों की मूर्तियां लगायी गई हैं ? प्रत्येक मूर्ति की कीमत कितनी है ? उक्त धनराशि किस मद से व्यय की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्तमान सरकार द्वारा निम्न महापुरुषों की मूर्तियां लगायी गयी हैं :–

1–सरदार पटेल–जी०पी०ओ० पार्क ।

2–निषाद राज गुह्य–बालागंज चुंगी ।

क्रमशः प्रथम मूर्ति की कीमत रुपया 5.50 लाख एवं द्वितीय मूर्ति की कीमत 3.80 लाख रुपये है ।

संस्कृति निदेशालय के आय-व्ययक के मूर्ति मद से ।

मे० जुगुल बिहार सहकारी आवास समिति लि०, बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्णयानुसार खलायक बाग, गोलागंज का इन्द्राज निरस्त किये जाने की मांग

43–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या–250/92 मेसर्स, जुगुल बिहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, लखनऊ बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 28-4-94 के अनुसार खलायक बाग, गोलागंज, लखनऊ स्थित खसरा सं०–89 खण्ड 1 लगायत 19 क्षेत्रफल 33-12-11.00 नजूल की भूमि नहीं है ? यदि हां, तो क्या उसका इन्द्राज निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्द्राज कब तक निरस्त कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

न्यायालय प्रथम अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट, लखनऊ के वाद संख्या–250/92 मे० जुगुल बिहार सहकारी आवास समिति लि०, लखनऊ बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण में केवल खसरा संख्या–89/3 क्षेत्रफल–98,400 वर्ग फुट स्थित खलायक बाग, गोलागंज के संबंध में समिति के कब्जे, विकास या निर्माण कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किये जाने हेतु दिनांक 28-4-94 को मा० न्यायालय द्वारा केवल शाश्वत निषेधाज्ञा हेतु वाद डिक्री किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि उक्त वाद में नजूल स्वत्व को खारिज किये जाने के मा० न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में संगम मैरिज हाल, ब्लैण्ट स्क्वायर, से सुलभ शौचालय मवैया तक नगर निगम द्वारा सीवर लाइन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

44–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993 में संगम मैरिज हाल, ब्लैण्ट स्क्वायर, लखनऊ से सुलभ शौचालय मवैया (निकट रामलीला ग्राउन्ड, हैदर कैनाल) तक सीवर तथा सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधूरी सीवर लाइन डालकर सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है ? शेष सीवर लाइन का कार्य पूर्ण न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शेष सीवर लाइन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1993 में वर्णित स्थान पर कोई सीवर लाइन नहीं डाली गयी बल्कि नगर निगम द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद अम्बेडकर नगर तहसील सदर अकबरपुर में कतिपय चावल मिलों द्वारा की जा रही बिजली चोरी की जांच कराकर मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

45–श्री चेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील सदर अकबरपुर में कुल कितनी चावल मिलों पर 1 जनवरी, 1998 से 30 सितम्बर, 1999 तक अलग-अलग कितनी बिजली की धनराशि बकाया है ? क्या यह सही है कि कुछ चावल मिलों द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां (सूची संलग्न है) ।

जी नहीं। बिजली की चोरी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 187 पर।)

जनपद हरदोई साफईस्ट कम्पनी लिमिटेड, सण्डीला से बकाया विद्युत धनराशि की वसूली की मांग

46–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला, हरदोई की स्थापना के समय कितना विद्युत लोड स्वीकृत था तथा वर्तमान में कितना स्वीकृत किया गया ? क्या यह सही है कि कम्पनी द्वारा इसके दो गुने से अधिक विद्युत लोड उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कम्पनी पर विद्युत की कितनी धनराशि बकाया है तथा उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेसर्स साफईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी उस समय 1000 के०वी०ए० विद्युत भार एवं पंखा, बत्ती हेतु 50 किलोवाट भार स्वीकृत किया गया था, वर्ष 1996 में कम्पनी के पक्ष में 0250 के०वी०ए० अतिरिक्त भार और स्वीकृत किया गया था, इस प्रकार वर्तमान में कुल भार 1250 के०वी०ए० तथा पंखा, पत्ती हेतु कुल 50 किलोवाट भार चल रहा है।

कम्पनी द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान समय में उक्त कम्पनी के विरुद्ध कोई भी धनराशि बकाया नहीं है। अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई साफईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला में फैक्ट्री एक्ट के अनुसार मजदूरी भुगतान की मांग

47–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला, हरदोई में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उक्त कर्मचारियों को फैक्ट्री ऐक्ट के प्राविधान के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

प्रश्नगत कारखाने में 83 नियमित कर्मचारी व 84 संविदा श्रमिक कार्यरत हैं।

फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 में कर्मचारी के वेतन व उसके भुगतान के प्रावधान नहीं है। कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के अनुरुप भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई साफईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला के उच्च पदाधिकारियों को बिना कारण बताओ नोटिस दिए निकाले जाने संबंधी पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला, हरदोई के किन दो उच्च पदाधिकारियों को कम्पनी द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस के अगस्त–सितम्बर, 1999 में निकाल दिया गया है ? क्या प्रश्नगत प्रकरण पर उपश्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ द्वारा कम्पनी प्रबन्धक को अगस्त, 1999 में कोई पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित आदेशों की अवहेलना

कर अवैधानिक तरीके से यूनियन के उच्च पदाधिकारियों को निकालने के पश्चात् पुनः कोई पत्र सितम्बर, 1999 में उपश्रमायुक्त द्वारा उक्त कम्पनी प्रबन्धक को भेजा गया है ? यदि हां, तो दोनों पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मे० साफईस्ट कं० लि०, सण्डीला, हरदोई में कार्यरत श्रमिक संगठन साफईस्ट कामगार यूनियन सण्डीला, हरदोई के अध्यक्ष, श्री राम सेवक शुक्ल एवं महामंत्री श्री चन्द्रशेखर शर्मा का स्थानान्तरण बरेली कर दिया गया था । इन श्रमिकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश पालन न करने पर सेवायोजकों द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

उपश्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मामले में पक्षों के मध्य समझौता वार्ता कराई गई तथा दिनांक 9-8-99 को सेवायोजकों को यह परामर्श दिया गया कि उपयुक्त स्थानान्तरित श्रमिकों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही न की जाय । क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा दी गई उक्त सलाह को न मानने के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 13-9-99 द्वारा प्रबन्धकों को कारण बताओ नोटिस प्रेषित की गई ।

सेवायोजकों द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया जिसे संतोषजनक न होने के कारण क्षेत्रीय उपश्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई से स्वीकृति प्राप्त कर उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–14 के अन्तर्गत सेवायोजकों के विरुद्ध दिनांक 26-2-2000 को प्राभियोजन वाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई के न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है, जो अभियोजन संख्या–790/2000 के रूप में संदंधित न्यायालय में पंजीकृत हुई है ।

49–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 27-4-2000 को अता० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित]

50–श्री राम ललित चौधरी–

[दिनांक 25-4-2000 को अता० प्र० सं०–162 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ ग्राम जमतड़ झूला पुल के निर्माण की मांग

51–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1997-98 में दैवी आपदा से जमतड़ ग्राम में बह गये पैदल पुल के स्थान पर नये झूला पुल का निर्माण कार्य किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

निर्माण का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है तथा विचारधीन है । वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर बनाए जा रहे पुल की नींव का कार्य मानकों के अनुसार किये जाने की मांग

52–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग के कि० मी० 14 में बरम के पास पहले से एक मोटर पुल मौजूद है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में

उसी नदी व उसी स्थान पर नया मोटर पुल बनाने का क्या औचित्य है? क्या वर्तमान समय में बनाये जा रहे पुल की नींव का कार्य मानकों के अनुसार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

उस स्थान पर अस्थाई वैली पुल निर्मित था, जिसका डैकिंग लकड़ी का था । लकड़ी सड़ने से दुर्घटना होने की संभावना थी । अतः उसी स्थान पर खण्ड में निष्प्रयोज्य पड़े पुल के पार्ट्स को जोड़कर पुल बनाया गया है ।

हां । पुल की नींव का कार्य मानकों के अनुसार ही किया गया है ।

जनपद हरदोई, सामुदायिक विकास समितियों के अध्यक्ष पद पर पिछड़ी वर्ग की महिला की नियुक्ति की मांग

53–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरदोई द्वारा गठित सामुदायिक विकास समितियों के अध्यक्ष का पद पिछड़ी जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर पिछड़े वर्ग की महिला की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सी०डी०एस० अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण व्यवस्था के स्पष्ट निदेश अभी तक भारत सरकार ने नहीं दिये हैं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड योजना में आवंटित प्लाटों के डेड खाते में डालकर उन्हें पुनः आवंटित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

54–श्री उदय राज यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–2 नं० 044684, दिनांक 14 सितम्बर, 1999 जो विधायक कोष्ठक के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवंटित प्लाटों के डेड खाते में डालकर प्लाटों को पुनः आवंटित करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इस प्रकरण के संबंध में मा० विधायक के पत्र के साथ जो प्रार्थना-पत्र श्रीमती रजनी द्वारा दिया गया है, वह भूखण्ड सं०–एस०एस०/1891/एच, कानपुर रोड योजना के संबंध में है । उक्त भूखण्ड की आवंटी श्रीमती रजनी द्वारा समय के अन्तर्गत धनराशि न जमा करने के कारण भूखण्ड निरस्त हो गया था परन्तु उनके आवेदन के दृष्टिगत इन्हें पुनः उक्त योजना के सेक्टर–जी में भूखण्ड

संख्या–एस०एस०/905 आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17-4-2000 को दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लालगंज के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

55–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लालगंज,–आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र सं० भूमि/भवन/लालगंज/99/596, दिनांक 16 अप्रैल, 1999 द्वारा 50 लाख रु० की प्रथम किश्त अवमुक्त करने हेतु विशेष सचिव श्रम विभाग (अनुभाग–6) को लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या धन अवमुक्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नई मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था करायी गई है । स्वीकृति नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के बाद दी जायेगी ।

जनपद आजमगढ़, नगर पंचायत, लालगंज में निर्मित ट्यूबवेल हेतु विद्युत कनेक्शन देने संबंधी जानकारी

56–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत क्षेत्र, लालगंज में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया था ? क्या यह सही है कि मार्च, 1999 में विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु पैसा जमाकर दिया गया था परन्तु विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है ।

संदर्भित ट्यूबवेल के विद्युत संयोजन हेतु जल निगम द्वारा दिनांक 28-5-99 को अनुबन्ध किया गया । विद्युतीकरण हेतु पूर्ण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है । उपरोक्त ट्यूबवेल का विद्युत संयोजन मास फरवरी, 2000 में दे दिया गया है ।

जनपद बलिया, नगर पंचायत, बिल्थरा रोड के अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

57–श्री रामतेज यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत, बिल्थरा रोड जनपद बलिया के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किये गये सरकारी धन का दुरुपयोग की जांच श्री आलोक सिंह उपजिलाधिकारी, बिल्थरा रोड जनपद बलिया द्वारा की गई है, जिसकी जांच रिपोर्ट उपजिलाधिकारी, बिल्थरा रोड के पत्र

सं०–276/आ०ले०/जांच, दिनांक 7-9-99 को जिलाधिकारी बलिया को सौंप दी गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर नगर पंचायत, अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उप जिलाधिकारी, बिल्थरा रोड की आख्या प्राप्त होने पर दि० 21-9-99 के पत्र द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा गया अध्यक्ष, नगर पंचयत द्वारा दिनांक 23-9-99 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए समय प्रदान करने हेतु प्रार्थना-पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया । अध्यक्ष, नगर पंचायत, बिल्थरा रोड़ का स्पष्टीकरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, नगर पंचायत, बिल्थरा रोड के अध्यक्ष के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णय पर कार्यवाही की जानकारी

58–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत, बिल्थरा रोड जनपद बलिया के अध्यक्ष को हटाये जाने एवं वित्तीय अधिकार सीज करने के संबंध में श्री इनामुल हक पुत्र श्री मुहम्मद की याचिका पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23-8-99 को दिए गये निर्णय के परिपेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23-8-99 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या–4598/9-1-99–7 रिट/99, दिनांक 19-11-99 द्वारा प्रकरण की जांच किसी उच्च स्तर के अधिकारी से कराने के निर्देश जिलाधिकारी, बलिया को दिये गये ।

जिलाधिकारी, बलिया द्वारा प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, बिल्थरा रोड जनपद बलिया से करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला की कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत आपूर्ति हेतु 350 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग

59–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला के ग्राम सभा रमुवापुर व चमरूपुर तथा महुवा बाजार में 350 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर न लगाये जाने से उपरोक्त ग्रामों की जनता व कृषकों को विद्युत आपूर्ति से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त ट्रांसफार्मर कब तक लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम रमवापुर में 100 के०वी०ए०, ग्राम चमरूपुर में 160 के०वी०ए० तथा ग्राम महुआ बाजार में 100 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है जो कि वर्तमान विद्युत भार की सीमा के अन्तर्गत है ।

जनपद कुशीनगर, नगर पंचायत, रामकोला के श्री सूर्यभान भारती की नियुक्ति प्रकरण में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60–श्री दीपलाल भारती–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत रामकोला, जनपद–कुशीनगर में अनुसूचित जाति के रिक्त लिपिक पद पर नियमानुसार सूर्यभान भारती पुत्र श्री मोती लाल (अ०जा०) ग्राम–गौर–बरसाईत, जिला गोरखपुर की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें दोषी पाये जाने वाले को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत, रामकोला जनपद कुशीनगर में श्री सूर्यभान भारती की नियुक्ति का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है ।

जी हां ।

श्री सूर्यभान भारती को मु०–3676–63/– का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये अभी किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बागपत नगरपालिका परिषद्, बड़ौत में गांधी पार्क के जीर्णोद्धार की मांग

61–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका परिषद्, बड़ौत जनपद बागपत के परिसर में वर्ष 1961-62 में गांधी पार्क बना कर उसमें गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त पार्क का रख-रखाव खराब हो गया है ? क्या सरकार उक्त पार्क का जीर्णोद्धार कराने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जल भराव के कारण उक्त पार्क का रख-रखाव खराब हो गया है । जिला मजिस्ट्रेट, बागपत को निर्देशित कर दिया गया है कि निकाय अपने निजी स्रोतों से उक्त पार्क एवं मूर्ति के रख-रखाव की व्यवस्था करे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा श्री लीलाधर पुत्र श्री फतेराम सैनी की कतिपय विद्युत समस्याओं के निराकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री लीलाधर पुत्र श्री फतेराम सैनी निवासी कस्बा राधाकुण्ड जनपद मथुरा की कतिपय विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र

संख्या–सी० एम०/वि० को०/एम–2/25486/मथुरा/99, दिनांक 18-7-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

श्री लीलाधर पुत्र श्री फतेराम सैनी निवासी कस्बा राधाकुण्ड जनपद मथुरा द्वारा नवनिर्मित मन्दिर के ऊपर से कोई भी एच०टी०/एल०टी० लाइन नहीं जा रही है । अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद आजमगढ़, आई०टी०आई०, लालगंज हेतु अधिग्रहीत भूमि पर भवन निर्माण की मांग

63–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई०टी०आई०, लालगंज जनपद आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसके भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

2.41 हेक्टेयर भूमि पुनर्ग्रहीत की जा चुकी है ।

वित्तीय स्वीकृति एवं धन उपलब्ध हो जाने पर भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज में स्वीकृत आई०टी०आई० हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

64–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालगंज (जनपद आजमगढ़) के अन्तर्गत स्वीकृत आई०टी०आई० में कर्मचारियों की नियुक्तियां कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उनकी नियुक्तियां कब तक कर देगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, विद्युत, गणित व्यवसाय के अनुदेशकों की तैनाती की जा चुकी है । वेल्डर, आशुलिपि हिन्दी, कटिंग–टेलरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवस्था करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दिये जा चुके हैं । शेष व्यवसायों में कर्मचारियों की व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश होने पर सुनिश्चित कर ली जायेगी ।

एक वरिष्ठ लिपिक तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती कर दी गयी है ।

जिन व्यवसायों में अभी प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं हुआ है उन व्यवसायों में प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश होने पर अनुदेशकों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश लेते ही शेष व्यवसायों में अनुदेशकों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

जनपद बलरामपुर, कस्बा उतरौला में क्षतिग्रस्त विद्युत खम्भों को बदलने की मांग

65–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित कस्बा उतरौला में पुराने क्षतिग्रस्त विद्युत खम्भे व पुराने तार लगे हैं जिनसे आये दिन विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या जनहित में उनको बदला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है । टूटे हुये जो पोल मरम्मत के योग्य हैं, उनकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है एवं पुराने तारों को धन की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर बदलकर विद्युत आपूर्ति चालू की जाती है । वर्तमान में विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर, कस्बा उतरौला के मोहल्ला राजा बाजार में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों/खम्भों के बदलने की मांग

66–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित कस्बा उतरौला के मोहल्ला राजा बाजार में वर्ष 1996 से पूर्व 1999 तक ट्रांसफार्मर की विद्युत लाइन के तार टूटने की कितनी सूचनाएं दर्ज की गयी हैं ? टूटे हुए तारों व खम्भों के बदलने का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर के अधीन कस्बा उतरौला के मोहल्ला राजा बाजार में वर्ष 1996 से वर्ष 1999 तक विद्युत लाइन से तार टूटने की 205 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं ।

टूटे हुये तारों को बदल कर तुरन्त विद्युत आपूर्ति चालू की जाती है, जो खम्भे मरम्मत के योग्य हैं एवं जो खम्भे बदलने के लायक हैं, उन्हें धन की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता को ध्यान में रखकर बदला जाना संभव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग द्वारा व्यवसाइयों से गैर व्यवसायी विद्युत दर लिये जाने की मांग

67–श्री दीपलाल भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत विभाग द्वारा व्यवसाइयों की विद्युत दर ग्रामीणों एवं गैर व्यवसाइयों की अपेक्षा अधिक है ? यदि हां, तो क्या सायंकाल 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक उन्हें बिजली न मिलने पर भी उनसे गैर व्यवसायी विद्युत दर ली जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण एवं पीक डिमाण्ड को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता न होने के कारण सायंकाल में विरल विधा के व्यवसाइयों को विद्युत उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है । इस स्थिति से केवल व्यवसायी ही नहीं वरन् सभी श्रेणी के उपभोक्ता प्रभावित होते हैं ।

आपातकालीन परिस्थितियों में शहरों में भी विद्युत कटौती अपरिहार्य को जाती है ताकि प्रदेश की ग्रिड को फेल होने से बचाया जा सके। इस हेतु किसी श्रेणी के उपभोक्ता को दरों में कोई छूट नहीं दी जाती है।

मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जन के लिये मुक्त किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

68–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि खसरा संख्या–9/547013/597, को मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना हेतु अर्जन के लिये मुक्त किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक क्रमशः सी०एम०/वि०को०/एम–1/26235/मथुरा/99, दिनांक 12-8-99 जिलाधिकारी, मथुरा एवं पत्रांक–सी०एम०/ वि०को०/एम–1/26236/मथुरा/99, दिनांक 12-8-99 उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार संदर्भित पत्र क्रमशः जिलधिकारी, मथुरा तथा उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुए हैं। मा० विधायक से इन पत्रों का ब्यौरा प्राप्त करने पर उन्होंने अवगत कराया कि उक्त भूमि खसरा संख्या–9 व 13 के अर्जन से मुक्त करने के संबंध में श्री मिश्रीलाल, औरंगाबाद, मथुरा का पत्र पूर्व में दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त भूमि के अर्जन से मुक्त किये जाने के संबंध में मा० विधायक का अन्य पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण की महत्वपूर्ण आवासीय योजना में सम्मिलित है जिसका अर्जन के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिनांक 4-8-99 को प्राप्त किया जा चुका है। अतः भूमि को अर्जन मुक्त किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान में सहायक अभियन्ता से पद के अनुरूप कार्य न लिये जाने तथा अनियमित व्यय के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ में सहायक अभियन्ता से पद के अनुरूप कार्य न लिये जाने तथा अनियमित रूप से रु० 50 लाख प्रतिवर्ष अधिक व्यय किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–1/24850/मथुरा/99, दिनांक 1-7-99 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रकरण में महाप्रबन्धक, लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के परीक्षणोपरान्त शिकायती-पत्र में वर्णित अनियमितताएं सिद्ध नहीं पाई गयीं।

लखनऊ कश्मीरी मोहल्ला के शर्मा पार्क स्थित ट्यूबवेल से कश्मीरी मोहल्ला को जलापूर्ति करने की मांग

70–श्री सतीश जतारिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कशमीरी मोहल्ला–लखनऊ स्थित शर्मा पार्क स्थित ट्यूबवेल का पानी उस क्षेत्र के निवासियों को आपूर्ति न करके अन्यत्र कैम्पवेल रोड आदि स्थानों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त ट्यूबवेल से जल आपूर्ति कशमीरी मोहल्ला को प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कश्मीरी मोहल्ला एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को वहां स्थित जोनल पम्पिंग स्टेशन एवं शर्मा पार्क में स्थित ओवर हेड टैंक से जलापूर्ति की जाती है ।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ इमामबाड़ा अमजद अली शाह, हजरतगंज की सम्पत्ति की मरम्मत हेतु नवाब सुल्तान बहादुर तथा तत्कालीन चेयरमैन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के मध्य हुए समझौते के तहत कार्य करने की मांग

71–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नवाब सुल्तान बहादुर तथा तत्कालीन चेयरमैन, लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के मध्य इमामबाड़ा अमजद अली शाह, हजरतगंज, लखनऊ की सम्पत्ति की हुई रजिस्टर्ड डीड के तहत लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति की मरम्मत हेतु रु० 600 वार्षिक नवाब अथवा उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान किये जाने हेतु समझौता हुआ था ? क्या यह सही है कि इसका भुगतान वर्ष 1980 तक किया गया है तथा उसके उपरान्त इसका भुगतान बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसका भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत समझौते के अन्तर्गत सम्पत्ति की मरम्मत की धनराशि रु० 600/–वार्षिक नवाब अथवा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भुगतान की जानी थी, ट्रस्ट द्वारा नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित नगर परिषद्, उतरौला में वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक विभिन्न मदों में प्राप्त आय तथा उसके कराये गये कार्यों का सत्यापन टेक्निकल आडिट सेल से कराने की मांग

72–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित नगर परिषद्, उतरौला में वर्ष 1995 से वर्ष 1998-99 तक किन मदों से कितनी आय प्राप्त हुई ? क्या प्राप्त आय से विकास कार्यों को कराया गया है ? यदि हां, तो क्या कराये गये कार्य मानक के अनुरूप हैं ? क्या कराये गये कार्यों का स्थलीय सत्यापन टेक्निकल आडिट सेल से कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक नगर पालिका परिषद् उतरौला में विभिन्न मदों में प्राप्त आय :–

वर्ष 1995-96 में रु० 20,69,553–80

वर्ष 1996-97 में रु० 27,27,927–13

वर्ष 1997-98 में रु० 85,58,302–55

वर्ष 1998-99 में रु० 73,91,000–46

वर्षवार आय प्राप्त हुई ।

जी हां । कराये गये कार्य मानक के अनुरूप हैं ।

जी नहीं । मानक के गुणवत्ता का बराबर ध्यान रखा गया है । निर्माण का अंतिम बिल लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच कराने के पश्चात् भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के क्षेत्र ज्ञानपुर से पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत ज्ञानपुर सरोवर जल निकासी हेतु प्राप्त धन तथा उसके दुरुपयोग की जांच कराने की मांग तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

73–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर से पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 6 लाख रुपया ज्ञानपुर सरोवर जल निकासी हेतु स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उसमें नाली का निर्माण नहीं किया गया है तथा सी० एण्ड डी०एस० निर्माण एजेन्सी द्वारा धनराशि का दुरुपयोग एवं अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त कार्य की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

स्वीकृत धनराशि रु० 6.00 लाख से नाली का निर्माण नहीं कराया गया है, अपितु उक्त धनराशि सरोवर के सौन्दर्यीकरण पर व्यय कर दी गई है ।

उक्त प्रकरण में जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर को निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दिनांक 26-4-2000 को अता० प्र० सं०–168 द्वारा उत्तरित]

75–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[दिनांक 26-4-2000 को अता० प्र० सं०–169 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु विद्युत गृहों के निर्माण की मांग

76–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि की आवश्यकता है ? विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने हेतु किन-

किन निजी क्षेत्र की कम्पनियों से किन-किन तिथियों में पी०पी०ए० हस्ताक्षरित कराये गये हैं ? उसके अनुसार विद्युत गृहों का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा और उनकी क्षमता क्या होगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1999-2000 में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने हेतु लगभग 2055 मे०वा० अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र में निम्नांकित परियोजनाओं हेतु पी०पी०ए० हस्ताक्षरित किये गये हैं ।

निजी क्षेत्र में विकास-कर्ता का नाम	परियोजना का नाम	क्षमता मे०वा०	पी०पी०ए० हस्ताक्षरित होने का दिनांक
1–जवाहरपुर पावर (इण्डिया) लि०	जवाहर तापीय	800	27-12-95
2–रोजापावर सप्लाई कंपनी लि०	रोजा तापीय	567	24-9-98
3–जयप्रकाश पावर प्रा० लि०	विष्णु प्रयाग	400	7-9-96
4–मै० डंकनस नार्थ हाइड्रो पावर कं०	श्रीनगर जल विद्युत	330	28-8-98
5–इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गाजियाबाद	तरल ईंधन पर आधारित	100	22-7-99
6–सिन्नी पावर लि०	–तदेव–	100	22-7-99
7–मै० हीम ऊर्जा लि०	बनाला टिहाली तथा राजशोधित परियोजना		वर्ष 1999 के दौरान

उक्त परियोजनाओं का निर्माण कार्य वित्तीय प्रबन्धन (फाइनेन्शियल क्लोजर) के पश्चात् प्रारम्भ हो पायेगा ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र किशुनपुर के घोषित सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कराने की मांग

77–श्री मुरलीधर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 282–किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद–फतेहपुर के घोषित सभी अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष अम्बेडकर ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इस कार्य के लिए कोई धन प्राप्त नहीं हुआ । वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जनपद फतेहपुर के खागा टाउन एरिया को नगरपालिका घोषित किये जाने की मांग

78–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के खागा टाउन एरिया को नगरपालिका बनाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो खागा को नगर पालिका का दर्जा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम रणस्वा धर्मपुर की पेयजल योजना का पुनर्गठन गढ़वाल जल संस्थान, उ० प्र० जल पौड़ी से पूर्ण कराने की मांग

79–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम रणस्वा धर्मपुर की पेयजल योजना का पुनर्गठन गढ़वाल जल संस्थान उ० प्र०, जल निगम, पौड़ी से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

विकास क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम रणस्वा धर्मपुर ग्राम समूह पेयजल योजना का पुनर्गठन पाथर धर्मपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के नाम से गढ़वाल जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है ।

यह कार्य दिनांक 31-3-2000 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारिखाल के अन्तर्गत ग्राम चौड़ की पेयजल समस्या के निदान हेतु सरकार की योजना की जानकारी

80–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारिखाल के अन्तर्गत ग्राम–चौड़ की पेयजल समस्या का निदान किये जाने हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं ।

चौड़ नामक कोई उपग्राम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में सम्मिलित नहीं है । इस उपग्राम हेतु योजना बनाने का प्रस्ताव जल संस्थान बोर्ड द्वारा अभी तक पारित नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी तक योजना नहीं बनाई जा सकी है ।

पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बमोली के उपगांव पच्छी, पुण्डोली आदि का विद्युतीकरण कराने की मांग

81—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारिखाल विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बमोली के उपगांव पच्छी, पुण्डोली, उदाखली, कटनाऊ, सैरी, खेमपाल, कुण्डा, पेरामण्डल नौल का विद्युतीकरण कराये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त न होने के कारण प्रश्नगत ग्राम बमोली के उप ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

जनपद बस्ती में कृषि एवं लघु उद्योग कार्यों हेतु गाऊखोर सब स्टेशन तथा भानपुर सब स्टेशन को आपात विद्युत कटौती से मुक्त रखने की मांग

82—श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 220 के०वी० सब स्टेशन, बस्ती से निकलने वाले 33 के०वी०, बाघनगर पोषक को क्या 15-11-99 तक आपात कटौती से मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो आपात कटौती के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसी प्रकार कृषि एवं लघु उद्योग कार्यों के लिये बस्ती जिले के गाऊखोर सब स्टेशन तथा भानपुर सब स्टेशन को आपात कटौती से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण ग्रिड प्रणाली की सुरक्षा हेतु आपात कटौती कराना अनिवार्य हो जाता है ।

विद्युत मांग के अनुरूप विद्युत की उपलब्धता की स्थिति में इस पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर क्षेत्र, ज्ञानपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र सेमराधनाथ तथा रमईपुर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

83—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में 1998–99 में स्वीकृत नये विद्युत उपकेन्द्र सेमराधनाथ तथा रमईपुर का क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1999–2000 में कराने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

विषम वित्तीय स्थिति के कारण नये 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जी नहीं।

विषम वित्तीय स्थिति के कारण।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रत्येक विधान सभा में मा० विधायकों की संस्तुति पर ग्रामों के विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत सन्त रविदास नगर क्षेत्र ज्ञानपुर के प्रस्तावित ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

84—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998–99 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय विधायकों के 5 असेवित ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो क्या जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के प्रस्तावित 5 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 98-99 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय विधायकों की संस्तुति पर ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना निर्धारित की गई थी।

जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के प्रस्तावित 5 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कोड संख्या	विद्युतीकरण की तिथि
डीह	1–कला तुलसी	786	31-3-99
डीह	2–कलिक मवैया	783	31-3-99
ज्ञानपुर	3–चक सारनाथ	519	31-7-99
ज्ञानपुर	4–मोहनपुर	524	31-3-99
औराई	5–महदेवा	946	31-3-99

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में नियमित विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा किये जाने संबंधी जानकारी

85—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में क्या ग्राम नरायनडीह, ढाहू, डीह, गौर, शेखडीह ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? क्या उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति जारी है ? क्या उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद/विद्युत वितरण खण्ड, बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत ग्राम नरायन डीह विद्युतीकृत नहीं है। ढाहू डीह, गौर ग्राम विद्युतीकृत है। ग्राम शेखडीह विद्युतीकृत नहीं है।

विद्युतीकृत ग्रामों में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति जारी है। ग्राम ढाहूडीह में कोई उपभोक्ता नहीं है और ग्राम–गौर के उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में ट्रेडों की जानकारी एवं उन केन्द्रों पर नये ट्रेडों के प्रशिक्षण व्यवस्था की मांग

86—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? उनमें कितने ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? क्या सरकार उन केन्द्रों पर नये ट्रेडों का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में क्रमशः 6 व 3 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र है ।

जनपद पिथौरागढ़ में 11 ट्रेडों में एवं चम्पावत में 12 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

सीमित संसाधनों के कारण ।

लखनऊ दारुलशफा में राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय के सामने बने टैम्पो स्टैण्ड से राजस्व वसूली की जानकारी

87—श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा, लखनऊ, राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय के सामने टैम्पो स्टैण्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो उस टैम्पों स्टैण्ड से कितनी धनराशि राजस्व वसूली से प्रति माह प्राप्त हो रही है ? क्या राजस्व वसूली निगम के कोष में जमा हो रही है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राजस्व की वसूली हो चुकी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका परिषद् सहारनपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1996–97 में भवन कर निर्धारण में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

88—श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 1996–97 में भवन कर का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो कर निर्धारण में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? क्या यह सही है कि शहर में स्थित विभिन्न कालोनियों के भवनों का कर निर्धारण नहीं किया गया तथा कर निर्धारण में अनियमितायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर में पंचवर्षीय कर निर्धारण के लिये वर्ष 1996-97 में प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी, जिसे दिनांक 31-3-97 तक पूरी करके दिनांक 1-4-97 से कर का आरोपण प्रभावी किया गया।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की संगत धाराओं के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची तैयार कर आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया गया। प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के दृष्टिगत यथा अपेक्षित संशोधन करके एवं बोर्ड से पुष्टि कराकर कर निर्धारण प्रभावी किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारिखाल के अन्तर्गत ग्राम पलास की पेयजल योजना का पुनर्गठन कराकर पेयजल समस्या के निराकरण की मांग

89—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारिखाल के अन्तर्गत ग्राम पलास की पेयजल योजना का पुनर्गठन करवा कर पेयजल समस्या का निराकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र द्वारिखाल के अन्तर्गत सुन्दरपुर गांव की पेयजल समस्या को देखते हुए स्टैण्ड पोस्ट लगाने की मांग

90—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारिखाल के अन्तर्गत सुन्दरपुर गांव के पेयजल की समस्या को देखते हुये सरकार स्टैण्ड पोस्ट लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी नहीं। पहले से ही उक्त ग्राम में 7 स्टैण्ड पोस्ट स्थापित हैं।

वर्तमान में सोदल पेयजल योजना जिसमें उक्त सुन्दरपुर सम्मिलित है, के स्रोत के सभरा में कमी हो जाने के कारण नया स्टैण्ड पोस्ट लगाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

जिला हरदोई क्षेत्र मल्लावां में चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम बांसी के मजरा, कुहारनपुरवा, मढ़िया नेवादा का विद्युतीकरण कराने की मांग

91—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम बांसी के मजरा संथरा, कुहारनपुरवा, मढ़िया नेवादा का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मजरों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । केवल ग्राम बांसा का विद्युतीकरण 15-2-84 को किया जा चुका है ।

धन की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं हैं ।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बख्शी का तालाब में अम्बेडकर ग्राम रामपुर देवरई के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

92—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्थित विकास खण्ड बख्शी का तालाब में अम्बेडकर ग्राम रामपुर देवरई के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 व 1997–98 में कराये गये विकास कार्यों में धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या मुख्य विकास अधिकारी ने इसकी जांच हेतु पत्रांक 806/98/99/7–9–98 के माध्यम से जांच समिति गठित की है ? यदि हां, तो जांच समिति की रिपोर्ट क्या है ? जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधश्याम कोरी-

जी नहीं । ग्राम प्रधान के विरुद्ध (उ०प्र० पंचायत राज जांच नियमावली, 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत) विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं हुई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

93—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[दिनांक 25-4-2000 को अता० प्र० सं०–163 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई में मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत स्वर्ण जयन्ती योजना में चयनित मजरों का विद्युतीकरण कराने की मांग

94—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शासन द्वारा चयनित स्वर्ण जयन्ती ग्राम सदरपुर के मजरा लालपुर एवं अलमापुर का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

धन की अनुपलब्धता के कारण उक्त मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बदायूं की नगरपालिका परिषद् बिल्सी द्वारा बजट से प्राप्त धनराशि बिना अनुमोदन के व्यय किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

95—श्री भोलाशंकर मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद् बिल्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 का बजट बिना पारित कराये एवं आयुक्त बरेली मण्डल बरेली के बिना

अनुमोदन कराये वर्तमान वित्तीय वर्ष की धनराशि व्यय की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पालिका परिषद् बिल्सी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

नगरपालिका परिषद् बिल्सी का बजट वर्ष 1999-2000 पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 28-4-99 के विशेष प्रस्ताव संख्या-1 द्वारा पारित किये जाने पर उसे पूर्व में आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 12-8-99 द्वारा प्रतिषेध कर दिया गया था । अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, बिल्सी जनपद बदायूं के पुनर्विचार पत्र दिनांक 11-1-2000 के अनुक्रम में आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 18-2-2000 से मात्र बोर्ड के बजट विषयक प्रस्ताव के अग्रेतर निष्पादन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिशासी अभियन्ता संवर्ग के अधिशासी अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची के संदर्भ में शासनादेश में हुई त्रुटि तथा उसके संशोधन की मांग

96—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिशासी अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची के संदर्भ में शासनादेश सं० 4239/9– आ–5–1996 दिनांक 14 अक्टूबर, 96 जारी किया गया था ? क्या उक्त शासनादेश एवं आवास अनुभाग–5 के आदेश सं० 3735/5–आ०–5–98–193 ई०/98 दिनांक 23-12-98 में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो वह अन्तर क्या है और क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14-10-96 नहीं है, अपितु दिनांक 18-10-96 है । इस शासनादेश के द्वारा उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिशासी अभियन्ता संवर्ग में दिनांक 22-10-1984 को कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी है ।

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 18-10-96 में श्री शशिभूषण सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता की जन्म तिथि दिनांक 11-5-39 तथा शासनादेश दिनांक 23-12-98 में दिनांक 5-11-39 अंकित है । अधिशासी अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची विषयक शासनादेश दिनांक 18-10-96 में श्री शशिभूषण की जन्म तिथि टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 11-5-39 अंकित हो गयी थी परन्तु सेवा पुस्तिका में अंकित तिथि के आधार पर 18-10-96 के शासनादेश में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-978/9-आ-5-99-178 ई/98, दिनांक 18 मार्च, 1999 द्वारा शुद्धि-पत्र निर्गत कर त्रुटि को दूर कर दिया गया था । श्री शशि भूषण दिनांक 30-11-1999 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो चुके है ।

केन्द्रीय हज समिति द्वारा उ०प्र० राज्य हज समिति को उपलब्ध कराये गये फार्मों पर उल्लिखित धनराशि में की गयी हेराफेरी की जांच की मांग

97—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय हज समिति द्वारा उ०प्र० राज्य हज समिति को हज, 1999 के आवेदन-फार्म कितनी संख्या में उपलब्ध कराये गये थे ? क्या राज्य हज समिति द्वारा आवेदन-फार्म पर उल्लिखित धनराशि में फेर-बदल कर फार्मों में केन्द्रीय हज

समिति द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा के लिये अग्रिम राशि 5500 रुपये के स्थान पर 5600 रु० व हवाई जहाज किराया 12000 रु० के स्थान पर 12,600 रुपये लिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (राजा गजनफर अली खां)–

दस हजार ।

राज्य हज समिति नियमावली, 1958 के नियम 7(1) (ग) के अन्तर्गत राज्य हज समिति निधि हेतु गैर सरकारी संसाधनों से चन्दे के रूप में धनराशि प्राप्त करने का प्राविधान है और तद्नुसार ही रु० 100 की अतिरिक्त धनराशि प्रत्येक हाजी से लिये जाने का अनुरोध किया गया जिसका अनुमोदन हज समिति के सदस्यों की बैठक में प्राप्त किया गया । तद्नुसार विदेशी मुद्रा के लिये अग्रिम धनराशि रु० 5500 के स्थान पर रु० 5600 की धनराशि अधिकांश हज यात्रियों से प्राप्त किया गया है । केन्द्रीय हज समिति मुम्बई के निर्देशानुसार जिन यात्रियों ने विदेशी मुद्रा सहित की श्रेणी में हज के लिए आवेदन किया है उनसे हवाई जहाज का किराया केवल रु० 12000 लिया गया । इस श्रेणी में लगभग 15986 हज आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जबकि जिन यात्रियों ने बिना विदेशी मुद्रा की श्रेणी में आवेदन किया उनसे केवल 12600 जमा किये जाने को कहा गया परन्तु इस श्रेणी में केवल 14 आवेदन-पत्र ही प्राप्त हुए । इन सभी यात्रियों ने 100 रु० चन्दा न देकर केन्द्रीय हज समिति के निर्देशानुसार प्रार्थना-पत्र के साथ रु० 12500 जमा किया ।

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) उ०प्र० जल निगम देहरादून द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रकल्प शाखा पौड़ी को श्री के० पी० गुप्त जे० ई० के लम्बित वेतन भुगतान का मामला

98—श्री समरपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, प्रशसान, उ०प्र० जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या–476/कैम्प सचिव (प्रशासन)/अधिष्ठान दिनांक 16-10-98 द्वारा श्री के०पी० गुप्ता जूनियर इंजीनियर जल निगम उत्तर काशी का लम्बित वेतन प्राथमिकता के आधार पर भुगतान कराकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) उत्तर प्रदेश जल निगम देहरादून को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देश के क्रम में श्री के०पी० गुप्ता जूनियर इंजीनियर का बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण प्रकल्प शाखा, उ०प्र० जल निगम पौड़ी से सम्बन्धित है जिसके निस्तारण हेतु मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल) उ०प्र० जल निगम, देहरादून द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रकल्प शाखा, पौड़ी को निर्देशित किया गया । अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं०-1715/ ग्रामीण-15/38,दि० 22-5-99 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में माननीय लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में याचिका सं०-1047/95 दायर की गयी है । प्रकरण में मा० न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर तदनुसार वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम उत्तरकाशी में विद्युत/यांत्रिकी के रूप में नियुक्ति प्राप्त जूनियर इंजीनियर द्वारा वर्षवार सिविल संवर्ग से कराये गये कार्य तथा उस पर व्यय धनराशि की जानकारी

99—श्री समरपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम उत्तरकाशी में विद्युत/यांत्रिकी के रूप में नियुक्ति प्राप्त जूनियर इंजीनियर द्वारा वर्ष 1997–98 एवं 1999 में वर्षवार

सिविल सम्वर्ग का कुल कितने रुपयों का कार्य करवाया गया है एवं उन कार्यों का कितना भुगतान वर्षवार उच्चन्त खाता खोलकर किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रखण्ड में ही सिविल सम्वर्ग के आठ और भी जूनियर इंजीनियर कार्यरत होने के बावजूद भी उक्त विद्युत/यांत्रिकी जूनियर इंजीनियर से ही उक्त प्रखण्ड का अधिकांश सिविल कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, उत्तरकाशी में विद्युत यांत्रिक के रूप में नियुक्त जूनियर इंजीनियर द्वारा वर्ष 1997, 1998 एवं 1999 में क्रमशः रु० 7.082, 4.764 एवं 42.573 लाख के सिविल संवर्ग के कार्य कराये गये ।

उपरोक्त कार्यों हेतु वर्ष 1997,1998 एवं 1999 में क्रमशः रुपये 7.880, 18.432 एवं 2.254 लाख का उच्चन्त खाता विद्युत यांत्रिक जूनियर इंजीनियर के नाम खोलकर मजदूरी का भुगतान कराया गया है ।

प्रश्नगत प्रखण्ड में उक्त विद्युत यांत्रिक जूनियर इंजीनियर सहित 8 जूनियर इंजीनियर नियुक्त हैं । सिविल संवर्ग के 7 जूनियर इंजीनियरों में से एक जूनियर इंजीनियर से निर्माण कार्य न लेने के वर्ष 1999 के निर्देश हैं । विद्युत यांत्रिक जूनियर इंजीनियर सहित शाखा में कार्यरत अन्य 7 जूनियर इंजीनियरों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार दायित्व सौंपे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाद संख्या-1296/1999 के आदेश द्वारा ग्राम बेगमबाद बस्तौली वार्ड हसनगंज स्थित प्लाट नं०-75 पर बिना मानचित्र के स्वीकृत अवैध निर्माण को गिराने की मांग

100—श्री अजय कुमार पोइया-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ने वाद संख्या 1296/1999, आदेश दिनांक 3-6-96 द्वारा ग्राम बेगमबाद, बस्तौली वार्ड, हसनगंज, स्थित प्लाट नं० 75 पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनधिकृत निर्माण गिराये जाने के आदेश आर०बी०ओ० विभाग को दिये थे ? यदि हां, तो क्या अनधिकृत निर्माण गिरा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है तथा इस अनधिकृत निर्माण को कब तक गिरा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन--

संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 3-6-96 द्वारा प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण को गिराने हेतु नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिये गए थे ।

विहित प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश दिनांक 6-3-2000 को पारित किए जा चुके हैं । उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुसार पक्ष को 15 दिन का समय प्रदान करते हुए नोटिस दिनांक 26-3-2000 को तामील करायी गयी । इसके विरुद्ध पक्ष द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दिनांक 7-4-2000 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता । स्थगन आदेश प्रभावी रहने की अवधि में अनधिकृत निर्माण का ध्वस्तीकरण सम्भव नहीं है ।

जनपद रामपुर में मै० रजा टेक्सटाइल लि० प्रतिष्ठान के बन्द होने से कार्यरत सेवकों के समक्ष भुखमरी की समस्या तथा अन्यत्र समायोजित करने की मांग

101—श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर में 1992 में राजा ट्रैक्टर टाइल मिल बन्द हो गई थी तथा उसमें कार्यरत दो हजार से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें रोजगार दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बेरोजगारों को कब तक अन्यत्र समायोजित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद रामपुर में राजा ट्रैक्टर टाइल मिल नाम की कोई फैक्ट्री विद्यमान नहीं है अपितु मै० रजा टैक्सटाइल लि० नाम का प्रतिष्ठान रामपुर में विद्यमान है जिसके सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति ठीक न होने का कारण बताते हुए दिनांक 23-9-91 से उक्त प्रतिष्ठान को बन्द कर दिया गया है । तत्समय प्रतिष्ठान में लगभग 2344 श्रमिक कार्यरत थे ।

मै० रजा टैक्सटाइल्स लि०, रामपुर प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाई थी । प्रतिष्ठान का बंदी के फलस्वरूप प्रभावित श्रमिकों को अन्यत्र समायोजित करने हेतु श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत सेवायोजकों को बाध्य नहीं किया जा सकता ।

नगर पालिका परिषद फतेहपुर से सेवानिवृत्त श्री ललित किशोर श्रीवास्तव की ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण आदि सभी देयों के भुगतान की मांग

102—श्री [illegible] वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् फतेहपुर से दिनांक 31-7-1996 को सेवानिवृत्त हुये श्री ललित किशोर श्रीवास्तव कर लिपिक के प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-1-1997 के अनुसार उनकी ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण तथा भविष्य निधि धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक प्रश्नगत देयकों एवं पेंशन का भुगतान करेगी ? [illegible] क्यों ?

[illegible] चौहान–

[illegible] ललित किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कर लिपिक को उपार्जित अवकाश (नकदीकरण) तथा [illegible] निधि की धनराशि पर ब्याज के भुगतान कर दिया गया है । पेंशन एवं उपादान के बारे में [illegible] स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा पेंशन प्रपत्र में विभिन्न आपत्तियां [illegible] हैं, जिसके निस्तारण के बाद पेंशन/उपादान की स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

103—श्री संजय गर्ग–

[निदेश सं०–26(1) द्वारा उत्तरित]

विद्युत बकाया वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, जौनपुर को दिया गया पत्र तथा कार्यवाही की जानकारी

104—श्री अफजाल अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत बकाया वसूली के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-12-1996 जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जिलाधिकारी, जौनपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-12-96 प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्यों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन जनपदीय अधिकारियों द्वारा कराने की मांग

105—श्री अफजाल अहमद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1999 के मध्य चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों के विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कब तक किया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी नहीं ।

कार्याधिक्य के कारण ।

मई, 2000 तक ।

इन्दिरा नगर लखनऊ तथा आवास विकास परिषद् के सामुदायिक केन्द्र के सामने की दो सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106—श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेक्टर 16/1440 इन्दिरा नगर लखनऊ तथा आवास विकास परिषद् के सामुदायिक केन्द्र इन्दिरा नगर लखनऊ के सामने की दो सड़कों को जो मुख्य मार्ग से जोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह नवम्बर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

स्थल का सर्वेक्षण करा लिया गया है और आगणन तैयार किया जा रहा है । कार्य का सम्पादन धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वरीयता क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी समिति/सदन की स्वीकृति के उपरान्त कराये जायेंगे ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ भवन संख्या–16/1445 इन्दिरा नगर के सामने बनी नाली को उत्तर की नाली से जोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

107—श्री राम ललित चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भवन संख्या 16/1445 इन्दिरा नगर लखनऊ के सामने बनी नाली को सड़क की दूसरी तरफ उत्तर की तरफ जाने वाली नाली से जोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह नवम्बर, 99 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

स्थल का सर्वेक्षण करा लिया गया है और आगणन तैयार किया जा रहा है । कार्य का सम्पादन धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वरीयता क्रम में नगर निगम, कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति के उपरान्त कराये जायेंगे ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद लखीमपुर खीरी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

108—डा० कौशल किशोर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कस्बा खीरी जनपद लखीमपुर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या पेयजल समस्या के निदान हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये सरकार इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जलापूर्ति में सुधार हेतु जल निगम द्वारा रु० 90.15 लाख की एक प्रारम्भिक योजना विरचित की गयी है ।

इस योजना में एक शिरोपरि जलाशय, एक नलकूप एवं 5 किलोमीटर वितरण प्रणाली निर्माण का प्रस्ताव है ।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सहारनपुर के शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में पीक आवर्स में विद्युत आपूर्ति न किये जाने की जानकारी

109—श्री संजय गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में शहर तथा ग्रामीण अंचलों में कितने-कितने घण्टे बिजली दी जा रही है ? क्या यह सही है कि सायं पांच बजे से 11 बजे रात तक उक्त क्षेत्रों में बिजली नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्तमान समय में जनपद-सहारनपुर के शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति किए जाने का सामान्य विवरण निम्नवत् है :–

1–सहारनपुर नगर	19-20 घण्टे
2–तहसील स्तर नगर	15-16 घण्टे
3–ग्रामीण क्षेत्र	7-8 घण्टे

सहारनपुर नगर को सामान्यतयः सायं पांच बजे से रात 11.00 बजे तक बिजली दी जाती है। परन्तु जनपद के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति एवं मांग में भारी अन्तर के कारण बिजली दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

विद्युत की मांग, विद्युत आपूर्ति से अधिक होने के कारण।

जनपद गाजीपुर जहूराबाद क्षेत्र के ग्राम गोविन्दपुर कासिमाबाद गांधी ग्राम में विद्युतीकरण करने की मांग

110–श्री गणेश राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, 229 जहूराबाद गाजीपुर में दो ग्राम गोविन्दपुर ब्लाक भरदल रामगढ़ ब्लाक कासिमाबाद गांधी ग्राम में चयनित किये गये थे ? क्या गोविन्दपुर ब्लाक में राजभर बस्ती तथा हालपुर में यादव बस्ती तथा रामगढ़ में राजभर बस्ती में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त बस्तियों में विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

ग्राम गोविन्दपुर वर्ष 1982-83 में एल०टी० मेन्स से विद्युतीकृत हो चुका है। ग्राम–हालपुर चयनित गांधी ग्राम की सूची में सम्मिलित नहीं है। ग्राम–रामगढ़ के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। आपसी विवाद के कारण अवरुद्ध है। विवाद समाप्त होने के बाद कार्य पूरा कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा पावर कम्पनी से नियमित विद्युत आपूर्ति कराये जाने की मांग

111–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर की विद्युत आपूर्ति जब से श्रीमान विद्युतीकरण प्राइवेट कम्पनी को दी गई है, तब से किसानों को 4 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रेटर नोएडा पावर कम्पनी के लिये कोई स्पष्ट नीति बनायेगी ताकि किसानों को नियमित विद्युत आपूर्ति एवं ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में नोएडा पावर कम्पनी द्वारा औसतन दस घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक ट्रान्सफार्मर से कई ट्यूबवेल कनेक्शन मालिकों द्वारा बिल की अदायगी होने पर भी कनेक्शन काटे जाने संबंधी नीति की जानकारी

112–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर पर तीन ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने की दशा में एक ट्यूबवेल मालिक का बिल जमा न होने पर क्या तीनों ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी नीति बनाने पर विचार करेगी जिससे भविष्य में बिल देने वाले किसानों का कनेक्शन न काटा जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नीति पूर्व से ही निर्धारित है जिसके अनुसार ही बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं का संयोजन काटा जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में सामान्य जाति के श्री रजनीश कुमार की आरक्षण कोटे के अन्तर्गत ड्राइवर पद पर नियुक्ति का औचित्य

113–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा रजनीश कुमार को मई, 1998 में आरक्षण कोटे के अन्तर्गत ड्राइवर के पद पर नियुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि रजनीश कुमार सामान्य जाति के हैं ? यदि हां, तो उन्हें आरक्षण कोटे में नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री रजनीश कुमार की नियुक्ति आरक्षण कोटे के अन्तर्गत नहीं की गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री विश्वनाथ–

[4थे मंगलवार में अता० प्र० सं०–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा मनकापुर क्षेत्र में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में विद्युत, सड़क आदि विकास कार्यों को कटने की मांग

115–श्री राम विशुन आजाद–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में विद्युत सड़क तथा विकास

कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनराशि उपलब्ध होने पर ।

लेसा के अधीन लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा बढ़े विद्युत अधिभार को देखते हुए नये ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति कराने की मांग

116–श्री अक्षयवर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम लखनऊ द्वारा लखनऊ में कुल कितने किलोवाट विद्युत भार बढ़ाया गया है एवं उससे कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या बढ़े विद्युत अधिभार को देखते हुये नये ट्रांसफार्मर लगाकर सुगमता पूर्वक विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

लेसा के अधीन वर्ष 1999 में लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा 89488 कि०वा० विद्युत भार बढ़ाया गया तथा उससे 417.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुई ।

जी हां, आवश्यकतानुसार ।

यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर आदि कस्बों की क्षतिग्रस्त सड़कों को सीमेन्टेड पत्थर से निर्माण कराये जाने की मांग

117–श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा स्थित कस्बे मनकापुर मसकनवां, बभनान, वजीरगंज में जल भराव के कारण वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बों में स्थित सड़कों का सीमेन्टेड पत्थर से निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखीमपुर खीरी की आबादी के अनुरूप पेयजल की व्यवस्था किये जाने की मांग

118-डा० कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शहर लखीमपुर जनपद लखीमपुर खीरी की आबादी चारों तरफ बहुत अधिक बढ़ रही है ? क्या इस नई आबादी में शुद्ध पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 112.21 लाख रु० की एक योजना विरचित की गयी है ।

इस योजना में 3 नलकूप, 2 अवर जलाशय, 3 किलोमीटर वितरण प्रणाली एवं 50 नग इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प के कार्य प्रस्तावित हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद लखीमपुर खीरी की पेयजल की समस्या दूर करने के लिये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाने की मांग

119-डा० कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कस्बा ओयल, जनपद लखीमपुर खीरी में शुद्ध पेयजल की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निदान के लिये इस कस्बे में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं । नगर पंचायत, ओयल के नागरिकों को एक ओवर हेड टैंक तथा दो नलकूपों और 34 इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्पों के माध्यम से आवश्यकतानुरूप जलापूर्ति की जा रही है ।

नई एवं पुरानी आबादी के सघन जनसंख्या वाले स्थानों पर आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए 28 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस, ब्लाक हंसायन, नगला बीरसहाय में 33 के० वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

120-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगला बीरसहाय, ब्लाक हंसायन, जनपद हाथरस में 33 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त उपकेन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

नगला बीरसहाय ब्लाक हंसायन जनपद हाथरस में 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव क्षेत्रीय तकनीकी समिति द्वारा वर्ष 1996-97 में अनुमोदित किया गया था परन्तु वित्तीय संसाधन की कमी के कारण सम्प्रति उक्त उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण रायबरेली रोड योजनान्तर्गत श्री प्रमोद कुमार गुप्ता व श्रीमती लक्ष्मीदेवी, प्रभा देवी एवं इरा शर्मा द्वारा जमा की गई धनराशि के आवंटन निरस्त कर वापसी की मांग के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक में दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

121–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उदयराज यादव सदस्य, विधान सभा का पत्र क–2 नवम्बर, 044959 दिनांक 4-11-99 जो लखनऊ विकास प्राधिकरण रायबरेली रोड योजना के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार गुप्ता व श्रीमती लक्ष्मी देवी, प्रभा देवी एवं इरा शर्मा द्वारा जमा की गई धनराशि को आवंटन निरस्त कर वापस करने की मांग से संबंधित था, विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

धनराशि की वापसी हेतु मूल चालान लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित आवंटियों को पत्र भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में मार्गों के लेपन स्तर तक कराये गये कार्यों के अल्प अवधि में ही क्षतिग्रस्त होने की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

122–श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 से अप्रैल, 1999 तक सीतापुर शहर में कुल कितने मार्गों पर लेपन कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि लेपन कार्य कराये गये मार्ग अल्प अवधि में क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1997 से अप्रैल, 1999 के मध्य सीतापुर शहर में कुल 10 मार्गों में लेपन कार्य कराया गया है ।

जी हां । पांच मार्ग अल्प अवधि में क्षतिग्रस्त हो गये हैं ।

जी हां । इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच/उत्तरदायित्व के निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् द्वारा नगर पालिका एवं बी० एच० इ० एल० सेक्टर–2 की सीमा में मांस एवं उसके बने पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

123–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् हरिद्वार द्वारा 12-10-99 को वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नगर पालिका एवं बी०एच०ई०एल० सेक्टर–2 की सीमा पर मांस एवं उससे बने पदार्थों की बिक्री रोकने का निदेश लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी ने अब तक क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार के द्वारा नगरपालिका एवं बी०एच०इ०एल० सेक्टर–2 की सीमा पर मांस एवं उससे बने पदार्थों की बिक्री रोक दी गयी है और ऐसे सभी पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत वर्ष 1987 के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् उनके आवंटन आदि में की गई अनियमितता सम्बन्धी विधायक कोष्ठक में दिया गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजनान्तर्गत वर्ष 1987 के रजिस्ट्रेशन के पश्चात् उसके आवंटन आदि में की गई अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 044684 दिनांक 14 सितम्बर, 1999 जो विधायक कोष्ठक के माध्यम से भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इस प्रकरण के संबंध में मा० विधायक के पत्र के साथ जो प्रार्थना-पत्र श्रीमती रजनी द्वारा दिया गया है, वह भूखण्ड संख्या एस०एस०/1891/एच, कानपुर रोड के संबंध में है । उक्त भूखण्ड की आवंटी श्रीमती रजनी द्वारा समयान्तर्गत धनराशि न जमा करने के कारण भूखण्ड निरस्त हो गया था । किये गये आवेदन के दृष्टिगत उन्हें पुनः उक्त योजना के सेक्टर–जी में भूखण्ड संख्या–एस०एस०/905 आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17-4-2000 को दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर की गहमर, ताड़ीघाट एवं दिलदार नगर के सब-स्टेशनों की खराब ओ०सी०बी० को ठीक कराने की मांग

125–श्री सिंहासन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गहमर, ताड़ीघाट, दिलदार नगर जनपद गाजीपुर सब-स्टेशनों की ओ०सी०बी० काफी दिनों से खराब है ? क्या इस कारण क्षेत्रीय किसानों को सुचारु रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त ओ०सी०बी० को शीघ्र ठीक करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । वर्तमान में गहमर, ताड़ीघाट एवं दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर की ओ०सी०बी० ठीक कार्य कर रही हैं ।

जी नहीं । किसानों को बिजली सुचारुरूप से प्राप्त हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र में आने वाले सभी विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

126—श्री सिंहासन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? क्या यह सही है कि बाहरी मजदूरों से वहां का कार्य लिया जाता है ? क्या इस कारण किसानों को बिजली सुचारु रूप से मिलने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उपरोक्त सब स्टेशनों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । किन्तु अधिकांश कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में कर्मचारियों की कमी हो गयी है ।

जी नहीं ।

किसानों को विद्युत आपूर्ति ऊर्जा प्रणाली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही की जाती है । उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पदों के सृजन के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं मण्डल के जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत की घाटियों में चाय एवं केसर की खेती के लिए दीर्घ कालीन प्रस्ताव तथा उसी के अनुरूप कार्य कराने की जानकारी

127—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल के जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत के उंचाई व सुरम्य घाटियों में चाय एवं केसर की खेती का कोई दीर्घकालीन प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक प्रस्ताव के अनुसार कार्य शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

चाय योजना का दीर्घ कालीन प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है किन्तु केसर की खेती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

चाय प्रायोजना का कार्य वर्ष 1994 से प्रारम्भ कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर दिलदार नगर क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत बिल जमा करने हेतु कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की मांग

128—श्री सिंहासन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र दिलदारनगर गाजीपुर के अन्तर्गत कटिया कनेक्शन धारकों को अभी तक पास बुक नहीं दी गई एवं पुराने विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली का बिल काफी समय से बाकी पड़े हैं ? क्या बिलों के भुगतान को प्राप्त करने वाला कोई कर्मचारी उपलब्ध न होने से बिल का भुगतान समय से नहीं हो पाता है तथा उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ

बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो उपभोक्ताओं से विद्युत मूल्य प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों की नियमित व्यवस्था कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र दिलदार नगर, गाजीपुर के अन्तर्गत कटिया कनेक्शन धारकों को, कटिया कनेक्शन नियमितीकरण के अन्तर्गत अधिकांश उपभोक्ताओं को पास बुक निर्गत की जा चुकी है एवं नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्तमान में कटिया नियमितीकरण एवं पास बुक निर्गत करने की कार्यवाही जारी है । पुराने विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली के बिल समय-समय पर निर्गत किये गये हैं ।

बिलों के भुगतान को प्राप्त करने हेतु विभिन्न उपकेन्द्रों, उपखण्डीय कार्यालय एवं खण्डीय कार्यालय, गाजीपुर में नियमित व्यवस्था है एवं कर्मचारियों की उपलब्धता रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली अधीक्षण अभियन्ता वितरण मण्डल के अधीन पांच लाख रुपये से अधिक व्यय किये गये खण्डों का स्पेशल आडिट कराने की मांग

129—श्री चेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता वितरण मण्डल रायबरेली के अधीन कार्यरत वितरण खण्डों एवं अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1999 से 31 अगस्त, 1999 तक माहवार कुल कितने रुपये के अस्थाई अग्रिम खोले गये हैं ? क्या मंत्री जी पांच लाख रुपये से अधिक व्यय किये गये खण्डों का स्पेशल आडिट करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद व अम्बेडकर नगर के कतिपय विद्युत वितरण खण्डों में पांच लाख रुपये से अधिक व्यय वाले खण्डों का स्पेशल आडिट करवाने की मांग

130—श्री चेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड फैजाबाद प्रथम, फैजाबाद द्वितीय एवं विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में 1 जनवरी, 1999 से 31 अगस्त, 1999 तक माहवार कितना धन अस्थाई अग्रिम खोल कर व्यय किया गया है ? क्या सरकार इन खण्डों में पांच लाख रुपये से अधिक व्यय वाले खण्डों का स्पेशल आडिट करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् को गाजियाबाद तथा हरिद्वार में दिल्ली मार्ग पर योजनाओं हेतु भूमि अर्जन की मांग

131-कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–7–3(1)/90–50–टी०सी०–रा०–13 दिनांक 11-12-95 द्वारा उन विभागों द्वारा भूमि अर्जन पर रोक लगायी गयी है जिनके द्वारा प्रतिकर/डिक्रीटल का भुगतान न किया गया हो ? यदि हां तो क्या उसको

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री छोटेलाल यादव को सुनने के उपरान्त में इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। चौथी सूचना श्री राम किशुन की है।

श्री राम किशुन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो नियम–56 में सूचना दी है, वह लोक महत्व की है और तत्कालीन है। इस समय सूखा पड़ा है और हमारे यहाँ एक नरायनपुर पम्प कैनाल है जो अरबों रुपये की लागत से 92-93 में बनी थी। उसको चलाने के लिये 14 पम्प लगे हैं और उसके साथ 14 ट्रांसफार्मर-मोटर भी लगे हैं। मान्यवर, इस समय जिस क्षमता से पम्प कैनाल को चलाया जाना चाहिये, सरकार और विभागीय लापरवाही के चलते वह पूरी क्षमता से पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही है। इसका कारण यह एक बड़ी नहर है, लम्बी नहर है और लाखों एकड़ जमीन जनपद चन्दौली और मिर्जापुर की इससे सिंचाई होती है सिंचाई उससे संचालित होती है, इस पम्प कैनाल से जो पानी देने की क्षमता है, वह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उसका कारण है कि पम्प कैनाल जो अरबों रुपये लगाकर के बना है, उसकी क्षमता है केवल प्रति पम्प 20 हजार घण्टे चलाने की थी और जो पम्प चल रहे है वह 40 हजार घण्टे इसको चला चुके है इससे उनकी सम्बन्धित मोटर प्रभावित होती है, ट्रान्सफार्मर प्रभावित होता है, इसी का परिणाम है कि 20 जुलाई को 20 एम०बी०ए० का एक जो ट्रान्सफार्मर बन्द हो गया था, जिसकी कीमत लगभग छः करोड़ रुपये की है, विभाग की लापरवाही से और सरकार की लापरवाही से बन्द पड़ा हुआ है जिसके कारण मात्र छः पम्प ही चलते हैं। 14 में सिर्फ 12 पम्प चलते हैं लेकिन सिर्फ छः पम्प चलाये जा रहे हैं। एक पम्प की क्षमता 120 क्यूसेक पानी देने की है, लेकिन आज मात्र कुल 80 क्यूसेक पानी देने की क्षमता से चल रहा है .....

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, एक आग्रह करना चाहता हूँ, और व्यवधान के लिए क्षमा चाहूँगा, मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, हम सदस्यगण यह सूचना आपके माध्यम से देते हैं कि पहले भी जब मैं सदन में आया था तो कार्य स्थगन की सूचना का जवाब देने के लिए विभागीय मंत्री और विभाग के अफसर जानकारी के लिए उपलब्ध हुआ करते थे, संसदीय कार्य मंत्री बहुत अच्छे होते हैं बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन बहुत से विभागों की जानकारी वह सही प्रकार से कर सके ऐसा सम्भव नहीं है,

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जो कार्य स्थगन का महत्व है उसकी गरिमा है, उसको बनाये रखने के लिए व्यवस्था दे दें। सिंचाई विभाग की सूचना और अन्य विभागों की भी जो सूचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है, सम्बन्धित मंत्री द्वारा दी गई सूचना प्रभावी होती है और उस पर तत्काल कार्यवाही भी हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं आपका आशय समझ गया, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। यद्यपि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे ही देते है, लेकिन अच्छा होगा कि जिस विभाग की सूचना हो, उस विभाग से सम्बन्धित मंत्री उपस्थित हों, इसमें प्रयास किया जाएगा।

जनपद सहारनपुर नगर पालिका में श्याम सुन्दर दास लिपिक द्वारा त्याग-पत्र देने तथा स्वीकार होने के उपरान्त सेवा में पुनः लेने का औचित्य

134–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर पालिका जनपद–सहारनपुर से श्याम सुन्दर दास लिपिक ने अक्टूबर, 1995 में पालिका से त्याग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जून, 1997 में नियमों के विरुद्ध पूर्व वेतनमान में लिपिक के पद पर उन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । श्री श्याम सुन्दर दास लिपिक का त्याग-पत्र उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था बल्कि नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी जिसकी शक्तियां व कर्तव्य प्रत्यायोजित की गयी थीं, के द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किया गया था जो नियमानुसार नहीं था । अतः नियमानुसार त्याग-पत्र स्वीकृत न होने के कारण उनकी नियुक्ति पूर्व वेतनमान में की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर, धामपुर क्षेत्र में शीला टाकिज धामपुर के सामने से रेलवे स्टेशन धामपुर व स्योहरा चुंगी धामपुर से मछली बाजार धामपुर तक के मार्गों के जीर्णोद्धार कराने की मांग

135–श्री मूलचन्द–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, धामपुर, जनपद–बिजनौर में नगर परिषद् धामपुर में शीला टाकिज धामपुर के सामने से रेलवे स्टेशन धामपुर व स्योहरा चुंगी धामपुर से मछली बाजार धामपुर तक के मार्गों की दशा बहुत खराब है तथा जनता का उन पर चलना मुश्किल हो गया है ? क्या उक्त सड़क खराब होने के कारण आये दिन उन पर यातायात अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

नगर पालिका परिषद, धामपुर जनपद बिजनौर को दशम् वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 हेतु स्वीकृत/संक्रमित धनराशि से नियमानुसार सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने के आदेश जिलाधिकारी, बिजनौर को दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम मूडाहूंसा में अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण कराने की मांग

136–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम मूडाहूंसा में छः वर्ष पूर्व विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की अनुसूचित

जाति बस्ती में विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त बस्ती में विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी हां ।

अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संसाधन उपलब्ध न होने के कारण ।

जनपद सहारनपुर में नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध ड्राइवर की नियुक्ति करने की जांच तथा कार्यवाही की मांग

137–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–सहारनपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा शिवराज सिंह को ड्राइवर के पद पर अक्टूबर, 1997 में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसकी आयु नियुक्ति के समय निर्धारित सीमा से अधिक थी ? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध नियुक्ति करने वाले के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के वार्ड नं०–87 गढ़ीपीरखां के मुहल्ले करीमगंज, रजबगंज, बादिदनगर तथा राम नगर का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

138–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के वार्ड नं०–87 गढ़ीपीरखां के मुहल्ले करीमगंज, रजबगंज, बादिदनगर तथा रामनगर का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त मोहल्लों में विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नगत मोहल्ले में भूखण्ड प्राइवेट हाऊसिंग सोसायटीज द्वारा बेचे जा रहे हैं । इन सोसायटीज ने विद्युतीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है ।

स्थिर नियमों के अनुसार विद्युतीकरण का कार्य जमा योजना के अन्तर्गत ही किया जाता है ।

जनपद लखनऊ के वार्ड गढ़ीपीरखां के मोहल्लों करीमगंज, रजबगंज, बासिदनगर, राम नगर व पसन्द बाग आदि में नाली एवं खड़ंजे की व्यवस्था करने की मांग

139–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–लखनऊ के वार्ड गढ़ीपीरखां के मोहल्लों–करीमगंज, रजबगंज, बासिदनगर, रामनगर व पसन्दबाग आदि में नाली एवं खड़ंजे की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शर्म से डुब मरना चाहिए । यह बार और बेन्च का मामला है । उस दिन जिलाधिकारी ने नोटिस लिया और उप जिलाधिकारी कसया को ए०एस०डी०ओ० बनाकर पडरौना भेज दिया । लेकिन आज भी वह अर्दली जिसने मारा है कसया में घूम रहा है तहसीलदार मौजूद है । इससे मामला कभी भी उग्र रूप ले सकता है । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कम से कम अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जाए । क्योंकि बार और बेन्च के बीच दूरी बढ़ती है तो वादकारी मारा जाता है । सरकार इसे बचाए व इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए । जय हिन्द जय भारत ।

*श्री राधे श्याम सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, जनपद कुशीनगर में कसया तहसील में आज जिस वजह से न्यायिक कार्य बाधित है । वादिकारियों का अहित हुआ है और मान्यवर, एस० डी० एम० कसया के द्वारा श्री जय चन्द अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार की यह कोई नई घटना नहीं है । ओम प्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता के साथ, अब्दुल हसन सिद्दीकी, अधिवक्ता के साथ तहसीलदार और एस० डी० एम० ने दुर्व्यहार किया । 6 अगस्त से अधिवक्ताओं का आन्दोलन जारी था । अधिवक्ताओं द्वारा 31 अगस्त को कुशीनगर में राष्ट्रीय राज मार्ग जाम करने की घोषणा जब वहां के विधायक ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने किया । अधिवक्ताओं ने पूरी ताकत के साथ रास्ता जाम किया और उसमें शामिल हुए तो जिलाधिकारी ने वहां के एस० डी० एम० को ए० एस० डी० एम० बनाकर जिले में अटैच कर दिया । वहां पर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है । वहां के तहसीलदार और अर्दली को अभी तक नहीं हटाया गया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो महीनो से वहां पर कार्य बाधित हुआ, अधिवक्ताओं का अहित हुआ है, वादकारियों का अहित हुआ है एस० डी० एम० और तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय और यह गम्भीर विषय है, सारे सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसको अग्राह्य किया जाता है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई । श्री प्रमोद कुमार, श्री किरनपाल सिंह, श्री चितरंजन स्वरूप, श्री अनार सिंह दिवाकर, श्री शिशुपाल सिंह, श्री जियाउद्दीन रिजवी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री कौशल किशोर, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री लाल बहादुर यादव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री प्रभु नरायण सिंह यादव । कुछ माननीय सदस्यों की सूचनाएं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत स्वीकृत हुई हैं । पहली सूचना श्री शिव पाल सिंह यादव की है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उस सूचना पर निर्णय हो गया है कि उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, हमारी सूचना भी थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद जालौन में 33 के०वी० विद्युत स्टेशन बावई सिरसा कलार, रामपुरा में मुख्य विद्युत लाइनों में रैकून का कंडक्टर लगाने में की गयी अनियमितताओं की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

142–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में 33 के० वी० विद्युत स्टेशन बावई, सिरसा कलार, रामपुरा में मुख्य विद्युत लाइनों में रैकून का कंडक्टर न लगाकर नकली व कम टिकाऊ बीजल कंडक्टर लगाकर वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । नव निर्मित 33/11 के०वी० विद्युत सब स्टेशन बावई, सिरसा कलार, रामपुरा की मुख्य विद्युत लाइनों में रैकून कन्डक्टर ही लगाया गया है ।

अतः कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है ।

जनपद जालौन में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत विद्युतीकरण का सामान, चुनाव की घोषणा के बाद भेजे जाने का औचित्य तथा उरई, माधोगढ़ में सामान भेजे जाने की जानकारी

143–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों का स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य का सामान वर्ष 1999 के माह मार्च/अप्रैल/मई/जून, 1999 में प्राप्त हो जाने पर भी लोक सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर तथा आचार संहिता लागू होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के पोल कन्डक्टर तथा अन्य सामान उरई तथा माधोगढ़ विधान सभा क्षेत्रों के ग्रामों/नगरों में भेजकर कालपी तथा कोंच विधान सभा क्षेत्रों के कार्यों को बाधित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कालपी विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1998-99 तथा 1999–2000 के स्वीकृत, अवशेष व अधूरे कार्यों को 31-12-99 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद जालौन में किसी ग्राम में आचार संहिता लागू होने के बाद सामान नहीं भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उरई, माधोगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भी उस अवधि में कोई सामान नहीं भेजा गया अतः विधान सभा कालपी, कोंच का कोई कार्य बाधित नहीं किया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1998-99 के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्ष 1999-2000 के कार्य दिनांक 30-6-2000 तक पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर ग्राम बडईयाडीह थाना–रामपुर में 11 हजार के०वी०ए० विद्युत लाइन टूट जाने से 5 किसानों की मौत तथा मछरेहटा के पास ग्राम बरचनपुर में विद्युत करेन्ट लगने से हुई मृत्यु तथा मृतकाश्रितों को मुआवजा देने की मांग

144–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 6-7-99 को ग्राम बडईयाडीह थाना–रामपुर कलां जनपद सीतापुर में 11 हजार के०वी०ए० विद्युत लाइन टूट कर गिर जाने के कारण 5 किसानों की मौत हो गयी है ? क्या यह सही है कि विगत वर्ष मछरेहटा के पास ग्राम बरचनपुर में विद्युत करेन्ट लगने से 3 लोगों की मौत हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोनों स्थानों पर मृतक आश्रितों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां, किन्तु दुर्घटना ग्राम बरचनपुर में न होकर ग्राम दुघरा में हुई थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में सरकार की नीति के अनुसार गांव सभाओं/पंचायतों से नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया के तहत मैनपुरी ब्लाक सुल्तानगंज की अलीपुर पट्टी एवं अलीपुर खेड़ा मिलाकर नगर पंचायत के गठन की मांग

145–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभाओं/पंचायतों से नगर पंचायतों को परिवर्तित करने की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में गांव सभायें आलीपुर पट्टी एवं अलीपुर खेड़ा मिली हुई हैं और दोनों को मिलाकर आबादी आदि की दृष्टिकोण से नगर पंचायत बनाये जाने की शर्तें पूरी होती हैं ? यदि हां, तो दोनों गांव सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत बनाने के लिये प्रस्तावित क्षेत्र की आय लोगों की व्यवसाय कृषि क्षेत्र, सड़क यातायात एवं शहरी गुण आदि मानकों के आधार पर परीक्षण कर कार्यवाही करने की व्यवस्था/नीति है ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज की गांव सभायें आलीपुर पट्टी एवं अलीपुर खेड़ा मिली हुई हैं । इनकी आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 12,663 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य नहीं हैं । अतः उक्त दोनों गांव सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने की शर्तें पूरी नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्यान अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर स०वि०स० का शिकायती-पत्र की उच्चस्तरीय जांच की मांग

146–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायक प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर का शिकायती-पत्र जो उद्यान अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में था, माह जनवरी, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त करके उसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण में प्राप्त शिकायती-पत्र में अंकित बिन्दुओं पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर जांच आख्या व संस्तुति हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेश प्रदान किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा स्थित जगन्नाथपुरी, सहकारी आवास समिति लि० के सम्बन्ध में दिया गया पत्र तथा कृत कार्यवही की जानकारी

147–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 21-6-95 जो कि मथुरा स्थित जगन्नाथपुरी सहकारी आवास समिति लि० के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र आवास विकास परिषद के कार्यालय में दिनांक 19-7-95 को प्राप्त हुआ है, परन्तु उक्त शिकायती-पत्र से संबंधित पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है । शिकायती-पत्र की प्रति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसके प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली उत्तर काशी चम्पावत में वर्ष 1999 में आलू की पैदावार तथा उन्नतिशील बीज केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

148–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर काशी, चम्पावत में वर्ष 1999 में कुल कितने टन आलू का उत्पादन हुआ है ? उक्त क्षेत्र में किसानों के लिए इस हेतु कुल कितने उन्नतशील बीज, केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत में वर्ष 1999 में कुल 1,61,300 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है ।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी एवं चम्पावट में कुल–7 उन्नतशील आलू बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित हैं ।

पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन 132 के०वी० पावर हाउस पूर्ण कराने की मांग

149–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन 132 के० वी० पावर हाउस कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन 132 के०वी० उपकेन्द्र (4 x 5) एस०पी० (एम०वी०ए०), एवं तत्सम्बन्धित अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लाइन (80 किमी०) का निर्माण लगभग रु० 1886 लाख की धनराशि नियमित रूप से मिलते रहने से सितम्बर, 2001 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में महरीपुर/इल्तिफातगंज फीडर पर अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

150–श्री लाल जी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि महरीपुर/इल्तिफातगंज फीडर जनपद अम्बेडकर नगर पर अत्यधिक भार होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फीडर पर अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां, क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड हसनगंज ग्राम हिलाल मऊ में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु स्वीकृत धन से मार्ग निर्माण कराने की मांग

151–श्री शिवचरन प्रजापति–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 में चयनित अम्बेडकर ग्राम हिलालमऊ, विकास खण्ड–हसनगंज, जनपद उन्नाव को सम्पर्क मार्ग लखनऊ बांगरमऊ राजमार्ग से जोड़े जाने हेतु रु० 14.00 लाख स्वीकृत हुए थे ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त मार्ग का निर्माण कर दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी नहीं ।

20.54 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी परन्तु उक्त स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 1999-2000 में रु० 4.10 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है ।

कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेष धनराशि का आवंटन प्राप्त होने पर ।

जनपद मथुरा के मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आवंटित धन के दुरुपयोग एवं शिड्यूल्ड से अधिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

152–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आवंटित धन के दुरुपयोग एवं शिड्यूल्ड से अधिक का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क–2–021842, दिनांक 24-9-99 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मुख्यमंत्री कार्यालय के विधायक कोष्ठक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार विधायकों के लैटर पैड संख्या को कम्प्यूटर में डाले जाने की व्यवस्था नहीं है जिस कारण क–2-021842 की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो सकी है । दिनांक 24-9-99 का कोई पत्र भी कोष्ठक की सूचना अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जालौन, विद्युत वितरण खण्ड, उरई में श्री पी०डी० मिश्रा अवर अभियन्ता को निलम्बित करने सम्बन्धी जांच की जानकारी

153–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री पी० डी० मिश्रा अवर अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उरई, जालौन को वित्तीय अनियमितताओं के कारण गत वर्ष निलम्बित किया गया था ? क्या इसकी जांच मुख्य अभियन्ता विद्युत जांच प्रकोष्ठ में लम्बित है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जांच पूर्ण हो गयी है । जांच में निर्दोष पाये जाने पर श्री पी० डी० मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा में स्व० हाकिम पुत्र श्री बतोला, राजेन्द्र पुत्र श्री बेदराम की भैंसों की करेन्ट लगने से हुई मृत्यु पर अनुदान में देय धनराशि देने की मांग

154–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी० एम०/वि० को०/एम–3/9776/ मथुरा/98 के साथ जो कि हाकिम पुत्र पतीला की विद्युत लाइन का तार टूटने से हुई मृत्यु एवं एक भैंस के मरने पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

स्व० श्री हाकिम पुत्र श्री बतोला की विधवा श्रीमती ओमवती को नियमानुसार रु० 20,000 की अनुग्रह धनराशि दिनांक 29-9-98 को तथा भैंस के स्वामी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री वेदराम को रु० 3000/- की अनुग्रह धनराशि दिनांक 18-4-2000 को भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़, मुबारकपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमिलो में जर्जर विद्युत तारों को बदलने की मांग

155–श्री राम प्यारे सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अमिलो में विद्युत तार जर्जर होने के कारण विभागीय कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा की दृष्टिकोण से बदलने हेतु 1997-98 में उतार लिए गए थे ? यदि हां, तो क्या उन तारों के स्थान पर नये तार लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम पंचायत अमिलो में तार वर्ष 1997-98 के बजाय वर्ष 1996-97 में उतारे गये थे।

वर्ष 1998 में नये तार लगा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र पंचायत सठियांव के ग्राम पंचायत अमिलो के उपभोक्ताओं से विद्युत भुगतान शहरी क्षेत्र के अनुसार लिये जाने के कारणों की जानकारी

156–श्री राम प्यारे सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ क्षेत्र पंचायत सठियांव के ग्राम पंचायत अमिलो ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद उक्त ग्राम के उपभोक्ताओं से विद्युत का भुगतान शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के अनुसार लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमितता का सुधार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र पंचायत सठियांव के ग्राम पंचायत अमिलो को मुबारकपुर विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बराबर की जा रही है, तद्नुसार बिलिंग भी शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के टैरिफ के अनुसार की जा रही है।

इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

अतः प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा की सदर तहसील की पानी निकासी के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक में दिया गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

157–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा की सदर तहसील की पानी निकासी के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–2/19671/मथुरा/99.

दिनांक 17-1-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद मथुरा की तहसील सदर को जल निकासी कार्य हेतु 3.00 लाख रुपया स्वीकृत किया गया। प्रभावित क्षेत्र से पम्पों द्वारा जल निकासी सुनिश्चित की गई।

158–श्री उबैदुर्रहमान–

[दिनांक 25-4-2000 को अता०प्र०सं०–161 द्वारा उत्तरित]

159–श्री समर पाल सिंह–

[5वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद बहराइच, ब्लाक जरवल, ग्राम रेउढ़ा में विद्युतीकरण पूरा कराने की मांग

160–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम रेउढ़ा, ब्लाक जरवल, जनपद बहराइच में विद्युत के खम्भे कब लगाये गये हैं ? क्या उन पर तार खींचकर विद्युत आपूर्ति नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? विलम्ब के लिए दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम रेवढ़ा में अक्टूबर 1998 में खम्भे लगाये गये हैं।

जी हां।

ग्राम रेवढ़ा के विद्युतीकरण में अनुबंधित ठेकेदार की लापरवाही के कारण तार खींचकर विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी है।

30 जून, 2000 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

ठेकेदार का अनुबन्ध निरस्तीकरण पत्र जारी किया जा चुका है।

जनपद प्रतापगढ़ नगर पंचायत पट्टी के लिये नगर विकास अभिकरण डूडा द्वारा विशेष कार्य योजना स्वीकृत किये जाने तथा उस पर कार्यवाही किये जाने की मांग

161–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत पट्टी, प्रतापगढ़ के लिए जिला नगर विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा विशेष कार्य योजना स्वीकृत किये जाने हेतु परियोजना निदेशक, डूडा, प्रतापगढ़ का पत्र सं०–85/99–2000 दिनांक 25-9-1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

विशेष कार्ययोजना को वर्ष 2000-2001 की कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने के आदेश दिनांक 17-2-2000 को दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में उत्तरांचल वासियों को ओ०बी०सी० के आरक्षण कोटा का लाभ देने विषयक शासनादेश के तहत राज्य इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी

162–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखण्ड जनमोर्चा बनाम स्टेट आफ यू० पी० के बाद के निर्णय के अनुपालन में चिकित्सा व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में उत्तरांचल वासियों को ओ० बी० सी० के 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा के अन्तर्गत लाभ दिये जाने हेतु शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1999 के राज्य इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ओ० बी० सी० के कुल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए ? उनमें से कितने उत्तरांचल वासी चयनित हुए ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

वर्ष 1999 की राज्य इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश-परीक्षा में कुल 2770 ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया जिसमें से उत्तरांचल निवासी ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों की कुल संख्या 138 थी ।

राज्य विद्युत परिषद् में अधिशाषी अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की मांग

163–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् में अधिशाषी अभियन्ता के पदों पर क्या अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त पद पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

संगत शासनादेशों एवं उ० प्र० पावर कारपोरेशन की अभियन्ता सेवा नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । याचिका संख्या–41634/99 में मा० उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त ही समय सीमा दे पाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अहिरौला के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्राम, ग्राम सभा ओरिल में विद्युतीकरण पूरा कराने की जानकारी

164–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अहिरौला के अन्तर्गत ग्राम–सभा ओरिल को वर्ष 1997-98 ई० में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के तहत उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

जनपद चम्पावत में पुल्ला पेयजल योजना के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

165–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पुल्ला पेय जल योजना जनपद चम्पावत का निर्माण कराया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पेय जल योजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

उक्त पेयजल योजना का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

जनपद प्रतापगढ़ में सैफाबाद में निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

166—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र, सैफाबाद का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण दिनांक 30-6-2000 तक पूर्व करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के नटवर नगर माधौलीमऊ में विद्युतीकरण हेतु लकड़ी के लट्ठे के स्थान पर सीमेन्ट/लोहे के लट्ठे प्रयोग किये जाने हेतु विधायक कोष्ठक में दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

167—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन क्षेत्र के नटवर नगर माधौलीमऊ, मथुरा में लट्ठे के स्थान पर सीमेन्ट/लोहे के खम्भे लगवाये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम/वि०को०/एम–5/11384/मथुरा/98, दिनांक 28-5-98 सचिव, ऊर्जा के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जनपद मथुरा में माधौलीमऊ में नटवर नगर नामक एक नवविकसित आवासीय कालोनी है । इस कालोनी में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु 6(छः) सीमेन्ट के खम्भे लगा कर लाइन बना दी गई तथा सेक्टर ''ए'' तथा सेक्टर ''डी'' की गलियों में 600 मीटर कन्डक्टर डालने का कार्य किया जा चुका है ।

जनपद मैनपुरी की नगर पालिका में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

168—श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र उनके कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम/ वि०को०/एम–2/मैनपुरी/99, दिनांक 5-10-99 के साथ जो नगर

पालिका मैनपुरी में की गई अनियमितता के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जिलाधिकारी, मैनपुरी से आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ इन्दिरा नगर के आवास संख्या–1407/11 तथा 22/640 के मध्य खड़ण्जा, सड़क निर्माण कार्यों में हुई घोर अनियमितता, लापरवाही तथा व्यय की गई धनराशि की जानकारी

169—श्री पीतम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम लखनऊ को शासन का आदेश संख्या 3687ए/9-7-93–187एल/93 दिनांक 7 अक्टूबर, 1993 तथा अर्ध० शा०पत्रांक–4383ए–9-93 दिनांक 3 दिसम्बर, 1993 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसके अनुपालन में इन्दिरा नगर के आवास संख्या–1407/11 तथा 22/640 के मध्य खड़ण्जा सड़क का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किस इंजीनियर की देख-रेख में किस ठेकेदार द्वारा किस तिथि में कितनी लम्बी-चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया और उस पर कितना धन व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण काफी पुराना है । नगर निगम स्तर पर अभिलेखों की खोजबीन की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

170—श्री लाल जी वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर के ग्राम मोजी के पुरवा में आवंटित नलकूप सामग्री की जांच कर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

171—श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, वि० वि० खण्ड जगदीशपुर, सुल्तानपुर का पत्रांक–4343 वि०वि० ख० ज० (ए) सी० टी० डब्लू० दिनांक [illegible] उपखण्ड अधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में [illegible] शिकायत की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? प्रश्नगत नलकूप के लिये आवंटित सामग्री कब और किस अवर अभियन्ता को प्राप्त करायी गयी तथा उसका उपयोग कब और [illegible] पर किया गया ? क्या जांच में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ? [illegible] ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 02-8-99 व

श्री बी० डी० श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता के सामग्री मार्च, 1994 में प्राप्त की तथा श्री जगनारायण तिवारी ग्राम–मोजी के पुरवा के निजी नलकूप की लाइन बनाकर दि० 1-8-94 को पूर्ण की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में संविदा के आधार पर लेखाधिकारी से लेकर अधीक्षण अभियन्ता तक अधिकारियों से सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवाकाल की सुविधाएं प्रदान किये जाने के संबंध में जानकारी

172—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० जल निगम में संविदा के आधार पर लेखाधिकारी से लेकर अधीक्षण अभियन्ता के एक दर्जन अधिकारियों को विगत 3 वर्ष से सेवानिवृत्ति के बाद भी सारी सेवा काल की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश जल निगम में संविदा के आधार पर लेखाधिकारी से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर तक के मात्र निम्न 74 को नियुक्त किया गया है । इन्हें संविदा पर नियुक्त करने की तिथि उनके नाम के सामने अंकित है :–

अधिकारी का नाम व पदनाम	संविदा पर तैनात किये जाने की तिथि
1–श्री ए०एन० मल्ल, से०नि० अधीक्षण अभियन्ता ।	1-5-98
2–श्री एस० के० जैन, से० नि० अधीक्षण अभियन्ता ।	17-4-99
3–श्री सी० के० गौड़, से० नि० मुख्य लेखाधिकारी ।	19-4-99
4–श्री एस० पी० शर्मा से० नि० वरिष्ठ लेखाधिकारी ।	31-7-99

उक्त अधिकारियों में से क्रम सं० 1 और 2 पर अंकित अधिकारियों को उनके द्वारा सेवानिवृत्त की तिथि को प्राप्त किये गये अंतिम वेतन तथा सेवानिवृत्त के बाद प्राप्त होने वाली पेंशन की धनराशि के अन्तर के बराबर की धनराशि प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है जिस पर कोई भत्ता आदि नहीं दिया जाता है । उन्हें नियमानुसार दूरभाष एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

क्रमांक–3 व 4 पर अंकित अधिकारियों को केवल रुपये 5000.00 प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है इसके अलावा वे अपनी पेंशन पाते हैं । पारिश्रमिक पर इन्हें कोई भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाता है । उक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा इन्हें नहीं दी गयी है ।

जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में वर्ष 1999-2000 में कतिपय गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की जानकारी

173—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत में वर्ष 1999–2000 में कुल कितने गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1999-2000 में जनपद पिथौरागढ़ में 25 ग्रामों तथा चम्पावत में 25 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

जनपद मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम् फेज–1 एवं फेज–2 कालोनी में जल निकासी हेतु स्वीकृत योजना तथा निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग

174—श्री रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम् फेज–1 एवं फेज–2 कालोनी में जल निकासी की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कितनी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ? जल निकासी का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पल्लवपुरम् फेज–1 व फेज–2 के कालोनी में वर्ष 1991 में जल निकासी की एक योजना बनायी गयी थी जिस पर कुल रु० 86.17 लाख की धनराशि व्यय होनी थी, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना पर रु० 21.99 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है । उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश तथा अभिनिर्णय घोषित न होने के कारण स्थल उपलब्ध न होने के कारण उक्त योजना उसी स्तर पर समाप्त कर दी गयी । प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध एक चकरोड सर्वे कराया गया है जिसमें योजना प्रस्तावित की गयी है । योजना पर लगभग रु० 90 लाख की धनराशि का व्यय सम्भावित है ।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उक्त योजना को पूर्ण कराने में धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में लगभग डेढ़ वर्ष लगने की सम्भावना है ।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र की ग्राम पंचायत बांसा को स्वर्ण जयन्ती ग्राम के मजरों का विद्युतीकरण कराने की मांग

175–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां की ग्राम पंचायत बांसा को स्वर्ण जयन्ती ग्राम चयनित किया गया है ? क्या उक्त ग्राम के मजरा मढ़िया महन्त वाली लल्ला खेड़ा, नेवादा एवं मढ़िया गंगाचरन का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्वर्ण जयन्ती ग्राम के मजरों का विद्युतीकरण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

धन की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटन के विकास हेतु पिथौरागढ़ घाटी विकास प्राधिकरण गठित करने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जनपद में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनाएं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां की सुरम्य घाटियों ऐतिहासिक व पर्यटक स्थलों के विकास को गति देने हेतु पिथौरागढ़ घाटी विकास प्राधिकरण गठित करेगी ? क्या सरकार को प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य सचिव को तत्सम्बन्धी प्रस्ताव सहित दिनांक 8-7-1999 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, कादीपुर क्षेत्र में स्वीकृत आई०टी०आई० शाखा कादीपुर खोलने की मांग

177–श्री काशीनाथ–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत आई० टी० आई० शाखा कादीपुर में खोल दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

कादीपुर में किराये पर उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो पाने के कारण उक्त संस्थान मुख्य आई०टी०आई० सुल्तानपुर में चलाया जा रहा है । उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर संस्थान कादीपुर में चलाया जायेगा ।

जनपद गोरखपुर हेतु पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में प्रस्तावित धोधी नाले पर बेलनहवा में आर० सी० सी० पुलिया व गोरखपुर–नौतनवां मार्ग से ग्राम बरगदवा राम सहाय तक मिट्टी से लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराने की मांग

178–श्री विनोद मणि–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में स्वीकृत धोधी नाले पर बेलनहवा में आर० सी० सी० पुलिया व गोरखपुर–नौतनवां मार्ग से ग्राम बरगदवा राम सहाय तक मिट्टी से लेपन स्तर तक के कार्य हेतु क्या धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन कार्यों हेतु कब तक धन अवमुक्त किया जायेगा ? क्या इन कार्यों को 31 मार्च, 1999 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं ।

वर्ष 1998-99 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में स्वीकृत धोधी नाले पर बेलनहवा में आर० सी० सी० पुलिया व गोरखपुर–नौतनवां मार्ग से ग्राम बरगदवा राम सहाय तक मिट्टी से लेपन स्तर तक के कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः धन अवमुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट में विद्युतीकरण हेतु बुन्देल खण्ड सन्तुलित विकास निधि द्वारा स्वीकृत धन से विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

179–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि वर्ष 1998-99 अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में विद्युतीकरण हेतु कुल कितने ग्राम/मजरे चयनित किये गये ? चयनित ग्राम/मजरों में से अब तक कुल कितने ग्राम/मजरों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा अभी कितने ग्राम/मजरे अवशेष हैं? क्या अवशेष ग्राम/मजरों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1998-99 में बुन्देलखण्ड संतुलित विकास निधि के अन्तर्गत जनपद–चित्रकूट के कुल आठ ग्राम/मजरे चयनित किये गये है ।

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण चयनित किसी ग्राम/मजरे का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । वर्तमान में बुन्देलखण्ड विकास निधि से ग्रामीण विद्युतीकरण न कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

लखनऊ राजाजीपुरम् बाई पास तिराहा के पास जल भराव, कीचड़ एवं गन्दगी दूर करने हेतु पक्की सड़क, नाली व सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में दिया गया पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

180–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाई पास तिराहा, राजाजीपुरम्, लखनऊ के निवासियों का सामूहिक प्रार्थना-पत्र जो जल भराव व कीचड़ एवं गन्दगी दूर करने हेतु 100 मीटर पक्की सड़क व नाली एवं सीवर लाइन डालने के संबंध में था, पर उन्होंने मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 22-1-2000 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आगणन तैयार कर लिया गया है और धन की उपलब्धता पर नगर निगम, की मा० कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति के उपरान्त क्षेत्रीय सभासद द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम में कार्य कराये जायेंगे ।

उपरोक्तानुसार ।

पिथौरागढ़ के थरकोट नामक स्थान में स्थित झील को पर्यटन के प्रसार हेतु विकसित करने की शासन की योजना की जानकारी

181—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ के थरकोट नामक स्थान में स्थित झील को पर्यटन के प्रसार हेतु विकसित किये जाने की कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां।

वन विभाग से भूमि हस्तान्तरण आदेश प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा, अन्यथा नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ० प्र० जल निगम लखनऊ के कामर्शियल विंग में लेखाबन्दी समय से न कराये जाने के सम्बन्ध में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

182—श्री नेतराम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–11 के उत्तर के संबंध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर के प्रस्तर प्रथम के अनुसार जब 445 में 439 कार्यों की लेखाबन्दी का कार्य वर्ष 1999 में कराया जा रहा है तो प्रस्तर दो में दर्शायें गये लाभ किस आधार पर बताये गये हैं ? प्रश्नगत कार्यों की लेखाबंदी समय से न कराये जाने हेतु कौन उत्तरदायी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

योजनाओं/कार्यों के कृत कार्यों की लागत (डब्लू आई० पी० काष्ट) पर निर्धारित प्रतिशत से सेंटेज भारित कर आय निकाली जाती है। एकूड सेंटेज ही लाभ का प्रमुख स्त्रोत/आ होती है। इसी आधार पर प्रस्तर दो में दर्शाये गये लाभ बताये गये हैं। योजनाओं की लेखाबन्दी पूर्ण होने पर आय में आवश्यक समायोजन करते हुए योजना को शुद्ध आय निकाली जाती है।

प्रश्नगत कार्यों के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच हेतु विधायक कोष्ठक में दिया गया पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

183–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बरसाना, जनपद मथुरा के अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या सी०एम/वि०को०/एम–2/30049/मथुरा/00, दिनांक 8-1-2000 प्रमुख सचिव एवं सचिव पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कायवाही हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

उक्त प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मथुरा से कराई जा रही है।

उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि० लखनऊ को हुडको द्वारा आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण उपलब्ध कराने तथा निहित शर्तों के पालन व धन के विनियोजन की जानकारी

184–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि० लखनऊ को हुडको द्वारा आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण रुपया 1100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया मार्च, 1999 में उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या उक्त धन का विनियोजन

हुडको की शर्तों के अनुसार किया गया ? यदि हां, तो किस-किस बैंक से तथा किस ब्याज की दर पर कितनी अवधि के लिये किया गया ? क्या यह भी सही है कि 6 माह के अन्दर उक्त ऋण का वितरण न किये जाने पर 19 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना पड़ा है ? यदि हां, तो ब्याज के धनराशि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी ? क्या इस हानि के लिये दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आश्रय योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने के लिये हुडको द्वारा आवास संघ के पक्ष में केवल रु० 110.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसमें रु० 50.00 करोड़ मार्च, 1999 में अवमुक्त किया गया था ।

जी हां ।

यह धनराशि बाम्बे मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ, सिंडीकेट बैंक, लखनऊ, कार्पोरेशन बैंक, लखनऊ तथा मानसरोवर अर्बन को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ में 7.5 प्रतिशत से लेकर 12.75 प्रतिशत की दर पर 30 दिनों से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिये अलग-अलग रखी गयी ।

जी नहीं ।

19 प्रतिशत ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया और न ही ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन क्षेत्र की नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा वहां के कर्मचारियों के लम्बित जी०पी०एफ० पर कार्यवाही किये जाने की मांग

185–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन क्षेत्र की नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा वहां तैनात कर्मचारियों के जी०पी०एफ० का धन निकाले जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत गोवर्धन के अध्यक्ष द्वारा वहां तैनात कर्मचारियों के जी०पी०एफ० का धन निकाले जाने का प्रकरण लम्बित है ।

इस प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी मथुरा से कराई जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक लेसा लखनऊ के अधीन रिकार्ड गायब करने, जलाये जाने आदि की एफ०आई०आर० तथा सीसी 42 के माध्यम से किये गये गबन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

186–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे [illegible] उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक, लेसा, लखनऊ के अधीन रिकार्ड गायब कर[illegible] जाने के कितने मामलों की प्रथम सूचना रिपोट वजीरगंज, थाना लखनऊ में दर्ज कराई गयी ? [illegible] सीसी 42 के माध्यम से किये 28 लाख के गबन के दोषी अधिकारियों एवं उपभोक्ताओं के नाम [illegible]यायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

रिकार्ड गायब होने की एक सूचना थाना वजीरगंज, लखनऊ में दर्ज करायी गई थी ।

विशेष सम्प्रेक्षा की आख्या के अनुसार रु० 12.68 लाख की अनियमितता प्रकाश में आयी थी । इस संबंध में श्री एस०पी० अग्रवाल, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता एवं विशेष सम्प्रेक्षा द्वारा की गई जांच में अन्तर्ग्रस्त तथा उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संलग्न है तथा उत्तरदायी उपभोक्ताओं की सूची किसी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारपोरेशन स्तर पर सतर्कता इकाई द्वारा जांच पूर्ण होने तथा सम्प्रेक्षा की अन्तिम आख्या प्राप्त होने पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 188 पर ।)

उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि का मण्डलवार ब्योरा

187–श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों के लिये मार्ग, सेतु विद्युत एवं शिक्षा आदि विकास कार्यों हेतु मण्डलवार कितनी-कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में वितरित की गयी है ? उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशियों का जिलेवार आवंटन/व्यय का ब्योरा क्या है ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों के लिए मार्ग, सेतु, विद्युत एवं शिक्षा के विकास हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का मण्डलवार ब्योरा निम्नवत् है :–

मद	कुमायूं	गढ़वाल	योग
मार्ग/सेतु	5760.43	9381.62	15142.05
विद्युत	1925.15	2644.85	4570.00
शिक्षा	2055.07	2600.68	4655.75

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त विद्युत सेक्टर में उ० प्र० जल विद्युत निगम को रु० 1042.22 लाख एवं नेडा को रु० 40.00 लाख की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत की गयी । शेष उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष माह मार्च, 2000 तक जिलेवार आवंटन/व्यय के विवरण की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 189–190 पर ।)

जनपद मथुरा नगरपालिका परिषद् सदर बाजार स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अर्हता प्राप्त वैद्य के पद पर वेतन भुगतान कराने के संबंध में विधायक कोष्ठक में दिया गया पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

188–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा नगरपालिका परिषद् सदर बाजार स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अर्हता प्राप्त वैद्य के पद का वेतन भुगतान कराये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम/वि०को०/एम– 1/25562/मथुरा/99, दिनांक 20-7-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगरपालिका परिषद्, मथुरा के सदर बाजार स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वैद्य पद के बगैर सृजित हुए बोर्ड के प्रस्ताव से अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, मथुरा द्वारा वैद्य पद पर श्री देव किशन शर्मा की नियुक्ति की गयी थी । पद सृजित न होने के कारण श्री शर्मा को वैद्य पद के वेतन का भुगतान नहीं किया गया ।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी व धारचूला भोटिया जाति सभी के अतिरिक्त अन्य सभी जातियों को जनजाति घोषित किये जाने की मांग

189–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी व धारचूला में मात्र भोटिया जाति को ही जनजाति घोषित किया गया है ? यदि हां, तो निवास करने वाली सभी जातियों की भौगोलिक/सामाजिक परिस्थितियां समान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका अध्ययन कराकर सभी जातियों के लोगों को जनजाति घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित व श्री केदार सिंह नेगी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन दिनांक 26-4-99 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

भौगोलिक परिस्थितियां समान हैं परन्तु सामाजिक परिस्थितियां भिन्न हैं ।

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जी हां ।

ज्ञापन पर निदेशक, जनजाति विकास विभाग की अनुशंसा प्राप्त की जा रही है ।

(व्यवधान)

प्रदेश में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम–300 के उप नियम (2) के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न करना चाहता हूं यदि आपकी अनुमति हो तो ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

चौधरी साहब, क्या औचित्य का प्रश्न है ।

* श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, नियम-300 के उप नियम (2) के अन्तर्गत औचित्य का यह प्रश्न करना चाहता हूं कि मान्यवर, अभी माननीय सदन के अन्दर पेयजल की समस्या पर चर्चा हो रही है । गर्मी का अवसर है हर तरफ पानी का कष्ट है और यह सरकार का दायित्व है कि लोगों को समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करे । अभी इसी सदन में पिछले दिनो ग्रामीण अंचल के लिये हैण्ड पम्प की घोषणा की गई ।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं नहीं, आप नियम-300 के उप नियम (2) को पढ़े इसमें स्पष्ट है कि तत्समय सदन के समक्ष जो विषय...

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

इस समय सदन के अन्दर जो प्रश्न उपस्थित हैं उसी से सम्बन्धित प्रश्न मैं करना चाहता हूं । अभी पेयजल की समस्या पर बात हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं नहीं पेयजल शब्द का प्रयोग कर देने से वह औचित्य का प्रश्न नहीं बन जाता । हैण्ड पम्प का आपने जिक्र किया हैण्ड पम्प से सम्बन्धित कोई चर्चा सदन में नहीं हो रही है । अगर होती और उससे सम्बन्धित प्रश्न आप उठाते तो वह औचित्य का प्रश्न बनेगा और सुना जायेगा । सदन के समक्ष यह विषय तत्समय नहीं है इसलिये मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को भी हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने 20 नगरीय विधायकों के क्षेत्र में पेयजल समस्या पर सदन के अन्दर प्रश्न उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि नगर विकास मंत्री जी से बात करके 20 नगरीय विधायकों को 50-50 हैण्ड पम्प लगवाने के लिये दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

अभी मैंने चौधरी साहब से यही बताया कि आपका प्रश्न औचित्य का नहीं है क्योंकि यह तत्समय विषय सदन में नहीं है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप सुन तो लें । व्यवस्था तो आप तब देंगे जब आप सुनेंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

आप पहले यह तो स्पष्ट करें कि सदन के सम्मुख इस समय कौन सा विषय है । नगरीय क्षेत्र में पेयजल की समस्या से सम्बन्धित कौन सा मामला चल रहा है । प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आप सुनें तो । मेरी व्यवस्था के प्रश्न को सुने बिना ही अस्वीकार कर रहे हैं । इस तरह से तो मेरे विधायक के रूप में जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है । मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, जब मैंने प्रश्न किया था उन्होंने कहा था कि विधायकों में अन्तर नहीं करेंगे और सबको हैण्ड पम्प लगाने के लिये देंगे । मान्यवर, 20 विधायक जो नगरीय क्षेत्र के हैं उन्हें हैण्ड पम्प लगाने के लिये नहीं दिये गये । इस तरह से अन्दर किया गया है ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि सभी माननीय विधायकों के लिये कहा गया था और उसमें से नगरीय क्षेत्र के 30 विधायकों को नहीं दिया गया । मैं घोषणा करता हूं कि इन विधायकों के लिये भी व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता-

इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में निरस्त करता हूं ।

(व्यवधान)

* डा० कौशल किशोर-

माननीय नगर विकास मंत्री जी ने दो जवाब दिए हैं स्कूलों में नल लगाने की योजना केवल शहरों में है एक उत्तर में यह कहा गया है और दूसरे में कहा है कि 50 नल लगाए जाएंगे उसमें कौन सा उत्तर सही है ?

श्री अधिष्ठाता-

यह आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है उसके सम्बन्ध में कहा, यदि आप मंत्री जी के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमावली में इसके लिए प्राविधान है, सुसंगत नियमों में व्यवस्था है, उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, लेकिन प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक न आने का विषय नहीं उठाया जा सकता है आप सुसंगत नियमों में नोटिस दें उसमें विचार होगा ।

(व्यवधान)

*श्री जगदम्बिका पाल-

नगर विकास राज्य मंत्री ने कहा है कि नगरीय क्षेत्र के 20 विधायकों को 50-50 हैण्ड पम्प दिये जाएंगे लेकिन प्रदेश में 20 से अधिक नगरीय विधायक नहीं हैं उससे ज्यादा हैं तो यह नगरीय क्षेत्र के विधायकों की बात करें । 20 विधायकों की बात न कहें ।

श्री अधिष्ठाता-

व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आप हैण्ड पम्प और पेयजल से सम्बन्धित चर्चा नहीं कर सकते हैं । एक व्यवसथा का प्रश्न डा० बाजपेयी ने उठाया उसको व्यवस्था के प्रश्न के रूप में निरस्त कर दिया गया है लेकिन फिर भी उत्तर दे दिया गया है, तो शासन के आश्वासन के अनुरूप कार्यवाही कर ली जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है मैंने सवाल किया था और उत्तर क्या दिया क्या कृषि मंत्री जी को ज्ञात है कि नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

डा० कौशल किशोर ने भी प्रश्न के उत्तर के बारे में कहा और मैंने कहा उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो सुसंगत नियमों में उठायें।

श्री लालजी वर्मा-

असंतोषजनक नहीं है, उत्तर ही नहीं आया है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 28 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। किन्तु श्री चेतराम, श्री हरपाल सिंह अनुपस्थित है। अतः स्वीकृत सात सूचनाओं में से निम्नलिखित पांच सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई प्रतीक्षा सूची में कोई सूचना नहीं है, शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

जनपद बांदा मे केन कैनाल सिस्टम की मुख्य अतर्रा माइनर तथा उसकी शाखाओं, रजबहों की पटरी की मरम्मत तथा उनकी तली की सफाई/खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबू लाल कुशवाहा-

महोदय, वर्तमान में जनपद बांदा में केन कैनाल सिस्टम की सम्पूर्ण नहरें माइनरें रजबहों की पटरियों व तट जगह- जगह पर टूट गये हैं, ध्वस्त है, तथा नहरों की तली में मिट्टी भराव, खरपतवार के जाम होने से केन कैनाल सिस्टम सिंचाई हेतु बेकार हो गया है।

मुख्य अतर्रा माइनर तथा उससे निकलने वाले माइनर रजबहों की पटरियों की मरम्मत तली की सफाई, खोदाई समय-समय पर न कराये जाने से हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित है तथा टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। नहरों की जगह- जगह पटरियां टूटी होने से अति जल भराव हो जाने से हर वर्ष फसल रबी, तथा खरीफ सड़ जाती है तथा धन जन की हानि होती है जिससे क्षेत्र की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

उपरोक्त तथ्यों के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा केन कैनाल सिस्टम की उक्त मुख्य अतर्रा माइनर तथा उससे निकली नहरे माइनरों रजबहों की पटरी की मरम्मत तथा उनकी तली की सफाई, खुदाई कराने की मांग करता हूं।

अल्प संख्यकों विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने एवं उनके हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[मान्यवर, भारत का संविधान का भव्य मंदिर उददेशिका की आधारशिला पर बना है जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक,राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गयी है । इसी आधार पर संविधान सभा के सम्यक विचारोपरान्त मूल अधिकार में संविधान के अनुच्छेद -25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद–29 एवं 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है । किन्तु दुर्भाग्य से मथुरा में सेकेण्ड हार्ट स्कूल में 6 अप्रैल को प्राचार्य पर हमला, 10 अप्रैल संत डोमनिक स्कूल पर फादर जोसेफ डोमरे की पिटाई , कोंसी कला में फादर के० के० थामस एवं उनके साथियों पर बुरी तरह हमला करके उनकी बेइज्जती किया जाना, आगरा में 22-4-2000 को ईसाई धर्म प्रचारकों की टोली पर बुरी तरह हमला एवं उनके साहित्य को जलाया जाना ऐसी घटनायें हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि किसी सुनियोजित षडयंत्र की तहत उनका उत्पीड़न किया जा रहा है तथा इस प्रकार उनके साथ अत्याचार करके संविधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है । इस घटनाओं से ईसाई समुदाय बहुत ही आतंकित एवं भयभीत है । यह भी ज्ञात हुआ है कि इन घटनाओं के पीछे बजरंग दल एवं उनके सहयोगियों का हाथ है ।

अभी तक कोई विशेष कार्यवाही उनके विरूद्ध नहीं की गयी है जिससे और भी स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है । जिससे हमारा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है ।

इसलिए मैं इस संविधानिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपकी अनुमति से सदन में उठाकर चाहता हूं कि सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही करे ताकि साम्प्रदायिक सद्भाव एवं बन्धुता को बिगाड़ने वाली ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके ।]

विद्युत वितरण खण्ड बहराइच से सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता के निवृत्त देयकों का भुगतान करने के सम्बन्ध में नियम -301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह-

[महोदय, श्री मु० काजी जिलानी खां 30-6-96 को अवर अभियन्ता के पद से विद्युत वितरण खण्ड बहराइच से सेवा निवृत्त हुये लगभग साढ़े चार वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उनके सेवा देयकों का भुगतान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बहराइच द्वारा नहीं किया जा रहा है इस बीच -5-1-98 को एक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है धन के अभाव मे बहुत ही परेशान है और विकलांग हो गये हैं ऐसी पस्थितियों में तत्काल उनके सेवा निवृत्त देयकों का भुगतान कराया जाये और उनमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बागपत के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय किसानों की भूमि जो हरियाणा के किसानों के कब्जे में है, को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

*श्री रूप चौधरी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा तहसील जनपद बागपत अन्तर्गत मवीकला, काठा, सकरौद, नगला आदि गांवों के किसानों की भूमि यमुना नदी के कारण हरियाणा सीमा से लगी हुई है । हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा को 1971 में दीक्षित अवार्ड द्वारा निर्धारित कर दिया गया था । चूंकि यमुना नदी प्रत्येक वर्ष अपनी धारा बदलती रहती है और हरियाणा राज्य द्वारा अपनी ओर पक्के पुश्ते बांध बना दिये जाने के कारण यमुना ने पूर्व दिशा की ओर बह रही है जिसके कारण हमारे किसानों की जमीन

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यमुना के पार पश्चिम दिशा में चली गयी है । हरियाणा सरकार व पुलिस के संरक्षण में वहां के किसान मेरे क्षेत्र के किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा करके उनकी फसल काट ले जाते हैं । इस प्रकरण को लेकर कई बार विवाद और खूनी संघर्ष भी हो चुका है । इसी प्रकार के विवाद निकटवर्ती जनपद मुजफ्फरनगर-सहारनपुर बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर आदि जनपदों में भी है । जिसके कारण उत्तर प्रदेश की लाखों एकड़ भूमि पर हरियाणा के किसानों ने कब्जा कर लिया है जो कि हर प्रकार से गैर कानूनी और असंवैधानिक है ।

अतः आपसे प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करवाकर दीक्षित अवार्ड द्वारा चिन्हित सीमा का पालन करवाने के लिए सरकार को आदेश देने और हमारे किसानों की जमीनों से कब्जा हटवाकर उन्हें वापिस दिलवाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी में नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत उमरांवा से तेरिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धर्मराज निषाद–

[महोदय, विकास खण्ड भीटी जनपद अम्बेडकर नगर में लगभग सन् 93-94 में उमरांवा से तेरिया सम्पर्क नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है । पैसा भी दिया गया है परन्तु उक्त सड़क पर मात्र गिट्टी बिछा दिया गया है । रोलर भी नहीं चलाया गया जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है । कई बार शिकायती-पत्र भी दिया परन्तु लोक निर्माण विभाग अम्बेडकर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है । उक्त सड़क का बनना अति आवश्यक है । यह क्षेत्र जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । बरसात के दिनों में किसी साधन से तेरिया, पमोली, भल्लेपुर, पूरेदरबार आदि ग्राम पंचायतों में नहीं जा सकते हैं ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उमरांवा, तेरिया सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य तत्काल कराने का कष्ट करें ।]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 में शब्द 'झगड़ा' के स्थान पर शब्द 'विवाद' रखे जाने हेतु औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 28-4-2000 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री शाक्य जी की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी यह जो कल एक विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था, उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 इसमें हमारा यह कहना है कि हिन्दी बड़ी विशाल भाषा है । जो शब्द झगड़ा है वह उचित नहीं प्रतीत होता है । इसका रूपान्तर विवाद भी हो सकता है । हमारा माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से अनुरोध है कि कोई दूसरा विधेयक ले आयें और उसमें विवाद शब्द हो जाय तो अच्छा होगा । इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा था श्री रवीन्द्र शुक्ला जी ने भी यह विचार व्यक्त किये थे कि यह शब्द उचित नहीं है । इसको विवाद कर दिया जाय । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी जो सूचना आयी थी मैंने उसको पढ़ा । पढ़ने के बाद मूल अधिनियम निकलवाया । मूल अधिनियम में इसका नाम संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट है । 1950 में संयुक्त प्रान्त शब्द एक आदेश द्वारा बदल दिया गया और जहां-जहां संयुक्त प्रान्त का नाम लिया गया है वहां उत्तर प्रदेश हो गया, तो वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा ऐक्ट हो गया । तो मूल अधिनियम जिसका संशोधन किया गया वह उत्तर प्रदेश झगड़ों का ऐक्ट करके उल्लेख है । उसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । मूल अधिनियम जो है उसमें भी वही नाम है ।

श्री राम औतार शाक्य–

झगड़ा की जगह विवाद कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

वह बात अलग है ।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, कल जो विधेयक लाया गया औद्योगिक झगड़ा संशोधन विधेयक, अधिनियम जिसका कोई कानून उत्तर प्रदेश में प्रचलित ही नहीं है, उस पर संशोधन कैसे आ सकता है ? हम तो जो अधिनियम है । उसके अन्दर ही संशोधन कर रहे हैं । जो मूल अधिनियम है जिसे हम संयुक्त प्रान्त इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट, 1947 जिसका नाम है अब जो संशोधन कल आयेगा । वह है उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा विधेयक तो जो टाइटिल है, वह को-रिलेट नहीं करता है तो जो संशोधन प्रस्तावित है, उसका मूल अधिनियम में कैसे एडाप्ट किया जा सकता है ?

आपने खण्डशः विचार किया कि प्रस्तावना और शीर्षक उस अधिनियम के बन गये तो जब प्रस्तावना और शीर्षक ही अलग हो गये तो उस अधिनियम का अंग कैसे बन सकता है ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ा ऐक्ट, 1947 है और उसका संशोधन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25, 1950 उसके बाद उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–23, 1953 है । मान्यवर, संयुक्त [illegible] को भी आगे संशोधित करके उत्तर प्रदेश उसमें आ गया । इसका नाम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा [illegible]धन अधिनियम यह हो गया । इस अधिनियम में लायेंगे संशोधन तो इस अधिनियम में ही लायेंगे । मान्यवर, इसका नाम आज से नहीं जब से मूल अधिनियम बना 1947 में, तब से झगड़ा शब्द इसमें इस्तेमाल होता रहता है । आपसे आग्रह है कि आप इस झगड़े में पड़े ही मत ।

श्री अध्यक्ष–

जैसे यू०पी० लैण्ड लांज [illegible]ण्डमेंट ऐक्ट आया था और उस ऐक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, उ० [illegible] लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट और 2-4 अधिनियम संशोधित किये गये थे जो जो संशोधित करने वाले अधिनियम हैं तो उसका नाम कुछ हो सकता है जिस अधिनियम में संशोधन किया जाय, उसका नाम शुद्ध होना [illegible] ।

कल विधेयक जो आया उसमें [illegible] झगड़ों का ऐक्ट, 1947, यही नाम 1947 के मूल में रखा है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न [illegible] मैं इसे निरस्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर शासन से कृत कार्यवाही का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं आपको लगातार सरकार द्वारा और इस प्रदेश के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने दिनांक 3 जुलाई, 98 को नियम–51 के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुलहरिया विकास खण्ड खिलौली जनपद उन्नाव की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से संबंधित आपको दिया था जिस पर आपने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार को अनुदेश संख्या–19 की अपेक्षानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्देश दिया था लेकिन 1 वर्ष 10 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा उक्त सूचना पर क्या कार्यवाही की गयी है, अवगत नहीं कराया गया है। मान्यवर, भू-माफियाओं द्वारा उक्त स्कूल की भूमि को खाली कराने का काम किया गया है या नहीं किया गया है और जिन्होंने यह काम किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, यह आज तक अवगत कराने का काम नहीं किया गया है।

मान्यवर, दूसरा दिनांक 20 जुलाई, 1998 को नियम–51 के अन्तर्गत मैंने दिया था जिसमें मैंने आपको सूचित किया था कि गुलहरिया ग्राम सभा में 1997-98 और 98-99 में लगातार जो ग्राम सभा के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना का धन ग्राम विकास हेतु भेजा गया है, दशम् वित्त आयोग का धन भेजा गया है, यह दूसरी योजना के तहत भेजा गया है, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उस धन को ग्राम के विकास में खर्च न करके गलत तरीके से भ्रष्टाचार तरीके से उसको निजी हित में खर्च करने का काम किया गया है। मान्यवर, एक लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इन दोनों सूचनाओं का जबाब नहीं दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है। और आप इस पर सरकार को निर्देश दें कि वह मुझे इससे अवगत करायें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है कि उनको जानकारी नहीं दी गयी है मैं इनको दिखवा लूंगा। इनको जानकारी मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

इनको जानकारी मिल जानी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि शासन समय से सूचनाओं को देने का प्रयास हमेशा करे। इसके साथ ही इसका निस्तारण किया जाता है।

जनपद मैनपुरी के निर्वाचन क्षेत्र करहल के कतिपय मार्गों के सम्बन्ध में लोक निर्माण मंत्री द्वारा गलत बयानी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

मेरे पास कुछ सूचनाएं और आयी हैं। नियम–300 में एक सूचना माननीय बाबूराम यादव की है, यह नियम–300 में कैसे आयेगी ?

* श्री बाबूराम यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था और मैंने लिखा कि अमुक-अमुक मार्ग हमारे क्षेत्र के जो लोक निर्माण विभाग के हैं और उनकी मरम्मत वर्षों से नहीं हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने किस तिथि को उत्तर दिया है जिसका उल्लेख आपने अपनी सूचना में किया है। आपने सूचना में तारीख नहीं लिखी है।

श्री बाबूराम यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे मंगलवार।

श्री अध्यक्ष–

तो यह आना चाहिये। सरकार से उत्तर मागूंगा तो यह तो पहले मालूम हो कि किस तारीख का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री बाबूराम यादव–

उत्तर यह आया कि अमुक-अमुक मार्ग लोक निर्माण विभाग के हैं और जामई -बाछई मार्ग मंडी समिति का है। जबकि मंडी समिति के सचिव ने मुझको लिखकर भेजा कि यह लोक निर्माण विभाग का मार्ग है। इस प्रकार दो तरह का जवाब आया है। अतः इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय मंत्री जी का उत्तर गलत है, निराधार है, सत्य से परे है तो निर्देशों में भी व्यवस्था है, 165-166 किस बात के लिये है ? आपकी सूचना नियम–300 में नहीं आती, अस्पष्टता के आधार पर और चूंकि नियमों में इसके उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। अतः इस आधार पर यह सूचना निरस्त की जाती।

सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र के आधार पर उठाया गया औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल की है, यह नियम–300 में नहीं आती। मैं सूचना के गुण-दोष पर नहीं जाऊंगा। एक मंत्री ने अपने मुख्य मंत्री को पत्र लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मैं तो आपके आदेश को सदैव मानता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपके अनुभव से सदन लाभान्वित होगा, आप कई बार सदस्य रह चुके हैं, मैं भी लाभान्वित होऊंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं तो आपसे सीखने का प्रयास करता हूं। भविष्य में भी आपको अंगीकार करूंगा। आपने तो बड़े-बड़े ऐतिहासिक फैसले दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–300 जो औचित्य प्रश्न के संबंध में है, कृपापूर्वक उसे देखने की कृपा करें। औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा भी देख लें, औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि औचित्य का प्रश्न दो बार में उठाया जा सकता है । इस प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन हो या जो भारत का संविधान पवित्र पुस्तक है, उसके किसी अनुच्छेद के उल्लंघन, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो, वह प्रश्न उठाये जा सकते हैं । भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(2) में स्पष्ट रूप से दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मंत्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं विषय के बाहर जाऊं तो आप रोक दीजियेगा । इसमें दिया है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । सामूहिक रूप से आपको परिभाषित करेंगे, आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है ? मान्यवर, किसी मंत्रि-परिषद् का सामूहिक दायित्व है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी नीतियां होंगी, नीतिगत निर्णय होंगे, कार्यक्रम होंगे, उन नीतियों और कार्यक्रमों में प्रदेश के सभी मंत्रियों की सामूहिक रूप से भागदारी होगी । अगर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यह निश्चय किया है कि इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, मुख्य मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, उन्होंने यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया है, प्रदेश के कई अधिकारियों के खिलाफ बिजलेंस की कार्यवाही चल रही है, मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री की नियत साफ है, अगर उसकी प्रेरणा पाकर प्रदेश मंत्रिमण्डल के ही कुछ उदीयमान, ऊर्जावान मंत्री हैं जो मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री की मंशा के अनुरूप काम करना चाहते हैं । हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री श्री विवेक कुमार सिंह ने निश्चय किया कि मुख्य मंत्री की मंशा जैसी है, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और उसी आधार पर उन्होंने हरिद्वार में जहां करोड़ों की चोरी हो रही है....

श्री अध्यक्ष–

एक मंत्री ने केवल मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है । यह नियम–300 में नहीं आता, अन्य किसी नियम में लाना चाहें तो ला सकते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, [x x x].....

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मेरा आग्रह है, माननीय पाल साहब ने जो सूचना दी है, नियम–300 के अन्तर्गत, यह इसमें नहीं आती है । यह विषय से सम्बन्धित नहीं है इसलिए आप इसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश दे दिया है । सूचना से सम्बन्धित एक बात इतनी है कि एक मंत्री ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, इससे इस सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

केवल सदन की अवमानना पर ही किसी अधिकारी को सदन में बुलाया जा सकता है । राज्य मंत्री सदन के सदस्य हैं और एक राज्य मंत्री ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का आपस में पत्राचार, विभागों का पत्राचार, एक व्यक्ति की राय से दूसरा व्यक्ति सहमत न हो, उससे सदन की कार्यवाही विनियमित नहीं होती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो आप निर्णय लेंगे वह भविष्य के लिए एक नजीर बनेगा । यह सदन इस तरह के विषय पर बौद्धिक ढंग से चर्चा करता है । हमारी कदाचित् किसी की आलोचना करना या किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है । प्रदेश के मंत्रियों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन हो रहा है । आज अनेक मंत्री घुटन महसूस कर रहे हैं । वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह आंतरिक व्यवस्था है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, दो पन्ने का पत्र है । जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पत्र का कोई उद्धरण नहीं लिखा जायेगा । मैंने आपसे ग्राह्यता के बारे में कहा था । मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, इससे सदन की कार्यवाही का विनियमन नहीं होता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । नियम–14 के अनुसार अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी । यह आपकी पीठ से जो निर्णय आ चुका है । उस पर आपत्ति हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी वह अपनी राय प्रकट कर रहे हैं और मैं अपनी राय प्रकट कर रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं । जब अनुमति नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा । संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबन्धित किया गया है । इसमें 164(2) में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

वह उत्तरदायित्व का भार डाल दिया गया है । संविधान के द्वारा, उससे इस सदन की कार्यवाही का विनयमन नहीं होता है । मैंने 10 मिनट आपको दे दिया ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक मिनट मुझे दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक व्यक्ति को सुन लिया है । माननीय पाल जी से कोई बात छूटी नहीं है । केवल बोलने के लिए बोलना हो तो दूसरी बात है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद्, राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात आ गयी है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

सामूहिक उत्तरदायित्व का जो संवैधानिक सिद्धान्त है आज उसकी अवहेलना हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी सम्मानित सदन में विगत दिनों अपना भाषण दे रहे थे । उन्होंने अवगत कराया कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए वह कृत संकल्पित हैं ।

श्री अध्यक्ष–

भाषण में तमाम बातें कही जाती हैं लेकिन वह सभी बातें सदन की कार्यवाही के विनियमन से नहीं जुड़ी रहती । अगर कोई बात है तो सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वह बात सदन में लाई जाती हैं ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । यह आन्तरिक मामला है ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है, संविधान के 164(2) का जिक्र हम लोगों ने इस सूचना के माध्यम से किया है, उसकी अवहेलना हो रही है । यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप उसी बात को दोहरा रहे हैं जो माननीय पाल जी ने व्यक्त कर दी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164(2) का प्रतिदिन यहां पर हवाला दिया जा रहा है । यह पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमण्डल लगभग प्रत्येक दिन प्रदर्शित करता है कि हम सामूहिक रूप से विधान सभा के सामने उत्तरदायी हैं । इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए । आप बाहर की बातों का हवाला देकर के जो लाना चाहते हैं उसमें आप न सफल हो पाये हैं और न हो पायेंगे । .....

(श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा माननीय राज्य मंत्री जी का पत्र प्रदर्शित करने पर)

मान्यवर, किसी चीज को यहां पर प्रदर्शित करना आचरण के विरुद्ध है । आप नियमावली को पढ़ लें और नियमों को पढ़ लें । हमारा शिष्टाचार होना चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए । मेरा यह आग्रह है । मान्यवर, हमारा आपसे सदैव कम्युनिकेशन होता रहा है और होता रहेगा । हम माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी हमें पत्र लिख सकते हैं, इसका कार्य संचालन नियमावली से क्या सम्बन्ध है ? हम एक स्वर से बोलते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ चलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । मान्यवर, इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष

माननीय जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इसे निरस्त करता हूं क्योंकि यह नियम–300 में नहीं आती है ।

प्रदेश में अवैध जहरीली शराब का धन्धा बड़े पैमाने पर चलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना राम विशुन आजाद की है । माननीय आजाद जी कहीं जहरीली शराब से मृत्यु हो गयी तो यह 300 में कहां से आती है ?

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से तमाम लोगों की मृत्यु हो रही है ।

लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता संघ के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र को पूर्व निर्धारित समय पर सदन में न बुलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कल एक बजे आपने एक व्यक्ति को बुलाने का समय निर्धारित किया था ।

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना नियम 300 की शेष है उसके बाद मैं बुला लूंगा । वह समय किसी संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है । मेरे द्वारा निर्धारित है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, आपके ही निर्देश हैं, उसका स्मरण करा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मार्शल ने सूचना दी है कि वह व्यक्ति उपस्थित हैं ।

प्रदेश में अवैध जहरीली शराब का धन्धा बड़े पैमाने पर चलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

राम विशुन आजाद जी यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है। इसे आप किसी संकल्प, प्रस्ताव या नियम–52 में ले आयें। श्री राम विशुन आजाद जी की सूचना नियम–300 में नहीं आती है। अतः इसे निरस्त किया जाता है।

लोक निर्माण मंत्री द्वारा अभियन्ता संघ के आरोपित पत्र पर व्यथित होकर सदन में दिये गये त्याग-पत्र पर श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार अभियन्ता संघ के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र के सदन में उपस्थित होने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मार्शल कल मैंने निर्देश दिया था, उस निर्देश से सम्बन्धित व्यक्ति को बुलायें।

(मार्शल द्वारा अभियन्ता संघ, लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र को सदन में लाया गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने ज्ञानवर्द्धन के लिए यह जानना चाहता हूं कि आपने आज एक अभियन्ता को जिनके पत्र का संदर्भ आया था। उनको यहां पर आपने बुलाया है। संविधान के अनुच्छेद 288 में है कि कोई सदस्य जो शपथ नहीं लिया है अगर वह यहां पर आता है, बैठ जाता है तो उस पर जुर्माने की व्यवस्था है। कोई भी सदस्य जब तक सदन में आकर शपथ नहीं लेता है तब तक वह एक अजनबी के रूप में ट्रीट किया जाता है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि भारत के संविधान या नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत, जो आपने निर्देश दिया है और एक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है ? चूंकि यह औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि नियमावली के नियम 300 में जो औचित्य के प्रश्नों की शर्तें हैं उसमें औचित्य का प्रश्न इन नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेद का जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है। यह सदन की कार्यवाही है जो इस समय तत्काल होने जा रही है। यहां ऐसे प्रश्न उठाये जायेंगे जो माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में होंगे तो इस समय जिस मामले में कार्यवाही होने जा रही है, वह आपके संज्ञान में है। आज की जो कार्यवाही और जो निर्णय होगा वह उत्तर प्रदेश के विधान सभा के इतिहास में हमेशा के लिए एक नजीर बनेगी। इसलिए मैं चाहूंगा जो भी कार्यवाही की जाये, वह नियम और भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप की जाये। कौन-कौन अनुच्छेद हैं, नियमावली के क्या नियम हैं, जिनके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जिससे मेरा ज्ञानवर्धन होगा। वह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो प्रश्न वर्मा जी ने उपस्थित किया है उसके अलावा मुझे दूसरा प्रश्न नहीं करना है। मान्यवर, आपका आदेश है, आपका विनिश्चिय है और आपने अपने निर्णय लिया है इसके औचित्य पर जो व्यवस्था आपने दिया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस व्यक्ति को यहां बुलाया गया है, उसे इस सदन में अभियुक्त के तौर पर नहीं बुलाया है। यदि अभियुक्त के तौर पर नहीं बुलाया है तो उसे अभियुक्त की तरह खड़े रखना उचित नहीं होगा, वैसे जैसा आप उचित समझें, मेरी राय है कि उन्हें ससम्मान बैठा दिया जाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उनको अभियुक्त के रूप में नहीं बुलाया है, उनको बिठा दिया जाना चाहिए, यदि अभियुक्त के रूप में बुलाया जाता है तो औपचारिक रूप से सदन को न्यायालय के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसके लिए एक निश्चित स्थान है ।

(अभियन्ता संघ के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र सदन में लायी गई कुर्सी पर बैठाये गये ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इसमें आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दिया । आपने श्री बी० आर० वर्मा और श्री अम्बिका चौधरी जी को सुना और उन्होंने जिस संदर्भ में उल्लेख किया है उसमें कल आपने विनिश्चय किया था कि उत्तर प्रदेश के अभियन्ता संघ के अध्यक्ष को यहां उपस्थित किया जाय । मान्यवर, इस सदन की परम्पराएं रही हैं, समय-समय पर अधिकारी या जिन्होंने इस सदन की अवमानना किया है उन्हें, बुलाया गया है, 12 वर्ष पूर्व तथा और भी समय पर लोगों को बुलाया गया है । यह सदन अपने आप उच्च है और आप इसे न्यायालय में परिवर्तित कर सकते हैं तथा आपकी पीठ से निर्णय लिया जा सकता है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा जिस पर आज के पहले यहां चर्चा हुई और उस पत्र के आधार पर इस सदन की अवमानना बनती है कि नहीं, विचार किया गया है । एक बात उठी, जब सदन की अवमानना होती है तो आरोपी को अभियुक्त की तरह यहां बुलाया जाता है लेकिन आपने अभियन्ता संघ के अध्यक्ष को आरोपी की तरह यहां नहीं बुलाया है बल्कि उसे यहां उपस्थित होने के लिए कहा है । मान्यवर, सदन का समय बहुमूल्य होता है । आरोपी की तरह वह नहीं आयें हैं, तो सदन में किन नियमों के तहत उनका साक्ष्य लिया जायेगा चूंकि यह सदन अदालत के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है और वह आरोपी नहीं है । मान्यवर, इस सदन में वही भाग ले सकते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं अथवा ऐडवोकेट जनरल यहां बैठ सकते हैं । उसके अलावा मंत्रि-परिषद् के सदस्य के रूप में भी बुलाया जाता है जो सदस्य के रूप में ट्रीट किये जाते हैं । आप जो निर्णय लेंगे, वह शिरोधार्य होगा लेकिन इस सदन में जो व्यक्ति आरोपी नहीं है, कटघरे में नहीं है, अवमानना का दोषी नहीं है तो किन परिस्थितियों में, किन नियमों के तहत उस व्यक्ति को आपने उपस्थित किया है और साक्ष्य के लिए बुलाया है ?

श्री मुन्ना चौहान–

अध्यक्ष जी, अभी माननीय बी० आर० वर्मा० जी ने पाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उससे जोड़ते हुए सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा जैसा कि जिक्र किया गया कि सदन की कोई अवमानना का कोई मामला बनता हो तो उसमें आपकी अनुमति से कार्यवाही प्रचलन में आती है । उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है एक्यूज्ड के रूप में किसी व्यक्ति को विधान सभा में तलब करने के लिए पहले उसे सम्मन जारी किया जाता है अगर वह सम्मन को डिनाई करे तब वारंट जारी की जाती है तथा उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और यह सदन अदालत के रूप में तब्दील हो सकता है जिसमें जज की भूमिका आप अदा करते हैं दूसरे संविधान की मूल भावना पर हम आ जाएं ।

एक व्यक्ति की हैसियत से कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं । किसी अदालत में भी हम दो मामलों में पेश हो सकते हैं या तो गवाह के रूप में या मुल्जिम की हैसियत से । आपने स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी विशेष को मुल्जिम की शक्ल में तलब नहीं किया गया है । ऐसे में स्पष्ट है कि गवाही की शक्ल में उसको तलब किया गया है । एक व्यक्ति को संविधान के तहत कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं । उसको बिना किसी आधार के किसी न्यायालय में भी तलब नहीं किया जा सकता है । हमारी चिन्ता इस बात की है, कोई विधायक हो सकता है, कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है, किसी पद पर हो सकता

है लेकिन आम नागरिक को जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह सरकारी अधिकारी को भी प्राप्त है, जनप्रतिनिधियों को भी प्राप्त है, कहीं विधान सभा की कार्यवाही से ऐसा न लगे कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम इण्टरफीयर कर रहे हैं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा। निश्चित रूप से सम्पूर्ण सदन इस विषय पर आपका मार्ग दर्शन चाहेगा ताकि ऐसी परम्परा कायम की जाए जिसको ग्लोरियस परम्परा के रूप में याद किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

मैं खुले मस्तिष्क से बैठा हूं। जो अध्यक्ष होता है वह भी नियमावली, संविधान सबसे बंधा रहता है किसी के मन में कोई बात ऐसी न आए। कोई पूर्वाग्रह की बात नहीं है। संविधान में या नियमावली में बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनकी आपको जानकारी हो और मुझे न हो। मैं खुले मस्तिष्क से विचार कर रहा हूं। कोई पूर्वाग्रह नहीं है। अगर आपका आशय यह है कि न बुलाएं तो मैं वापस भेज दूंगा।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह सदन सर्वोच्च है आपके क्या अधिकार हैं, उनको मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद–19 जिसमें फ्रीडम आफ स्पीच एण्ड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आपके निर्णयों पर मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आपका जो निर्णय होगा वह आने वाली नस्लों को प्रभावित करेगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर रह कर टीका-टिप्पणी करता है तो क्या हर उस व्यक्ति को हर दिन सदन में बुलाया जायगा ? विपक्ष का काम बोलना है, और सत्ता पक्ष का काम सुनना है। ट्रेड यूनियन में लोग अपनी बात कहते हैं। मैं कलराज मिश्र जी को बधाई देता हूं कि ऐसे मौके पर उन्होंने त्याग-पत्र देने का साहस किया। वह स्वीकार होगा या नहीं, यह मुख्य मंत्री जी पर निर्भर है। जो भी आरोप लगाये गये हैं, सरकार को उसकी जानकारी करनी चाहिये। उसके बाद ही मान्यवर, किसी को सदन के समक्ष बुलाया जाना चाहिए था। यहां इसी सदन में कई बार कटघरा खड़ा किया गया। सदन की अवमानना का सवाल था। यहां प्रश्न केवल इतना है कि इन अभियन्ता को किस हैसियत से बुलाया गया है, अगर कोई व्यक्ति एक पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखता है, किसी मंत्री जी को लिखता है, विधायक को लिखता है तो क्या यह सदन रोज ऐसे व्यक्तियों को सदन में बुलायेगा ? यह एक मौलिक प्रश्न है। इस छत के नीचे जो निर्णय होगा वह भारत के प्रजातंत्र को दिशा-निर्देश देगा। आज कुछ अधिकारीगण विधायकों को पूरा सम्मान नहीं देते, विधायक और मंत्रियों के लिये तरह-तरह की बातें करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत विद्वान है, उनको काफी तजुरबा भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस स्कूल से सम्बन्धित हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की परम्परा थी, मान्यवर, आपसे निवेदन है कि जो भी निर्णय लें सारी बातों को ध्यान में रखकर लें, उन प्रजातांत्रिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये लें, जो दूसरे सदनों में भी पिछले समय में हुई हैं, उनको भी ध्यान में रखें। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम–305 की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा जिसमें "अध्यक्ष द्वारा अजनबियों के प्रवेश का विनियमन–सदन के परिसर के उन भागों में जो केवल, सदस्यों के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा। दूसरा मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 193 की ओर आकृष्ट करता हूं। मैं पढ़ देता हूं " अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति-यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह

जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो यह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपये की शक्ति का भागी होगा जो राज्य का देय ऋण के रूप में वसूल की जायेगी । मान्यवर, जिस अधिकारी को बुलाया गया है, वह न तो इस सदन का सदस्य है और न ही सदस्य की परिभाषा के अन्दर कहीं से आता है और न ही आप द्वारा इस सदन को न्यायालय में परिवर्तित किया गया है तथा उनके ऊपर न कोई अवमानना तथा विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है । इस तरह से उनका इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिये इस पर हम अपना ज्ञानवर्धन चाहेंगे । क्योंकि जो वह स्पष्टीकरण देंगे, वह कार्यवाही में अंकित होगा । मैंने नियम 291 क, नियम 305 तथा संविधान के अनुच्छेदों 188,193 के अनुसार कोई भी अजनबी किसी तरह से सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है । यह प्रकरण विधान सभा के संज्ञान में है और सदन की कार्यवाही से संबंधित है, इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आपने मुझे आज एक गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया । धन्यवाद । लोकतंत्र में लोकसत्ता की रक्षा करने का सम्पूर्ण भार इस आदरणीय सदन पर है । यह सदन सर्वोच्च है । इन 50 वर्षों में जिस तरह से जन-प्रतिनिधियों का समादर गिरा है, उसकी सत्ता को धीरे-धीरे कमजोर करने का षडयंत्र किया जा रहा है । पूरे देश में तथा प्रदेश में जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का षडयंत्र किया जा रहा है । लोकतंत्र में चूंकि जनप्रतिनिधियों पर सारी शक्ति केन्द्रित होती है, यदि वह कमजोर हो जायेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जायेगा इसलिये इसकी रक्षा करने का दायित्व इस आदरणीय सदन पर है । यहां पर बैठे हुए सभी लोगों को इससे सहमत होना चाहिये कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान जन प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना एक चिन्तनीय बात है । इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर हमें इस पर बात करनी चाहिये । यदि लोकतंत्र कमजोर होगा तो जनता हमें माफ नहीं करेगी । आरोप लगाकर प्रजातंत्र को चुनौती देकर कमजोर करने का काम किया जा रहा है । इसलिये मान्यवर, आज आप जो करेंगे वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये मापदण्ड बनेगी । धन्यवाद ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, नियमों तथा परम्पराओं के अनुसार आप काम करते हैं ।

(व्यवधान)

परम्पराओं को मैं जोर देकर कह रहा हूं । श्रीमन्, चूंकि इसका मकसद केवल यह था कि एक दस्तावेज का सत्यापन करना था मान्यवर, हम अदालत में भी मुकदमा लड़ते हैं तो श्रीमन् मैं आपसे इस दृष्टि से जरूर कोई दिशा निर्देश चाहूंगा कि आप सदन का मार्ग-दर्शन करें । जो डाक्यूमेन्ट है, उसके सत्यापन का, उसका कोई दूसरा रास्ता निकाल लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप कैसे मान लेते हैं कि सत्यापन के लिये बुलाया है ? यह अवधारणा मन से निकाल दीजिये कि मैंने उस दस्तावेज के सत्यापन के लिये बुलाया है । वह तो दस्तावेज जो भी हो, माननीय सदस्य ने उसका उद्धरित करके अपने भाषण का अंग बना दिया, वह सत्य हो न हो ।

* श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि यह जो चर्चा चल रही है...

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है वह तो विभिन्न माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का गम्भीर प्रश्न उठाया, संविधान के नियमों और निर्वचनों से संबंधित उठाया है ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मेरा कहना है कि जब तक यह चर्चा हो रही है तब तक इनको हाल से बाहर कर दें, जब पीठ से निर्णय हो जाय तब बुला लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय हो गया है । उनका भी ज्ञानवर्धन हो जायेगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था के प्रश्न के रूप में कुछ बिन्दु यहां पर उठाये गये । संविधान के अनुच्छेदों का भी उल्लेख किया गया, नियमावली का भी उल्लेख किया गया और जिज्ञासा यह दर्शायी कि किस नियम में, किस अधिकार से अमुक व्यक्ति को यहां पर बुलाया गया है ? अपने-अपने कुछ निष्कर्षों का भी यहां उल्लेख किया गया । मान्यवर, कल स्थिति विशेष यहां बनी और कुछ बिन्दुओं पर आपने कृपापूर्वक जानना चाहा कि क्या बिन्दु हैं, क्या नहीं ? सदन की भावानाओं को देखते हुए आपको निष्कर्ष निकालने का अधिकार है । सदन की भी यही भावना बनी कि इस पर आगे और जानने की आवश्यकता है । यह निर्णय स्पीकर लेते हैं, यह अधिकार आपको प्राप्त है । जो हमारे माननीय सदस्य इस बात को चुनौती देते हैं कि किस अधिकार से बुलाया ? मैं आपकी अनुमति से नियम–313, जिसमें सारे अधिकार प्राप्त है । जिसके बारे में इन नियमों में प्राविधान नहीं है तो यह नियम–313 बना है जिसमें अध्यक्ष को सारे अधिकार प्राप्त हैं । अध्यक्ष जब ऐसी परिस्थिति को देखें कि कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है तो नियम–313 के अन्तर्गत सारी शक्ति उनको प्राप्त हैं जिसके अन्तर्गत वे कार्य संचालन का कार्य पूरा कर सकें । यहां पर नहीं है । डा० अम्मार रिजवी जी जो इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं उन्होंने भी कुछ अपने लहजे में कहा, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं । यह पेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस किताब है, इसका बीसवां एडीशन है, इसका पेज 739 है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सदन को और सदन के अध्यक्ष को, सभापति को, स्पीकर को अधिकार है और अधिकार उन परिस्थिति में, जब सदन को इस बात की आवश्यकता पड़े कि किसी बिन्दु विशेष पर उनको अग्रेतर जानकारी की आवश्यकता है । ...

"ह्वेन दी अटेन्डेन्स आफ ए वीटनेस इज डिजायर्ड टू बी इक्जामिन्ड ऐट दी बार बाई दी हाउस आफ कामन्स आर बाई ए कमेटी आफ दी होल हाउस ही इज सिम्पली आर्ड टू अटेन्ड एट ए स्टेटेड टाइम" जब कभी सदन को इस बात की आवश्यकता हो तो कि किसी व्यक्ति विशेष की, सदन में उससे जानकारी के लिये आवश्यकता है उसे गवाह के रूप में आना है, तो उसको कहा जाता है कि आप इस समय विशेष में आ जायं यहां पर । मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कि जिसको हम बुलायें वह अभियुक्त के रूप में यहां पर आयें, मुल्जिम के रूप में यहां पर आये । हमको आवश्यकता है, कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पायी हैं कुछ अग्रेतर प्रकाश डलवाना चाहते हैं तो यह अधिकार है कि उसको बुलायें और जानकारी प्राप्त कर लें । यहां यह भ्रांति पैदा हो गयी कि मुल्जिम के रूप में बुला लिया और सदन की अवमानना का प्रश्न बन गया । यह कोई सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं है लेकिन एक परिस्थिति बनी थी, उसके अग्रेतर जानकारी के लिये आपने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि अमुक व्यक्ति को यहां पर बुलाया जाय । जैसा माननीय मुन्ना जी और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि जानकारी करने का तरीका और होता है.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपने चैम्बर में बुला लेते, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

चैम्बर में बुलाते तो लोग कहते पता नहीं क्या बात हो गई इसलिए कक्ष में नहीं बुलाया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप पर इतना अविश्वास सदन में किसी को नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सारे सदन के सामने जो जानकारी प्राप्त करना चाही वह चाहे एक वाक्य की हो या दस वाक्य की हो, पारदर्शिता रखते हुए आपने सदन के सामने बुला लिया । सारे प्रकरण की एक्विटी हो जानी चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी क्या जानकारी करना चाहते हैं । आपने कहा अनावश्यक रूप से किसी भ्रान्ति का शिकार न बनें, केवल एक जानकारी के लिए आपने बुलाया है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण के रूप में कहना चाहूंगा मेरी कार्यवाही पूरी निकलवा लें, कहीं भी मैंने आपके इस अधिकार को चुनौती नहीं दी है, कि आप किसी को नहीं बुला सकते हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं । सदन स्वामी हैं इस प्रदेश का, पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में जानकारी हासिल करने के लिए कहा गया यह जानकारी कहीं भी कभी भी हासिल की जा सकती है । आपका कमरा हाउस का पार्ट है । क्या भविष्य में कोई पत्र कोई भी प्रार्थना-पत्र, कोई मैमोरेण्डम माननीय मंत्री जी के खिलाफ लिखा जाएगा तो हर लिखने वाले को सदन में बुलायेंगे ? यहां बुलाया जाएगा या नहीं ? इसका तय होना अत्यन्त आवश्यक है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 313 का हवाला दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है । मुझे उससे ज्यादा अधिकार प्राप्त है, कहना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी की अवमानना या विशेषाधिकार का प्रश्न है उसके लिए विशिष्ट नियम हैं, जो परिस्थितियां हैं उसके लिए हमारे नियमों में स्पष्ट प्राविधान है इसलिए जिस प्राविधान का उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है, वह इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया है कि क्या यह सदन किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विशेषाधिकार भंग अथवा सदन की अवमानना के लिए आरोपित नहीं है, बुला सकता है या नहीं ? मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैंने माननीय विपक्ष के माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी विचार और संविधान के जिन अनुच्छेदों, नियमों का उद्धरण और पुस्तिका का उद्धरण दिया, उसको भी ध्यानपूर्वक

सुना है । इस प्रश्न पर जो भी व्यवस्था पीठ की ओर से आयेगी, उसका प्रभाव भविष्य में होगा ? जब संसदीय परम्परायें पुष्ट आधार पर रहती हैं ...

तो उनका पालन, सुनिश्चित करना भी आसान होता है और वह परम्परा भविष्य के लिए मार्गदर्शक बन जाती है । चूंकि गंभीर विषय है इस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं । यदि संबंधित अभियन्ता को उपस्थित रहने की आवश्यकता होगी तो पुनः निर्देश दूंगा । मैंने पहले भी कहा कि खुले मस्तिष्क से विचार कर रहा हूं और संविधान के अनुच्छेदों के निर्वचन की बात आती है तो आज यह सदन है, कभी तो सदन का कार्यकाल समाप्त होगा । यह सतत् प्रक्रिया है, सदन का निर्वाचन और सदन का गठन होना लेकिन पूर्व दृष्टान्तों के रूप में पुराने सदन की पुरानी व्यवस्थाओं को उद्धृत करते हैं और उसके आधार पर कार्यवाही चले यह अपेक्षा करते हैं । मैं समझता हूं कि सोच विचार के व्यवस्था देना उचित होगा, इसलिए मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं ।

(श्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार मार्शल द्वारा अभियन्ता संघ के अध्यक्ष श्री अम्बिका मिश्र को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के ग्राम नगला रडा में प्रस्तावित राजकीय कन्या इण्टर कालेज को ग्राम शाहजहांपुर में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री जयपाल सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्रीमती उर्मिला यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड घिरौर के ग्राम नगला रडा में प्रस्तावित राजकीय कन्या इण्टर कालेज का ग्राम शाहजहांपुर में स्थानान्तरित कराये जाने विषयक श्री जयपाल सिंह तथा श्री बिजेन्द्र सिंह, निवासीगण, जनपद मैनपुरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की समितियों तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2000-2001 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	मंगलवार 02 मई, 2000 को अपराह्न 4.00 बजे तक ।
2–नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार, 03 मई, 2000 को अपराह्न 3.00 बजे सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में ।

---

† छापी नहीं गई ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार 05 मई, 2000 को अपराह्न 4.00 बजे तक।
4–निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	गुरुवार 11 मई, 2000
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	शुक्रवार 12 मई, 2000

को विधान पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निर्देशन पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दलीय नेताओं के परामर्श से इसका नामांकन करा दें।

श्री अध्यक्ष–

समय से प्रस्ताव ले आयें।

मा० अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सभी विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर युक्त ईसाई लोगों पर हो रहे हमले सम्बन्धी नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सुने जाने की मांग

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 की कोई सूचना स्वीकार नहीं की गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने यह कहा था। सम्मानित सभी नेताओं, नेता विरोधी दल तथा सभी विपक्ष के नेताओं ने हस्ताक्षर करके दिया था तो व्यवस्था दी थी कि ऐसे सवाल को नियम–311 में सुन लेंगे। हमने इसे एक रोज पहले दिया था तो स्वीकार नहीं की गयी थी।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे देख लेता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में अरबी मदरसों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा धरना एवं प्रदर्शन के संबंध में सूचना

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने मुझे विशेष उल्लेख के तहत अपनी सूचना को उठाने का अवसर दिया है । इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, सहायता व मान्यता प्राप्त अरबी मदरसों के अध्यापकों व कर्मचारियों द्वारा 26 अप्रैल, 2000 से विधान सभा गेट के सामने धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है । अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारी/अध्यापक आन्दोलनरत हैं । प्रदेश भर में यह आन्दोलन चल रहा है और आत्मदाह की स्थिति भी बनी हुई है । कल यह नियम–56 में बात आयी थी, आपने ध्यान आकृष्ट किया था । मान्यवर, यह तात्कालिक है, मान्यवर, पिछली 26 मई, 99 को इनके और मंत्री तथा अधिकारियों के बीच एक समझौता वार्ता हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि 1993 के सेवानिवृत्त अध्यापकों/कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन को फौरन जारी कर दिया जायेगा । मदरसा शिक्षा परिषद् का गठन और उसकी परिनियमावली में आवश्यक संशोधन किया जायेगा ।

मान्यवर, एक साल बीत गया । सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और 26 तारीख से पुनः आन्दोलन शुरू हो गया । मान्यवर, अगर समझौता सबकी मौजूदगी में हुआ तो उसका पालन होना चाहिए । मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम और मदरसा विरोधी नीति के तहत अक्टूबर, 1999 में एक शासनादेश जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि 2004 तक किसी मदरसे के अध्यापक और कर्मचारी की कोई पेंशन आदि नहीं मिल सकेगी । दूसरे एक और शासनादेश जारी किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाठ्यक्रम समिति का गठन तो कर दिया, परन्तु बजट की धनराशि नहीं दी । मान्यवर, धर्मस्थल विधेयक के नाम पर सीधा हमला करके मदरसों को बदनाम करने का काम सरकार कर रही है । इस संकीर्णतावादी नीति की जितनी आलोचना की जाय, कम है । जो जायज मांगें हैं उन्हें तुरन्त मान लिया जाय । यह आग्रह है, नहीं तो यह आन्दोलन और तीव्र हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । नियमानुसार शासन निराकरण करने का प्रयास कर लेगा ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 †

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक 29-4-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, मैं अनुमति से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करती हूं।

कार्य-स्थगन की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28-4-2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। पहली श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया। मान्यवर, आगरा, मथुरा, वृन्दावन में यमुना बुरी तरह से जल प्रदूषण से ग्रसित हैं। ओखला बैराज से नीचे यमुना नदी में स्वच्छ जल नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। सारा का सारा जल गाजियाबाद, नोएडा और उसके आसपास के इलाके के सारे उद्योगों का लाखों लीटर गन्दा पानी, कूड़ा-कचरा यमुना नदी में गिरता है और इतना ही नहीं, हरियाणा का लाखों लीटर गन्दा पानी यमुना नदी में आता है और वह पानी यमुना जल का रूप धारण करता है। मान्यवर, यमुना का सारा जल ओखला से दिल्ली की पानी सप्लाई में चला जाता है और कोई पानी नहीं बचता है और यह जो गन्दा पानी और कचड़ा के रूप में यमुना में आता है, उसका उपयोग आगरा-मथुरा-वृन्दावन में पेयजल के रूप में किया जाता है। मान्यवर, यमुना नदी के दोनों किनारों पर 20 से 30 किलोमीटर तक खारा पानी हो गया है। इस खारे पानी और गन्दे पानी से लोग पीड़ा में हैं। मान्यवर, सबसे ज्यादा आगरा में, जहां विदेशी पर्यटक आते हैं वहां पानी इतना खराब है कि उसमें पीलापन है उसका आप सर्वेक्षण करा लें, परीक्षण करा लें। उससे तमाम रोग पैदा हो रहे हैं। यह स्थिति आज पूरे यमुना नदी के पानी की है और इस पानी के कारण आगरा का पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है। लाखों लोग यह खारा पानी और यमुना का गन्दा पानी पीकर सरकार को कोस रहे हैं। इससे एक भयानक स्थिति पैदा हो रही है। इस यमुना जल का परिक्षण हुआ तो डाक्टरों की रिपोर्ट आई कि इसको अगर पीयेंगे तो कुष्ठ रोग पैदा हो जायेगा। मान्यवर, मथुरा में गोकुल और आगरा में सिकन्दरा बैराज बनाया जा रहा है। यहां जमुना का पानी नहीं है। यह सारा का सारा वह पानी है जो गन्दा और कचड़े का है, नगर के सीवर का पानी है। आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उसमें मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यमुना के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए और उसे स्वच्छ करने की योजना जब तक नहीं बनेगी और ...

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

यह जो जमुना का पानी गिर रहा है, उसको रोकने की विधि बनाई जाय। यमुना एक्शन प्लान बना, लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, नगर विकास मंत्री तो यहां नहीं हैं कि आगरे में एक समिति भेजी जाय और एक डाक्टरों का पैनल भेजा जाय जो यमुना के पानी का परीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट दे, क्योंकि जितना पैसा पानी को साफ करने के लिये खर्च किया जा रहा है, उससे उतना लाभ नहीं है। आज मथुरा को, वृन्दावन को, आगरा को बचाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि यमुना के पानी को गन्दा होने से बचाया जाय। मथुरा-वृन्दावन तो तीर्थ-स्थल हैं, वहां जो पर्यटक आता है, वह बड़े योग से आता है और वहां यमुना में नहाने के बाद उसके शरीर की जो स्थिति होती है, उसे देखकर बड़ा कष्ट होता है। मथुरा-वृन्दावन के लोग आज बड़े कष्ट में है।

इसी प्रकार आगरा में बटेश्वर तीर्थ हैं, वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग स्नान को आते हैं और यमुना की जो स्थिति है, वह चिन्ताजनक है । अभी आगरा में क्लिंटन जी आये थे, आपने तय किया कि यमुना के पानी की दुर्गन्ध आयेगी तो हमारे अतिथि की नाक खराब हो जायेगी, इसलिये आपने पानी छोड़ने का फैसला किया लेकिन पानी था ही कहां ? इसलिये जब आप एक बड़े मेहमान के लिये पानी छोड़ने की व्यवस्था कर सकते हैं तो लाखों लोगों को गन्दा पानी क्यों पिला रहे है, शर्म करनी चाहिये इस गन्दे पानी से निजात दिलाये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा का पानी खारा है, इसी प्रकार मथुरा, फिरोजाबाद का भी पानी खारा है, इसलिये यमुना के जल को प्रदूषण से बचाने के लिये, उसे प्रदूषणों से मुक्त करने के लिये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी जाती हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां डाक्टरों का पैनल भेजा जाय और आप यमुना के पानी का परीक्षण कराइये, जो तथ्य आते हैं, उसे सदन के सामने लाइये ताकि लाखों लोगों के जीवन की सुरक्षा की जा सके । आज जो यमुना में पानी है, वह मलमूत्र का पानी है, जब तक यमुना का जल शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उस जल को नागरिकों को पीने के लिये आपूर्ति नहीं की जानी चाहिये । मैं माननीय सदन के सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एक टीम यहां के मा० सदस्यों की भी जानी चाहिये जो वहां से आकर सरकार को अपनी रिपोर्ट दे । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, तात्कालिक भी है, अविलम्बनीय है, और लाखों लोगों के जनजीवन से जुड़ा सवाल है, साथ ही जो पर्यटक आते हैं, उनका भी सवाल है, इसलिये यमुना के जल को प्रदूषण से मुक्त करने की व्यवस्था की जाय और इस विषय पर दो-दो घण्टे की चर्चा कराई जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जिस समस्या का उल्लेख किया है, उसे मैं मानता हूं, वहां समस्या भयावह है । आगरा में पानी की बड़ी समस्या है । वहां जो जल है वह खारा भी है, कठोर भी है, इसलिए पीने लायक नहीं है, केवल एक स्रोत है और वह है यमुना नदी । मान्यवर, जो कच्चा जल यमुना का है, वह पीने लायक है ही नहीं । जो जल है वह 8-10 गुना ज्यादा खराब है, उसे शुद्ध करने के लिए जो रसायन मिलाया जाता है, 329 रुपये प्रति मिलियन लीटर का खर्च आ रहा है, इसके बाद इसे पीने लायक बनाया जाता है । सरकार ने क्या उपाय किए हैं यह मैं बता दूं, जितने भी हमारे बोर्ड बने हुए हैं, दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, हरियाणा का बना है, केन्द्र के बने हैं, हम बराबर इस प्रयास में हैं कि उनको और सक्रिय करें और उसमें जो कचरा आ रहा है उसको रोका जाये । दूसरा मान्यवर, 207 करोड़ 89 लाख की योजना है । यमुना एक्शन प्लान की और यह जापान की सहायता से योजना स्वीकृत है, उस पर काम हो रहा है । जिन जिलों से होकर यमुना नदी आती है, उसमें नालों द्वारा जो कचरा आता है उसको रोककर पानी के शुद्धीकरण की योजना है और हमें विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे । मान्यवर, इसकी एक सतत् प्रक्रिया रखनी पड़ेगी जैसे गंगा एक्शन प्लान था, एक बार शुरू किया गया, बाद में रोक दिया । इसकी एक सतत् प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिये । 207 करोड़ 89 लाख की योजना है और मुझे विश्वास है कि वह दिन आयेगा जब आगरा निवासियों को और मान्यवर, रघुवर दयाल वर्मा जी को शुद्ध पानी प्राप्त हो सकेगा और मान्यवर, यह कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार होने लायक बात भी नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो । माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर गंभीर है, सरकार गंभीर है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह से वर्मा जी शुरू करेंगे तो दूसरे लोग भी हैं ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, वर्मा जी को कोई सुझाव देना है, सेशन चल रहा है, उनको सुन लेना चाहिए। एक प्रसंग चल रहा है, बजट की बात तो सुन सकते हैं, इस कान से सुनते हैं, उससे निकाल देते हैं, यहां कितने मंत्री बैठते हैं, एक प्रकरण उपस्थित है, उनकी बात सुन लें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सचमुच आगरावासियों को शुद्ध पानी पिलाना एक बहुत कठिन काम है, इस गर्मी में बड़ी भयावह स्थिति है। इसका जो परिणाम है और आगरा में मेरी जो जानकारी है, तीन चौथाई लोग इसीलिए पेट के रोगी होते हैं।

इसके लिए मेरा एक सुझाव है। सरकार उस पर विचार कर ले। आपने यमुना को शुद्ध करने के लिए योजना बनाई है तो इसके साथ इस पर भी विचार करें कि क्या चम्बल नदी का पानी पाइप लाइन के द्वारा सीधे आगरा को उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि वहां पर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। जो नोएडा में बैराज है, उसके नीचे जो पानी आता है, वह दिल्लीवासियों का मलमूत्र आता है। इसलिए आपको उसमें ज्यादा केमिकल डालकर शुद्ध करना पड़ता है। अगर चम्बल नदी का पानी पाइप लाइन के जरिए आगरा वासियों को उपलब्ध कराया जाये तो उनके लिए शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। यह मेरा सुझाव है, इसका आकलन कराकर इसके अनुसार व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय वर्मा जी के सुझाव पर मैं बल देना चाहता हूं और यह भी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी उस समय इस पर विचार किया गया था और सोचा भी गया था कि इसको कार्यरूप में परिणित किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आगरा के निवासियों को अगर सचमुच पेयजल उपलब्ध कराना है तो सबसे सुगम और आसान तरीका चम्बल नदी से पानी उपलब्ध कराया जाना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी स्वयं इसका परीक्षण करवा लें। जो पर्यटक आज ताज देखने आते हैं वह सारे गन्दे पानी की वजह से दिल्ली वापस चले जाते हैं। आगरे में रुकते नहीं हैं जिससे हमारे रेवन्यू का लास होता है। भले ही जो योजना आपने जापान की सहायता से बतलाई है उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च हो जाये और चम्बल से पानी आगरावासियों को दिया जाय। इसके लिए आप परीक्षण करवा लें। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी आज ही इस पर घोषणा कर दें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यमुना जी का जो पानी आगरा, मथुरा, वृन्दावन रिफाइनरी को दिया जा रहा है, उसके कंटेन्ट की जांच करा लें कि वह कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। जैसाकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा वह पानी पीने योग्य नहीं है। दिल्ली को पानी पिलाने के लिए गंगा से पानी लाने की योजना बना रहे हैं। आगरा में गंगाजी से पानी पहुंचेगा तो उसमें कितना समय लगेगा, यह सामने आना चाहिए। मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा का पानी खारा है और पीने योग्य नहीं है। इसको पीने से लोग अपंग हो रहे हैं। यह गंभीर समस्या है। एक भारतीय डाक्टर ने कहा है और उसकी रिपोर्ट आ गई है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। इस पानी को पीने से कबरा और कुष्ठ रोग हो रहे हैं। यह सदन के सामने तथ्य आ जाये कि गंगा का पानी, चम्बल का पानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा में आप कैसे लायेंगे ? इसकी योजना बन जाये और उसको सदन के सामने लाया जाये । आपने सिकन्दरा पर बैराज बनाने की घोषणा की है ।

अब उसके बाद भी बैराज का निर्माण नहीं हुआ । पानी है ही नहीं तो बैराज कहां से बनेगा ? गन्दा पानी है, कचरा है, नोएडा का पानी है, टेनरी का पानी है, उसको पिलाकर आप लोगों का ईमान भ्रष्ट कर रहे हैं । यह गंभीर प्रश्न है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा हो । सारी रिपोर्टें आयी, हर रिपोर्ट पर मौन रहने से काम नहीं चलेगा, यह लाखों लोगों के पीने के पानी का प्रश्न है । इस पर आपको स्पष्ट बात कहनी चाहिए । इस पर आप चर्चा स्वीकार करिये ।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आगरा जिले का प्रकरण है और मैं आगरा जिले से विधायक हूं, एक मिनट का समय मुझे भी दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

मान्यवर, मैं यमुना के किनारे रहता हूं । केवल एक मिनट का अवसर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप किसी अलग नियम में दे दीजियेगा या चर्चा के लिए दीजियेगा, स्वीकार हो जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने अपने द्वितीय पारी के भाषण में कुछ बातें कही है और उसी समस्या का उल्लेख किया जिस समस्या का उल्लेख उन्होंने पहले किया था । मैं स्वयं स्वीकार कर चुका हूं कि समस्या बड़ी भयावह है । यह हमारे अपने सोचने और चिन्तन करने की बात है कि हम लोगों ने अपनी पवित्र नदियों को किस प्रकार से प्रदूषित किया है । हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं । गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां गन्दे नालों में परिवर्तित हो चुकी हैं, जो चिन्ता का विषय है ही । मानवता का भी प्रश्न है कि जो वहां पर रहते हैं, उनको शुद्ध पानी कैसे उपलब्ध करा सके ? सुझाव माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और श्री बी०आर० वर्मा जी ने दिये कि चम्बल का पानी उपलब्ध है, उसका परीक्षण करा लिया जाये । हम उसका तो परीक्षण करा लेंगे लेकिन माननीय वर्मा जी आपको देखने से यह नहीं लगता कि आप यमुना का पानी पीते हैं, अगर पीते हैं तो यमुना का पानी ख़राब नहीं है । मान्यवर, चर्चा की मांग बार-बार करते हैं, चर्चा तो आपने आज कर ली, मैंने सारे तथ्य रख दिये इसलिए यह कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धनीराम वर्मा, श्री बी०आर० वर्मा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् नियम–56 में इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया । इस पर सरकार विचार करे और कार्यवाही स्थगित करके, बहस कराकर इसके ऊपर अविलम्ब कार्यवाही की जाय । यह शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न है । इस देश में शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने के लिए और नई नीति बनाने के लिए कई बार आयोग बने । अन्तिम

अलावा अन्य भाषा से शिक्षा न दिया जाय । इसका संवैधानिक प्राविधान किया जाना चाहिए । जब हम ऐसा कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेजी की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं । जो अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं वह एक विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं लेकिन हिन्दी का ज्ञान अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त करें यह सर्वथा अनुचित लगता है । 10-12 साल के बच्चे द्विभाषी नहीं होते हैं, सिर्फ एक भाषा में समझ पाते हैं । इसलिए यह उनके साथ एक दूसरा बड़ा अन्याय होता है । तीसरी चीज, चर्चा में मंत्री महोदय ने सरकारी विद्यालयों की बात कही है, आज बहुत बड़ी संख्या में गैर सरकारी विद्यालय पनप चुके हैं । हम चाहें या न चाहें वे आज की शिक्षा व्यवस्था के अंग हैं । उन पर चाहे जितना बोल लें । राम करन आर्य जी कह रहे थे कि 99 प्रतिशत हमारे विधायकों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । इसलिए एक प्राविधान होना चाहिए कि समस्त विद्यालयों का पंजीकरण हो । अगर कोचिंग कालेजों का पंजीकरण कर सकते हैं तो विद्यालयों का पंजीकरण हो । उनमें पढ़ाने आने वाले शिक्षकों की योग्यता निर्धारित की जाये । अधिकांश विद्यालयों में सभी पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्य सहमत होंगे जिस प्रकार के शिक्षक पढ़ाने जाते हैं उससे उनकी योग्यता का प्रश्न खड़ा होता है । डायट में हमारे पास सीमायें है । पांच, साढ़े पांच हजार बी०टी०सी० प्रशिक्षित बना पाते हैं यह कहने से काम नहीं चलेगा । एक प्राविधान बनाना पड़ेगा । जो शिक्षक हों, उनकी योग्यता निश्चित हो ताकि बच्चों को एक शैक्षणिक माहौल मिले । बच्चों को जो सुविधायें दी जाती हैं वह बहुत कम होती हैं । जो फीस ली जाती है उसके मुकाबले बहुत कम होती है । बैठने की जगह न होना, खेलने का मैदान न होना, पंखे न होना आदि । इन समस्त प्राइवेट विद्यालयों का पंजीकरण किया जाये, शिक्षकों की योग्यता तय की जाये और शैक्षणिक माहौल और छात्रों को एक मूलभूत शिक्षा मिल सके और फीस निश्चित की जाये । आज चर्चा चल रही है कि नर्सिंग होम के डाक्टरों की फीस निश्चित करने की । प्राइवेट विद्यालयों की फीस निश्चित की जा सकती है । चौथी बात कहना चाहता हूं कि जो करीकुलम है, पाठ्यक्रम है कम से कम कक्षा–5 तक के विद्यालयों की बहुत ज्यादा है । हमारी बच्ची कक्षा–4 में पढ़ती है । उसे कोर्स में कितने प्रकार के मौसम दुनियां में पाये जाते हैं, एटीट्यूड क्या है ? सहारा रेगिस्तान का मौसम कैसा है, इथोपिया में पानी कितना पड़ता है, थ्री–डाइमेन्सन का कन्सेप्ट मालूम नहीं होता, भारत की संरचना को नहीं जानते हम उन्हें अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक सब कुछ कक्षा–4-5 में पढ़ा देना चाहते हैं । इसलिए लगता है कि शिक्षा पर मौलिक बहस होनी चाहिए तथा शिक्षा का विषय क्या हो यह निर्धारित किया जाना चाहिए । यह निर्धारित करते समय सब कुछ अधिकारियों पर नहीं छोड़ देना चाहिए । माननीय सदस्य बन्धुओं को जो जनता के बीच से आते हैं उनके विचारों को रखने का प्राविधान किया जाना चाहिए । बालश्रम विद्यालयों की बात रखना चाहता हूं । मजबूरी के कारण या जिन कारणों से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बचपन के उस काल में जिन्हें मां की गोद में या खेल के मैदान में होना चाहिए । काम करने के लिए मजबूर होते हैं । ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है । ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं होता ऐसे बच्चों को पेट में भोजन नहीं मिलता । ऐसा प्राविधान किया जाए कि बाल श्रमिक विद्यालय के माध्यम से हर नियोक्ता के लिए यह दायित्व निर्धारित किया जाए, संज्ञेय-अपराध माना जाए । अगर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण न हो, मिड-डे-मील की तरह इवनिंग मील न दिया जाए । इसका सारा खर्च नियोक्ताओं से लेने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

ठीक है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल दो तीन सुझाव दूंगा। अभी माननीय मंत्री जी ने सर्व शिक्षा अभियान की बात की। प्राथमिक शिक्षा में हमारे प्रदेश का प्रत्येक बच्चा कम से कम न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। अभी एक जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। उस दिन भी मैंने मंत्री जी से कहा था कि योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई जाती हैं लेकिन योजनाओं का कहां तक क्रियान्वयन होता है मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं। दो वर्ष पहले सी०ए०जी० ने उत्तर प्रदेश सरकार के मिड डे योजना का मूल्यांकन किया था उसमें बताया गया कि विद्यालयों में छात्रों का बड़ी संख्या में पंजीकरण किया गया लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई। यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस योजना में बड़े पैमाने पर अनाज का वितरण होता था इसलिए छात्रों की संख्या ज्यादा दिखाकर अनाज बांट लिया जाता था। भारत सरकार ने भी इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। यह जो सर्व शिक्षा अभियान है या अन्य सारे अभियान हैं उनके उद्देश्य तो अच्छे हैं लेकिन उसका मूल्यांकन सही हो। जो छात्रों की संख्या का पंजीकरण किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। शासन से निर्देश जाता है कि सभी बच्चों का स्कूल में पंजीकरण होना चाहिए। इससे संख्या बढ़ जाती है लेकिन एक माह बाद जब जांच की जाती है तो संख्या कम रहती है। केवल आंकड़े बढ़ाने का काम न करें कि हमने इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्राथमिक स्कूलों में भेजने का काम किया इतने से ही उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए। दूसरा सुझाव है कि प्रतिवर्ष प्राइमरी स्कूलों में 10 हजार अध्यापक रिटायर हो जाते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 5600 बी०टी०सी० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जैसाकि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया। इस तरह से प्रतिवर्ष 3,400 अध्यापकों की कमी हो जाती है। शिक्षकों की संख्या निरन्तर घट रही है। 55 हजार अध्यापकों की कमी है जो स्वयं स्वीकार किया है। इतनी बड़ी संख्या में अध्यापकों की कमी होगी तो कैसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। सात हजार विद्यालय एकल अध्यापक वाले हैं। एक अध्यापक होगा तो कभी एस०डी०आई० मीटिंग बुलाते हैं, कभी बी०एस०ए० मीटिंग बुलाते हैं वह मीटिंग में जाएगा तो क्या पढ़ायेगा। दूसरे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं।

जो विद्यालय से जुड़े हैं, उनमें भी शिक्षक लग जाते हैं। जहां 5 कक्षाएं हैं और एक ही अध्यापक है वहां किस प्रकार से पठन-पाठन का कार्य होगा। हमारा पहले जो रेशियो था वह 1 : 40 का था। 40 बच्चों पर एक शिक्षक होता था लेकिन आज बेसिक शिक्षा का रेशियो 1 : 65 का हो गया है जिसमें शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया जाय। यह शिक्षा मित्रों की घोषणा ही हुई उतनी नियुक्ति नहीं हुई जिस अनुपात में होनी चाहिए थी। अनौपचारिक शिक्षा में जो अनुदेशक 10-15 सालों से काम कर रहे थे। अब अनौपचारिक शिक्षा बन्द हो गई है। उनको आपने काम से मुक्त कर दिया है। वे एक वर्ष से विधान सभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको अतिरिक्त शिक्षक या शिक्षा मित्र के रूप में रखा जाये। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि शिक्षा मित्र के रूप में इनको नियुक्त किया जाय लेकिन सरकार हाई कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं कर रही है। हजारों अनौपचारिक शिक्षा

इसलिए सभी माननीय विपक्ष के नेताओं ने अपने हस्ताक्षर करके इस प्रकरण को दिया है । इसलिए कृपा करके सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विपक्ष आप स्वयं काफी विद्वान हैं । जिस नियम–311 की तरफ आपने ध्यान आकृष्ट किया है उसमें लिखा है "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे" और अध्यक्ष ने आज 311 की सभी सूचनाओं को स्वीकृत नहीं किया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

जब यह पीठ स्वयं व्यवस्था तोड़ेगी तो कैसे यह सदन चलेगा ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जब लोक सभा में यह प्रकरण सुना गया तो यहां क्यों नहीं ?

श्री धनीराम वर्मा–

जो तय हुआ था उसके तहत लिखकर दिया था । कृपया जो निर्णय दे दिया गया है उससे पीछे हटने का काम न करें । इसे सुन लिया जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि कुछ अराजक तत्व साम्प्रदायिकता को फैलाना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आप किस पर बोल रहे हैं चर्चा पर या 311 पर ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं परम्परा के मुताबिक अनुरोध कर रहा हूं । जिस तरीके से विषय जो लोक महत्व का है विशेष परिस्थिति में सदस्य को सुना जाता है उसी के तहत बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस भाषण की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

आर०एस०एस० के लोगों ने अल्पसंख्यक इसाई मिशनरियों पर बड़ा जुल्म ढाया है । इसकी वजह से यह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते । इस तरह से ये आर०एस०एस० को नहीं बचा सकते ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना 56 की चल रही है उसके बाद हम आप सभी को सुन लेंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् अपनी कुव्यवस्था के चलते अपनी गरिमा और विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है । परिषद् ने हाई स्कूल के नवीन पाठ्यक्रम के जिस तरह से 4 प्रश्न-पत्रों को एक-एक करके स्थगित कर दिया इससे माध्यमिक शिक्षा के जो छात्र हैं उन पर गहरा असर हुआ है । कानपुर सहित 17 जनपदों में परिषद् ने इन प्रश्न-पत्रों को स्थगित कर दिया है ।

हाईस्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों को बहुत नुकसान हो रहा है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने जो प्रश्न पत्र स्थगित किये थे उनकी पुनर्परीक्षा की तिथि 25 अप्रैल से 1 मई तक निश्चित की है और ये परीक्षायें लगातार होगी और कुछ विषयों की परीक्षा तो दोनों पालियों में रखी गई हैं और कोई गैप तक नहीं दिया गया है । 17 जनपदों में ये परीक्षायें स्थगित की गई हैं । इसलिये सरकार को परीक्षा की तिथियों के निर्धारण में हस्तक्षेप करना चाहिये । हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले जो छात्र हैं उनका जीवन अन्धकारमय हो गया है । इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इन तिथियों के बारे में पुनर्विचार किया जाय । माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इस अविवेकपूर्ण निर्णय से विद्यार्थियों में आक्रोश व असन्तोष व्याप्त है । इसलिये इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूरा सदन इस बात से विज्ञ होगा कि इस समय पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें संचालित की जा रही हैं और लगभग 40 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठते हैं जो पूरे हिन्दुस्तान यहां तक कि एशिया तथा दुनियां से कहीं अधिक ज्यादा है । परीक्षाओं की पवित्रता उसकी प्राथमिकता, कुशलतापूर्वक तथा शांतिपूर्वक संचालित करने के लिये शासन व प्रशासन की जिम्मेदारी थी और उसका वह पालन भी करती थी परन्तु आज शासन को यह नहीं मालूम है कि कितने प्रश्न-पत्र स्थगित हुए हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी अवगत होगा कि साइंस के पेपर में एक तरफ लिखा जाता है और बांयी तरफ नहीं लिखा जाता है । यदि बांयी तरफ लिख दिया तो नम्बर नहीं मिलते हैं परन्तु 3 अप्रैल को क्रिश्चियन कालेज में हाईस्कूल की परीक्षा में टीचर्स ने यह कहा कि कापियां कम हैं इसलिये आप बांयी तरफ लिख लीजिये । यदि वह बांयी तरफ लिख देता है तो उसे अंक नहीं मिलेंगे और उसका जीवन अंधकारमय हो जायेगा । यह नियम विरुद्ध भी है । 17 जनपदों में प्रश्न-पत्र स्थगित किये गये हैं । 25 तारीख से परीक्षायें हैं और वह भी दो पालियों में । माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा करवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेना चाहता है ।

प्रदेश के उस युवा पीढ़ी का भविष्य एक अच्छे नागरिक के रूप में बनाने का भी इस सरकार को सोचना है यह इस सरकार का सपना है और उस सपने को वास्तविकता के धरातल पर पूरा करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि अपना दायित्व समझते हुए शिक्षा मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि परीक्षाएं किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से संचालित हो रही हैं, छात्र-छात्राओं को क्या असुविधा हो रही है । हाई स्कूल के कितने प्रश्न-पत्र स्थगित हुए हैं, साइंस के विद्यार्थियों को नियम के विरुद्ध लिखना पड़ा । यही सब प्रश्न है जिसे हमने कार्य-स्थगन के रूप में दिया है हम चाहेंगे कि इसे कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करें, यह अविलम्बनीय है, तात्कालिक है, यह जो परीक्षाएं चल रही हैं, उससे जुड़ा सवाल है, सरकार का उत्तरदायित्व है और सरकार का उत्तर आना चाहिए ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, प्रश्न केवल इतना है कि उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ छात्रों को लिखना पड़ा और यह नियम विरुद्ध उनको लिखने के लिये कह दिया गया जिससे कि उनको अंक नहीं मिलेंगे और उनका भविष्य अंधकार में जा सकता है। इसमें आज यह जानकारी हमारे सामने आई है, हम सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन परिस्थितियों में छात्रों को उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ लिखने को कहा गया, उन्होंने इस तरह से जो लिखा है उस पर उन्हें अंक दिये जायेंगे कि नहीं, यह सब जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को सूचना बता देंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस कार्य-स्थगन की सूचना के जरिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में इन बातों को लाने का हमने प्रयास किया है। ये जो स्थगित चार प्रश्न-पत्र हैं उसको कितने अविवेकपूर्ण ढंग से माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पुनः परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। वह पुनः परीक्षा की निर्धारित तिथि से ही स्पष्ट होती है 25 से 1 मई तक लगातार दिवस में परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। कोई गैप नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिषद् ने यह जो अमनोवैज्ञानिक तथा छात्रों को कई तरह की परेशानियों में डालने वाली तिथि निर्धारित की है इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

इसकी तो आवश्यकता नहीं। जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को नियम–56 में अग्राह्य करता हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से एक जनहित से जुड़े अत्यधिक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा कराई जाय। आज इस माननीय सदन के सभी सदस्यों ने चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों क्वैश्चन आवर के समय पेयजल की समस्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी। वही महत्वपूर्ण समस्या मैं नियम–56 के माध्यम से आपके संज्ञान में ला रहा हूं। ग्रामीण अंचलों में स्थिति यह है कि 75 प्रतिशत कुंए सूख चुके हैं। इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प जो लगाये गये थे उसमें से 50 प्रतिशत खराब हैं। स्थिति यह है कि अभी वर्मा जी ने आगरा का जिक्र किया था कि वहां पर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते जा रहे हैं जहां शुद्ध पेयजल तो दूर अशुद्ध जल भी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मैं सरोजनीनगर के क्षेत्र का सन्दर्भ देना चाहता हूं वहां बंथरा क्षेत्र में माधा, बेहटा, खुर्रमनगर इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कुंए सूख गये हैं इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प जो लगे थे वे भी ज्यादातर खराब हैं उनकी भी स्थिति ऐसी है मेरठ में भी 85 गांव में यही हाल है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की हो रही है कि ग्रामीण अंचलों में पानी शुद्ध तो दूर अशुद्ध नहीं मिल पा रहा है। जहां तक शहरों की स्थिति है, लखनऊ की स्थिति आपने स्वयं देखी है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यह स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो रही है और प्रदेश सरकार समय रहते नहीं चेती तो जो स्थिति आज राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में हो रही है वह यहां पर भी हो जायेगी। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं चाहूंगा कि नियमों को शिथिल करते हुए इस

महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायें ताकि सारी बातें आ सकें और सरकार जवाब दे सके कि क्या व्यवस्था सरकार पेयजल की कर रही है ?

शहरों में क्या व्यवस्था हो रही है, ग्रामीण अंचलों में क्या व्यवस्था हो रही है, पिछले वर्ष इन्होंने सभी विधायकों को 50-50 हैण्ड पम्प देने का वायदा किया था, लेकिन सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं वह इस बात की पुष्टि करेंगे कि किसी भी माननीय सदस्य को 50 हैण्ड पम्प तो क्या एक भी हैण्ड पम्प नहीं दिया गया । यह सरकार पेयजल जो जीवन से जुड़ा हुआ मसला है पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है । इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर एक तरह से इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस विषय के ऊपर कृपापूर्वक सुना गया मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं और माननीय सदस्य को भी बता दूं इस विषय पर पहले से ही चर्चा स्वीकृत हो रखी है प्रदेश की जल स्थिति, भू-गर्भ जल स्थिति आदि से संबंधित है चर्चा स्वीकृत है एक दिन निर्धारित भी थी लेकिन समयाभाव के कारण नहीं हो सकी । अब जिस दिन चर्चा हो उस रोज यह उपस्थित रहें ताकि सदन इनके विचारों से लाभान्वित हो सके । चर्चा स्वीकृत है उस रोज रहियेगा ।

श्री सीतराम निषाद–

इस विषय पर शासनादेश हुआ ?

श्री हुकुम सिंह–

इस संबंध में धन का प्राविधान हो गया है । ग्राम्य विकास मंत्री जी का बजट है तो यह सारे प्रश्न आ जायेंगे । 50 हैण्डपम्प से हो सकता है ज्यादा हैण्डपम्प मिल जाएं ।

(हंसी)

इसलिए इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार नहीं होना चाहिए लेकिन माननीय सदस्य को निर्देशित जरूर करें कि माननीय सदस्य उस दिन जरूर उपस्थित रहें ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं । शासनादेश आपका हुआ उसमें कदाचित इस बात का उल्लेख है जिन क्षेत्र में 150 की पापुलेशन पर एक हैण्ड पम्प लगाया जाएगा उसको नहीं लगाया गया है और यह लिखकर चला गया है कि भारत सरकार का जो मानक निर्धारित है उसके अनुसार हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर रहे हैं । इससे बाधा उत्पन्न हो गई है । संसदीय कार्य मंत्री जी इसको विशेष रूप से देख लें ताकि पेयजल संकट का निवारण हो जाए और जो 50 हैण्ड पम्प देने की बात कही गई है उसका क्रियान्वयन ठीक तरह से हो ।

श्री हुकुम सिंह–

कार्यान्वयन ठीक होगा मैं उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन चाहे हैण्डपम्प का मामला हो चाहे विद्युतीकरण का मामला हो विकास निधि का चाहे मामला हो वह सब इस सरकार ने किया है जो कुछ किया है उससे जनता की सेवा होती रहे ।

(श्रीमती गौरी देवी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय सदस्य को सुनने के बाद नियम–56 में इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। जो चर्चा स्वीकृत है उसमें आप अपने विषय का उल्लेख कर दीजियेगा। गौरी देवी जी स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी टाल रहे हैं। मान्यवर, यह घोषणा हुई थी कि पचास-पचास हैण्ड पाइप दिये जायेंगे और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में कह भी दिया था और आज सभी लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हैण्ड पाइप लगवा दीजिये। लेकिन मान्यवर, यह टाल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह पचास-पचास हैण्ड पाइप हमारे क्षेत्र में भी देंगे। गोरखपुर जिले में अभी नहीं गया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आदेश चला गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सब जगह चला गया है। आप अपने क्षेत्र में जायेंगी तो पता कर लीजियेगा। अगर नहीं गया तो बता दीजियेगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह एक अति संवेदनशील मामला है और इस पर मैं चर्चा की मांग करते हुए यह कहना चाहता हूं कि राजस्व की वसूली के नाम पर जिस तरह से जनपदों में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है लगान और सिंचाई वसूली के नाम पर 100, 200/- रुपये की वसूली के नाम पर जिस तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं यह एक शर्म की बात है। मान्यवर, उनसे ऐसे वसूली की जाती है जैसे डकैत वसूली कर रहा हो। मान्यवर, छोटी-छोटी वसूली जिसके रिकवरी सार्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं उसमें वह उत्पीड़न कर रहे हैं। मान्यवर, आज गन्ना किसानों का मिल मालिकों के ऊपर करोड़ों रुपया बकाया है उसको दिलाने का प्रयास यह नहीं कर रहे हैं लेकिन जो किसानों का खेती का और सिंचाई का लगान का बकाया है जिसकी समय सीमा अभी पूरी भी नहीं हुई है, उसकी वसूलयाबी के लिए उत्पीड़न हो रहा है जो कि एक चिन्ता का विषय है। मान्यवर, हरदोई में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यह कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, 200, 300, 500/- रुपये की वसूलयाबी के लिए तहसील के अधिकारी पुलिस बल के साथ आते हैं और जिस तरह से सामान भरकर थाने में से जाते हैं उससे निर्दोष लोगों को पीड़ित किया जा रहा है और इससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, यदि बकाया है तो समय सीमा निर्धारित की जाय, नोटिस दी जाय यह प्रक्रिया है लेकिन यह उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों जैसे पिकप हैं इन पर करोड़ों रुपया बकाया है उनकी वसूलियाबी सरकार नहीं कर रही है लेकिन छोटे-छोटे किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, जो हम आग्रहपूर्वक दिया है जैसे वहीं दस हजार भैंस के लिए दूसरे छोटे उद्यमों के लिए तो भ्रष्टाचार जब व्याप्त है आधा पैसा तो किसान से ऋण भुगतान के समय बैंक और ब्लाक के कर्मचारी ले लेते हैं उस पर व्याज सहित नोटिस छोटे किसानों को आ रहा है। पूरे प्रदेश में विशेषकर हरदोई में उत्पीड़न की कार्यवाही बढ़ती जा रही है। मान्यवर, तत्काल इस उत्पीड़न की कार्यवाही को रोका जाये। राजस्व वसूली की नीति निर्धारित की जाये कि कितने देयों पर उत्पीड़न होगा ? अब जैसे खाद के विरुद्ध देय है लगान का देय है अगर वसूलियाबी के लिए समय पर सूचना दी जाये और वसूलयाबी की कार्यवाही की जाये तो दूसरी

बात है लेकिन यह उत्पीड़न की कार्यवाही तत्काल रोकी जाये । रोज सरकार के द्वारा वसूली में कड़ाई बरतने के निर्देश जा रहे हैं । इस प्रकरण पर चर्चा की मांग करता हूं ।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस बार जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े कास्तकार हैं जिन पर एक लाख या पचास हजार रुपया का लोन है इन सबमें इस बार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे जेल की हवा न खानी पड़ी हो । हां माननीय उच्च न्यायालय से कहीं-कहीं स्टे आ जाता है यह बात अलग है । जो अभी दो सौ, तीन सौ के बकायेदारों के बन्द होने की बात कही गयी, माननीय सदस्य सूचना दे देंगे तो जांच करा लेंगे । सामान्य रूप से कहीं कोई शिकायत नहीं है । बड़े-बड़े जो माफिया बकायेदार हैं वह जेल के सीखचों में रहे है या पैसा दे दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के उपरान्त अग्राह्य करता हूं ।

(श्री चेतराम के खड़े होने पर)

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) श्री चेतराम — जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां अन्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के शोषण के संबंध में ।

(2) श्री भोला शंकर मौर्य, श्री मुरलीधर, श्री श्रीराम पाल तथा श्री इन्द्रजीत सरोज — उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीटों का न भरे जाने के संबंध में ।

(3) श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री आर० के० सिंह पटेल — जनपद चित्रकूट के पठारी क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, कल हमने नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी । माननीय पीठ की ओर से यह कहा गया था कि आज वह सूचना नियम–56 में परिवर्तित कर दी गयी है, अगर आज नहीं आ पाती है तो कल जरूर आ जायेगी और वह नहीं आयी है । आप कार्यवाही देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही देख लेता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपने स्वयं कहा है कि कार्यवाही में अंकित तो मान लजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर यह कार्यवाही में अंकित होगा तो मैं स्वीकार करे लूंगा । मैं दिखवा लेता हूं ।

अगली सूचना माननीय दद्दू प्रसाद और पटेल जी की है आपकी सूचना की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिन सूचनाओं पर आगे वाली पंक्ति के नेताओं के हस्ताक्षर नहीं होते हैं वह सूचना सरकार के संज्ञान के लिए चली जाती है और जिन सूचनाओं पर आगे के नेताओं के हस्ताक्षर होते हैं उन पर सुनने का मौका दिया जाता है तो इस सदन में जो नये सदस्य हैं ये चार-चार, 6-6 सदस्य मिलकर अपने क्षेत्रों की जैसे बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के पेयजल और आगजनी की कोई सूचना रखना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप सहमत होंगे कि शलाका निकालते समय अग्रिम पंक्ति और पीछे की पंक्ति का कोई भेद नहीं होता।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, परम्परा ऐसी बनती जा रही है कि बजट सत्र चल रहा है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए। उनकी जिज्ञासा रहती है क्षेत्र की बात कहने की लेकिन जब सदन में आगे की लाइन वाले नेताओं की जो भी सूचना होती है उनको तो बुलवाने के लिए बुला लिया जाता है ? और फिर वह उठकर भाग जाते हैं और इतने महत्वपूर्ण सदन में उपस्थिति नगण्य हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात जानकारी में आ गई, मैं जानकारी दे रहा हूं कि शलाका निकालते समय अगर किसी तरह से भ्रम है, कल्पना है कि ऐसा कोई पक्षपात हो जाता है अग्रिम पंक्ति के हस्ताक्षर होने या न होने में मेरा निवेदन है कि शलाका निकालते समय वहीं उपस्थित रहेंगे, तो इस कठिनाई का निराकरण हो जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरा निवेदन है जैसे एक ही सूचनाओं पर कई-कई लोगों के हस्ताक्षर हैं तो एक सूचना पर एक सदस्य को बाकी जो मुख्य बिन्दु हैं वह आ जाये, जितना समय वाद-विवाद में गया उतने समय में यह सब हो जाता।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा निवेदन है कि इस पर आग्रह न करें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आप सहमत होंगे, अगर सभी सदस्य सूचना देंगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिये शलाका निकाली जाती है।

श्री श्रीराम पाल–

एक को सुन रहे हैं, बीच को छोड़कर दूसरी सुन रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली सूचना नहीं सुन रहा हूं। जो शलाका से निकली हुई हैं, उन्हीं को सुन रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें और समय जाया न करें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आपका कुछ भी लिखा नहीं जायेगा । मैं दबाव में कोई भी निर्देश देने को तैयार नहीं हूं । यह बिल्कुल उचित तरीका नहीं है । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । हम सदन का समय जाया नहीं करना चाहते हैं । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक-एक माननीय सदस्य को एक-एक मिनट का समय दे दें, वह अपनी भावना तो व्यक्त कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे ही जानकारी प्राप्त कर लूं कि शेष जो सूचनायें हैं, वह क्या कम महत्वपूर्ण हैं ?

(श्री दद्दू प्रसाद सदन के फ्लोर पर आ गये)

मैं दबाव में कोई अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पीठ का हम भी सम्मान करते हैं और सभी करते हैं, हम तो सपने में भी पीठ के असम्मान की बात सोच नहीं सकते । हम आपके निर्देशों के मुताबिक ही अपनी बात कहना चाहते हैं । इसलिये एक-एक माननीय सदस्य को एक-एक मिनट अपनी बात कहने के लिये दे दें ।

(श्री दद्दू प्रसाद सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी, कृपया सहयोग करें । इस तरह से व्यवस्था नहीं चल पायेगी, सबको एक-एक मिनट नहीं दिया जा सकता ।

(श्री दद्दू प्रसाद के पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

मैं निर्देशित कर रहा हूं, आपका कुछ भी नहीं लिखा जायेगा, बिल्कुल नहीं लिखा जायेगा । आप कृपया स्थान ग्रहण करें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह लिखा नहीं जा रहा है, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन किसी के दबाव में नहीं चलेगा, आप दुराग्रह कर रहे हैं । तब से मैं निवेदन कर रहा हूं । श्रीराम पाल जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इस तरह से अनुमति नहीं दूंगा । यह बिल्कुल उचित नहीं है ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैंने जो बोला है, आप उसे लिखवा दीजिए ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है । हम दबाव नहीं डाल रहे हैं । हम पीठ का सम्मान करते हैं । हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, एक-एक मिनट के लिए अनुज्ञा दे दी जाये तो हमारे माननीय सदस्यों की जो बात है, उनकी भावनाएं हैं, वह आ जायें, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है । हम सभी पीठ का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे ।

(श्री दद्दू प्रसाद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री श्रीरामपाल के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगी, मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा । मैं इस दबाव के भीतर पीठ से कोई निर्देश देने का आदी नहीं दूं । मैं निर्देश देता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें । आपने आधे घण्टे का समय जाया किया है । इससे मुझे पीड़ा हो रही है । आपके आदेश से पीठ काम नहीं करेगी, आप स्थान ग्रहण करें । आप दुराग्रह कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं । मैंने व्यवस्था दी है इतनी उदारता से अवसर देता हूं । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, नेता हैं दल के । आप सहमत होंगे कि इस तरह से सदन नहीं चलता ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं समझ रहा हूं और आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

दद्दू प्रसाद जी आपकी बात नहीं लिखी जा रही है, आप स्थान ग्रहण करें । हम अनुमति नहीं दे रहे हैं । आप सदन की स्थिति अप्रिय न करें । मेरा निवेदन है, आप स्थान ग्रहण करें । शेष जो सूचनाएं अस्वीकृत हुई । वह हैं श्री विनोदमणि, श्री लालजी वर्मा, श्री बी०आर० वर्मा, श्री राम शंकर पाल, श्री राम अचल राजभर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री उमाशंकर यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री धनीराम वर्मा, श्री अम्बिका चौधरी, डा० वकार अहमद शाह, श्री अब्दुल कलाम, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री सतीश जतारिया, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री परवेज हलीम, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह, श्री बिजेन्द्र आर्य, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री प्रदीप कुमार, श्री राम विशुन आजाद और श्री भीम प्रसाद सोनकर की ।

(श्री धनीराम वर्मा के खड़े होने पर)

माननीय नेता विरोधी दल, कल की कार्यवाही मेरी टेबुल पर है । मैं पढ़ कर सुना दूं । हमने कहा था नियम 311 के अन्तर्गत तीन सूचनाएं प्राप्त हुई थी और मैं इन तीनों ही सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं । आपकी तरफ से कहा गया था कि नियम 311 के अन्तर्गत हमने एक सूचना दिया था । गम्भीर प्रकरण है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे नियम–56 में ट्रान्सफर करके विशेष उल्लेख के रूप में आप सुन लें चूंकि महत्वपूर्ण है । वहां काफी तनाव है । मैंने कहा था कि कल फिर से इसे आप नियम 56 में भिजवा दें । आपने कहा था कि नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी जाती है उसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया जाता है तो शलाका में फिर नहीं डाला जाता है और विशेष रूप से सुन लिया जाता है । मैंने कहा था आपकी सूचना जो नियम 56 में परिवर्तित करके शलाका में ली गयी थी लेकिन उसमें आयी नहीं, इसलिए कल फिर से नियम 56 में भेज दें । उसी समय मैंने कहा था कि कल नहीं आयेगा, आपने कहा कल आ जायेगा मैं सुन लूंगा । मैं जो बात कहता हूं जब 100 प्रतिशत सही होती है तभी मैं बात कहता हूं । ऐसा होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती । आपने कहा कि कार्यवाही दिखवा लीजिए मैंने उसको दिखवा लिया है ।

निश्चित रूप से पीठ से बात कही गयी थी । जो सूचना नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी थी मैंने कहा था कल भी नहीं आयेगी । आपने कहा था कल सुन लिया जायेगा । ठीक है मैं ही गलत हूं आप सही हैं । कार्यवाही में नहीं आया तो मैं क्या करूं । सोमवार को नियम–311 में, मैं दे दूंगा ।

मा० अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सभी विपक्षी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर युक्त ईसाई लोगों पर हो रहे हमले सम्बन्धी नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

जिस नियम–311 की सूचना पर आप लोगों ने अनुरोध किया था माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि अगर सभी दलों के नेताओं के संयुक्त हस्ताक्षरों से आयेगी तो सुन लिया जायेगा । जिस पर आप लोग अपना दबाव बना रहे थे वह मेरे पास है । इसमें मैं देख रहा हूं कि सभी के नेताओं के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय प्रमोद कुमार जी कल दिल्ली चले गये । उन्हीं के हस्ताक्षर नहीं हैं, बाकी सबके हैं । अगर ऐसा छिद्रान्वेषण करेंगे, एक आदमी के लिए आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो यह उचित नहीं हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरा अनुरोध है कि सभी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं सिवाय प्रमोद कुमार के । श्री कौकब हमीद, श्री रामजग, माननीय नेता विरोधी दल और मेरे हस्ताक्षर हैं । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण लोकमहत्व की सूचना पर सुनने का कष्ट करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हम लोगों ने सदस्यता दिखायी है । क्वेशचन आवर में डिस्टर्व नहीं किया और जब नियम–56 आया तब हम लोगों ने कहा । आपने कह दिया इसको बाद में सुन लेंगे । तब भी हम लोग बैठे रह गये लेकिन अब यह कहना कि केवल एक-एक व्यक्ति बोल लें, यह उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग तय कर लीजिए । सभी दलों के माननीय नेताओं के दस्तखत मानकर सभी लोग बोलेंगे तो आप वरिष्ठ सदस्य हैं । समय को देखते हुए खुद तय कर लीजिए । मुझको कोई आपत्ति नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हम लोग कम से कम समय में अपनी बात को खत्म कर लेंगे । कोई आदमी उस बात को रिपीट नहीं करेगा जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगें । जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं सबको पांच-पांच मिनट सुन लिया जाय । इनमें से बहुत से लोग उपस्थित भी नहीं हैं ।

प्रदेश में अल्पसंख्यक (ईसाई) समुदाय के लोगों के ऊपर हो रहे हमलों के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । कुंवर साहब आप प्रारम्भ करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अत्यन्त ज्वलंत प्रश्न है और पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ लोक महत्व का और अविलम्बनीय एवं तात्कालिक है । 11-12 अप्रैल की रात को मथुरा में और 22-23 अप्रैल की

रात को आगरा में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने एक गिरजाघर और स्कूल पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण ही नहीं किया, गिरिजाघर में घुसकर उन लोगों ने तोड़फोड़ की, मार-पीट की और मान्यवर, इतना ही नहीं । इतिहास इस बात का साक्षी है, आपको स्मरण होगा याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की ओर इस देश की शांति को भंग करने का काम अगर किसी ने किया है तो यह कट्टरपंथियों ने किया है । उसकी पुनरावृत्ति इन लोगों ने मथुरा और आगरा में किया है । इस बात का पूरा-पूरा अंदेशा है कि जो हमारे प्रदेश में एक साम्प्रदायिक सद्भाव बना हुआ है वह कहीं नष्ट न हो जाये । उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जिसमें हजारों लोग मारे जायं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का हानि हो । मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म के कार्यकर्ताओं–फ्रैंकलिन, वी० टर्की, रिको जान आदि को मारा पीटा और जो नन्स थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, बाइबिल की किताब को जला दिया और वहां पर इतना भय का वातावरण व्याप्त कर दिया पूरे प्रदेश का ईसाई समुदाय भयग्रस्त एवं शंकाग्रस्त है । तत्काल इस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी तो स्थिति भयावह हो जायेगी । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि यह मामला लोकसभा में भी आया और माननीय प्रधान मंत्री जी ने चिन्ता जाहिर की, उन्होंने कहा कि जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दे रहा हूं कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें । एक हफ्ता हो गया लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । इसलिए नहीं की कि वह बजरंग दल के कार्यकर्ता थे । बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के नाते यह सरकार मौन है । मैं इस अपने महत्वपूर्ण विषय पर यह आग्रह करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान धर्म निरपेक्ष है और उसकी मूल भावना है कि पूरे प्रदेश और देश में एकता अखण्डता बनी रहे, उसकी गारण्टी सुनिश्चित रहे । लेकिन आज कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोकने का प्रयास कर रही हैं जिसके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, दिनांक 10, 11 अप्रैल, को आगरा में सेंट टेरेसा कांवेन्ट स्कूल के प्राचार्य फ्रैंकलीन, सी०एच० राजा, रिकी जान, डी टर्की वहां की नन पर साम्प्रदायिक लोगों ने हमला करके उनको जान से मारने का प्रयास किया था । यही नहीं इसी आगरा जिले में जगदीशपुरा थाने के अन्तर्गत नगला में 22 अप्रैल, 2000 को ईसाई धर्म के प्रचारकों को जिनमें सी०एच० राजा और अन्य उनके साथ के लोगों को इन साम्प्रदायिक और अराजक तत्वों ने हमला करके उन्हें मारने का प्रयास किया था । मान्यवर, यह हमला करने वाले बजरंग दल के लोग थे । मान्यवर, यह साम्प्रदायिक शक्तियां किसी दल के रूप में, किसी संगठन के रूप में यहां प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने पर तुली हुई हैं जिससे अल्पसंख्यकों और ईसाईयों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति आये दिन होती रहती है और यही कारण है आज पूरे प्रदेश में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनमें भय व्याप्त हो गया है फिर चाहे वह ईसाई, जैन, सिक्ख, बौद्ध और चाहे वह इस्लाम धर्म के मानने वाले हों इन सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया है ।

मान्यवर, यहां कुछ लोग धर्म उन्माद पैदा करने वाले लोग यहां का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और वह शांति के वातावरण को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं तथा इंसान से इंसान को लड़ाकर खून की होली खेलना चाहते हैं । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि खून की होली खेली जाय और सौहार्द का वातावरण बिगड़े इसके पहले सरकार को सावधान हो जाना चाहिए और इस प्रकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकमहत्व का प्रश्न है । अतः सारे नियमों को रोककर मान्यवर, आप इसमें चर्चा करायें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार भारत के संविधान का मजाक क्यों उड़ाना चाहती है ? मान्यवर, इस सरकार की हुकूमत में अल्पसंख्यक लोग जो कम तादाद में हैं वे खौफ में क्यों रह रहे हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर विचार होना चाहिए । मान्यवर, आगरा में 10/11 अप्रैल, 2000 को सेंट टेरेसा स्कूल के प्रिन्सिपल के साथ बाकायदा तैयारी के साथ वहां कुछ साम्प्रदायिक लोग गये और प्रिन्सिपल फादर तथा वहां की नन को मारा-पीटा और उसके बाद 22 अप्रैल, 2000 को बजरंग दल के लोगों ने नगला गांव में आगरा के अन्दर बाइबिल को ही नहीं जलाया गया बल्कि वी टर्की विकी जान और सी०एच० राजा को मारा पीटा गया उनके वाहन थे उनको जलाने की कोशिश की गई । संविधान मे साफ-साफ है कि इस देश में जो भी रहेगा उसके साथ बराबर का माहौल बनेगा । मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बजरंग दल के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज होने के बाद कार्यवाही क्यों नही हुई इससे तो यही समझा जाएगा कि सरकार जान-बूझ कर ऐसा माहौल बनवा रही है कि आपस में टकराव हो जाए और खूनी होलियां खेली जाएं । मैं चाहूंगा कि इस सरकार को निर्देश करें । अगर इस तरह का माहौल बना रहा और आगरा के अन्दर जो हुआ या मथुरा में जो हुआ यह प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है । मैं चाहूंगा कि आप बाकायदा सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराएं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रकरण अविलम्बनीय और तात्कालिक है, ज्वलन्त है । "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 25 के अनुसार अन्तःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है । श्रीमन्, इसकी खुली चुनौती उत्तर प्रदेश की दो घटनाओं ने दिया है । यह घोर चिन्ताजनक बात है । अप्रैल माह के विगत दिनों में जनपद–मथुरा में तीन घटनाएं लगातार हुई जिसमें अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक संस्थाओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया । यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है । इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए । प्रदेश में अक्लियत के लोग हैं उनके जीवन की हिफाजत की व्यवस्था करने का दायित्व सरकार का है । अप्रैल माह में तीन घटनाएं मथुरा जनपद में हुई मथुरा में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पहली घटना 6 अप्रैल, 2000 को हुई । दूसरी घटना 10 अप्रैल, 2000 को हुई । अप्रैल माह की 10 तारीख को सेंट डार्मिक स्कूल के प्रधानाचार्य को अपमानित किया गया उनको मारा पीटा गया । दूसरी घटना मथुरा में 11 अप्रैल, 2000 को हुई जब सेंट टेरेसा हाई स्कूल में घुसकर बदमाशों ने दो ननों व पादरी के साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित करने का काम किया ।

सबसे चिन्ताजनक घटना 22 तारीख को हुई जब आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म प्रचारकों को मारा-पीटा । थाना जगदीशपुरा में नगला क्षेत्र आता है वहां कंकड़ जाति के लोगों के बीच बजरंग दल के लोगों ने यह आरोप लगाया कि उन्हें प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में शरीक कराने के लिए ईसाई धर्म प्रचारक कुचक्र कर रहे थे वहां ईसाई धर्म के साहित्य को जलाया गया उन्हें मारा पीटा गया उनके वाहन क्षतिग्रस्त किए गए । यह प्रहार केवल ईसाई धर्म के ऊपर नहीं हुआ है बल्कि यह भारत के संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर हमला है । यह सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामजग जी हैं नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी हमारे साथियों ने जिन घटनाओं का जिक्र करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है जो कि इस सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है । इस सरकार की गंभीरता का एहसास इसी बात से लगाया जा सकता है कि आगरा की घटना जो 10-11 अप्रैल को हुई, पर सरकार का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है । केन्द्र में प्रमोद महाजन और प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के हितों की गारण्टी यह सरकार देती है यदि कोई घटना होती है तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यह ईसाई समुदाय तो मान्यवर अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक हैं । कई घटनाओं का यहां जिक्र हुआ है चाहे उड़ीसा में पादरियों ननों की हत्या या अन्य कोई घटना हो, इनके पीछे किसका हाथ है मैं इस ओर नहीं जाना चाहता मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार का दावा करती है और इसी सरकार के राज्य में ऐसी घटनायें हो रही हैं । किसी अल्पसंख्यक को आई०एस०आई० करार दिया जाता है और इनको सेकेण्ड सिटीजन कहा जाता है । अभी बस्ती में रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया । पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना व्याप्त है ।

इस देश की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर सिपाई अब्दुल हमीद तक का योगदान रहा है । यहां के अल्पसंख्यक पाकिस्तान का विरोध करते थे और वहां जाना भी नहीं चाहते हैं । वहां इन्हें मुहाजिर माना जाता है जिसकी परिणति आज यह है कि उन पर हमले हो रहे हैं । आज इतने दिन हो गये इस घटना को सरकार को तो इस पर वक्तव्य लाना चाहिए था और केन्द्र सरकार उस पर संज्ञान लेती । इन घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग विशेष तौर पर ईसाई धर्म के लोग जो ननें हैं, जो फादर हैं, जो शिक्षा का कार्य करते हैं, एजूकेशन का कार्य करते हैं जो बेगुनाह हैं जो आज राजनीति में भी नहीं हैं उन पर हमले हो रहे हैं उनकी हत्यायें हो रही हैं । यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कलंक है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, इस गंभीर घटना पर माननीय नेताओं ने अपने विचार रखें । 1992 में जो घटना घटी, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो भी शासन संविधान के मूल तत्व के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो उसे सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । धर्मनिरपेक्षता तो हमारे संविधान का मूल अधिकार है । अगर शांति नहीं रहती है तो विकास भी नहीं हो सकता है । हम रोज घोषणा करते हैं कि गरीबी को दूर करने के लिये हम कृतसंकल्प है । यदि साम्प्रदायिकता तथा अशान्ति बढ़ती जायेगी तो इसका बड़ा खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ता है जिसके पेट में रोटी नहीं है और उस रिक्शे वाले को भुगतना पड़ता है जिसके पेट में रोटी नहीं है । इन घटनाओं की पीछे एक लम्बी कड़ी है ।

उड़ीसा में एक पादरी तथा उसके दो बच्चों की निर्मम हत्या हुई, जिससे पूरे विश्व में भारत का सिर शर्म से झुक गया । गुजरात में भी यही घटना हुई अब उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है। केन्द्र में प्रधान मंत्री जी ने इसको अनुभव किया । यदि इस प्रकार की घटनायें बढ़ती गई तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे और भारत का विदेशों से जो संबंध है उन पर भी कुप्रभाव पड़ सकता है और साथ ही आर्थिक सुधारों पर

भी इसका प्रभाव पड़ सकता है । उड़ीसा के संदर्भ में भी गुजरात के संदर्भ में भी और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी एक ही दल के कार्यकर्ताओं का नाम जोड़ा जा रहा है । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा में जो जघन्य और बर्बर काण्ड करने वाले व्यक्ति की वकालत करने वाला वह पहला कौन व्यक्ति था जिसने वकालत करने का प्रस्ताव दिया था । यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह साम्प्रदायिक शक्तियां जानती हैं कि सरकार का अगर उन्हें खुले रूप से समर्थन नहीं है तो आंतरिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप में उनका समर्थन है जिसके कारण अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं । कोई भी धर्म या संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती है । यह कोई एक घटना मात्र नहीं है ।

जगदीशपुर नगला में एक पादरी को तीन दिन तक बैठाये रखा गया और उस इंसपेक्टर को वहां से हटाया गया परन्तु बाद में डी०आई०जी० और आई०जी० के बीच में मन-मोटाव होने के कारण उस इंसपेक्टर को पुनः वहां तैनात कर दिया गया । यदि इसी प्रकार साम्प्रदायिकता को नहीं रोका गया और अल्पसंख्यकों की हत्यायें होती गयीं और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी तो उत्तर प्रदेश में शान्ति कैसे रहेगी इसलिए सरकार इसके लिए जिम्मेदार है । प्रधान मंत्री जी के निर्देश के बाद भी मुख्य मंत्री जी ने उस तरफ कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और कोई कार्यवाही नहीं की । इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय ।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो घटना हुई है वह बहुत ही जघन्य और हृदय विदारक घटना है और एक छात्र संगठन के लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है.। मुख्य मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी अभी भी अचेत हैं । क्रिश्चियन लोग तो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं, इनकी तरफ तो वैसे ही विशेष ध्यान देना चाहिए । इसलिए इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शेष कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, जहां तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है । यह आश्वासन तो मान्यवर है ही । उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है सभी नागरिकों को सुरक्षा के लिये चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों । शामिल हैं । दो घटनाएं हुई मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा । 10/11 अप्रैल, 2000 को यह थाना कौसी क्षेत्र में बरहाना गांव है वहां पर सेन्ट टेरेसा कान्वेन्ट स्कूल के परिसर की घटना है । इसमें लगभग 9 व्यक्तियों ने लूट-पाट किया । इनके खिलाफ 395, 397 के मुकदमें दर्ज हुए । लूट की घटना यह है कि इसमें 70 हजार की नकदी लूटी गई । यह सामान्य कानून व्यवस्था का मामला है । आज चूंकि वह एक ईसाई के घर में घटना हो गई । (व्यवधान) वो रहते भी वही हैं । वह घर भी था और स्कूल भी । स्कूल हो या घर हो । क्या वही अकेला स्कूल है जहां इस तरह की लूट की घटना हुई हो । क्या सामान्य स्कूल में कोई लूट की घटना नहीं होती । अगर सामान्य स्कूल में लूट की घटना हुई होती तो क्या आपको हमदर्दी नहीं होती ।

आज यह सारे देश में सन्देश देना चाहते हैं । इनकी मानसिकता ऐसी बन गई है यह उससे उठ नहीं सकते हैं । कुछ लोगों ने भार ले लिया धर्मनिरपेक्षता का कि हम ऐसा नहीं कहेंगे तो हमको धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं मिल पायेगा । लूटपाट की घटना हुई है, मुकदमा कायम है, जांच चल रही है और यह लोग उसको दूसरा रंग देने का काम कर रहे हैं । यह मान्यवर, चाहे रेवती रमण जी हों, चाहे सुबाष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी हों या जगदम्बिका पाल जी हों, जो भी सम्मानित नेता हमारे सामने बैठते हैं कहीं न कहीं कोने में से बात निकाल कर लायेंगे और उस पर मालिश ऐसी करेंगे कि अलग हो गई सिर्फ वर्जन रह जायेगा । यह घटना अल्पसंख्यक जिनकी संख्या सबसे कम है उनके साथ घटी । अगर यह घटना किसी और टीचर के साथ हुई होती उसका धर्म कुछ और रहा होता तो आपकी निगाह में उसका कोई महत्व नहीं होता । हमारी निगाह में तो इतना ही महत्व होता । इसमें लेना-देना किसी बात से नहीं है आपको । इसमें जो लोग हैं उनका किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है न हथियार की बात है । आगरा वाली घटना में मान्यवर, यह हम लोगों के दबाव रहते दूसरी घटना की बात कर रहा हूं कि लूट-पाट की घटना होने के बाद भी एस०पी०, आई०जी, डी०एम० से लेकर कमिश्नर तक सारे अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर लिया ।

श्री पीटर फैंथम–

नन्स को मारा क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

वह मुझे मिल जायेंगे बदमाश तो मैं पूछकर बता दूंगा । जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा उसका हम उत्तर देंगे । मैंने चोरी की बात नहीं कही, लूट की बात कही है । 395 और 397 का मुकदमा मारपीट के लिये हुआ है । मारा क्यों ? जो बदमाश हैं, उनके काम में जो रुकावट डालेगा, आप हों, मैं होऊं, वे सदैव मारते हैं । न जाने कितनी घटनायें लखनऊ में हो चुकी है और जगह भी होती है यह साधारण बात नहीं है, लेकिन जो वर्ग पीड़ित है वह किसी धर्म विशेष से संबंधित है हमें यह सोचना है कि धर्म विशेष पर घटना होगी तो मानी जायेगी वरना नहीं मानी जायेगी ।

मान्यवर, मैं दूसरी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा । 22 अप्रैल, 2000 की घटना है आठ बजे के करीब यह घटना हुई । यह घटना है, हैप्रिनगोल कुन्दरा, क्रास रोड थाना पल्ली, कुछ लोग वहां अपने धर्म का प्रचार करने लगे, अनुच्छेद–25 में उनका अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, लेकिन यह तो जरूरी नहीं है कि हम उस प्रचार को सुनें, सब उसका विरोध करने लगे, उनको भी अधिकार है, आप मजबूर करें कि आप सुनेंगे यह तो कोई बात नहीं हुई, आप परिस्थितियों पर भी विचार करें । घटना को तूल न दें । तो प्रचार करने पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया । उनके विरोध करने पर जो उनके पास साहित्य था उसको छीना, जैसे ही पुलिस को पता लगा वह मौके पर पहुंची और जो प्रचारक थे उनको भी सुरक्षित पकड़ लिया गया । पुलिस ने उसको नहीं छीना, जिन लोगों में प्रचार करने पहुंचे वह नहीं सुनना चाहते थे उन्होंने विरोध किया, कोई प्रचार करता है तो यह तो उसके ऊपर है वह किस हद तक प्रचार करता है । अगर कोई नहीं सुनना चाहता है तो यह तो उसे भी अधिकार है, रेवती रमण सिंह यह देश की महानता है कि आप कुछ भी प्रचार कर लें लेकिन कोई ऐसी बात होगी तो उसका विरोध किया जाएगा । आप यहां की संवेदनशीलता देखें और जगह आप प्रचार करके देखें तो आपको पता लग जायेगा । आपने देखा होगा पढ़ा होगा सभी जानते हैं एक यहां के व्यक्ति ने, संसार में जिसकी बात सुनी जाती थी अमरीका में शिविर लगाया उसको वहां से भगा दिया गया, करोड़ों रुपये भी लग गए । वहां किसी ने इसका विरोध नहीं किया । रुचि नहीं थी तो निकालकर भगा दिया । थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, बजरंग दल कहां से आ गया हर बात में यह कहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, यह आपत्तिजनक बात है। इन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में बात कही है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं जिसकी प्रेरणा ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूं। मैं यहां पर मंत्री के रूप में बात रख रहा हूं पार्टी के रूप में नहीं। शासन की रिपोर्ट में यह आया कि बजरंग दल के लोग थाने गये थे प्रदर्शन करने। वह उस घटना स्थल पर नहीं गये थे। मान्यवर, पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस तफ्तीश कर रही है। उड़ीसा की बात करते हैं, सारे देश की बात करते हैं। उड़ीसा में दर्दनाक घटना हुई इसका सबको दुःख है। मान्यवर, काश्मीर में क्या हुआ ? वहां पर सारे ब्राह्मणों और सिक्खों को निकाल कर खाली कर दिया गया है। मान्यवर, मैं हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई आपस में है सब भाई-भाई इसमें विश्वास करता हूं लेकिन कुछ लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं लेकिन यह सरकार उसे तोड़ने नहीं देगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ऐसी बात कही जो कि इनको नहीं कहना चाहिए यह उनको शोभा नहीं देता है। मान्यवर, भारत के प्रधान मंत्री ने चिन्ता व्यक्त की और उन्होंने यह बात कही, उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत देते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही जी जाय। आपने उड़ीसा का उल्लेख कर दिया। आज आप कह रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे। पहले भी यह बात आयी थी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता श्री दारा सिंह ने.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिवप्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, वह बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं है। यह बात जांच में आ गयी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिक दंगे फैलाने का काम किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। चाहे बजरंग दल हो या और दल हो किसी को भी यह अधिकार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसके विरोध में हम तथा हमारा दल सदन का त्याग करते हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मंत्री के रूप में वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने प्रेरित किया है कि इसाईयों पर और हमले हों। मान्यवर, इस घटना पर चिन्ता व्यक्त करने के बजाए उन्होंने और प्रेरित किया है। अगर माननीय मंत्री जी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बोलते हैं तो आप हमको संरक्षण दें। यह मंत्री के रूप में सरकार का पक्ष रखें। आज इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बजरंग दल को डिफेन्ड किया है और इस तरह से भविष्य में और घटनाएं बढ़ेंगी। मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सरकार गम्भीर नहीं है माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है । उन्होंने यह कहा कि दुनिया के दूसरे देशों में हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या 11 ले रहा हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यक ईसाइयों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है और उनकी सुरक्षा में असफल रही है । इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री पीटर फैन्थम–

मान्यवर, कृपया मुझे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आप अपना बजट रखें ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा राज्य पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,16,14,25,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय कुल आबादी का 80 प्रतिशत जो भाग है वह ग्रामीण आबादी का है । ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम जो सर्वे है उसके आधार पर 75 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे हैं । विशेषकर, जो हमारा विभाग है, ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण रूप से स्वीकृत करने के लिए और गरीब लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए दिन-रात प्रयत्न कर रहे हैं और उस प्रयत्न में अनवरत रूप से हमारे अधिकारी कर्मचारी सरकार, भारत सरकार लगी हुई है । भारत सरकार के माध्यम से हमें अभी अनुदान प्राप्त होता है तो एक नहीं कई योजनाओं को हम समाज के सामने लाते चले जा रहे हैं । इसी क्रम में स्वर्ण जयन्ती योजना रोजगार योजना जो भारत सरकार ने एक योजना दिया है उसको लागू किया है अभी तक की स्थिति के अनुसार हमने जो तय किया है । बैंकों से ऋण दिला करके एक ऐसी स्वयं सेवी संगठन लगायें जो उनको मार्ग दर्शन दे । इसके साथ ही उनको पूंजी दे करके एक स्वयं सहायता समूह गठित करवा रहे हैं यह व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम पूंजी के भी ऐसा व्यक्ति गांव से भागकर शहर की तरफ न जाये और उसके लिए कम से कम 2000 रुपये मासिक निश्चित रूप से मिल सके और वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके । मान्यवर, हमने सुनिश्चित किया है कि अनुदान जो देना है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को साढ़े सात हजार रूपये और अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को 10 हजार रुपये तो इस तरह से 30 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के

रेसियो में अनुदान की व्यवस्था जो है वह भारत सरकार के नार्म के आधार पर है। 1999-2000 में 86.32 करोड़ व्यय करके 41 हजार 336 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया है। 1999-2000 के अन्तर्गत हमने इतने लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है और 2000-2001 के अन्तर्गत कुल राज्यांश 64.82 करोड़ से लेकर कुल 259.28 व्यय करके 3.75 लाख लोगों को लाभान्वित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। मान्यवर, अभी की स्थिति में देखा जाय तो इतनी बड़ी संख्या में कभी भी किसी भी सरकार ने लोगों को जो गांव में रह रहें हैं उनके ग्रामीण जीवन को देखते हुए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई हो, ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस समय चल रही है इस सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था किया है। इसमें 25 हजार स्वयं सहायता समूह गठित कर रहे हैं समूह ऐसा गठित कर रहे है जिसमें 10 से 15 लोग जुट रहे है और जुटने के आधार पर स्थानीय आधार पर वहां पर पैदा होने वाली सामग्रियों के आधार पर एक-एक चीज को जोड़ करके उसी से अपने रोजगार का सृजन कर रहे है, उसी में पैसा भी जमा कर रहे हैं और पैसा जमा करने के साथ-साथ विकसित कर रहे है और उसी से लोगों को ऋण भी देने का काम कर रहे है जो उनके मेम्बर हैं।

इस प्रकार से अगर देखें तो स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत हमने जो दिया है अभी तक वह काफी है जो हमारी योजना के साथ जुटे हैं उनको ऋण दिया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा जो रोजगार योजना के स्थान पर प्रारम्भ की गयी है जिसका उद्देश्य एक जगह से दूसरी जगह गांव की सड़कों को जोड़ने का है हमने इसके लिए 1999-2000 के उसमें 329.41 करोड़ रुपये व्यय करके 369.27 लाख मानव दिवस का सृजन किया था, उनको रोजगार देने का काम किया था। ऐसी व्यवस्था किया कि रोजगार पाकर उनके चूल्हे बुझे नहीं और उनके पेट भर नेवाला जाता रहे, इस प्रकार से सरकार ने प्रयत्न किया है।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पीठासीन हुए।)

1999-2000 में दिया है और 2000-2001 में 720 करोड़ रुपया व्यय करके लागभग 623 लाख मानव दिवस सृजन करने का काम इस वित्तीय वर्ष में लिया है और इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी कल ही यह विषय आया था रोजगार देने का, यह सही है कि स्थानीय स्तर पर हम उस हद तक एक रोजगार विकसित कर सकते हैं कि जो वहां पैदावार होती है, जो सृजन हो रहा है स्थानीय स्तर पर ही हम पूरा-पूरा उसका विकास करते हैं और उससे उतने मानव दिवस सृजन कर रहे हैं। यह जरूर है कि बम्बई और कलकत्ता भागकर जाते हैं तो कुछ अधिक पैसा मिल जाता हो परन्तु घर का वह प्यार नहीं मिल पाता होगा जो हम उन्हें मानव दिवस सृजित करके रुपये के रूप में दे रहे हैं, वह अपने परिवार में हंस रहे हैं, खेल रहे है, खा रहे हैं। भारत सरकार पूरे भारत में इस तरह का कार्य कर रही है और इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक सृजन की बात कही है और ग्राम्य विकास विभाग इस रूप में लगा है और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। इस क्रम में अगर हम देखें तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 37 प्रतिशत लोगों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में ठहराव आया, हम उस ठहराव को खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की योजनाओं का सृजन करके ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, जिस व्यवस्था के आधार पर वह रोजगार प्राप्त कर लें और रोजगार प्राप्त करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगों को समूह बनाकर, पढ़े-लिखे लोग अपना-अपना योगदान कर रहे है, इसके साथ ही हम महिलाओं को भी लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। महिला समूहों का गठन कर रहे हैं, उनके आत्मविश्वास को जगा रहे हैं।

आज महिलाओं के हर जगह 33 प्रतिशत आरक्षण की बात होती है, संसद में, विधान सभाओं में भी। वास्तव में देखना यह चाहिये कि निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर उनका विकास किया जाय

जिससे वह अपना सब कुछ कर सकने में सक्षम हों । हम निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों के स्तर तक महिलाओं के विकास की बात कर रहे है और वह तभी संभव होगा, जब उनको इस बात की जानकारी हो जाय कि हमारे हाथ में भी दो पैसे कमाने की क्षमता है । अभी तक तो यह स्थिति थी कि लड़कियों को लोग शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं समझते थे, कहते थे यह तो दूसरे घर जायेगी । यदि एक लड़का शिक्षित होता था, तो वह अपने तक । परन्तु यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है, इसलिये लड़कियों को शिक्षित करना कहीं ज्यादा आवश्यक है । दूसरी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती थी, परन्तु वर्तमान सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है । ताकि आगे आने वाले समय में जब 33 प्रतिशत आरक्षण हो तो महिलायें इतना सक्षम हों कि उनकी आवाज विधान सभा में गूंजें और विधान सभा के बाहर भी गूंजे और वह पुरे समाज की जिम्मेदारी लेकर चल सकें । मान्यवर, जहां हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं उनके आवास की व्यवस्था भी हमारे जिम्मे हैं । इसके लिये इन्दिरा आवास के रूप में हम ऐसे लोगों को, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, हम उनको आवास देने की बात कर रहे हैं । मान्यवर, इस क्रम में थोड़ा तुलनात्मक स्थिति देखें तो यह गरीबी की रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों के लिये और नीचे रहने वाले लोगों के लिये 2000-2001 में 400 करोड़ रुपया व्यय करके 2.27 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है । पर्वतीय क्षेत्रों के लिये इसका मानक अगल है, वह 22 हजार का है और अन्य मैदानी क्षेत्र के लिये 20 हजार का है । ऐसे लोग जिनके पास आवास नहीं है, या मडईया बिल्कुल टूटा-फूटा आवास है उसके लिए भी हम 20 प्रतिशत रखे है, जिनके लिए 10 हजार रुपये दिए गये हैं, उनके आवास को सुधारने की व्यवस्था भी रखी है । मान्यवर, यदि देखें, पिछले वर्ष से अधिक लगभग 40 करोड़ से ऊपर का और यह व्यय करके हम बनाने के लिए लगे हुए हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं । हम इसमें थोड़ी पारदर्शिता भी लाना चाहते हैं । कई शिकायतें हमें मिली हैं, विधायकों के द्वारा भी मिली, अन्य जगहों से भी मिलीं, इन्दिरा आवास के बारे में कुछ शिकायतें आयी हैं, हम उसे पारदर्शी बनाना चाहते हैं । पहले जो गांव में चयन होता था जो स्थिति थी यदि एक के लिये चयन हुआ तो कहीं-कहीं दो-तीन बन गयीं । जितना लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उतना ही चयन हो ताकि जो चयनित हो कर आते हैं उन को मकान दे सकें । ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं । इसी प्रकार जलापूर्ति का है । मैदानी भाग में भी है, पहाड़ी क्षेत्र में भी है, बुन्देल खण्ड के क्षेत्र में भी है, उनके लिए अलग-अलग से योजनाएं तैयार करायी हैं । मान्यवर, 2 लाख 74 हजार 641 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी, यह लक्ष्य है 2 लाख 63 हजार बस्तियों में 250 व्यक्तियों के नार्म के आधार पर जो भारत सरकार का नार्म रहा है, हमने यह प्रयत्न किया है और उन-उन जगहों पर इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की स्थापना की है, गड़वाया है और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी है ।

एक चीज हमने मान्यवर, थोड़ा अलग हटकर के रखी है । भारत सरकार का नार्म अभी भी 250 का है, 50 लीटर पानी का है, 2000-2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 250 के नार्म को घटाकर हम 150 पर लायेंगे और 150 के आधार पर हम लोगों को हैण्ड पम्प देने का काम करेंगे । इतना जरूर है कि इसमें लोग भी लगें । लोगों को यह महसूस हो कि यह हमारे लिए हैं, हमने सोचा है कि जहां 80 प्रतिशत व्यय हम क[illegible] और शेष 20 प्रतिशत की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करायेंगे ताकि उनको लगे कि मेरा भी पैसा लग[illegible] है और इस आधार पर वे उसकी देखरेख कर सकें । देखरेख करने के साथ ही किसी के मकान [illegible] न लग जाये किसी की बाउंड्री में न लग जाये और जो शिकायतें ऐसी आयी हैं उनको दूर करेंगे । ऐ[illegible] त में कहीं नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में 150 के नार्म पर हम हैण्डपम्पों की व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

भारत में आप पहली बार मंत्री भी तो हुए हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आपस में बात न करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, हैण्डपम्पों की गुणवत्ता पर ध्यान देना है, आमतौर पर शिकायतें आती रही हैं कि हैण्डपम्प गड़ जाता है, कुछ समय में पानी देना बन्द कर देता है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है । हमने कैबिनेट डिसीजन लेकर निर्णय लिया है कि जो एजेन्सीज हैं, जो अथेंटिक एजेन्सीज हैं उन्हीं के द्वारा पूरे प्रदेश में हैण्डपाइप लगवाने का काम करायेंगे । रख-रखाव का काम भी हम कर रहे हैं । जहां-जहां शिकायते मिलती है कि हैण्डपम्प खराब हैं वहां प्रयत्न कर रहे हैं कि इसी पैसे से खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवायें । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में स्वजल परियोजना के जरिये, राजीव गांधी मिशन के जरिये पहाड़ों में भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं । वैसे तो पानी का जल स्तर हर जगह नीचे जा रहा है इस सम्बन्ध में भी हम धान दे रहे हैं । मान्यवर, 50 हैण्डपम्पों की बात आई थी तो 31 मार्च, 2000 को शासनादेश जारी कर दिया गया है । मैंने प्रयत्न किया है कि यह शासनादेश सभी विधायकों को मिल जाये ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, हम लोग अपने क्षेत्र में लोगों की गालियां खा रहे है । मंत्री जी ने शासनादेश निर्गत कर दिया है लेकिन पैसा कहां है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मैं सदन के बीच में कह रहा हूं कि 50-50 हैण्डपम्प जो दिये गये हैं विधायकों को उसका पैसा भी जल निगम को उपलब्ध करा दिया गया है । जहां विधायक चाहेंगे वह हैण्डपम्प वहां लगेगा और कोई नार्म नहीं रखा गया है । माननीय राम औतार शाक्य जी को बधाई देना चाहिए कि पिछली बार हम लोग हैण्डपम्प के लिए तरसते रह गये लेकिन हैण्डपम्प नहीं मिल रहे थे । अबकी बार जयजयकार करिये कि हमारी सरकार ने 50-50 हैण्डपम्प दे दिये ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी माननीय रामतेज यादव अपना कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद आप कहियेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना है, मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । मंत्री जी का भाषण समाप्त होने दीजिए उसके बाद अवसर मिलेगा ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, शुक्रवार का दिन है सब लोग जाने के मूड में हैं फिर भी मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। मान्यवर, माननीय शाक्य जी ने कहा है कि 50-50 बढ़ा दिये जायं। यह नहीं देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा दूनी संख्या मे हर जगह हैण्डपम्प देने जा रहे हैं। जो 50-50 हैण्डपम्प विधायकों को दे रहे है वह माननीय विधायकों के बताये हुये स्थान पर ही लगाये जायेंगे। इसके साथ ही साथ हमने 150 की जनसंख्या का नार्म कर दिया है। अब 150 की आबादी के आधार पर हैण्डपम्प लगाने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में इतने हैण्डपम्प गड़वा दे रहे हैं कि कहीं भी जल की किल्लत नहीं रहेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कहीं सारे ब्लाक डार्क न हो जांय ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्री जगदम्बिका पाल जी की चिन्ता यह है कि कहीं डार्क न हो जाय। अगर एक दिन के लिए जबरदस्ती बना लिया जायेगा तो प्रदेश डार्क हो जायेगा। अब भी समय है कि आप इधर आ जायं सब ठीक हो जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुझे तो इस बात की खुशी है कि बहुत दिनों बाद मंत्री जी जेल से छूटे हैं। जेल से छूटने वाले व्यक्ति की क्या मानसिकता है, आज परिलक्षित हो रहा है। मैं तो यही शुभकामनायें दूंगा कि भविष्य में जेल में न जांय और जहां हैं वहीं खेल कूद करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं थोड़े आंकड़े दे रहा हूं कि 1999-2000 और 2000-2001 में कितना अन्तर है। जहां सुनिश्चित रोजगार योजना में 5.66 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया वहीं 200 इस वर्ष 6.33 लाख मानव दिवस का सृजन किया है। इसी तरह से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में पहले 6.24 लाख का उसे हमने 6.87 लाख किया है। इन्दिरा आवास में पिछली बार 1 लाख 87 हजार आवास दिये इस बार हम 2 लाख 26 हजार आवास देने का काम कर रहे हैं। स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में पिछले वर्ष 50 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया था इस बार 3.75 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार गांवों के विकास के लिए तत्पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर दिशा में एक नया परिवर्तन लाकर एक नया प्रतिमान स्थापित कर बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने प्रत्येक ब्लाक में अगले 5 वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए रोजगार सुलभ कराकर कम से कम 33 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर खड़ा करने का काम करने का निर्णय किया है। इस प्रकार ग्राम्य विकास का लक्ष्य लेकर वर्तमान सरकार काम कर रही है।

मान्यवर, ये लोग चिल्लाया करते थे, हमारे मार्क्सवादी मित्र नहीं है वह कहते थे –"हर एक भूखे पेट को बस यह गुमान है, रोटी का एक टुकड़ा ही हिन्दुस्तान है।" यह लोग पूरे हिन्दुस्तान की कल्पना रोटी के लिए किया करते थे। हमने रोटी को आसान बना दिया है। रोटी जरूरी नहीं है। हिन्दुस्तान रहेगा तो हिन्दुस्तानियों को रोटी मिलती रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है। मान्यवर, इस प्रकार ग्राम्य विकास के लिए, ग्रामीण जनता के विकास के लिए, ग्राम में रहने वाले नवयुवकों के लिए 80 प्रतिशत जो ग्रामीण जनता है उसके लिए हमने 60 प्रतिशत से ऊपर का भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दिया है और हम ग्राम्य विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं।

इस सरकार का साथ देने के लिए आप सभी लोगों को आना चाहिए । अगर आयेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक साथ खुशहाली के लिए काम करेंगे । धन्यवाद ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो भी बातें कहीं हैं उनके सोच में है कि प्रदेश के गांवों की तरक्की होनी चाहिए लेकिन सोंच का भी तरीका है वह आंकड़ों में गिन दिया है । प्रभावशाली तरीके से इस प्रदेश का विकास महात्मा गांधी जी के रास्ते से उनकी सोंच से जिस मण्डप में बैठे हैं उनके आर्शीवाद से तथा उनके बताये हुए तमाम रास्तों से गांवों का विकास होगा । उन्होने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है और वह सभी गांवों में निवास करते हैं ।

विनोवाभावे जी और लोहिया जी ने कहा था कि यह देश की अजीब विडम्बना है जहां का आदमी, मानव मानव को ढो रहा है और रिक्शा चलाकर अपनी गुजर-बसर कर रहा है । मान्यवर, दो बार अवसर आया और प्रदेश में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होने कहा कि गांवों का विकास हो और प्रदेश का विकास हो इसलिए बजट का 75 प्रतिशत धन गांवों के विकास के लिए दिया एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाया । मान्यवर, आज खेती पर बोझ बढ़ता जा रहा है इसलिए देश और प्रदेश में हम यहां बैठकर चिन्तन कर रहे हैं कि जब तक खेती पर जो बोझ है और काम में जो हाथ लगे हैं वे कम नहीं होंगे तब तक गांवों की तरक्की नहीं हो सकती है उसके लिए जब-जब अवसर आया है मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में कुछ बड़े देशों के आंकड़े रखना चाहता हूं । मान्यवर, आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में अमेरिका का आंकड़ा रखना चाहता हूं आप देखें कि अमेरिका में खेती में काम करने वाले 1985 में तीन प्रतिशत और 1990-91 में वहां 2 प्रतिशत काम करते थे । आज जो स्थिति प्रदेश की हो गयी है, आज जो मजदूर काम करने वाले लोग हैं वे खेती पर ज्यादा आश्रित हैं ।

मान्यवर, आपने कहा कि हम प्रदेश में रोजगार का सृजन करेंगे और अमुक-अमुक व्यक्ति के लिए रोजगार है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन व्यक्तियों तक पैसा पहुंच रहा है और उनकी तरक्की हो रही है कि नहीं इसको क्या आपने देखा है । इसलिए इस सम्बन्ध में आपको गहन अध्ययन करके विचार-विमर्श करना चाहिए और जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके कारण कमजोर का दोहन हो रहा है इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में लोक सभा में प्रस्तुत किये गये आंकड़े को यहां पढ़ना चाहता हूं । पर केपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की घट गई । हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बेरोजगारी दूर कर सकें । लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न 3,307 आया था उसके अनुसार पर कैपिटा इनकम 1981 से 1983-84 तक बताई गई थी । वर्ष 1980-81 में पर कैपिटा इनकम आंध्र प्रदेश की 1317, आसाम की 1221, बिहार की 927 सबसे नीचे उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने बताया था जो 1272 थी जब उत्तर आया था तो यह बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश की खराब स्थिति कृषि की उपेक्षा के कारण है । उन्होंने यह भी बताया था कि 1990-91 और 1995-96 में उत्तर प्रदेश 6.851 के बहुत नीचे आ गया दूसरे राज्य जो हमसे खराब हालत में थे उनकी स्थिति ठीक होती गई ।

इसी सदन में नेता विरोधी दल के नाते और मुख्य मंत्री के नाते चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब तक खेती से हम बोझ कम नहीं कर देंगे तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती है । चाहे कितने

समूह "क" समूह "ग" बनाएं इससे कोई बात बनने वाली नहीं है । कुछ योजनाए आपकी ऐसी हैं जिनसे केन्द्र से शत प्रतिशत सहायता मिलती है । कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें 80 प्रतिशत केन्द्र से धन मिलता है और 20 प्रतिशत प्रदेश लगाता है कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें 50 प्रतिशत केन्द्र देता है और 50 प्रतिशत सरकार वहन करती है । कुछ योजनाएं राज्य से ही पूर्णतः संचालित होती हैं इन योजनाओं के बारे में आपकी जो पुस्तिका छपी है उसमें आधी अधूरी जानकारी दी गई है । जो बायोगैस परियोजना शुरू की गई थी उसमें ब्लाक में अधिकारी ही नहीं थे जो इसके बारे में टेक्निकल जानकारी देते । यह योजना फेल हो गई उसमें लगी हुई पूंजी गांव के किसानों की बेकार हो गई क्योंकि आपके पास अधिकारी व टेक्निकल लोग ही नहीं थे जो उसके बारे में जानकारी देते . जो संयत्र लगे हुए हैं उनके डंडा निकाल कर लड़के लिए घूम रहे हैं, बजरंग दल के लोग लिए घूम रहे हैं और मार पीट कर रहे हैं । जो टूल्स दिये जा रहे हैं वह इतने खराब हैं कि एक बार में ही चूड़ी खराब हो जाती है उसको अच्छी क्वालिटी में करें तभी उसका कोई इम्प्रेसन होगा । जवाहर रोजगार योजना चल रही है 10 लाख कूप योजना चल रही है 10 लाख कूप योजना की दुर्दशा हो गई केन्द्र सरकार ने आपको पैसे दिये नहीं । जो भी पैसा लगाया वह आधा अधूरा रहा कहीं गड्ढें खुदे हुए हैं कहीं ड्रेनें खुदी हैं आपके पास पैसा है नहीं कैसे उस काम को पूरा करेंगे ? क्या आपने कोई चिन्ता की ? 9 अरब 10 करोड़ में सब पूरा हो जायेगा । तो बता दीजिये कि जो नहरें साल भर पहले खुद गई उनमें कितना पैसा लगा और अधूरी पड़ी है कितना लग जायेगा । मंत्री जी आंकड़ों के जाल में न फंसे । इन्दिरा आवास की बात करते हैं । कौन रहेगा वहां । वहां कोई इसलिये नहीं रहता क्योंकि वहां कोई भरोसा नहीं कब छत गिर जाय और आंदमी मर जाय । वहां जो सरिया लगा है जो सीमेंट लगा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये थी । अनुसूचित जाति निर्बलों के लिये योजना बना रहे हैं केवल कागज पर । कोई आवास नहीं बनते । बलाक के अधिकारी कागज पर बनाकर पैसा खा रहे हैं । उनके बड़े-बड़े मकान हैं टैक्सियां चल रही हैं । ऐसी स्थिति आपकी नहीं हो पायगी माननीय मंत्री जी । जब कोई शिकायत होती है तो वह आपका कोई रिश्तेदार निकल आता है और टेलीफोन हो जाता है, जांच हो ही नहीं पाती है ।

रोजगार योजना में अम्बेडकर गांव में स्व० दीनदयाल जी के नाम पर योजना चलाई है आपने । पी० डब्लू० डी० का मानक देखिये 5 लाख में एक किलोमीटर, मौके पर साढ़े आठ लाख में और वह भी खड़ंजा, सही तो 10 लाख में एक किलोमीटर सड़क बना पाता है । विधायकों को नल की बात कही आपने, अरे शासनादेश को क्या कोई विधायक चाटेगा ? बात तो तब बने जब शासनादेश होते ही पैसा विधायक के घर पहुंच जाय । तब पता चलेगा सरकार जागरूक है । सियार का पट्टा दिखा रहे हैं । कहां ढिलाई है, पता करें । हम भी आपकी मदद करेंगे । अधिकारियों के यहां विधायक चक्कर काटता है । बात तो तब है जब विधायक के घर एक्जूक्यूटिव इंजीनियर आये और कहे कहां नल लगना है बताइये ? माननीय मंत्री जी आप आंकड़ों के जाल में न फंसे । प्रदेश में 904 ब्लाक हैं, सुनिश्चित योजना के तहत जो पैसा गया हुआ है, बी० डी० ओ० सारी फाइलें दबाकर बैठा हुआ है । वी० डी० सी० और प्रधान से जो प्रस्ताव लिये जाने होते हैं, वह इस योजना में तैयार नहीं होता है काम कराने के लिये और कह देता है कि इलेक्शन आ गये हैं । अब आप ही बतायें कि इलेक्शन कहां हो रहे हैं ? बी० डी० सी० के लोगों को घास तक तो वह डालते नहीं । पहले एक मुख्य मंत्री थे वह कहते थे हनक है और ये मुख्य मंत्री तो लाचार और बूढ़ें हैं । सुनिश्चित योजना के तहत जो पैसा चला गया है तो उससे योजनायें क्यों नहीं चल रही हैं ? आप अधिकारियों से तो जानकारी कीजिये । बी० डी० सी०, प्रधान और जन-प्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं । जनता का पैसा है तो जनता के पास जाना चाहिये । आप इनकी एक बैठक बुलाइये और पूछिये कि काम क्यों नहीं हो रहा है । इन पर आप अंकुश लगाइये । माननीय मंत्री जी आप तो हमारे साथ इमरजेन्सी में रहे हैं । अन्त में मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

"साज बिना हर राग अधूरा होता है,

जैसे मेंहदी बिना सुहाग अधूरा लगता है,

ऐसे ही भाजपा गठबन्धन, शासन बूढ़ा, भ्रष्ट, लाचार सा लगता है

समाजवादी पार्टी का स्वप्न अवश्य पूरा सा लगता है

गांव किसान की प्रगति बिना अब तो समाज एवं प्रदेश अधूरा सा लगता है।"

श्री शुक्ल जी के भाषण से तो यह सारा प्रदेश चौपट होने जा रहा है। आंकड़ों के भ्रमजाल में आप मत जाइये। यदि आप कुछ गांवों का विकास कर पाये तो प्रदेश की जनता कहेगी कि इस लाचार और भ्रष्ट सरकार में कोई एक तो काम करने वाला है। धन्यवाद।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह कौन कह सकता है कि कौन कब जायेगा। सबको जाना है। यह तो शाश्वत् सत्य है। कोई आगे जायेगा कोई पीछे।

श्री अधिष्ठाता–

गौरी शंकर जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। मैंने माननीय मंत्री जी को भी बड़ी तन्मयता के साथ सुना। श्री रामतेज यादव एडवोकेट जी को भी पूरी तरह से सुना और सौभाग्य है कि ग्राम विकास विभाग से बहुत वर्षों से जुड़ा हूं और बहुत नजदीक से जुड़ा हूं। 25/30 साल पहले हम सुना करते थे सी० डी०। इसका नाम हुआ करता था कम्युनिटी डेवलेपमेन्ट। मैं युवक मंडल दल में भी रहा हूं। गांव गली के जीवन से जुड़ा हूं। गांव की अंधेरी गलियों में पैदा हुआ हूं, गांव गली में खेला कूदा हूं। गांव गली के बारे में हमारे बहुत से साथी जानते हैं मैंने भी जानने की कोशिश की है। मैथिलीशरण गुप्त जी ने गांव के बारे में जो लिखा है। आज यदि वे जिन्दा होते तो कभी न लिखते। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है :–

"अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे

थोड़े में निर्वाह यहां है, ऐसी सुविधा और कहां है

मरे फौजदारी का नानी, दीवानी करती दीवानी

यहां मट घट चोर नहीं हैं तरह तरह का शोर नहीं है।" आदि-आदि

आज यदि वे जिन्दा होते तो निश्चित रूप से वे इसके विपरीत ही लिखते। आज जो सबकी धारणा है, गांव को कहां पहुंचाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान गांव में बसता है और गांव के आदमी को साफ सुथरा पानी दे दें तो मैं समझता हूं कि बहुत काम कर लिया। हम लोगों से यह नारा सुना करते थे "शुद्ध जल साफ हवा सौ मर्जों की एक दवा"। मैं समझता हूं कि गांवों में साफ सुथरा पीने का पानी लोगों को दिलवा दें तो आज जो तरह तरह के संक्रमक रोग गांवों में हो जाते हैं उससे मुक्ति मिल जाय। गन्दा पानी पीने से जौन्डिस होता है, हैजा फैलता है। शुक्ल जी आप एक चिन्तनशील व्यक्ति हैं आपके बारे में अच्छी धारणा मेरे मस्तिष्क में है मैं चाहूंगा कि आप मौलिक रूप से चिन्ता कीजिये ताकि गांव गली में रहने वाले रमिया छमिया,ननकू मनकू, दगडू आदि-आदि कह सकें कि हमको साफ सुथरा पानी पीने की

मिल रहा है । मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं इमोशनली तरीके से मैं चाहता हूं मंत्री जी से ग्राम्य विकास के कि हम सब और यह पूरा हाउस कटिबद्ध हो जाय कि सबको गांव गली में भी साफ सुथरा पानी दिलवायेंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिन जिन योजनाओं का जिक्र आपने किया वह बहुत लम्बी लिस्ट है मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय की कटौती है और आज शुक्रवार का दिन है, सदस्यों को जाना भी है । इसका मतलब यह नहीं कि मैं समाप्त कर रहा हूं । मस्तिष्क में यह बात है आपने कृपा पूर्वक समय दिया है । गांव गली से जुड़ा हूं वहां के लिये इमोशनल फीलिंग है । जे० आर० वाई०, एस० आर० वाई० सब वाई० वाई० हो गई । जे० आर० वाई की स्कीम में जहां जनप्रतिनिधियों का इनवोलमेन्ट हुआ करता था अब पता नहीं उसमें किन लोगों को बैठा दिया है अधिकारी बना दिया है जो नहीं जानते हैं कि खेती कैसे होती है ? मेरे एक दोस्त इलाहाबाद से सर्दी के दिनों में मेरे गांव आये आलू के पौधे में हरी-हरी छोटे-छोटे दाने से निकले देखे मुझसे बोले अंग्रेजी में "कान्ट यू सी" मैंने कहा मैं तो नहीं देख सकता । आलू के पौधे में जो हरी-हरी घुंडी सी निकल आती है वो उसे आलू बता रहा था । मैंने कहा भाई तुम तो आई ए० एस० होने वाले हो आज नहीं दो साल में हो जाओगे और वह दो साल बाद आई० ए० एस० हो गया । जिसे यह नहीं पाता कि आलू पौधे में ऊपर लगता है या जमीन के नीचे होता है ऐसे लोगों से आप प्लानिंग करवा रहे हैं । जिनका पता नहीं जो कहते हैं कि चने का दरख्त कितना बड़ा होता है उस आदमी से गांव गली के जीवन की प्लानिंग करा रहे हैं ।

आज आपने सोच है कि गांव में शिक्षा का क्या हाल है ? हम लोग गांव से निकलकर आये हैं जब पढ़ते थे तो कहा गया कि सात का पहाड़ा सुनाओ ।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पुनः पीठासीन हुए)

एक सांस में हम "सः" के रूप आज भी सुना सकते हैं, आज गांव गली के बच्चों से बातचीत करो तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले मिडिलची लोग जिस कम्प्टीशन में बैठते थे उसमें निकलते थे उसमें टाप करते थे । 10-20 परसेन्ट लोग शहर के हैं बाकी तो 80 प्रतिशत गांव के हैं । हम एस० आर० वाई० का जिक्र कर रहे थे इसका जिक्र इसलिये कर दिया कि इस स्कीम में जनप्रतिनिधियों को दूर कर दिया है, क्योंकि यह खुरपेंच करते थे, हम चाहते हैं कि अगर आप एक सौ ट्यूबवेल बनायें तो ओवर हैड टैंक कर दीजिये । चम्बल के बारे में मैं बताना चाहूंगा वहां लम्बे-लम्बे कुंए होते हैं वहां ट्यूबवेल पर ओवर हैड टैंक बनाये गये हैं उसका पानी पाइप लीन से जब ऊपर से गिरता है तो एक तरफ आप देखेंगे बच्चे नहा रहे हैं और एक तरफ पानी धरती में जा रहा है उससे सिंचाई हो रही है हमने इसी तरह के मैंगो वैल्ट मलिहाबाद में बनवाये हैं ओवर हैड टैंक से सप्लाई गांव गली को हो जाए तो काफी लाभ होगा । एक तरफ बच्चे नहाएंगे झमाझम पानी में बच्चों को लोटते हुए लगेगा कि स्वीमिंग पुल में आ गये दूसरी तरफ जानवर भी पानी पी सकते हैं और सिंचाई भी हो जाएगी ।

आप जनप्रतिनिधियों को जितना दूर हो सकता है रखना चाहते हैं । आपकी यहां भी सरकार है केन्द्र में भी आपकी सरकार है जो प्रदेश की नीति है, देश की नीति है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । विधायक निधि के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या हालत हुई । इन्दिरा आवास की इतनी दुर्गति हुई है कि एक लात मारो तो पूरा घर धड़धड़ा कर गिर पड़ता है । पीपल की लकड़ी लगाई जाती है । मान्यवर, आर० ई० एस० का निर्माण हुआ, आर० ई० एस० इसलिये बनाया गया क्योंकि पी० डब्लू० डी० के पास बहुत कार्य होता था सड़कें बनती थीं तो कहते थे कि कार्य की अधिकता है, 1, 2, 5, 12 परसेन्ट पी० डब्लू० डी० लेता था । आर० ई० एस० 35 प्रतिशत लेता है तो इस संस्था को तो तोड़ देना चाहिये । एक एजेन्सी रखें ताकि उसकी गर्दन नापी जा सके । मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि गांव गली के बारे में भी सोचना चाहिये । एक स्कीम मिलियन्स वैल्स थी, स्कीम के बारे में कहना चाहूंगा एक साल स्कीम चलाते हैं, फिर योजना ठप्प हो जाती है योजना ऐसी हो कि कुछ लाभ हो । मेरी सदाशयता पर

संदेह करने की बात नहीं है तो मान्यवर, इस तरह से सारी योजनाएं अधिकारीगण की जेब में चली जाती है क्योंकि वह संवेदनशील नहीं है । मान्यवर, हमारे पास अधिकार नहीं है । वह चेक पर दस्तखत करने वाली एजेन्सी है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह कहेंगे कि हमारा नाम ले लिया । तो मान्यवर, कुएं में भांग पड़ चुकी है । इस कुएं से भांग निकलवायें और शुद्ध पानी दें तो बहुत बड़ा कार्य होगा । एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान के प्रति ग्राम विकास माध्यम से कुछ करना चाहते हैं तो सारी चीजों को मस्तिष्क में रखना पड़ेगा । गरीबों से यदि आपको हमदर्दी है तो कुछ कीजिये । ऐसे कीर्तिमान स्थापित कीजिये जो कि याद रहे । जैसे कवि रत्नाकर ने कहा है :–

"जोगन की भोगन की विकल वियोगन की,
जग में न जागती जमातें रह जायेंगी ।
कहे रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन,
तो ये दुखद्वन्द की न रातें रह जायेंगी ।
प्रेम नेम छोड़ ज्ञान क्षेम जो बनावत हो,
अरे भीत ही नहीं तो क्या छातें रह जायेंगी ।
घातें रह जायेंगी न कान्ह की कृपा से इती,
ऊधौ बस कहिबे की बातें रह जायेंगी ।"

तो ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी याद करें कि किसी जनप्रतिनिधि ने सोचकर चिन्तन किया था और खुशहाली लाने का प्रयास किया था उनके चेहरे पर मुस्कराहट लाने का प्रयास किया था, उन्हें कपड़ा तन पर देने का प्रयास किया था और प्यासे को पानी दिया था । मैं सभी को यह कहता हुआ, भाई राम तेज जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हुआ, कहना चाहूंगा कि

"नूर बनकर न चमके तो रोशनी क्या है,
अंधेरिया न मिटा दे तो फूलझड़ी क्या है ।
किसी के काम न आए वह जिन्दगी क्या है,
किसी का दर्द न जाने वह आदमी क्या है ।"

बस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं विशिष्ट अनुरोध पर माननीय श्री उदय राज यादव जी को बुला रहा हूं । माननीय पूर्वमंत्री पंकज जी आप बाद में बोल लीजियेगा ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, माननीय राम तेज जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, ग्रामों के विकास के लिये जो विभिन्न योजनायें चलायी जा रही हैं उसकी विस्तृत जानकारी सदन में दी गयी क्या यह सोचा गया कि यह योजनायें कितनी सफल हैं । जवाहर रोजगार योजना का जिक्र आया ग्रामों में जो पैसा जाता है क्या वास्तव में उस पैसे से ग्रामों का सही विकास हो रहा है । क्या वास्तव में प्रधानों की या ग्राम पंचायतों की बैठकें बुलाकर गांवों के विकास की रूपरेखा तय करते हैं ? जवाहर रोजगार योजना

और सुनिश्चित रोजगार योजना इनका कितना लाभ गरीब तबके को मिल रहा है । वह पैसा ठेकेदारी प्रथा अपनाकर जो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा मात्र कुछ ही लोगों को उसमें रोजगार देने का काम किया जा रहा है ।

जहां तक इन्दिरा आवास का सवाल है जिन लोगों को आवास दिये गये हैं क्या वास्तव में उन गरीब तबके के लोगों को गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों को आवास देने का काम किया गया जो गरीबी की रेखा से ऊपर रहने का काम कर रहे हैं, 10-10 बीघा खेती है, उनको देने का काम किया जा रहा है जन प्रतिनिधि उनकी शिकायत करते हैं उस पर कोई कार्यवाही न होकर मामले को दबाने का काम किया जाता है । जो भी ग्राम्य पंचायत अधिकारी होते हैं, मैं केवल उन्नाव जनपद की बात नहीं कह रहा हूं, या फिर खण्ड विकास अधिकारी होते हैं उन लोगों को आवास देने का काम किया जाता है जो 2 से 4 हजार रु० रिश्वत देने का काम करते हैं । आज कहा जा रहा है कि लाभार्थियों को चेक न देकर के जिला विकास अधिकारी द्वारा चेक देने का काम किया जाय क्या इसके बावजूद भ्रष्टाचार में कोई रुकावट आयी है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी बड़े अच्छे ढंग से विधायकों को इंडिया मार्क हैण्डपम्प देने के शासनादेश जारी करने की बड़ी बखूबी घोषणा की और यह भी बताया कि 31 मार्च को इण्डिया मार्क हैण्डपम्प को विधायकों को दिया गया, निश्चित संख्या पर लगाने का आदेश दे दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि 31 मार्च के पहले जो शासनादेश जारी किया गया था 26-27 मार्च को जारी हुआ था वह जिलाधिकारी को भेजा गया था उसमें साफ साफ लिखा था कि प्रत्येक विधायक के कहने पर 50-50 इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लगाये जायं लेकिन उनके लिये अलग से धन नहीं दिया जायेगा । इस शासनादेश के बारे में जिले के किसी भी अधिकारी ने चाहे जिला विकास अधिकारी हो या मुख्य विकास अधिकारी हो मेरा मानना है कि उस शासनादेश के अनुरूप किसी विधायक से उसने सूची मांगने का काम नहीं किया है । 250 की आबादी पर मानक मानकर हैण्डपम्प लगाया गया है, आपके क्षेत्र में भी तो हैण्ड पम्प लगे होंगे अगर किसी गांव की आबादी 400 या 500 है तो वहां केवल एक हैण्डपम्प लगा दिया गया है बाकी पूरा गांव ऐसे ही पड़ा हुआ है । इस बार 150 की आबादी का लक्ष्य मानने का काम किया है । मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगते हैं उतने समय में उससे ज्यादा खराब हो चुके होते हैं । मान्यवर, दीनदयाल योजना, अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत जो सड़कें स्वीकृत हुई थीं आज तक वह भी बनाने का काम नहीं किया गया है । इसी के साथ ही माननीय राम तेज द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अभी कटौती का प्रस्ताव पेश करते समय माननीय रामतेज जी ने और माननीय गौरी शंकर जी ने बड़ी-बड़ी बातें की और कहा कि जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, बड़ी बड़ी खूबियां बता रहे थे । मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं–हम आप को और आपकी सरकार को जानते, हरदम ही बेबजह गये हैं तकरार ठानते, पूरा न होगा इनका मुंगेरी लाल का सपना, सरकार असरदार है ये लाचार मानते । मान्यवर, इनके का[illegible]ाल में क्या हुआ–

अपहरण व्या[illegible] का ट्रान्सफर अधिकारियों में
छंटनी कर्मचारिया[illegible] हुआ बड़े पैमाने में ।
खेतों खलिहानों [illegible] गां[illegible] [illegible]यारों में,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मची त्राहि-त्राहि मस्त सबको सताने में,
चोरी, घूसखोरी, बरजोरी, सीनाजोरी करें,
अपनी कमजोरी छिपाये जाय मय खाने में,
लुच्चई, लफंगई, नंगई और गुण्डई,
बढ़ी थी दबंगई मुलायम के जमाने में।

मान्यवर, उस समय केवल एक ही बात गूंजती थी –

हल्ला बोल तोहरे पूरे गोल का जेल खोल दिहिस,
इहऊ पता चलिगा, तोहार कितनी अवकात बा।
अपने पिछलग्गुन के जीये के जुगाड़ किहअ,
जैहरई जे पावति बा लूटि पाटि खात बा।
चमचन का बात मानि मस्त खूब होत होब,
गांव गली घूमि देख केतना गंधात बा।
ई काठे क हाड़ी, अब दुबारा न चढ़ि पाये भाई,
जबन लूटिबे हो लूटि ला, अब इही भाते भात बा।

मान्यवर, गांवों में हैण्डपम्प की बात कहना चाहता हूं–

गांवों में हैण्डपम्प धुवांधार लग रहा, शौचालयों का गांवों में भरमार लग रहा।
जब से मिला है गांवों के अधिकार अधिकतम, गांधी के राम राज का स्वप्न साकार लग रहा।

गांवों में शुरू हो गया विकास का सिलसिला,
फिर भी ये कैसे लोग हैं जो कर रहे गिला।
आदत से बाज आय सब तो आयेंगे नहीं,
क्या पचास हैण्ड पम्प आपको नहीं मिला ?

गरीबों के लिये [illegible] रही आवास की,
सरकार गति तेज कर रही विकास की,
रोजगार छतरी योजना में रोजगार बांटकर,
काफी हद तक हमने रोकी प्रवृत्ति प्रवास की।

यह झूठ बोलकर श्रीमन् गुमराह कर रहे,
पहले जो कर चुके उसी की चाह कर रहे
खुशहाल कर रहे प्रदेश को जब आज हम,
डाह से न जाने क्यों यह आह भर रहे ?

आती है हंसी दोस्त सुनके बातें आपकी,

चिन्ता भी नहीं आपके विधवा विलाप की,

जानबूझकर भी हो अनजान बन रहे,

गांवों में छवि निखर रही श्री शिव प्रताप की ।

और अन्तिम बात रामतेज जी से निवेदन करते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा ।

अब भी तो आप झूठ से परहेज कीजिये ।

मिलकर के मेरे साथ खुश विलेज कीजिये,

इतना महत्वपूर्ण बजट है ये आज का,

कटौती प्रस्ताव वापस श्री रामतेज लीजिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

श्रीमन्, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद । मैं श्री रामतेज जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने माननीय मंत्री जी के लच्छेदार भाषण को सुनने का काम किया । बड़े जोरदारी से उन्होंने योजनाओं को गिनाने का काम किया, जिनमें कई ऐसी योजनायें थी, जिनमें इनका कोई धन नहीं लगता, बल्कि जिनके लिये केन्द्र सरकार से पूरा पैसा मिलता है, ऐसी योजनाओं का भी उन्होंने अपने भाषण में बखान करने का काम किया । मान्यवर, एक कहावत है कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसके गांव में 4-4 विद्यालय हैं, लोगो ने पूछा, अध्यापक कितने हैं तो जीरो । अब बिना अध्यापक के जो विद्यालय चलेंगे तो उसमें पढ़ाई कैसे होगी ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्राम विकास के लिये जो कार्य इकाई है ब्लाक की । कितने ऐसे ब्लाक हैं, जहां पर बी० डी० ओ० नहीं है । एक-एक बी०डी०ओ० 3-3, 4-4 ब्लाक चला रहे हैं तो जो भी विकास के कार्यक्रम हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे हो पायेगा, इस पर आप अपने विचार रखने का काम करियेगा । दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिये भारत सरकार पूरा पैसा देती है, इन्दिरा आवास योजना, जो सबसे गरीब आदमी को उसका फायदा मिलना चाहिये । आप अपने दिल पर हाथ रखकर विचार कर लेंगे, क्या उनको जो पैसा मिलता है, वह पूरा मिल रहा है, कुछ देना पड़ रहा है अथवा नहीं । इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है कि इस साल में एक ब्लाक में 200-300 इन्दिरा आवास जायेंगे । गांव में कितने-कितने किस मानकर के अनुसार जायेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और इस व्यवस्था के न होने के कारण ग्राम प्रधान भी चाहते हैं कि हमारे गांव को ज्यादा मिल जाये, जिससे हमारी बाहबाही हो । उसमें बड़े पैमाने पर चलता है, जिसके कारण कुछ अच्छे लोग ही इन्दिरा आवास पा पाते हैं और जो उसके सही पात्र हैं, वह नहीं पा पाते हैं । निवेदन करना चाहता हूं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं जो सबसे गरीब व्यक्ति को पैसा जा रहा है, इस पैसे की बर्बादी हो रही है यदि इसको रोक ले जाते तो मैं समझूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, एस० आर० वाई० जो सुनिश्चित रोजगार योजना है, जो योजना भारत सरकार ने चलायी, उसमें भी बड़े पैमाने पर मनमानी की गयी; जिन गांवों ने, प्रतिनिधियों ने सीडीओ आफिस में जाकर व्यवस्था कर ली, वहां परियोजनाएं आ गयीं । टाण्डा, अम्बेडकर नगर जिले मे है, वहां एक-एक गांव में 50-50 लाख रुपया चला गया, यह कैसे चला गया इस पर विचार करने की जरुरत है । इसमें अधिकारियों ने मनमानी की है । उसमें प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी थी किन्तु इतनी थी कि वह अपना सुझाव दे दें ।

मान्यवर, इस तरह से उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसको रोकने की जरुरत है। मान्यवर, चौथी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक 10 लाख कूप योजना चल रही थी, आज भूगर्भ के बारे में तमाम चिन्ताएं व्यक्त की जा रही है, निश्चित रूप से जल प्रबन्धन की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। इस दस लाख कूप योजना के बारे में जल प्रबन्धन का एक बढ़िया काम होने की दिशा में अग्रसर और आज आवश्यकता है उस पर चर्चा भी लगी हुई है, केवल एक सुझाव देना चाहूंगा, इसके लिये बहुत आवश्यक है कि सभी गांवों में कम से कम 10 एकड़ जमीन एक्वायर करके एक बढ़िया जलाशय का निर्माण और इस हेतु जिनसे जमीन ली जाये, यदि गांव सभा की जमीन है तो उसमें बनाया जाये। मान्यवर, जिन लोगों की जमीन ली जाये उन लोगों को हिस्सेदारी देकर उसमें मत्स्य पालन का काम किया जाए और यह जल प्रबनधन का बहुत बड़ा काम होगा। इसके साथ ही मैं रामतेज यादव एडवोकेट के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० वकार अहमद शाह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं, राम तेज यादव एडवोकेट जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने बड़ी लच्छेदार, बड़े खूबसूरत अन्दाज में बजट पेश किया है। आज से बहुत दिन पहले टी० वी० पर मुंगेरी लाल के सपने याद आते थे। बड़ी खूबसूरती से मंत्री जी ने योजनाएं बतायीं। एक बात निश्चित है, कि जो भी नीयत हो सरकार की, लेकिन भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि इस विभाग में कोई भी काम 10 परसेन्ट, 20 परसेन्ट से ज्यादा नहीं होता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह चुनौती दे रहा हूं कि वे क्षेत्र में जायें, इन्दिरा आवास जहां बने हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनसे 5 हजार या 10 हजार रुपया घूस के रूप में गरीबों से न लिया गया हो। बहराइच और श्रावस्ती जिलों में एग्रो के माध्यम से 400 नल लगाये गये लेकिन उसमें से एक भी नल काम नहीं कर पा रहा है। आप ऋण बैंकों की, ऋण की बात कर रहे हैं, कोई भी किसान, मजदूर जिनके लिये ये योजनाएं बनायी जाती हैं, उन्हें 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तक घूस देना पड़ता है, तब ऋण मिलता है। सबसे दुखद बात यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो गरीब किसान और मजदूर के लिये हैं, उनकी इतनी उपेक्षा हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि विधायकों की एक टीम बना दी जाये, अच्छे अधिकारियों की टीम बना दी जाये, चेकिंग करा लें, इनकी असलियत मालूम हो जायेगी। हमारे जिले बहराइच में श्यामपुर नदौना गांव है, ब्लाक चिताय में है इन्हीं के विभाग ने रोड बनायी थी। 1800 मीटर रोड का पैसा दिया गया मौके पर 1100 मीटर रोड बनी है। महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी के लिये अपनी जान दी थी। 1995 में गांधी ग्राम बनाये गये थे लेकिन उन गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं बनी है और सम्पर्क मार्ग भी नहीं बने हैं। उदाहरण के लिये मेरे क्षेत्र में प्रयागपुर ब्लाक में (कोरिया शफीक है) इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो योजनाएं बनाई जायें उनको ईमानदारी से और पूरी तरह से लागू किया जाये और काम सही न होने पर किसी ईमानदार एजेंसी से जांच कराकर जब तक दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं दी जायेगी तब तक सही तरीके से काम नहीं होगा और गरीब को फायदा नहीं पहुंचेगा और किसान जैसा पहले गरीब था वैसा ही रहेगा। आखिर में एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं

"जिस खेत से मयस्सर न हो दरकशां को रोटी
उस खेत के हर गोश-ए–गन्दुम को जला दो॥"

इसी के साथ मैं माननीय रामतेज यादव एडवोकेट ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह जो पुस्तिका ग्राम्य विकास के कार्यों का सिंहावलोकन की छपी है उसमें पेज 3 पर लिखा कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 904 विकास खण्डों को आच्छादित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 904 विकास खंडों को

आच्छादित नहीं किया गया है । जो स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना है उसको 904 ब्लाकों में चलाने की बात कही गयी है, इस योजना में भी सभी ब्लाक आच्छादित नहीं है । आपने इस बात को स्वीकार किया है और 31 मार्च, 2000 को एक शासनादेश जारी किया गया है, इन ब्लाकों को 2000-2001 तक आच्छादित करेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप यह कार्य नहीं कर पायेंगे क्योंकि जो आप कहते हैं वह करते नहीं हैं । आपने कहा कि 150 आबादी पर हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था करेंगे । पहले आप यह बतायें कि 250 की आबादी के हिसाब से कितने रुपये की जरूरत प्रदेश में पड़ेगी और कितने हैण्ड पम्प आज तक लगाये हैं जो आपने 150 का मानक तय किया है उसके हिसाब से कितने धन की व्यवस्था की गई है अगर धन की व्यवस्था नहीं की गयी है तो फर्जी घोषणा करने से कोई फायदा नहीं है । आप यह काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रुपया नहीं है । आपने 3 जून 1999 को एक शासनादेश निर्गत किया । यह एक अच्छा काम किया है इसके लिये मैं आपको साधुवाद देता हूं । आपने हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन का कार्य जल निगम को दिया है । लेकिन 3 जून, 1999 के शासनादेश के बाद भी आपके प्रदेश में एग्रो, और अन्य निगमों द्वारा घटिया किस्म के हैण्ड पम्प दूसरी संस्थायें लगा रही हैं । इसकी जांच की जाय । केवल जल निगम से ही हैण्ड पम्प लगवायें । "क्वालिटी आफ द वर्क मस्ट बी एवार्डेड, क्वांटिटी आफ वर्क मस्ट नाट बी एवार्डेड ।" मेरा कहना है कि कार्यों में गुणात्मक पहले का ध्यान रखना चाहिये न कि संख्यात्मक पहलू का । आपने इन्दिरा आवास की संख्या दी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं तो आप कम से कम यह तो देखें कि जो इन्दिरा आवास बन रहे हैं, जो विकास के कार्य हो रहे हैं वह किस स्तर के हैं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राम तेज यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, ग्राम्य विकास पर श्री रामतेज यादव एडवोकेट जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं । मैं संक्षेप में ग्राम्य विकास मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं अगर माननीय मंत्री जी ग्राम्य विकास के हित में उचित समझें तो स्वीकार कर लें । जो इसकी परिकल्पना है वह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि भारत की 70-80 फीसदी आबादी गांव में बसती है और अगर गांव का विकास नहीं करते तो इस देश का विकास हो पाना असम्भव है । अभी हम लोगों को हैदराबाद जाने का मौका मिला था । वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलेपमेंट है उसमें हम लोग गये थे । वहां कुछ जानने और सीखने का अवसर मिला । आन्ध्र प्रदेश जिसकी आज बहुत चर्चा होती है उसके विषय में यह जानने का अवसर मिला कि आखिर आन्ध्र प्रदेश की जो प्रगति ग्राम्य विकास के बारे में है उसका कारण क्या है ? रूरल डेवलेपमेण्ट के दो भाग हैं–एक सामाजिक विकास दूसरा अवस्थापना संबंधी विकास । जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो 4-5 चीजें हैं । इसी प्रकार अवस्थापना विकास में हाउसिंग है, पीने का पानी है, सेनीटेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, स्वास्थ्य सुविधायें हैं, सड़कें, बिजली और सिंचाई है । उत्तर प्रदेश मे ग्राम्य विकास की जो स्थिति है यहां ग्राम्य विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय अलग-अलग हैं । जब ग्राम्य विकास की बात करते हैं तो स्वभाविक रूप से यह प्रश्न उभरता है कि आखिर यह ग्राम्य विकास किसके माध्यम से कहना चाहते हैं ? उसका माध्यम है पंचायती राज । पंचायती राज अलग मंत्रालय और ग्राम्य विकास अलग मंत्रालय, इसका कोई औचित्य नहीं है । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी की बात करते हैं, जल निगम की अभी माननीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे लेकिन जल निगम का जो प्रशासकीय नियंत्रण है वह नगर विकास के पास है, ग्राम्य विकास विभाग का उससे कोई लेना देना नहीं है । आप सिंचाई सुविधाओं की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सड़कों के बारे में सरकार यह निर्णय ले । उसमें यह सम्मिलित कर लिया जाये कि जो प्रमुख जिला मार्ग, राज मार्ग हैं उनके अलावा जितने ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग है उनका काम भी ग्राम्य विकास विभाग को दें ।

सिंचाई की छोटी छोटी योजनायें हैं उनका काम ग्राम्य विकास विभाग को दें । विकास के लिये केवल एक विभाग होना चाहिये विकास विभाग जो शहरी और ग्रामीण विकास का काम करे और ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग भी इसमें समाहित हो । तो मेरा विश्वास है कि जिस गति से ग्राम्य विकास हो रहा है उसका बेहतर समन्वय करके लोगों के आशाओं को पूरा कर सकते हैं । जब हम ग्राम्य विकास की बात करते हैं तो "पार्टीसियेशन आफ दि पीपुल" की बात आती है आज बी० डी० ओ०, सी० डी० ओ० और जो पंचायत राज अधिकारी हैं उनके माध्यम से ग्राम्य विकास हो रहा है । हम रूरल लेबिल पर लोगों का पार्टीसिपेशन सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं । जो माननीय विधायक बैठे हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण की स्थिति क्या है ? जो पंचायत राज संस्थायें हैं जिसके माध्यम से ग्राम्य विकास करना चाहते हैं वह जनप्रतिनिधियों को भी मालूम नहीं है । किस प्रकार ग्राम्य विकास में इन्फारमेशन टेक्नालाजी का विकास कर सकते हैं इसी प्रकार कम्प्यूटर और इण्टरनेट के माध्यम से गांवों में रोजगार दे सकते हैं । किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं यदि इस पर विचार कर लें और कार्यक्रम को शुरू करें तो गांवों के विकास के लिये अच्छे काम कर सकते हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि साहूकारी प्रथा को समाप्त करने का काम किया गया । कोआपरेटिव बैंक गांव-गांव में खोले गये जो लोगों को ऋण देने का काम करते हैं । लेकिन आज जिस तरीके से इन संस्थाओं द्वारा जनता से, किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है वह अच्छी व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, हमारे 99 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो कर्ज चुकाने के लिये ट्रैक्टर और अपनी जमीन बेचने को बाध्य हैं । इसलिये ब्याज दरों को कम करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये जिससे गरीब किसान ऋण से मुक्ति पा सके ।

मान्यवर, सरकार कहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और धन की कमी है तो इसका विकल्प क्या दें ? मान्यवर, लोगों को प्रेरित कर सकें इसके लिये हमें स्थानीय संस्थाओं का उपयोग करना चाहिये । जैसे यदि सड़क बनना है तो मिट्टी डालने का काम लोगों को प्रेरित करके कराना चाहिये जिससे सड़क पर उतना धन भी नहीं लगेगा और गांव के लोगों को एहसास होगा कि सड़क मेरी है, गांव मेरा है । इस तरह सरकार को यदि जनता का सहयोग मिलेगा तो हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे । मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पर सभी लोगों के विचार एक दिन बैठकर सुन लें तो अच्छा होगा जिससे प्रदेश की गरीबी मिट सके । गांवों की तरफ से शहर में पलायन को रोकने के लिये हम सभी के सुझाव एक दिन बैठकर ले लिये जायं तभी शहर की ओर लोगों को पलायन रुक सकेगा । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि कुटीर उद्योग के विकास की दर शहर के विकास दर के बराबर यदि लाने का काम किया जाय तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । इन शब्दों के साथ मैं श्री रामतेज यादव एडवोकेट जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको मान्यवर, धन्यवाद देता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राम तेज यादव एडवोकेट जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वह जब उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि जो पिछली सरकार श्री कल्याण सिंह, के समय में जो निर्णय लिया गया था और पिछला ग्राम्य विकास का बजट जो पेश किया गया था उसमें निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा को पंचायत राज विभाग में प्रधानों के अधीन किया गया था तथा इसके साथ ही अन्य घोषणायें की गयी थीं ।

उनको इतना वेतन देने की व्यवस्था की गई अन्य दूसरी चीजें कर दी दूसरी सरकार आई उसने निणर्य वापस ले लिया । पहले पंचायतों के अधीन ट्यूबवेल चलाने की व्यवस्था दी गई उनको पैसे की व्यवस्था की नहीं गई बाद में दो महीने बाद इसको वापस ले लिया । जो निर्णय आप करेंगे उसको वापस

तो नहीं लेंगे इसको साफ तौर पर सदन में बतायएं । यह बात आई कि 150 आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगायेंगे भारत सरकार का मानक 250 आबादी का है क्या भारत सरकार को जो मानक है उसके अनुसार ही आपने सब जगह हैण्ड पम्प लगा दिये उसके बाद 150 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाने की बात करें इसके लिये धन लाएंगे कहां से । वह छोटी सी 10-20 पेज की पुस्तिका छापने से ग्राम विकास का कार्य नहीं हो जाता है ।

आपका नारा है जमीन पर भार कम करना चाहते हैं लेकिन इसके लिये कौन सी व्यवस्था की है छोटे उद्योग लगाये नहीं हैं आदमी के रोजी रोटी का इन्तजाम किया नहीं है आदमी का जो जमीन से रिश्ता होता है उसको कैसे कम करेंगे ? कौन से कार्यक्रम चलायेंगे कैसे आदमी को रोजगार देंगे क्या काम देंगे., आपके कहां छोटे-छोटे उद्योग लगे हैं कैसे इम्प्लाईमेंट देंगे ? तमाम नारे दूरदर्शन पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं लेकिन लोग बैलगाड़ी में बैठकर शहर जाता है तो कितना टाइम लगेगा क्या यातायात का साधन उपलब्ध करा दिया गया, बसों को उपलब्ध करा दिया गया है केवल नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है । आपने नारा लगाया है कि एक हजार की आबादी को सड़क से जोड़ दिये हैं कहां जोड़ा गया है क्या सब जगह खड़ंजा लगा दिया गया है क्या एक हजार की आबादी वाले गांव में खड़ंजा लगा दिया गया क्या वहां मिट्टी वाली सड़क नहीं है । जहां कभी खड़ंजा लगा था वह खड़ंजा टूट गया है क्या उसको ठीक करा रहे हैं । आप एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं लेकिन टूटी हुई सड़कों को ठीक नहीं कर रहे हैं । एक हजार की आबादी का मानक छोड़ दीजिये दो हजार की आबादी वाले गांव को भी नहीं जोड़ा गया है ।

मान्यवर, अभी दो दिन पहले इसी सदन में बात हुई थी सस्ते गल्ले की दुकानों के विषय में । इस सरकार ने सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन को रोक दिया है और जो दुकानों का आवंटन रोका गया है वे सब ग्रामीण क्षेत्र की हैं । इन्दिरा आवास की बात की गई । अगर विकास करना है तो बाकायदा ग्राम विकास करो । आपकी ग्रीन बेल्ट खत्म हो रही है जिसकी मर्जी होती है जहां चाहे भट्ठा लगा लेता है । दिल्ली के करीब वाले जितने गांव हैं सब जगह साढ़े छः सौ भट्ठे चल रहे हैं, बुलन्दशहर, नोयडा के पास क्योंकि वहां से दिल्ली नजदीक पड़ता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे उन दो-तीन सुझावों पर विचार करें जो मैंने दिये हैं इसी के साथ मैं कटौती का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे रामतेज यादव एडवोकेट जी द्वारा लाये गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । पूरे प्रदेश में 904 विकास खण्ड हैं ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत एकीकृत योजना, जवाहर रोजगार योजना सुनिश्चित रोजगार योजना अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, गंगा कल्याण योजना गांवों के विकास के लिये चलाई गई है लेकिन आज तक इस सरकार में गांवों में बसने वाले लोग, दलित, गरीब पिछड़े हैं उनके लिये किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी है । जो बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिये टूल्स किट्स बांटे जाते हैं बढ़ईगीरी, लोहारगीरी आदि सीखने के लिये वे बड़ी घटिया किस्म के होते हैं । जल्दी ही टूट जाते हैं । इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों में तब तक कोई सुविधा किसी आम नागरिक को नहीं मिल पाती जब तक कि ग्राम पंचायतों को प्रयास न करना पड़े । जो दबंग लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं वे अपने नजदीकियों को लाभ दिलवा देते हैं और बेचारा गरीब आदमी जिसका कोई शोर्स नहीं है उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है । हमारे क्षेत्र गोण्डा के वजीरगंज जैसे इलाकों में इन्हीं दबंगों को ही लाभ मिल रहा है । इस सरकार द्वारा मात्र बीस हजार रुपया इन्दिरा आवास योजना में दिया जा रहा है, बहुत कम है । आपको मालूम है कि आज सीमेन्ट महंगी हो गई है, सरिया महंगी हो गई है जिससे इतने कम पैसे में कोई भवन

खड़ा नहीं किया जा सकता है । कहा गया था कि जवाहर रोजगार योजना के तहत गांवों का विकास किया जायेगा, इसके अन्तर्गत जो खड़ंजे लगाये जा रहे हैं बहुत ही घटिया किस्म के हैं और कच्ची सड़कें, सम्पर्क मार्ग और नल भी घटिया किस्म के लगाये गये हैं । यहां तक कि जो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प हैं वह भी घटिया किस्म के हैं । एक शासनादेश किया गया था कि जल का परीक्षण किया जायेगा परन्तु मेरी जानकारी के हिसाब से पूरे प्रदेश में जहां भी इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगे हैं जल का परीक्षण नहीं किया गया है । आज इस प्रदूषित जल के कारण कई बीमारियां फैल रही हैं । अब अम्बेडकर योजना को ही ले लीजिये ।

मैंने इसी संबंध में एक प्रश्न किया था कि क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में विभिन्न सड़कों तथा विकास कार्य मानकों के अनुसार पूर्ण कराये जा चुके हैं, यदि नहीं तो क्यों । इसका उत्तर आया जी नहीं । इससे साफ जाहिर है कि मानकों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है और जो गांव चयनित किये गये थे, उनमें कोई विकास नहीं हो रहा है । अम्बेडकर योजना में पैसा नहीं दिया गया है, जिसके कारण न तो बिजली मिल पा रही है और न ही इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लग रहे हैं । स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना के तहत जो पैसा दिया गया है वह बहुत ही कम है । स्वरोजगार योजना के तहत गांवों के नौजवानों को स्वावलम्बी बनाने की बात थी ताकि गांवों का भी विकास हो सके इस ओर भी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है । इसमें यह भी कहा गया था कि जो श्रमिक है उनकी एक लिस्ट बनायी जायेगी और उसे विकास खण्ड में दिया जायेगा और उनके द्वारा काम कराया जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत विधायकों से प्रस्ताव लिये जाने चाहिये । 70 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत और 30 प्रतिशत जिला पंचायत द्वारा खर्च करने की बात की जा रही है, इससे विकास नहीं हो सकता है । इसमें माननीय विधायकों को रखा जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं । मैं माननीय मंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि इतना अच्छा बजट सदन के पटल पर रखा गया है । पिछली सरकारें जो ग्रामीण अंचल के लिये मात्र 15 प्रतिशत बजट रखती थीं परन्तु हमारी सरकार ने लगभग 75 प्रतिशत बजट ग्रामीण अंचलों के विकास के लिये रखा है । क्योंकि हमारे प्रदेश की जितनी भी आबादी है उसका 80 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों में निवास करता है । मैं पुनः धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी नागरिक हैं, उनके लिये सोचा, उनके विकास के लिये सोचा । अभी हमारे विपक्ष के साथियों ने अपने कटौती के प्रस्ताव पर अनेकों दोषारोपण लगाये लेकिन क्या जब उनके हाथों में सरकार रही तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिये कितना सोचा । इसको हम सब को बताने की जरूरत नहीं है । इस प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है । ये खुद में महसूस करें । आज हमारी सरकार के समय में जो काम हुआ है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है । सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्र में ही नहीं विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में भी जो विकास के कार्य हुए हैं उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि आरोप लगाना इनका काम हो गया है ।

मान्यवर, अभी कौकब साहब ने कहा, हमारी सरकार पर आरोप लगाया था और कहा था कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या न्याय पंचायत के लिये मार्ग दिये, पेयजल की सुविधाएं वहां दी । अनेकों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनेक दोषारोपण सरकार पर किये । हम यह कहना चाहते हैं कि छोटे से कार्य काल में हमारे सम्पर्क मार्ग जुड़े हैं उसे हमारे क्षेत्र की जनता देख रही है, यह हमको बताने की आवश्यकता नहीं है । थोड़ा सा समय दीजिये वह समय दूर नहीं जब एक-एक मार्ग पर खड़ंजा और डामर आपको मिलेगा । आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है हमारे प्रदेश की जनता सहयोग हमको जरूर देगी । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपने अपने बजट में बहुत कुछ जो रखा है । उनमें मुख्य रूप से जो ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या के निदान के लिये इंडिया मार्का हैंड पम्प लगाये जाने की व्यवस्था दी है । मान्यवर, मेरे जनपद में इंडिया मार्का हैंड पम्प–2 के स्थान पर इंडिया मार्का हैंड पम्प–3 इसी वर्ष में लगाया जा रहा है जबकि बजट में इंडिया मार्का हैंडपम्प–2 के बारे में लिखा गया है । जहां तक ग्रामीण अंचल के विकास की बात है ब्लाकों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास की इकाई माना जाता है । मेरे जनपद में 5 विकास खण्ड हैं जहां बी०डी०ओ० नहीं हैं पशु चिकित्सा अधिकारी ही बी०डी०ओ० का काम देख रहे हैं । यदि आप निश्चित रूप से ग्रामों के विकास की बात करते हैं तो वहां पर विकास अधिकारी पहुंचाइये । फैजाबाद जनपद में 3 विकास खण्डों की बात करूंगा अमानगंज, मिल्कीपुर में बी०डी०ओ० नहीं है जिस कारण से विकास की जो योजनाएं गांवों की हैं वह ठप्प पड़ी हुई हैं । इसी तरह से इंदिरा आवास के बारे में कहना चाहता हूं । मिल्कीपुर में पिछले दिनों दैवी आपदा से नुकसान हुआ था हजारों घर जलकर राख हुए हैं उनको इंदिरा आवास से आवास आवंटन नहीं किया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंदिरा आवास के आवंटन का काम हुआ है उसमें बड़ी धांधली हुई है और बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जहां तक आपकी सुनिश्चित रोजगार योजना का सवाल है माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फैजाबाद में एस०आर०वाई० योजना के अन्तर्गत वन निगम में 200 मजदूरों ने काम किया है । पिछले 6 महीने में आज तक मजदूरों को सुनिश्चित रोजगार योजना की मजदूरी नहीं दी गयी है । आपके बजट साहित्य में लिखा है कि मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है । फैजाबाद की तमाम विकास की योजनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसे गंगा कल्याण योजना है....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम चन्द्र यादव–

योजनायें अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करने का प्राविधान किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, 11 की संख्या है । दो सत्तापक्ष के लोग हैं जो बोले, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी खुद समझ लें दो आदमियों ने इनका साथ दिया नौ आदमी खिलाफ हैं तो आपके बजट में बहुत कमियां आ गई हैं एक भजनमाला कहते रहे चले गये, एक महिला ने भाषण दिया कुछ मांगा नहीं, बम्बा नल मांगना है मांग लेंगी । जो सुझाव माननीय सदस्यों ने, हमारे साथियों ने दिये मैं उनका धन्यवाद देता हूं । बहुमूल्य सुझाव आए हैं मंत्री जी जब आप वक्त पाइयेगा, समय पाईयेगा तो देखियेगा ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, रामतेज यादव एडवोकेट जी ने जो सदन के विद्वान साथी भी हैं कटौती का प्रस्ताव रखा, वैसे विद्वता की क्या स्थिति है असली नकली की बात होती है, यह उसी सरकार के समर्थक रहे हैं जो नकल में पूरी तरह से विश्वास रखती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राम्य विकास में नकल होनी चाहिए।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इन्होंने इंदिरा आवास के बारे में कहा इंदिरा आवास में निर्माण के लिए एजेन्सियों की समस्या थी अब इसको किसी एजेन्सी से नहीं कराया जाएगा, अब विभाग स्वयं इसको बनाता है। पेयजल के संदर्भ में बात कही गई कि योजना पूरी हुई या नहीं तो 30 जून, 2000 तक की स्थिति तय की गई है जो गांव बचे हैं वह सारे गांव 300 की आबादी के आधार पर निश्चित रूप से पूरे कर दिए जायेंगे। कुल मिलाकर चार सौ गांव रह गये हैं इसको 30 जून तक पूरा कर लेंगे। एक बात कहना चाहता हूं रोजगार संकल्प योजना में हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है जैसा कि कौकब जी ने कहा कि कहां रास्ता है जाने के लिए दीनदयाल योजना को रास्ता दे रहे हैं तो रास्ता जोड़ने का काम कर रहे हैं खड़ंजा लगा रहे हैं, मिट्टी डलवा रहे हैं और मार्ग बना रहे हैं, पिच बना रहे हैं। इस सरकार में जितना सड़कों का काम हुआ है किसी और सरकार में नहीं हुआ है। मान्यवर, मन और तन दोनों जवान हो तो, मन हमारे मुख्य मंत्री जी का जवान है और तन हमारे वित्त मंत्री जी का जवान है और जवान तो मैं हूं ही। मैं कहना चाहता हूं कि–"युवा शक्ति के बल पर ही जंग की आजादी पलती है,

इतिहास उधर ही मुड़ता है जिस ओर जवानी चलती है।"

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जंग किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती है, हमेशा बुरी होती है। लेकिन यह हमेशा जंगी रहे हैं। जब इन्होंने राम के लिए ही कुछ न छोड़ा है तो क्या कहें। मुज्जफरनगर का रामपुर तिराहा काण्ड आज भी लोगों का याद है–

"इंसान जहां अमन से ज्यादा जंगी हो,

राम के लिए कफन की तंगी हो।

मैं उस देश में नहीं लौटूंगा मेरे दोस्त,

द्रौपदी जहां हर चौराहे पर नंगी हो।"

तो इन्होंने तो औरत की इज्जत लूटने का काम किया था। लेकिन यह हम नहीं होने देंगे। हम जैसे कृष्ण जी ने द्रौपदी के चीर हरण के समय लाज रखी थी ठीक उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण की तरह महिलाओं के अस्मत को खत्म नहीं होने देंगे। हम उसके सम्मान की रक्षा सदैव करेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वर्तमान मुख्य मंत्री जी की सरकार चल रही है। हम पूरे गांव का विकास करेंगे। हम आने वाले पांच वर्षों में प्रत्येक ब्लाक में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 33 प्रतिशत लोगों को ऊपर लाने का काम करेंगे। इसके साथ ही माननीय राम तेज जी, उदय राज जी, डा० वकार अहमद शाह जी, अम्बरीष कुमार जी, कौकब हमीद जी, श्रीमती कृष्णा राज जी ने जो सुझाव दिये मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन समर्थन भी किया कि बहुत अच्छे हैं। तो यदि मैं बहुत अच्छा हूं तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा, बजट अच्छा होगा। मैं माननीय राम तेज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम तेज यादव एडवोकेट जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा राज–

मान्यवर, इन्होंने महिलाओं को बेचारी कहा है इसे कार्यवाही से निकाल दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,16,14,25,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) एवं अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,50,65,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,08,75,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय सदस्यगण, आप भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है, जिसकी मासिक आय का मुख्य श्रोत कृषि एवं पशुपालन है । प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन की संभावनायें दिन प्रति दिन कम होती जा रही हैं क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और टूटती हुई जोत के नाते कृषि में स्वरोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं । इसलिए पशुधन विभाग के कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वरोजगार की काफी संभावनायें हैं ।

प्रदेश में पशुधन एवं कुक्कुट की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सतत् प्रयास किये जाने के फलस्वरूप निम्नवत् परिणाम सामने आये हैं–

दूध में वर्ष 1997-98 में 129.34 लाख मी० टन उत्पादन हुआ, 1998-99 में 136.18 लाख मी०टन हुआ, 1999-2000 में 143.39 लाख मी० टन हुआ और अब 162.38 लाख मी० टन प्रस्तावित है ।

मान्यवर, अण्डों की संख्या में 7220 लाख अण्डों का उत्पादन 1997-98 में हुआ, 1998-99 में 7660.5 लाख अण्डों का उत्पादन हुआ और 1999-2000 में 8130.37 लाख का उत्पादन हुआ और इस साल जो प्रस्तावित है वह है 10,240 ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, अब और उत्तर भाषण में कह दीजिएगा ।

श्री सीता राम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, पशुपालन और मत्स्य विभाग बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं जो गांव में रहने वाले किसान और गरीब लोगों से सम्बन्धित है और इस कृषि प्रधान देश और प्रदेश में इसका बड़ा महत्व है । कृषि कार्यों के लिए जहां बैल की आवश्यकता होती है वहीं पौष्टिक आहार के लिए दूध की आवश्यकता होती है । इसलिये गाय और दुधारू पशुओं का बड़ा महत्व है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में दुधारू पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है । 1951 में प्रति हजार व्यक्ति पर गाय बैल की संख्या 430 थी आज वह घटकर 110 रह गयी है, भैंस की प्रजाति की संख्या 1951 में 120 थी वह आज घटकर 60 रह गयी है, बकरी की प्रजाति 1951 में 161 थी वह आज घटकर 120 रह गयी है इसी तरह से भेड़ 108 थी और आज वह 30 रह गयी है मान्यवर, इस घटोत्तरी का कारण यह है कि पशुओं को जो बीमारियां होती हैं उसके लिये इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है । कारण यह है कि हमारे प्रदेश में जो पशु चिकित्सालय हैं, उन सभी पशु चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं हैं । जनपद स्तर पर तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का जो पद होता है, पूरे प्रदेश में 26 जिले ऐसे हैं, जहां पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नहीं है, वहां पर काम नहीं चल पा रहा है, उसके लिये विभागीय चिकित्सकों से प्रोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है, वह प्रोन्नति की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन शासन स्तर पर मामला लम्बित है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह नियुक्तियां, हर जिले में जो खाली हैं, वह कर दी जांय ।

मान्यवर, शासन की यह नीति है कि 20 हजार पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय होगा और हर न्याय पंचायत पर स्टाकमैन सेन्टर होगा । बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस मानक के अनुसार डाक्टरों की व्यवस्था नहीं हो पाई है । मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस बात को बताने की कृपा करें कि शासन की जो नीति हैं, उसके अनुसार इस प्रदेश में कितने अस्पताल और डाक्टरों की आवश्यकता है, उसमें कितने की व्यवस्था कर दी गई है और कितने अभी बाकी हैं । इसी प्रकार प्रत्येक न्याय पंचायत में स्टाकमैन सेन्टर कितने खोले गये हैं और कितने अभी बाकी है ।

मान्यवर, एक जनकल्याणकारी सरकार का यह काम होता है कि वह पशुओं को सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये, लेकिन पशुओं के लिये जो रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनता है, उसकी कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं । जो एक रुपये का पर्चा बनता था, वह 10 रुपये, जो 2 रुपये का था, वह बढ़ाकर 20 रुपये और जो 5 रुपये का था, उसको बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है, इस प्रकार अस्पतालों में पर्चा बनवाने का पैसा बहुत बढ़ा दिया गया है और औषधि के मद में एक भी पैसा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अस्पतालों से पशुओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है । दूसरी तरफ जो पौष्टिक आहार सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना चाहिये, उसका दाम भी बहुत बढ़ाकर दुगना-तिगुना कर दिया गया है । कृत्रिम गर्भाधान की योजना इसलिये चालू की गई थी कि उससे दुग्ध में बढ़ोत्तरी होगी और अच्छी नस्ल के बैल पैदा होंगे लेकिन उसके लिये बजट नहीं दिया जा रहा है और प्रदेश के बहुत से जिले, ऐसे हैं जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार देवरिया, गोण्डा, फैजाबाद में धन के अभाव में यह योजना कृत्रिम गर्भाधान की बन्द कर दी गई है । इस तरह से प्रदेश में और भी जिले होंगे, जहां पर बजट न होने की वजह से यह योजना बन्द हो रही है ।

मान्यवर, पशुपालन निदेशालय और पशुपालन के जो फार्म हैं, उसमें बहुत बड़े घपले चल रहे हैं, उसकी लेखा विभाग की टीम जांच भी कर रही है, लेकिन उसको प्रभावित किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दिलचस्पी लेकर उसकी जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करायें । इसी प्रकार उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक के कई पद रिक्त हैं कई वर्षों से डी०पी०सी० नहीं बैठी है, उसको बैठाकर उस काम को पूरा करायें ।

मान्यवर, फैजाबाद में हैदरगंज में एक पशु-चिकित्सालय पिछले 2-3 वर्ष से बन रहा है, उसमें घोटाला था, उसकी जांच के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था लेकिन आज तक घोटाले की न तो जांच की गयी और न निर्माण का काम पूरा किया गया । मान्यवर,मत्स्य विभाग के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं । प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिसमें मछली का उत्पादन किया जा सकता है लेकिन प्रदेश का जो इस समय का मत्स्य विभाग है, इतना उदासीन हो गया है कि यहां पर इतना बड़ा जल क्षेत्र होते हुए भी मान्यवर, मछली आन्ध्र वगैरह से मंगानी पड़ रही हैं और हमारे प्रदेश में मछली का उत्पादन घट रहा है । झीलों में कोई काम नहीं हुआ है, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है, जलाशय नीति में परिवर्तन कर दिया गया है और ओपेन आक्सन करके मछुवारों और सहकारी समितियों को इससे वंचित कर दिया गया है । मान्यवर, निदेशक का पद एक तकनीकी पद है और इस तकनीकी पद पर प्रशासनिक अधिकारी बैठाये जा रहे हैं जिसकी वजह से इस विभाग का सत्यानाश हो रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग में ही जो अच्छे अधिकारी हैं, अनुभवी हैं, उन्हीं में से इसका निदेशक बनाया जाये । उत्तर प्रदेश मत्स्य एवं मछुआ विकास परिषद् का गठन 1997 में हुआ था, लेकिन आज तक एक बैठक हुई जबकि एक तिमाही में बैठक होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, नदियों में मछली का उत्पादन घट रहा है सरकार की तरफ से उसमें मत्स्य बीज के संचय करने की आवश्यकता है । मान्यवर, कल्याण योजनाओं में मछुआ दुर्घटना योजना है, मछुवारे जो बरसात में, बाढ़ में अपने जीवन की बाजी लगाकर दूसरे के धन-जन की रक्षा करते हैं, उनकी दुर्घटना में केवल 35 हजार रुपये मरने पर दिया जाता है, अपंग होने पर साढ़े सत्तरह हजार रुपये है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम 1 लाख रुपया मृत्यु होने पर और कम से कम 50 हजार रुपया अपंग होने पर दिया जाये । शक्तिकरण योजना में 1 करोड़ 8 लाख रुपया इस प्रदेश को मिला था विश्व बैंक योजना से, 66 समितियों को यह पैसा मिलना था लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला है, वह सहायक निदेशक के खाते में जमा है । मान्यवर, यह समितियां गरीब हैं और पैसा देने में असमर्थ हैं इसी कारण वह उन्हें डेढ़ दो साल से लटकाये हुए हैं । इस प्रदेश में 1 करोड़ जनसंख्या मछुवारों की है, 20 लाख परिवार हैं, उनके आवास के लिए बजट में 2 हजार मछुआ आवासों का प्राविधान है, मेरा निवेदन है कि इसे 25 हजार प्रतिवर्ष मछुवा आवास की व्यवस्था करा दी जाये जिससे नदियों के किनारे रहने वाले उन लोगों को जिनके घर बरसात में गिर जाते हैं, उनको मिल सके जनपद चंदौली में 1996-97 में टांडाकला में 10 मछुवा आवास जो दिए गये हैं चयनित व्यक्तियों को, लाभार्थियों को उनका लाभ नहीं दिया गया, वहां उप निदेशक और सहायक निदेशक स्तर पर ही वह दूसरे अपात्र लोगों को दे दिये गये । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । इसमें सुधार करायें इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस समय प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के लिये वर्तमान सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही हैं । हैचरीज और तालाबों का सुन्दरीकरण किया जा रहा है तथा उन्नतिशील मछली के बीज जो मछुवारों को दिये जा रहे हैं वह एक सराहनीय कदम है । इस समय सचमुच मत्स्य विभाग के जो कार्य हैं वह प्रशंसनीय हैं । अगर इस विभाग को उद्योग से जोड़ा जाय तो यह मछली पालन का कार्य एक बड़े उद्योग का रूप ले सकता है और बड़ी आय का साधन बन सकता है । मत्स्य विकास और तालाबों के लिये जिस प्रकार से प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल रहा है, निजी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में भी जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है उससे बहुत फायदा पहुंचेगा । मछुवा समुदाय के लोग मत्स्य पालन और आखेट करके पुराने समय से अपनी जीविका चला रहे हैं । यह उनका परम्परागत और पुश्तैनी धंधा है इसीलिए वह नदियों और तालाबों के किनारे मुख्य रूप से बसे हुए हैं ।

सरकार द्वारा शासनादेश में प्राविधान किया गया है कि उनको तालाब के आवंटन में विशेष वरीयता दी जायगी । सन् 1985 में उत्तर प्रदेश में मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का गठन किया गया था । इनका उद्देश्य यह था कि सहकारिता आंदोलन के तहत इन लोगों को लाया जाय और इनको लाभ मिले और यह आगे बढ़ सकें तथा इनके ज्यादा से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो सकें । मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का जो प्राविधान बना उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 707 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं । इनमें से जिला स्तर पर मत्स्य फेडरेशन 14 हैं और प्रदेश स्तर पर सहकारी संघ 1 है । इन समितियों का विकास जिस प्रकार से होना चाहिये, जिस प्रकार से सघन सहकारी समितियों का विकास हुआ है उस प्रकार इन समितियों का विकास नहीं हो पाया । इन समितियों में 200-400 सदस्य काम करते हैं और हजारों परिवार इनसे जुड़े हैं । अगर इन समितियों का ठीक से विकास होता तो हजारों परिवारों को रोजगार मिलता लेकिन सरकार ने यह व्यवस्था की कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल के तालाब ही इन मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को दिये जायेंगें । देखा यह गया है कि इतने क्षेत्रफल के तालाब नहीं होते हैं इसलिये इन समितियों को तालाब आवंटित नहीं हो पाते हैं नतीजा यह है कि अनेक समितियां बेकार पड़ी हुयी हैं । मेरा सुझाव है कि जो शासनादेश है इसमें 50 डिस्मिल की व्यवस्था की जाय और इन तालाबों को मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को दिया जाय तभी इन समितियों का विकास हो सकता हैं । मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन हुआ लेकिन जिला सहकारी बैंकों की यह समितियां सदस्य नहीं हुयीं जिसके कारण इनको ऋण नहीं मिलता है और जब ऋण नहीं मिलता है तो इन समितियों का ठीक से विकास नहीं होता है । मत्स्य पालन का काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं । जो सहकारी बैंक हैं वह इनको ऋण नहीं दे रहे हैं इसलिए मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को बनाया जाये और ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । इसके साथ-साथ मान्यवर, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के लिए एक और काम है । जो विश्व बैंक के माध्यम से पैसा आता है उससे मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के कार्यालय बनाने के लिए दिया जाय जिससे उनकी स्थिति सुदृढ़ हो सके । मत्स्य पालन और आखेट को बढ़ावा दिया जाये जिससे मछुवा समुदाय की आर्थिक स्थित ठीक हो सके । आपके माध्यम से मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि जो कमियां हैं उसे सरकार के द्वारा दूर किया जाय और विभाग को प्रभावी बनाया जाये । इसके साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री सीताराम निषाद जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन केन्द है जहां पर मत्स्य बीज पैदा किये जाते हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दौरा करें वहां देखें, उसकी कार्य प्रणाली को देखें । जो कर्मचारी वहां बहुत दिनों से काम कर रहे हैं वह घोटाला कर रहे हैं उनको इधर से उधर करें इससे जो घोटाला है वह बन्द होगा । इसके साथ ही मान्यवर, जो वहां पर काम करते हैं उनका भुगतान नहीं होता । सरयू हैचरी हमारे यहां फैजाबाद जनपद में उसमें श्री राधेश्याम और विनोद मछुआ पद पर कार्यरत हैं उनको नवम्बर, 1999 से 5 महीने हो गये वेतन नहीं दिया गया । निगम से 4-4 महीने की स्वीकृति जाती है परन्तु वह नहीं गया है जिसकी वजह से दो मछुआ समुदाय के व्यक्ति को वेतन नहीं मिला । वह भूखों मर रहे हैं । ग्राम सभा के जो तालाब हैं उसके जो पट्टे हो रहे हैं जो मत्स्य पालकों को दिये जाते हैं उसमें 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तालाब सुधार और विकास के लिए प्राविधान है लेकिन बैंक दिलचस्पी से तालाब नहीं लेते हैं । बैंक पट्टेदारों को पैसा नहीं देते हैं इसलिए निवेदन करूंगा कि जो भी तालाब हैं, विभाग की तरफ से, मत्स्य विकास निगम की तरफ से तालाब विकसित कराया जाय । तब उनको पट्टे पर दिलाया जाय तो इससे मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा । इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि माननीय विधायकों.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी मैं आपको बाद में सुन लूंगा । अभी आप आसन ग्रहण करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय दे दें । कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय मंत्री जी को बुलाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम ललित चौधरी–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण कर लेने दें । (व्यवधान) मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं चूंकि मैंने मंत्री जी को बुला लिया है इसलिए आप लोग बैठ जायं और व्यवधान न पैदा करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

(व्यवधान) [xxx]

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

[xxx] अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम ललित चौधरी आपको मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं और आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। आप मर्यादित आचरण करें और अपने असंसदीय शब्दों के लिए खेद व्यक्त करें। आप कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछ पायेंगे चूंकि मैंने मंत्री जी को बुला लिया है (व्यवधान)

श्री राम ललित चौधरी–

ठीक है, मैं खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह जो मिनिरल वाटर दिया गया है इसमें कीड़ा है।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी आप बैठ जायं और इस मद को समाप्त करने के बाद आप अपनी बात कह लेंगे।

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सीताराम निषाद जी हमारे पुराने साथी हैं और इस विभाग के चार-पांच सालों तक मंत्री भी रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव द्वारा कुछ अच्छे सुझाव देंगे जिनसे हमें आगे काम करने में एक अच्छी दिशा मिलेगी। लेकिन उन्होंने कुछ मुख्य बिन्दु उठाये हैं और कहा कि जैसे मुख्य चिकित्साधिकारी के 28 पद रिक्त हैं। तो मान्यवर, आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि डाक्टरों के रिटायर होने के बाद यह पद रिक्त हुए हैं लेकिन उन्हें हम जल्दी ही भरने जा रहे हैं। मान्यवर, उन्होंने चिकित्सकों की कमी के बारे में कहा तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग में निश्चित रूप से 523 पशु चिकित्सकों की कमी है जिसमें से 339 पशु चिकित्सकों को पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज रखा है। जब भी आ जायेंगे उन जगहों पर रखने का काम करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर, एडीशनल डायरेक्टर के बारे में कहा गया है मैं डी०पी०सी० करवाकर इन पदों को भर दूंगा। मैं समझता था कि श्री निषाद जी का मत्स्य विभाग में विशेष ज्ञान हैं लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक कागज दे रखा है मैं उसको देखकर आपकी जो मांगें हैं उन पर विचार कर लूंगा और उसके बाद कार्यवाही हो जायेगी। श्री निषाद जी ने औपचारिकता पूरी कर ली है उनसे अनुरोध है कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और बजट पास होने दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री निषाद जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री सीताराम निषाद–

डायरेक्टर फिसरीज तकनीकी पद है। इस पर विभाग का अधिकारी नियुक्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री फागू चौहान–

डायरेक्टर फिसरीज पद के लिए डी०पी०सी० हो जाने के बाद इस पद को भर देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,50,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,08,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सत्रकाल में मा० सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले मिनरल वाटर में कीट प्राप्त होने पर उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर पीठ का निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया । मुझे विस्तार से नहीं बात करनी है । मान्यवर, यह पानी जो लांबी में पीने के लिये दिया जाता है और मिनरल वाटर के नाम से जाना जाता है इसमें एक कीट है । हम कोई आश्वासन इस सरकार से नहीं मांग रहे हैं सिर्फ जानकारी दे रहे हैं । मैं यह चाहता हूं कि जो यह कम्पनी है जो यह मिनरल वाटर सप्लाई कर रही है उसको बन्द कराया जाय । मैं इस सील्ड वाटर बोतल को आपके पास भेज रहा हूं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

यह निश्चित रूप से एक गम्भीर बात है । हालांकि किसी की यह मंशा नहीं होती है कि माननीय सदस्यों को अशुद्ध भोजन पानी सर्व किया जाय लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर बात है कि जो यह डेल्टा प्योर नाम से पानी की सप्लाई हो रही है यह शुद्ध जल के निर्धारित मानक को पूरा नहीं करता । आपका इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि माननीय सदस्यों को लांबी में जो भोजन पानी

मिलता है वह शुद्ध हो । मैं शासन के संज्ञान में यह बात ला रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि शासन इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब आपने अपनी व्यवस्था दे ही दी है तो माननीय मंत्री जी से यह भी कह दें कि वे इस प्रकरण पर जो भी कार्यवाही करें उसे एक सप्ताह के अन्दर इस सदन के समक्ष रखें ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी आप इस विषय में जो भी निष्कर्ष लें उसे यथाशीघ्र उचित होगा इस सदन को भी उसकी सूचना दे दें ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)

इस तरह का खिलवाड़ करने वाली किसी भी कम्पनी को छूट नहीं दी जायेगी और जो भी निर्णय या कार्यवाही की जायेगी उससे इस सदन को अवगत करा दिया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-16

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001- को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,69,38,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

मान्यवर, जितना छोटा हमारा बजट है उसी प्रकार मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा । हमारे प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और घटती हुई कृषि भूमि के कारण किसानों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गयी है । जैसा कि आप जानते है कि हरित क्रान्ति में किसानों ने देश को आत्म निर्भर बना दिया, ऐसे ही श्वेत क्रान्ति में भी किसानों ने इस प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है सारे देश का 18 प्रतिशत दूध उत्पादन हमारे प्रदेश में हो रहा है और यह किसानों की मेहनत का फल है । किसानों की मेहनत से यह दूध नगरीय क्षेत्र में भी पहुंच रहा है । मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा । इस विभाग में कुछ विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । महिला डेरी के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में रोजगार का सृजन किया है । पशु आहार के लिये तीन निर्माण शालायें हैं, जिनकी क्षमता 100-100 टन की है । बनारस, मेरठ तथा उधमसिंह नगर में इस प्रकार की यूनिटें हम चला रहे हैं । हम अपनी कुछ विशेष उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहेंगे ।

हमने इस वर्ष 13 लाख 50 हजार लीटर दूध का उत्पादन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है । हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है । दूध के उत्पादन में 5.27 प्रतिशत की वृद्धि की है और दूध के विक्रय में 2.18 प्रतिशत की वृद्धि की है और दूध के विक्रय में 2.18 प्रतिशत की ग्रोथ की है । पशु आहार में हमने अप्रत्याशित वृद्धि की है । हमें पिछले वर्ष 84 लाख 34 हजार रुपये का घाटा रहा था लेकिन इस वर्ष हमने 2 करोड़ 20 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है । पिछले वर्ष की तुलना में हमने किसानों को अधिक मूल्य भी दिया है । हमने वायदा किया था कि 45 हजार करेंगे । हमें स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल गई है इसमें भी हमने वृद्धि कर दी है । नोएडा में हमने बहुत ही अत्याधुनिक कम्प्यूटेराइज डेरी लगायी है, जिसमें काम भी शुरू हो गया है, जिससे किसानों को लाभ होगा । हमने विभाग के

11 अधिकारियों को सैम्पुलिंग का अधिकार भी दिलाया है । जैसा कि पिछले साल सिन्थेटिक दूध के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था । जिले -जिले में टीमें बनायी गई । चूंकि 1 मई से दूध का उत्पादन कम हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में सिन्थेटिक दूध बनाने वाले फिर से सक्रिय हो सकते हैं इसलिये हम ऐसे लोगों के खिलाफ 1 मई से अभियान चलायेंगे । हमने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से चार दुग्ध संघों को लगभग 9 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करवायी है । इसके लिये हमने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनायें भी चालू करवायी हैं । अम्बेडकर नगर में 20 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अवशीतन केन्द्र तीन माह में चालू कर दिया जायेगा, बहराइच मे 20 हजार लीटर प्रतिदिन का अवशीतन केन्द्र चालू किया जायेगा, चमोली में 5 हजार लीटर क्षमता वाली डेरी 3 माह में चालू हो जायेगी, उत्तर काशी मे 5 हजार लीटर क्षमता का केन्द्र स्थापित किया जायेगा, प्रथम चरण में मिल्क चिलिंग संयुक्त 6 माह में चालू हो जायेगी । लालकुआं, नैनीताल में 20 हजार लीटर की डेरी है उसकी क्षमता बढ़ाकर 50 हजार लीटर कर रहे हैं इसी तरह से 30 हजार लीटर का एक नया केन्द्र खोल रहे हैं । बिजनौर में भी खोल रहे हैं । इस प्रकार से हम कई कार्यक्रम चला रहे हैं और भी बहुत से कार्यक्रम हैं, लेकिन जैसा कि सभी साथियों की इच्छा है कि इस पर बहुत संक्षेप में बोला जाय उसका मैं आदर करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने साथियों से आशा करता हूं कि यह कोई बजट नहीं है विभाग को किसी तरह से चला रहे हैं । इसमें बहुत कम बजट है जो कि लोगों की तनख्वाह में जाता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको बगैर चर्चा के पास करा दें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभगीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि यह बहुत छोटा बजट है लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि इस पर छोटी चर्चा होनी चाहिए या बिना चर्चा हुए ही पास हो जाना चाहिए । इस बजट का और इस विभाग का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है मेरी नजर में । इस रोज वरोज की बढ़ती हुई जनसंख्या और दिन-प्रतिदिन कृषि भूमि का घटना देखते हुए....

(व्यवधान)

हमारे देश में जहां जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो रही है वहीं कृषि योग्य भूमि घट रही है । वहां पर ऐसे उपायों का विकसित होना जरूरी है जहां हमारे लोगों को रोजगार मिले । हमारे देश में दुग्ध विभाग के महत्व का इससे अन्दाजा लगा लें अभी पिछले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन हमारे देश में पधारे । राजस्थान के नाथला गांव में गये जहां पर महिला दुग्ध सहकारी संघ की महिलाओं ने उन्हें अपनी समिति का सदस्यता कार्ड दिया और उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने आप गौरवान्वित महसूस किया । इससे अन्दाजा हो सकता है कि इस विभाग का कितना महत्व है ।

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो खड़े होकर माफी मांग लीजिये । डिसकशन की कोई जरूरत नहीं है ? यह विभाग जब से बना है तब से घाटे में जा रहा है । सरकार इसके लिए संवेदनशील नहीं है (व्यवधान) मैं वैसे तो बहुत जूनियर सदस्य हूं, आपको मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए इस बात की मैं अपेक्षा करता हूं । मान्यवर, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय राम राज्य की कल्पना की गयी कि उसमें दूध की नदियों का बहना भी जरूरी था इसलिए हमारे नेताओं ने सफेद क्रान्ति लाने की बात की । वर्ल्ड बैंक की मदद से हमारे यहां पी०सी०डी०एफ० की स्थापना हुई और पुनः डी०डी०बी० की सहायता से आपरेशन फ्लड परियोजना चलायी गयी और उसके तहत जैसा हमारे माननीय मंत्री जी के बजट

साहित्य में एक फार्मूला रखा गया है उसका उद्देश्य रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार मिलेंगे, दुग्ध का विकास होगा, जितनी यूनिट लगेंगी, जहां यूनिट लगेंगी वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास होगा । दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशन फ्लड योजना बनायी गयी है इसको तीन भागों में बांटा गया है । पहले फेज में आठ जनपदों को लिया जाएगा । दूसरे फेज में 28 जनपदों को लिया गया और तीसरे में 31 जिले लिए गये 1976 में उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम बना है और इसके अन्तर्गत दुग्ध परिषद् का गठन हुआ । 1976 के बाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बना और यहीं से दुग्ध विकास का काला इतिहास शुरू हुआ और भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ । पिछली बार अब आपकी सरकार 1991 में बनी थी उस समय आपने सेन्ट्रल सेक्टर से सहायता मांगी और 15 प्रोग्राम महिला डेरी योजना सघन डेरी परियोजना आदि लागू की जो आज भी चल रही हैं लेकिन यह कहा जाए कि योजनाओं के चलते आपने एक भी जगह कहीं भी ऐसी उपलब्धि नहीं दिखायी जिसे सफलता कहा जाय । आपने कार्य क्षेत्र बढ़ाया, धनराशि बढ़ायी, मेम्बरशिप बढ़ाकर दिखायी, समितियां बढ़ाकर दिखायी, लेकिन दुग्ध का विकास कहीं नहीं हुआ, दूध का उपार्जन घटता ही चला गया ।

यह आपके आंकड़े बताते हैं । आपने जहां योजनायें लागू कीं वहां ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिये आप पहले ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित् करते, लाभ-हानि समझाते, उन्हें पहले शिक्षित करने की आवश्यकता थी, जहां आपने समितियां चलायी वहां प्रेरणा पैदा करते तो सही उपयोग होता और योजना का सही फायदा मिलता, आपने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए घाटे में जाते रहे, पिछली बार जब बजट सेशन चल रहा था तो इस समय भी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग था उन्होंने कुछ घोषणायें की थीं और महिलाओं की भागीदारी पर बहुत जोर दिया गया पर कर क्या रहे हैं ? एक वी०ए०आई०एफ० सीमेन संस्था थी जिसकी आपने एड बन्द कर दी । परिणाम स्वरूप अच्छा सीमेन मिलना बन्द हो गया । आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है । भ्रूण प्रत्यारोपण खराब हो गया । सघन मिनी डेरी परियोजना जो चल रही है इस पर भी ध्यान दिया जाए । इसी प्रकार से पशु प्रजनन और चारा विकास कार्यक्रम है इस पर ध्यान दिया जाए कृत्रिम दूध को रोकने की जरूरत है सचल गुण नियंत्रण दस्ते बने । इसी तरह से उ० प्र० पशुधन विकास परिषद् का गठन और गो सेवा आयोग का गठन करने की बात कही है इसमें जो विकास कार्यक्रम है यह किस आधार पर चलेंगे ? आपकी वार्षिक योजना 1998-99 की थी इसमें 19 करोड़ 26 लाख रुपया मिला अगले साल वह राशि घटकर 8 करोड़ 60 लाख हो गयी, इस बार 9 करोड़ 68 लाख मांगे और मिल रहे हैं 5 करोड़ 59 लाख । कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है और ग्रान्ट घटती जा रही है, दूध का उपार्जन घट रहा है । पी०सी०डी०एफ० और इसके अलावा दुग्ध परिषद् बना है । अभी माननीय मंत्री जी ने पी०सी०डी०एफ० के फायदे दिखाये, गिनते...

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे अलावा अन्य कोई बोलने वाला नहीं है । इसलिए थोड़ा समय देने की कृपा करें । मैं सरकार को इस विभाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा 2 करोड़ 20 लाख का फायदा पी०सी०डी०एफ० से हुआ लेकिन दुग्ध सहकारी संघ जो हर जिलों में चल रहे हैं उनका घाटा भी तो जरा बता दें । दलपतपुर (डी०यू०एस०एस० मुरादाबाद) गत वर्ष 11 करोड़ के घाटे में था 1999-2000 तक का घाटा 13 करोड़ हो जायगा बनारस में 10 करोड़ से अधिक घाटा है इसी तरह से मेरठ यूनिट में 10 करोड़ का घाटा था डी०यू०एस०एस० व उसकी यूनिट कहीं फायदे में नहीं है मान्यवर, डी०यू०एस०एस० एक आटोनोमस बाडी है और जहां यूनिट है, वहां का कार्यभार देख रही है । यूनिट चल रहे हैं दूध ले रही है और सप्लाई करती है । इसमें पी०सी०डी०एफ० का सुपरवीजन होता

है । एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंसियल कन्ट्रोल पी०सी०डी०एफ० का है । मार्केटिंग पी०सी०डी०एफ० करता है और दुग्ध संघ सिर्फ प्रोडक्शन करता है । मार्केटिंग सिस्टम यह है कि आर० एम० ओ० पांच प्रतिशत कमीशन लेता है । यूनिट के लिए लिमिट बांध दी गयी है । बैंक रुपया देने पर उतना माल सीज करता है । आर०एम०ओ० माल बेचता है, आर०एम०ओ० ही एजेन्ट नियुक्त करता है और वह माल देने का यूनिट को आदेश देता है । यूनिट बैंक में जितना पैसा होता है या जमा करती है उतना माल रिलीज करती है । बैंक में पैसा जमा हुआ । यूनिट का माल एजेन्ट को गया और पेमेन्ट आर०एम०ओ० को बाद में आया आर०एम०ओ० पेमेन्ट आने पर 5 प्रतिशत कमीशन और काट लेता है । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ।

आर०एम०ओ० बम्बई ने एजेन्ट बनाया । उनको डी०यू०एस०एस० मुरादाबाद से 12 लाख का माल 6 या 7 साल पहले गया लेकिन पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है । एजेन्ट ने आर०एम०ओ० को नहीं दिया और आर०एम०ओ० ने यूनिट को नहीं दिया । दो वर्ष एजेन्ट आफिस बन्द करके चला गया और आज तक उसका पता नहीं है । मान्यवर, मार्केटिंग में कितना भ्रष्टाचार होता है यह मैं बता दूं । डी०यू०एस०एस० मुरादाबाद से घी गोवा दमन दीव को भेजा गया लेकिन वह नहीं पहुंचा । सब दिल्ली मुरादाबाद में बिक गया । तो इस तरह से सेल्स टैक्स की चोरी इन्होंने की । एक ही ट्रक एक दिन में दो बार "दमन" के लिए लोड हुआ जबकि उस नम्बर का ट्रक नहीं है । इ०ओ०डब्लू० से इसकी जांच करायी गयी लेकिन आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है । गत वर्ष एक एम०डी० पी०सी०एफ० जे० शर्मा आई०ए०एस० थे जिन्होंने आपकी सरकार ने इन्हें आगे लाकर के पी०सी०डी०एफ० का एम०डी० बना दिया । वहीं दुग्ध आयुक्त रहे और वहीं दुग्ध विकास सचिव भी थे । मान्यवर, यह तीन महत्वपूर्ण पोस्टें होती हैं । उन्होंने श्री पी०के० तिवारी को नोयडा का जी०एम० बना दिया । जो भ्रष्टाचार में लिप्त कई वर्षों तक सस्पेंड रहे । तथा श्री वी०के० अग्रवाल को इंचार्ज बना दिया । आगरा में एग्जामनर फैज 16 हजार रुपया प्रति खरीद और दलपतपुर में जिन्होंने 9 कुन्तल 'ए' ग्रेड का घी 'बी' ग्रेड करके बेच दिया । जिस नोयडा की बात आप कर रहे हैं वहां कम्प्यूटराइज्ड फैक्ट्री चल रही है और आपने यह नहीं बताया कि वहां 10 हजार रुपये प्रतिदिन से ऊपर का घाटा चल रहा है । आज पी०सी०डी०एफ० फायदे में चल रहा है और सारे डी०यू०एस०एस० घाटे में चल रहे हैं । मान्यवर, पिछली बार भी मैंने इसकी कटौती पर बोला था तो मैंने तीन सुझाव दिये थे । मेरा पहला सुझाव यह था कि प्रशासनिक स्तर पर अंकुश लगना चाहिए, दूसरा सुझाव यह था कि भ्रष्टाचार और चोरी अधिकारी के स्तर पर होती है उसे रोका जाय और तीसरा सुझाव यह था कि मार्केटिंग पालिसी को चेंज किया जाय । मान्यवर, आज जिस तरह से यूनिट में पानी मिलाकर कम दूध को ज्यादा बनाया जाता है उसे पूरा करने के लिए एस०एन०एफ० मिलाकर पूरा किया जाता है । दलपतपुर यूनिट में 90 कुन्तल एस०एन०एफ० चोरी हुआ है सब पानी मिले दूध में मिला दिया गया वहां पर यह रिकार्डेड है जांच चल रही है विजिलेंस में । आप चोरी को रोकें । अधिकारियों पर अंकुश लगायें । अगर इसमें कन्ट्रोल कर ले जायेंगे तो शायद फायदे में चले जायें । आपके यहां हर स्टाफ मौजूद है अपाइंटेड स्टाफ है चाहे वह प्रोडक्शन यूनिट हो, इंजीनियरिंग हो, पैकिंग हो, इंजीनियरिंग की लेबर यूनिट हो लेकिन उसके बावजूद आपने हर काम ठेके पर दे रखा है । पांच साल पहले श्री ओ०पी० यादव जो दलपतपुर यूनिट में जी०एम० थे, उनके समय में बहुत से घोटाले हुए थे । अब फिर उनको इनाम के तौर पर दलपतपुर यूनिट का इंचार्ज बनाकर भेजा गया है । वहां पराग कैम्पस में बिजली घर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मेरठ के रहने वाले हैं इसलिए पिछली पोस्टिंग मेरठ के लोगों को जनरेटर का ठेका दे दिया तीन साल तक सवा लाख प्रतिमाह जनरेटर का दिया । आज जनरेटर बन्द हो गया तो क्या काम नहीं हो रहा है । क्या आप इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्यों जनरेटर का ठेका दिया गया और क्यों सवा लाख प्रतिमाह का पेमेन्ट हुआ था क्या उनसे रिकवरी के आदेश देंगे ? माननीय मंत्री जी आपने सारा विभाग का स्थानान्तरण का कार्य भी स्वयं ले

रखा है क्योंकि मेहनती आप बहुत हैं। जब से आप मंत्री हुए हैं 500 लोगों के स्थानान्तरण हुए हैं 250 रद्द हो गये। क्यों ? मान्यवर, आज आपको विभाग के उच्च अधिकारियों पर नियंत्रण व अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, "ए" ग्रेड का घी 97 में 135 रुपये किलो में जाता था वह 9 कुन्तल घी तत्कालिक सामान्य प्रबन्धक दलपतपुर श्री वी० के० अग्रवाल ने "बी" ग्रेड का घोषित करके 58 रुपये में बिकवा दिया। यूनियन को शिकायत होने पर डी० ए०एम० ने उसको सीज कराया और इन्क्वायरी की गई तो यह साबित हुआ कि यह "ए" ग्रेड का घी था। तो यह हुआ कि इसको फैक्ट्री के स्टाफ को दे दिया जाय लेकिन वह आपने देने से इंकार कर दिया और फिर बाद में उस घी को 58 रुपये किलो में उसी एजेन्ट को उठवा दिया और उस जी० एम० श्री वी० के० अग्रवाल को मुख्यालय में पर्चेजिंग का इंचार्ज बना कर आपने इनाम दिया है। मान्यवर, आपके बारे में व्यक्तिगत तो कोई आक्षेप लगाने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता, प्रदेश जानता है, जनता जानती है। मान्यवर, यह एक बहुत अहमियत वाला विभाग है। कृषि भूमि तो कम होती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है अगर हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर जागृति पैदा नहीं की तथा विभाग को बेरोजगारी दूर करने का माध्यम बनाने की कोशिश नहीं की तो निश्चित रूप से बहुत बड़े संकट में आ जायेंगे। अगर ऐसा कुछ करने की नीयत है तो मेरे सुझावों पर अमल करना होगा नहीं तो यह अरबों रुपया का जो घाटा हुआ है वह बढ़ता जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, इनके यहां दलपतपुर में जो ब्वायलर चलता है इसमें धान की भूसी जलाई जाती है उस चिमनी में एक प्रकार का फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है जिससे धान की भूसी जलती है उसकी जलती राख वह रुक जाती है। पिछले 3 साल से उस फिल्टर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत जनता ने लिखित रूप से एम०डी० से, मंत्री जी से जिलाधिकारी मुरादाबाद से की है लेकिन कुछ नहीं किया गया हैं उसका रिजल्ट यह है कि मेरे क्षेत्र के 100 से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हो चुकी है। अगर आप जनता का हित सोचते हैं तो ब्वायलर में फिल्टर लगवा दें। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जय पाल सिंह–

मान्यवर, ये हमारे बहुत अच्छे साथी है मेरी इनसे बात होती रहती है। इनके भाई मेरे विभाग में नौकरी करते हैं उसको सारी जानकारी है और वही इनको जानकारी देता रहता है और हमेशा दबाव बनाता रहता है ताकि उसको न हटाये। अगर इनको जरा भी विभाग से हमदर्दी होती तो आपसे पहले मुझसे बताते कि यह कमी है तो मैं काम करता अगर नहीं करता तो मैं इस्तीफा दे देता। मान्यवर, एक भी व्यक्ति यह कह दें कि पिछले इतने दिनों से जो विभाग चल रहा था और जयपाल सिंह के नेतृत्व में जब से विभाग चला है तो उसमें सुधार नहीं हुआ है तो मैं अपनी सारी गलतियां मान लूंगा लेकिन आप पूर्वाग्रह से कह रहे हैं। आप मेरे कक्ष में आ जायं मैं एक-एक चीज का जवाब दे दूंगा और एक-एक शिकायत पर कार्यवाही करूंगा, जो घोटाले होंगे उनकी जांच कराऊंगा और कार्यवाही करूंगा। अगर आप सच्चे शुभचिन्तक हैं तो सारी बातें मुझे बतायें, मैं कार्यवाही करूंगा।

मान्यवर, इस विभाग में आप कहते हैं कि बहुत नुकशान हुआ है एक मेरे प्राइवेट व्यक्ति जिसका नाम वेदराम है 8 लाख लीटर दूध प्रिक्योर करता है एक दिन में और मेरा विभाग 12 लाख लीटर दूध प्रिक्योर करता है उसकी पूरे दूध पर सैलरी है 18 लाख और हमारे विभाग की सैलरी है 4 करोड़ के लगभग। हमने प्लान बनाया है और हम कम्पलसरी वालन्टरी रिटायरमेंट लोगों को देंगे। आप मेरे पास

आयें मेरा सहयोग करें, हम आप मिलकर विभाग को सुधारेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे । मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी बातों को वापस ले लेंगे । आप अपने भाई के हितों को न देखें, उसको वहीं छोड़ दें, वह जो गलती कर रहा है, उसे करने दें, 20 साल से वह वहीं पड़े हैं । आप विभाग के हित में काम करें, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं । मैं उनके बजट की आलोचना में कोई बात नहीं कहूंगा । लेकिन इस तरह के कमेन्ट की आवश्यकता नहीं है कि उनका भाई विभाग में है । यह बात उचित नहीं है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, न इतने क्रोध में उत्तर की आवश्यकता है कोई व्यक्तिगत आक्षेप आप पर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने बड़ी सदाशयता से कहा है कि वह और यह मिलकर विभाग को ठीक करेंगे ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी जानकारी का श्रोत माननीय मंत्री जी ने मेरे भाई को बताया । मेरा कोई सगा भाई फैक्टरी में नहीं है । हां मेरे ताऊ के रिश्ते के भाई नौकरी करते हैं, वह है । नौकरी करना कोई पाप नहीं है और उसका विभाग बहुत मेहरबान है मंत्री जी उस पर यह उन पर इतना प्रकोप रखते हैं, इसीलिये पिछले 3 वर्षों में 4 बार स्थानान्तरण कर चुके हैं । पिछली बार जब मैं उनके पास गया था तो मंत्री जी ने स्थानान्तरण रद्द नहीं किया क्योंकि उनकी कलम से हुआ था और भ्रष्ट अधिकारियों की सिफारिश से हुआ था, अब वह स्थानान्तरण स्टे किया हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी आपको फिर बताना चाहता हूं कि मेरी जानकारी का श्रोत मेरा भाई नहीं है । मान्यवर, सन् 1986 से यहां के दुग्ध संघ लेबर यूनियन का मैं अध्यक्ष चला आ रहा हूं, मेरे स्वर्गीय पिताजी चौधरी रियासत हुसैन साहब, इस सम्मानित सदन के सदस्य रह चुके हैं, सन् 1972 में वह भी फैक्टरी लेबर यूनियन के अध्यक्ष रहे, इसलिये मैं उसके बारे में जानकारी रखता हूं । भाई तो 2 साल से यहां पहुंचा है । मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी बढ़ा रहा हूं । आगे भी आप याद रखें कि मेरी जानकारी का श्रोत मेरा भाई नहीं है मेरा यूनिट और यूनियन से लगाव और मेहनत है मेरी जानकारी इतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी बढ़ती रहेगी । क्योंकि यूनिट हमारी जमीनों पर इस्टैबलिश हुई है, इसलिये मुझे उससे लगाव है । दूसरी चीज, अगर मैं यह कहूं कि माननीय मंत्री जी को विभाग का अनुभव अधिक इसलिये नहीं है और मंत्री जी उसमें कम दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि मंत्री जी के परिवार के लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं । यह बात जगजाहिर है । मंत्री जी के सुपुत्र प्रताप सिंह हैं, विभाग के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है आपके सुपुत्र ही अधिकांश यूनिटों में अपने एजेन्टों से अपनी मर्जी के रेट पर माल सप्लाई कराते हैं, उदाहरण के लिए ब्वायलर के लिए डिस्कोलिंग, कैमिकल 451–प्रतिलीटर के स्थान पर 220/- रु० प्रति लीटर इन्हीं के द्वारा मेरठ से भेजा जा रहा है, इन्होंने मुझे कहने के लिये मजबूर किया है, इसलिये कह रहा हूं और खुले सदन में कह रहा हूं । मंत्री जी आपको चिन्ता इसलिये हो रही है, कि कहीं अगर आपने मेरे सुझावों पर अमल किया, और अधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम किया तो हो सकता है कि आपके सुपुत्र की हरिद्वार में जो फैक्टरी लगने जा रही है, उसमें रुकावट आ जाय । चूंकि मंत्री जी ने मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर कोई ठोस जवाब या

आश्वासन नहीं दिया है, उसके सुधार के लिये, और इस विभाग के घाटे को कम करने के लिये माननीय मंत्री जी ने अपनी कोई सहमति नहीं दी है, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं०–16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं०–16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,69,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

(1) श्री रूप चौधरी — जनपद–गाजियाबाद अन्तर्गत लोनी को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) डा० पूर्णमासी पंकज — प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शासनादेश के उपरान्त भी परिवर्तित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सीमा द्विवेदी — जनपद–जौनपुर में विकास खण्ड सुजानगंज अन्तर्गत सोनहिता नाले पर टूटे हुए पुल का निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री विनोदमणि — जनपद–महराजगंज की तहसील फरेन्दा की छितही व बन्दोह न्याय पंचायतों को गोरखपुर में सम्बद्ध किये जाने से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं के सम्बन्ध में।

(5) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — मेरठ विश्वविद्यालय में एम० एड० में शिक्षा सत्र 1999-2000 में अभी तक प्रवेश न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

(1) श्री राम औतार शाक्य — माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 10वीं कक्षा के नवीन पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगितयों के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदासनगर (भदोही) का मुख्यालय भवन [illegible] में शीघ्र निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीष्म प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेडकरनगर के जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र [illegible]र्गत किछोछा नगर में खलिहान में हुए भीषण अग्निकाण्ड के [illegible]न्ध में।

([illegible]) श्री जगदीश [illegible] — जनपद देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के [illegible] चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा दवा

छिड़काव करने वाले दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(5) श्री अजय कुमार पोइया — मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण निर्धारित मानकों के अनुरूप न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(6) श्री राम विशुन आजाद — प्रदेश में राजकीय शिक्षकों को राज्य कर्मियों की भांति सुविधायें देने अथवा माध्यमिक शिक्षकों की भांति सेवा शर्तें अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री रामजग — जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत नहरों तथा माइनरों पर बनी पैदल पुलियों के स्थान पर चौड़ी पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) श्री रामनाथ — महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश की देख-रेख में प्रयोगशाला सहायक प्रशिक्षण हेतु हुयी परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री धर्मराज निषाद — जनपद आजमगढ़ के पंचायत चुनावों में ग्राम सभाओं एवं जिलापंचायतअध्यक्षों हेतुगठ्मीदवारोंहेतु क्षेत्रान्तर्गतमें लगती समयों अनियमितताओं के सम्बन्ध में शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
श्री रामप्यारे सिंह तथा
श्री वसीम अहमद ।

(4) श्री जोखूलाल यादव — ग्राम–झारी, तहसील–हण्डिया, जनपद–इलाहाबाद में भयंकर आग लग जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुयी :–

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, 2–श्री अम्बरीष कुमार, 3–डा० धर्मेश मिश्र, 4–श्री मुरलीधर, 5–श्री शिव प्रसाद वर्मा, 6–श्री नेताराम सिंह, 7–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, 8–श्री नेताराम, 9–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, 10–श्री भीम प्रसाद सोनकर, 11–श्री रघुवर दयाल वर्मा, 12–श्री राम सिंह सैनी, 13–श्री उमाकान्त यादव, 14–श्री बनारसी दास चान्दना, 15–श्री समर पाल सिंह, 16–श्री तेजभान सिंह, 17–श्री श्यामदेव राय चौधरी और 18–श्री जोखूलाल यादव ।

शिया पी० जी० कालेज लखनऊ के प्राचार्य के चयन के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, की प्रथम परिनियमावली में निम्नांकित अर्हता उल्लिखित है :–

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में (अर्थात अंकों के पूर्ण योग 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित) स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तर

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शैक्षणिक अभिलेख (अर्थात अभ्यर्थी के शिक्षा काल में अधोपान्त सभी मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख) और

(ख) डाक्टरेट की उपाधि और स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का सात वर्ष का अनुभव या किसी उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का पांच वर्ष का अनुभव :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या उपाधि कक्षाओं के अध्यापन का बीस वर्ष का या उससे अधिक का अनुभव या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का सात वर्ष का अनुभव है या वह किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पांच वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी प्राचार्य है या रहा है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह और कि यदि चयन का यह मत हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जो उसके शोध निबन्ध या उसकी प्रकाशित रचना से सुस्पष्ट हो, अत्यधिक उच्च स्तर का है तो यह उपखण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है ।

2–अल्प संख्यक महाविद्यालय में प्राचार्य के चयन हेतु प्रक्रिया निम्नवत् है :–

शिया पी०जी० कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय का सहयुक्त महाविद्यालय है । उ० प्र० शासन द्वारा शिया पी०जी० कालेज लखनऊ को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया है । उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 की धारा 31 के उपबन्धों के अनुसार सहयुक्त महाविद्यालय में प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर नियुक्ति का अधिकार महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र में निहित है । अधिनियम की धारा 31 (4) (शा) के अन्तर्गत सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिये जो चयन समिति निर्धारित की गयी है वह निम्नवत् है :–

(1) अध्यक्ष प्रबन्ध समिति अथवा प्रबन्धतंत्र द्वारा नामित सदस्य समिति का सभापति होगा ।

(2) कुलपति द्वारा नामित उन संकायों के जिनके अन्तर्गत महाविद्यालय में विषय पढ़ाये जाने हो, का संकायाध्यक्ष या आचार्य ।

(3) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य जो समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और

(4) दो विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगें ।

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित, महाविद्यालय की दशा में प्रबन्धतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे 05 विशेषज्ञों के पैनल में से निर्दिष्ट किये जायेंगे, जिनके लिये प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह और कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिये डीन अथवा प्रोफेसर जो चयन समिति में होगा वे भी प्रबन्धतंत्र द्वारा ऐसे 05 डीन अथवा प्रोफेसर के पैनल से लिये जायेंगे जिन्हें कुलपति ने अनुमोदित किया हो, यदि निर्धारित संख्या में डीन अथवा प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है तो प्रबन्ध समिति के पैनल में सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्य को लिया जा सकता है ।

उल्लेखनीय है कि उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 प्रतिपादित हो जाने के पश्चात् प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों तथा प्रवक्ताओं की नियुक्तियां आयोग द्वारा की जाने लगी है परन्तु उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की धारा 24 के अन्तर्गत प्रदेश अल्पसंख्यक संस्थायें जिन्हें शासन द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, का महाविद्यालय में प्राचार्य तथा शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों का अधिकार इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि सम्बन्धित अल्पसंख्यक

महाविद्यालय संदर्भित नियुक्ति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के धारा 24 के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न करें।

3–कार्यवाही जो की गयी है :–

शिया पी०जी० कालेज, लखनऊ में डा० मुसय्यब शमशाद नकवी की प्राचार्य पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत है :–

श्री मुसय्यब शमशाद नकवी जो कि जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ में रीडर, जन्तु विज्ञान के पद पर कार्यरत है कि शैक्षिक अर्हतायें निम्नवत है :–

1–हाईस्कूल	1967	56.4 प्रतिशत
2–इण्टरमीडिएट	1969	49.0 प्रतिशत
3–बी० एस० सी०	1972	62.2 प्रतिशत
4–एम० एस० सी०	1975	66.5 प्रतिशत
5–पी० एच० डी०	1984	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक 5-5-76 से जय नारायण पी०जी० कलेज, लखनऊ में प्रवक्ता जन्तु विज्ञान के पद पर तथा दिनांक 5-5-89 से रीडर जन्तु विज्ञान के पद पर कार्यरत हैं।

2–पद का विज्ञापन श्री एस० एम० जाफर, अवैतनिक संयुक्त सचिव, बोर्ड आफ ट्रस्टी, शिया कालेज, द्वारा प्रकाशित कराया गया।

3–श्री एस० एम० जाफर, अवैतनिक संयुक्त सचिव ने अपने पत्र सं०–1745/बी०जे०111/2000 दिनांक 23-2-2000 द्वारा कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से यह अनुरोध किया है कि शिया कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति में दिये गये (सुझाव लिस्ट) के अनुसार पैनल आफ एक्सपर्ट का अनुमोदन प्रदान करें। उक्त लिस्ट में जो नाम अंकित किया गया है उनके नाम निम्नलिखित है :–

(1) प्रो० डी०डी० शर्मा, सेवानिवृत्त प्रो० कुलपति लखनऊ।

(2) प्रो० के०सी० लाल, भौतिक विज्ञान विभाग, लखनऊ।

(3) प्रो० एस० एम० सईद, डीन कला संकाय विभाग, लखनऊ।

(4) प्रो० गोपी चन्द्र नारंग, दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली।

(5) श्री मंजूर अहमद, कुलपति, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।

एक्सपर्ट पैनल

(1) प्रो० एस० के० नारायण, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी।

(2) प्रो० एस० अली सादिक, आर्थोपैडिक विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय।

(3) प्रो० सुवरा माहदी, जामिया मिलिया, नई दिल्ली।

(4) प्रो० वी० डी० मिश्रा, प्राक्टर लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5) प्रो० एस० अजीज हैदर, अंग्रेजी विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने पत्र सं०–5628 दिनांक 6-3-2000 के अधीन [illegible] के आधार पर पैनल आफ डीन/प्रोफेसर/एक्सपर्ट का अनुमोदन किया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि प्राचार्य के नियुक्ति के संदर्भ में अनुमोदित किया जा रहा है।

4–चयन की कार्यवाही दिनांक 27-3-2000 को सम्पन्न हुई तथा चयन [illegible] में निम्न उपस्थिति रही :–

(1) श्री एस० काजिम जहीर, अध्यक्ष।

(2) श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद [illegible]

(3) श्री मंजूर अहमद।

(4) प्रो० एस० के० नारायण, विशेषज्ञ ।

(5) प्रो० एस० अली सादिक, विशेषज्ञ ।

5–चयन समिति द्वारा 08 व्यक्तियों का साक्षात्कार दिनांक 27-3-2000 को किया गया जो निम्नवत् है :–

(1) डा० अजय बहादुर श्रीवास्तव ।

(2) डा० धीरेन्द्र कुमार ।

(3) डा० एस० अली हारुन रिजवी ।

(4) श्री गोपाल कृष्ठ चक्रवर्ती ।

(5) डा० सैय्यद मो० मसाहदी जैदी ।

(6) डा० मुसय्यब शमशाद नकवी ।

(7) श्री सईद अहमद मुसन्ना ।

(8) डा० मो० मोहसिन ।

चयन समिति द्वारा डा० मुसय्यब शमशाद नकवी का नाम प्रस्तुत किया गया ।

4–अनुज्ञा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में :–

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निदेशालय के पत्रांक डिग्री अर्थ–1/878/99-2000 दिनांक 13-10-99 द्वारा प्रबन्धक, शिया डिग्री कालेज लखनऊ को सूचित किया गया कि राज्य सहायता प्राप्त महाविद्यालय में प्राचार्य के पद की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है तथा पद रिक्त होने पर महाविद्यालय मे प्राचार्य का चयन उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम के तहत करायें ।

5–नियुक्ति प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में :–

कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से सहायक कुलसचिव, श्री वाई० के० शर्मा के पत्र संख्या–7248 दिनांक 27-3-2000 द्वारा डा० मुसय्यब शमशाद नकवी की प्राचार्य के पद पर शिया डिग्री कालेज, लखनऊ में नियुक्ति के प्रस्ताव को कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया ।

6–चयन का प्रकरण उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अनुमोदन हेतु विचाराधीन है ।

जहां तक अनियमितता का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यही उचित है कि कुलपति द्वारा पैनल के अनुमोदन अथवा चयन के अनुमोदन के प्रश्न पर कुलाधिपति द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 में विचार किया जा सकता है । परन्तु अभी प्रकरण उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में विचाराधीन है । अतः आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा किया जाना उचित है । तत्काल सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । ।

डा० अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, मेरी सूचना को मद सं०–13 पर ले रखा है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया गया लेकिन यदि कोई उस पर प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका उत्तर आना चाहिए । मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसविलिटी को देखते हुए, हरीश जी ही उसका जवाब दे दें । मैंने 13 पर आपत्ति की थी । मान्यवर, मैं कोई ज्यादा प्रश्न नहीं करुंगा । माननीय शाही जी बैठे हैं, माननीय हरीश जी है, इसका जवाब दे सकते हैं ।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या शिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज एक पोस्ट ग्रेजुएट संस्था हो या नहीं यह पूरी तरह साबित है कि यह पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है परन्तु नियुक्ति ऐसे की गई है । अण्डर ग्रेजुएट कालेज के प्राचार्य की अर्हता रखता है । क्या सरकार इसकी जांच करेगी चयन समिति का गठन गलत तरीके से किया गया है । आश्चर्य है कि चयन समिति 3 बजे होती है । प्रबन्धक समिति की बैठक 9 बजे रात को और उसी दिन रात को 15 मिनट के अन्दर लखनऊ विश्वविद्यालय चयन को अनुमोदित कर

देती है । सरकार ने इस अनियमितता को स्वीकार किया है । जांच कराने का वादा किया है । यदि नियुक्ति गलत हुई है तो क्या सरकार इसको रद्द करेगी ?

मान्यवर, यह जो वक्तव्य है उसमें स्वीकार किया गया है कि अनियमितता हुयी है । यहां पर शिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज के अन्दर जो नियुक्ति की गयी वहां पर अंडर ग्रेजुएट कालेज के क्वालीफिकेशन के व्यक्ति की गयी है । आपने कहा है कि यह मामला कुलाधिपति को रिफर किया जा सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस मामले की जांच शिक्षा सचिव या किसी उच्च अधिकारी से कराने का कष्ट करें । मैं भी प्रदेश का 3 बार शिक्षा मंत्री रहा हूं और 32 साल तक प्राचार्य रहा हूं । सरकर ने माना है कि अनियमितता हुयी तो जैसा मैंने कहा इसकी जांच करायी जाय और अगर सही पायी जाय तो इस नियुक्ति को स्थगित कर दिया जाय ।

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, आपने जैसा कहा तो जो अनियमितता हुयी है उसको स्वीकार किया गया है । वर्तमान में यह प्रकरण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विचाराधीन है । इसके उपरान्त जो जांच की उपेक्षा की गयी है वह जांच करायी जायगी और जांच के उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायगी ।]

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित सहायतित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित मान्यता देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

[प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के सापेक्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शासन के व्यय पर और अधिक महाविद्यालय संचालित करने अथवा पूर्व संचालित अनुदानित महाविद्यालयों में नये संकाय/विषय खोलने में कठिनाइयां आ रही है । उच्च शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश शासन कटिबद्ध है । इसीलिए अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा के प्रसार के दृष्किोण से स्ववित्त पोषित योजना प्रारम्भ की गयी है । इस योजना में किये गये प्राविधानों के अनुसार भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लिया जायेगा तथा ऐसे महाविद्यालयों का शिक्षण शुल्क वेतन संदाय खाते में भी जमा नहीं किया जाता । स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के व्यय भार का वहन शासन द्वारा नहीं किया जाना है ।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों में वित्त विहीन और स्ववित्त पोषित शब्दों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो गया है, जिसके निवारण हेतु 19 नवम्बर, 1999 में एक शासनादेश निर्गत किया गया है । चूंकि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के कार्मिकों के व्यय भार का वहन किसी भी प्रकार से शासन द्वारा नहीं किया जाना है अतएव यह प्राविधान किया गया कि अनुदानित शिक्षकों (जिनका व्यय भार शासन भी वहन करता है) से स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षण का कार्य नहीं लिया जायेगा । इस स्थिति में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है । स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में जिन महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना प्रारम्भ की गयी है, उनके शिक्षकों की तुलना अनुदानित स्नातक शिक्षकों से किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उक्त दोनों प्रकार के शिक्षकों की प्रास्थिति/सेवा प्रकृति भिन्न-भिन्न है । एतएव अनुदानित महाविद्यालय के स्नातक शिक्षक स्ववित्त पोषित स्नातकोत्तर शिक्षकों से किसी भी प्रकार से कनिष्ठ नहीं होंगे । दोनों के संबंध में ज्येष्ठता के संगत नियम सामान रूप से लागू नहीं हो सकते हैं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों एवं नर्सिंग होम से निकले हुये कचरे के निस्तारण की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

[उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स से निकले हुये कूड़े-कचरे के निस्तारण हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा स्लेज फार्म की भूमि पर इन्सीनिरेटर की स्थापना करायी गयी है । इस इन्सीनिरेटर की क्षमता 75 कि०ग्रा० प्रति घंटा है और इसकी स्थापना में धनराशि रुपया 26.00 लाख व्यय की गयी है तथा इसकी टेस्टिंग भी दो बार सफलता पूर्वक की जा चुकी है । लगे हुए इन्सीनिरेटर का निरीक्षण एवं कार्य प्रणाली मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ, पत्रकार बन्धु एवं मानीटरिंग कमेटी के सदस्य, डा० आर० सी० सक्सेना के समक्ष चलाकर दिखायी गयी तथा पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से इससे निकलने वाले धुंए एवं राख की जांच भी करायी गयी जो कि जांचोपरान्त ठीक पायी गयी ।

उक्त इन्सीनिरेटर में अस्पताली कचरे को पहुंचाने हेतु विभिन्न नर्सिंग होम्स तथा अस्पतालों को निगम स्तर पर सूचित किया जा चुका है और अस्पताली कचरे को इन्सीनिरेटर करने के लिये नगर निगम द्वारा रु० 21.10 प्रति कि०ग्रा० की दर निर्धारित कर तदनुसार प्रेषित किये जाने हेतु नर्सिंग होम्स को सूचित किया गया किन्तु उनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही का अनुपालन न करने के कारण ऐसे नर्सिंग होम्स के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर कुल चौदह नर्सिंग होम्स का चालान किया जा चुका है । अस्पताली कचरे को नर्सिंग होम्स द्वारा इन्सीनिरेटर स्थल तक न पहुंचाये जाने के कारण कचरे के निस्तारण में अपेक्षित क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।]

हरिद्वार नगर को आगामी बैसाखी एवं राम नवमी पर्वों के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत कटौती से मुक्त रखने के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

[हरिद्वार नगर में प्रतिदिन 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है, परन्तु विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण प्रदेश के अन्य नगरों की भांति हरिद्वार नगर में भी प्रणाली की सुरक्षा हेतु आवास कटौती कराना अनिवार्य हो जाता है । हरिद्वार नगर की आपात कटौती का समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित किया गया है और इसी अवधि में यथासंभव आपात कटौती कराये जाने के प्रयास किये जाते हैं । कभी-कभी प्रणाली की अत्यंत विषम परिस्थितियों में निर्धारित अवधि के अतिरिक्त भी आपात कटौती करानी पड़ती है ।

2–दिनांक 13-4-2000 (बैसाखी) तथा दिनांक 12-4-2000 (रामनवमी) के पर्वों पर हरिद्वार नगर के महत्व को देखते हुए इस नगर को विद्युत की आपात कटौती से दिनांक 31-5-2000 तक मुक्त रखने के आदेश पारित कर दिये गये हैं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत स्थित विभव, विजयन्त खण्ड के भूखण्डों की रजिस्ट्री में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

[श्री राम औतार शाक्य, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नोटिस में लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत स्थित विभव, विजयन्त खण्ड के भूखण्डों की रजिस्ट्री में धांधली की शिकायत की गई है।

मा० विधायक द्वारा दी गई नोटिस में यह कहना निराधार है कि जिन लोगों ने भूखण्ड आवंटन के लिए कुल रु० 12,000.00 (रुपये बारह हजार मात्र) की धनराशि एक भूखण्ड को प्राप्त करने के लिए दिनांक 15-3-93 से पूर्व जमा कर दी थी उनकी रजिस्ट्री करने के लिए अतिरिक्त राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। विजयन्त खण्ड में "ई" श्रेणी का कोई भूखण्ड (जिनका मूल्य रु० 12,000.00 सम्भावित था) नहीं है। विभव खण्ड में अवश्य "ई" श्रेणी के कुल 540 भूखण्ड थे जिनका आवंटन लाटरी द्वारा सन् 1985 में किया गया था उस समय इसका अनुमानित मूल्य रु० 12,000.00 था।

जिन आवंटियों ने निर्धारित किश्तों का भुगतान समय से कर दिया था उनसे कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मांगी जा रही है परन्तु अधिकांश आवंटियों ने रु० 500.00 की रजिस्ट्रेशन की धनराशि के अतिरिक्त कोई भी धनराशि का भुगतान आगामी कई वर्षों तक नहीं किया है। सामान्यतः यह आवंटन निरस्त कर दिये जाने चाहिए थे, परन्तु फिर भी आवंटियों की सुविधा हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिनांक 25-11-97 को भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था लागू की थी कि यदि आवंटन के पश्चात् मूल्यांकन के सम्बन्ध में पत्र निर्गत हो गया हो तथा आंशिक धनराशि आवंटी द्वारा जमा की गई हो तो जिस तिथि में आवंटी द्वारा धनराशि जमा हुई हो उसी तिथि को प्रचलित दर के अनुसार मूल्यांकन किया जाये तथा शेष धनराशि पर हुडको द्वारा निर्धारित दर से ब्याज लिया जाय। इन प्रकरणों में चूंकि अधिकांश आवंटियों द्वारा आवंटन के समय केवल रजिस्ट्रेशन धनराशि जमा की गई थी तथा अन्य कोई भी धनराशि आगामी कई वर्षों तक जमा नहीं की गई, अतः आवंटी ने जिस वर्ष में आंशिक धनराशि जमा किया, उस वर्ष में प्रचलित भूमि की दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन किया गया तथा अवशेष धनराशि पर नियमानुसार ब्याज की गणना की गई।

कतिपय प्रकरणों में आंशिक धनराशि अत्यन्त विलम्ब से जमा होने के कारण आवंटी द्वारा देय धनराशि में वृद्धि हुई है परन्तु यह कहना उचित नहीं है कि भूखण्ड के मूल्य की गणना में कोई दोहरा मापदण्ड अपनाया गया हो। यह भी उल्लेखनीय है कि विभव खण्ड में अर्जन के सम्बन्ध में किसानों से विवाद के कारण कार्य विलम्बित हुआ जिसके कारण अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं की गई परन्तु अब रजिस्ट्री प्रारम्भ की जा रही है। इन प्रकरणों के समाधान हेतु वर्तमान में एकमुश्त समाधान योजना लागू है, उसी के आधार पर मूल्य की गणना कराकर सभी मामलों का समाधान करा दिया जायेगा।]

[illegible] अंश पढ़ा हुआ माना गया

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही व ज्ञानपुर में निर्माणाधीन बस डिपो भवन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (पटेल श्री राम कुमार वर्मा)–

[जनपद सन्त रविदासनगर के जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस डिपो का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया वरन् बस स्टेशन के निर्माण का कार्य वर्ष 1995 में रु० 10.03 लाख की लागत से प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत प्रतीक्षालय एवं चार कक्षों के रूप में मुख्य भवन के ढ़ाचे का निर्माण हुआ है जिस पर रु० 2.81 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। तत्पश्चात् बस स्टेशन का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों के अभाव में वर्ष 1996 में रोक दिया गया।

2–जनपद सन्त रविदास नगर के मुख्यालय ज्ञानपुर से ज्ञानपुर–भदोही तथा ज्ञानपुर–गोपीगंज का मार्ग राष्ट्रीय-कृत है। इस मार्ग पर निजी बसों का संचालन भी राष्ट्रीयकरण योजना में अनुमन्य किया गया है। वर्तमान में परिवहन निगम की एक मात्र बस वाराणसी भदोही–ज्ञानपुर होते हुए कानपुर के लिए संचालित हो रही है। पूर्व में वाराणसी से सेवापुरी तक के स्थानीय मार्ग पर चलने वाली बस सेवा जिलाधिकारी सन्त रविदासनगर की मांग पर भदोही होते हुए ज्ञानपुर तक के लिये जनवरी-फरवरी, 2000 में संचालित की गयी। इस सेवा का लोड फैक्टर क्रमशः 22 व 26 प्रतिशत होने के कारण इसे बन्द कर दिया गया इसके अतिरिक्त वाराणसी से भदोही-ज्ञानपुर-गोपीगंज होते हुए धनतुलसी तक तथा वाराणसी-सेवापुरी-कालिकाधाम होते हुए भदोही-ज्ञानपुर तक बसें चलायी गयी थी लेकिन इनकी आय सन्तोषजनक न होने के कारण इन्होंने बन्द कर दिया गया है। इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि वाराणसी से भदोही तक का 46 कि०मी० का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है, जिस पर काफी संख्या में निजी बसें चलती हैं।

3–ज्ञानपुर से परिवहन निगम की केवल एक बस का ही संचालन हो रहा है। अतः इस स्थान पर परिवहन निगम के डिपो के बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस स्टेशन का जो भवन निर्मित हुआ है उसको उपयोग में लाये जाने हेतु परिवहन निगम द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है तथा ज्ञानपुर बस स्टेशन पर एक कर्मचारी की तैनाती कर दी गयी है।]

प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में टंकक के पद पर भर्ती हेतु लम्बित साक्षात्कार न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

[आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि शासन के औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में टंकक के पद पर भर्ती हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 19-8-98 को समूह "ग" भर्ती अभियान के अन्तर्गत एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। इस पद पर भर्ती हेतु दिनांक 13-12-98 को लिखित परीक्षा ली गई।

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दिनांक 4-4-99 तथा दिनांक 22-8-99 को टंकण परीक्षा हेतु बुलाया गया परन्तु किन्हीं कारणों से इन दोनों तिथियों में टंकण परीक्षा स्थगित कर दी गई।

दिनांक 31-10-99 को पुनः टंकण परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को बुलाया गया और परीक्षा ली गई तथा दिनांक 1-11-99 के पत्र के माध्यम से संबंधित परीक्षार्थियों को यह सूचना दी गई कि दिनांक 2-11-99

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को साक्षात्कार होगा । यह साक्षात्कार किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिये गये और पुनः अभी तक नहीं हो पाये हैं ।

उपरोक्त टंकक के पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य सभी परीक्षा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है । मात्र साक्षात्कार के उपरान्त राजकीय सेवा में लिये जाने पर परीक्षा से संबंधित समस्त अनिश्चितताएं समाप्त हो सकती हैं क्योंकि इसमें अनेक लोग निर्धारित आयु सीमा से अधिक के हो जायेंगे ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रश्नगत साक्षात्कार तुरन्त सम्पन्न कराने तथा चयनित परीक्षार्थी को तत्काल सेवा में लिये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें ।

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" की भर्ती/चयन हेतु टंकक के कुल 05 पद विज्ञाप्ति किये गये थे जिसके लिए लिखित परीक्षा दिनांक 13-12-98 को सम्पन्न हुई थी । लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 4-4-99 को निर्धारित की गयी थी । परन्तु प्रश्नगत भर्ती/चयन के संबंध में कतिपय अनियमितताएं बरते जाने की तथाकथित शिकायतें प्राप्त होने पर चयन की कार्यवाही रोक दी गयी तथा उक्त शिकायतों की जांच हेतु मण्डलायुक्त, लखनऊ को पत्र निर्गत किया गया । तत्पश्चात् मण्डलायुक्त, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मामले में बरती गयी अनियमितता के संबंध में जांच के दौरान पाई गयी त्रुटियों का निराकरण कर लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 22-8-99 को निर्धारित की गयी । परन्तु इस बीच लोक सभा चुनाव, 1999 घोषित होने तथा तत्सम्बन्धी आचार संहिता लागू हो जाने के कारण समूह "ग" की चयन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी जिसके कारण टंकण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी । लोक सभा चुनाव के पश्चात् पुनः टंकण की परीक्षा दिनांक 31-10-99 को निर्धारित की गयी और उक्त तिथि को टंकण परीक्षा सम्पन्न हो गई ।

उल्लेखनीय है कि टंकक पद के एक अभ्यर्थी श्री यदुनाथ सिंह द्वारा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च, लखनऊ में रिट याचिका योजित की गई थी जिसमें मा० न्यायालय द्वारा उक्त अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में मा० न्यायालय के अग्रिम आदेश तक औपबन्धिक रूप से सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया था । तदनुसार श्री यदुनाथ सिंह को टंकण परीक्षा में सम्मिलित किया गया ।

मा० न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में शासन द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि टंकण परीक्षा के उपरान्त अग्रेतर चयन प्रक्रिया में श्री यदुनाथ सिंह को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में पहले मा० न्यायालय के निर्देश प्राप्त किये जायं । इसी के परिपेक्ष्य में दिनांक 2-11-99 को निर्धारित साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में दैनिक वेतन कर्मियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिए राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में चल रही उक्त भर्ती/चयन की कार्यवाही शासन द्वारा रोक दी गई थी जिसे पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।]

जनपद जालौन में छात्र नेता अतुल कुमार यादव पर प्राणघातक हमला किये जाने के संबंध में कोई गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चन्द्र पाल सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

[उपर्युक्त विषय में पुलिस अधीक्षक, जालौन से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में श्री सुशील कुमार पुत्र श्री कुंवर पाल निवासी ग्राम व

नोट :[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

थाना डकोरा, जिला जालौन द्वारा दिनांक 17-1-2000 को इस आशय की सूचना कोतवाली उरई में गंगाचरण राजपूत, पूर्व सांसद, ओम प्रकाश, राजपूत, गिरजाचरन राजपूत पुत्रगण श्री रामस्वरूप, आशुतोष पुत्र श्री ओम प्रकाश, बृजभूषण उर्फ गुड्डू उर्फ गंगाचरन व उसकी भाई बालकिशन, निवासी ग्राम बमौरी कला व एक दर्जन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कि अतुल कुमार यादव एवं जीतेन्द्र कुमार यादव को लकी फर्नीचर मण्डी गेट राठ रोड उरई के सामने मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई एवं अतुल यादव की रिवाल्वर छीन ली ।

2–प्रारम्भिक विवेचना से कथित लूटी गई रिवाल्वर कथित घटनास्थल पर पड़ी पायी गयी थी एवं नामांकित अभियुक्तगण में से ओम प्रकाश राजपूत, बृजभूषण एवं आशुतोष राजपूत कथित घटना के तीन दिन पूर्व जनपद जालौन से दिल्ली होकर गोवा जा चुके थे एवं श्री गंगाचरन राजपूत की घटना के पूर्व से ही लखनऊ में उपस्थित रहना तथा गिरजाचरन का घटना के समय जनपद महोबा में होना पाया गया । कथित घटनास्थल पर दुकानदार एवं निवासीगण ने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित साक्षीगण द्वारा दर्शाये गये घटनास्थल पर कथित घटना का घटित होना नहीं बताया है ।

3–यह उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रतिवादी में रंजिश चली आ रही थी जिसके कारण एक ही परिवार के सदस्यों के विरुद्ध एवं उनके नौकर बालकिशन के विरुद्ध सोच समझ कर द्वेष भावना से अभियोग पंजीकृत कराया गया । विवेचना से यह भी बात प्रकाश में आयी कि कथित घायल व्यक्ति शुत्रुतावश अन्यत्र मारपीट कर लिये थे और उस क्रम में घायल हुये थे जिसका द्वेषभावना से संदर्भित अभियोग गलत घटनास्थल एवं घटना प्रदर्शित करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जाना पाया गया । अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट संख्या–35 दिनांक 23-2-2000 को समाप्त कर दी गयी है और अभिलेख मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

4–यह कहना गलत है कि सत्ता पक्ष के दबाव के कारण अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की गई है । रिवाल्वर कथित घटनास्थल पर पड़ी पायी गयी । कथित घटना के संबंध में समाज के किसी भी वर्ग में कोई आक्रोश नहीं है । यह भी असत्य है कि कथित हमलावरों की ओर से किसी को कोई धमकी दी जा रही है ।]

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के संबंध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य †

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

[जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गोपालपुर में दिनांक 13-2-2000 को ओलावृष्टि/वर्षा से हुई क्षति का सर्वेक्षण उप जिलाधिकारी सगड़ी, आजमगढ़ द्वारा कराया गया । सर्वेक्षणोपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 13-3-2000 को ओलावृष्टि से 26 ग्राम प्रभावित हुए जिसमें से 13 ग्रामों में फसलों को कुल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई थी । इस प्रकार कुल 13 ग्रामों में 782 कृषक प्रभावित हुए हैं, जिन्हें कुल रु० 5,89,328/- की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किये जाने का जिलाधिकारी आजमगढ़ के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । शासन द्वारा जिलाधिकारी को टी० आर०-27 से आवश्यक धनराशि निकाल कर नियमानुसार अहेतुक सहायता तत्काल वितरित किये जाने तथा विलम्ब हेतु दायित्व निर्धारण करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।]

---

† केवल वक्तव्य पर विशेष अनुमति से स्पष्टीकरण भी पूछा गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, जहां पर ओला गिरा है वहां पर मैं एस०डी०एम० को लेकर गया था और दिखलाया था। 50 प्रतिशत से ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ। 26 गांवों को प्रभावित माना गया है। मेरा कहना है कि 13 गांव ऐसे हैं जहां पर 100 प्रतिशत की क्षति हुयी है। बाकी जो 26 गांव ऐसे हैं उनमें भी 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या इसकी जांच कराकर मुआवजा दिलाया जायेगा।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, ओलावृष्टि से क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है। जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होती है वहां यह मुआवज़ा मिलता है। इसमें हम पुनः जांच करवा लेंगे और जो भी होगा वह हम कर देंगे।

जनपद सीतापुर के ग्राम सिधौली में जिलाधिकारी द्वारा उर्स के कार्यक्रम को प्रतिबन्धित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री पटेल, राम कुमार वर्मा–

[उपर्युक्त के संबंध में जिलाधिकारी, सीतापुर ने अवगत कराया है कि मौलाना सईदुल रहमान, संयोजक की ओर से दिनांक 23-3-2000 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि "एक सर्वदलीय सर्वधर्म अवलम्बी बैठक का आयोजन दिनांक 2-4-2000 को गांधी विद्यालय, सिधौली में आयोजित किया गया है, जिसका विषय होगा धर्म स्थल विधेयक के औचित्य पर चूंकि दफा 144 लगी हुई है इसलिये आपकी आज्ञा व अनुमति प्रार्थनीय है"। जबकि वास्तविकता यह है कि इस प्रार्थना-पत्र पर कोई सकारात्मक चर्चा न करके धार्मिक भावना को भड़काकर शान्ति एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की योजना थी, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल संभावना थी। चूकि छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर की परीक्षाएं दिनांक 13-3-2000 से व बोर्ड की परीक्षाएं दिनांक 24-3-2000 से प्रारम्भ हो रही थी, अतः दिनांक 13-3-2000 से ही पूरे जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आयोजन गांधी विद्यालय, सिधौली में किया जाना प्रस्तावित था जबकि उक्त विद्यालय में भी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है। अतः विद्यालय में किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन करना उचित नहीं था। नोटिस में मा० विधायक जी का यह कहना कि अनुमति न मिलने से जनपद में गहरा रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है, सत्य नहीं है। वास्तव में अनुमति न मिलने से नगर सिधौली में या पूरे जनपद में लोगों में चाहे वे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय के हों, कोई आक्रोश नहीं था और प्रशासन के निर्णय की सराहना की गई।

जनपद स्तर पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी प्रकार के आयोजन/सभा आदि की अनुमति देना पूर्णतः जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस बारे में जिला मैजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा लिए गये निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं। 1 मई को पुनः बैठेंगे।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 30 मिनट पर सोमवार दिनांक 1 मई, 2000 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 28 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर ।)

संलग्नक

	संकेतक	प्रतिशत अंश
1	कुल जनसंख्या	50
2	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या	5
3	सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4	पिछड़ापन	
	(क) कृषि	5
	(ख) उद्योग	5
	(ग) सड़क	5
	(घ) विद्युतीकृत ग्राम	5
	(ङ) अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या	5
	(च) पेयजल अभावग्रस्त गांव	5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर ।)

शहरों में आवासीय समस्या को दूर करने हेतु कार्य-योजना

सबके लिये आवास कार्यक्रम

"सबके लिये आवास" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः सभी नागरिकों की आवासीय आवश्यकताओं तथा विशेषकर गरीबों और अनिश्चित आय वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में अनिश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये आश्रय योजना तथा लघु मध्यम आय वर्ग के लिये भाऊराव देवरस योजना संचालित की गयी हैं जिनका क्रियान्वयन विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के माध्यम से कराया जा रहा है । उक्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(क) आश्रय योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निर्धनतम वर्ग उन लोगों के लिये जो प्रदूषित वातावरण में, गन्दी बस्तियों में एवं सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर प्लास्टिक की छत के नीचे रहते हैं, प्रतिदिन 5, 10 व 15 रुपये के भुगतान पर आश्रय उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

(ख) भाऊराव देवरस योजना

अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के बीच एक ऐसा वर्ग (लघु मध्यम आय वर्ग) है जो लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपये की लागत का आवास चाहता है । इस वर्ग की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 1998-99 से स्ववित्त पोषित आधार पर प्राधिकरण सेवित नगरों में भाऊराव देवरस योजना प्रारम्भ की गयी है । पूर्व में इस योजनान्तर्गत केवल भवन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था थी, परन्तु आवेदकों की मांग को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 1999 से भवनों के साथ-साथ विकसित भूखण्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

2–मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं मानचित्र स्वीकृति

जनता को भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने में होने वाले उत्पीड़न से राहत दिलाने के लिए मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया का निम्नानुसार सरलीकरण किया गया है :–

(1) शहरों के पुराने निर्मित क्षेत्रों में 100 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर आवासीय निर्माण/पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता समाप्त की गई है ।

(2) 100 से 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों के लिये केवल आर्कीटेक्ट द्वारा तैयार भवन मानचित्र जिसमें उसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि प्रस्तावित मानचित्र महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुरूप है, स्वतः स्वीकृत समझा जायेगा ।

(3) एकल आवासीय मानचित्र 30 दिन में तथा ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र 90 दिन में स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे ।

(4) व्यवसायिक व ग्रुप हाउसिंग के मानचित्रों की स्वीकृति की वैधता 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष की गई है ।

इसके अतिरिक्त आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विभिन्न आकार के भूखण्डों के लिये मानक (स्टैण्डर्ड) भवन मानचित्रों की पुस्तिका जारी की गयी है जिसके आधार पर भवन बनाये जाने पर मानचित्रों की औपचारिक स्वीकृति से छूट मिलती है।

3–सम्पत्तियों का निबन्धन तथा कब्जा हस्तान्तरण

आवंटियों को भूखण्डों/भवनों के निबन्धन तथा कब्जा हस्तान्तरण में होने वाली परेशानी से बचाने के लिये सम्पत्ति के विक्रय में सरलीकरण किया गया है। ऐसी सभी सम्पत्तियां जहां समय-सारिणी के अनुसार आवंटियों द्वारा पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, के निबन्धन, पट्टा निष्पादन तथा कब्जा हस्तान्तरण अभियान के रूप में चलाया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या–45 का संलग्नक

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम	बकाया धनराशि	अन्य विवरण
1	मेसर्स जै० लक्ष्मी राइस मिल	53,402.00	स्थायी विच्छेदन
2	मेसर्स कुमार राइस मिल	1,23,683.00	
3	मेसर्स मनोज राइस मिल	86,006.00	स्थायी विच्छेदन
4	मेसर्स रिज़वी राइस मिल	59,292.00	
5	मेसर्स साकेत राइस मिल	1,83,527.00	
6	मेसर्स सीमा राइस मिल	1,16,698.00	
7	मेसर्स जमुना राइस मिल	16,521.00	
8	मेसर्स प्रदीप कुमार राइस मिल	66,834.00	
9	मेसर्स आर्यावृत चावल उद्योग	51,337.00	
10	मेसर्स गोयल उद्योग	40,645.00	
11	मेसर्स बनवारी लाल	23,460.00	
12	मेसर्स राम कृष्ण राइस मिल	10,616.00	
13	मेसर्स नवदुर्गा राइस मिल	14,082.00	
14	मेसर्स जै दुर्गा राइस मिल	16,489.00	
15	मेसर्स जानकी मार्डन राइस मिल	274675.00	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–186 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर ।)

दोषी/उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यवाही का विवरण
1	स्व० श्री के० एल० पाण्डे	अधिशासी अभियन्ता	निन्दा प्रविष्टि निर्गत
2	श्री एस० पी० सिंह	अधिशासी अभियन्ता	निन्दा प्रविष्टि निर्गत
3	श्री रमेश चन्द्र	सहायक लेखाकार	आरोप-पत्र निर्गत, जांच कार्यवाही प्रचलित ।
4	श्री एस०एस० राय	सहायक अभियन्ता	सतर्कता जांच पूर्ण होने तथा अन्तिम सम्प्रेक्षा आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रस्तावित ।
5	श्री यू०सी० पन्त	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
6	श्री आलोक अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
7	श्री अजय मिश्रा	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
8	श्री के० के० दीक्षित	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
9	श्री आर०एम० चित्रांशी	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
10	श्री वी० के० दीक्षित	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
11	श्री आर० के० श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	–तदैव–
12	श्री वी० के० श्रीवास्तव	अवर अभियन्ता	–तदैव–
13	श्री प्रेम सिन्धु पाण्डे	दैनिक श्रेणी लिपिक	–तदैव–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ङ)

(देखिये अता० प्र० सं०–187 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर ।)

धनराशि (लाख रु०

क्र०सं०	जनपद	मार्ग/सेतु		विद्युत		शिक्षा	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
	गढ़वाल मण्डल						
1	उत्तरकाशी	1454.79	1453.50	225.55	213.26	128.86	128.86
2	देहरादून	1704.79	1679.63	655.61	439.14	332.05	332.05
3	टिहरी	2452.69	2465.39	483.46	484.46	288.04	199.23
4	पौड़ी	2423.77	2388.57	523.47	469.89	1000.27	880.45
5	चमोली	841.66	786.94	291.35	270.35	710.99	672.11
6	रुद्रप्रयाग	320.45	329.62	345.41	258.41	140.47	140.47
योग	गढ़वाल मण्डल	9198.15	9103.65	2524.85	2135.51	2600.68	2353.17

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
कुमायूं मण्डल							
1	पिथौरागढ़	1000.47	987.97	481.46	199.55	163.84	134.02
2	चम्पावत	568.23	362.36	175.46	158.09	123.67	100.40
3	अल्मोड़ा	919.87	873.81	324.37	243.93	713.03	681.98
4	बागेश्वर	530.54	697.27	310.60	207.96	117.47	92.44
5	नैनीताल	1685.28	1592.82	346.52	160.42	599.23	514.40
6	ऊधमसिंह नगर	1055.07	1040.47	406.74	300.43	337.83	267.75
	योग–कुमायूं मण्डल	5759.46	5554.70	2045.15	1270.38	2055.07	2790.99
	महायोग–	14957.61	14658.35	4570.00	3405.89	4655.75	4144.16

उत्तर प्रदेश विधान सभा